"विकासशील अर्थव्यवस्था में डंकल प्रस्ताव का प्रभाव भारत के विशेष संदर्भ में"

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डी० फिल० उपाधि हेतु
प्रस्तुत शोध प्रबन्ध

द्वारा

जीतेन्द्र नाथ दुबे
शोध छात्र

निर्देशक
डॉ० जे०एन० मिश्र
उपाचार्य

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

1998

अनुक्रमणिका

अध्याय क्रम		पृष्ठ सख्या
	प्राक्कथन	*I - VI*
1	शोध अध्ययन का उद्देश्य, क्षेत्र एव विधि	1 – 7
2	आर्थिक विकास एव आर्थिक सवृद्धि	8 – 24
3	भारतीय अर्थव्यवस्था का अतीत एव वर्तमान तथा अतीत वर्तमान मे विचलन	25 – 61
4	गैट	62 – 77
5	डकल प्रस्ताव उरूग्वे दौर	78 – 145
6	विश्व व्यापार सगठन	146 – 175
7	डकल प्रस्ताव का प्रभाव	176 – 228
	परिशिष्ट	*ı - xııı*
	सदर्भ ग्रथ सूची	*ı- ıı*

प्राक्कथन

प्रकृति का यह शाश्वत नियम रहा है कि शक्तिशाली जीव छोटे जीव को अपना आहार बनाते रहे हैं। वर्तमान मे विश्व अर्थव्यवस्था पर दृष्टि रखने पर स्पष्टत यह प्रकृति का शाश्वत नियम प्रत्यक्षत लागू होता है। विकसित राष्ट्रो के द्वारा अपने हितो को सर्वोपरि रखने की प्रवृत्ति की विद्यमानता विकासशील राष्ट्रो को शकालु प्रवृत्ति अपनाने के लिये बाध्य कर रखा है। डकल प्रस्ताव इस सन्दर्भ मे एक कडी के रूप मे विद्यमान है।

साठ के दशक के अन्तिम वर्ष मे पश्चिमी देशो मे छात्र, मजदूर आन्दोलन के रूप मे बवडर उठा था जिसमे साम्यवाद और पूजीवाद दोनो को निरर्थक सिद्ध करके एक नये युग के लिये जमीन तैयार की। इस बवडर ने पूँजीवाद को अपनी तमाम शक्तिया बटोर कर अपने ढहते हुए किले को बचाने के लिये युक्ति खोजने को विवश किया।

वियतनाम युद्ध मे अमेरिका जैसी महाशक्ति की पराजय के बाद पूजीवादी देशो को स्पष्ट दिखाई देने लगा कि परमाणु हथियारो और आन्तरिक युद्ध की तैयारियो के बावजूद न वे अपनी सम्पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते है और न ही तीसरी दुनिया के ससाधनो के दोहन से अपने को समृद्ध बनाना अब उनके लिये सभव होगा क्योकि अब उनके ससाधन समाप्त होने वाले है। ससाधनो के दोहन के लिये तीसरी दुनिया के पर्यावरण का विनास करने के बाद जब इसका खतरा स्वय उन पर मडराने लगा तो वे तीसरी दुनिया के देशो मे जनसख्या नियन्त्रण,

पर्यावरण व्यवस्था, तथा उसके लिये आवश्यक शिक्षा, साक्षरता के प्रसार के लिये धन खर्च करने लगे। इसके साथ ही इन देशो मे भौतिक वस्तुओ के उत्पादन की क्षमता क्षीण हुई या उसकी आवश्यकता नही रही तो उत्पादन हीनता की कल्पना सामने आयी। अर्थात कालाबाजारी, सूदखोरी, दलाली, मुद्रा मूल्य और कीमतो मे हेराफेरी से होने वाली आय से राष्ट्रीय आय मे सुधार किया जाने लगा।

अवैध धन की समानान्तर व्यवस्था से इस प्रक्रिया को और बल मिला क्योकि वैध और अवैध आर्थिक गतिविधियो का भेद लगभग समाप्त हो गया। इस तरह पूजीवादी देशो मे कृति समृद्ध का उफान आया और इस उफान के स्पर्श ने तीसरी दुनिया के कुछ देशो विशेषकर उनके मध्य वर्ग को प्रभावित किया। इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी की क्रान्ति ने इस कृत्रिम समृद्धि को सौ गुना चका चौध के साथ प्रस्तुत किया और इस चकाचौध मे तीसरी दुनिया के बढते हुए मध्य वर्ग को कृत्रिम समृद्धि तथा कृत्रिम उपभोग का नसेडी बना दिया। इन देशो की सरकारो को मध्य वर्ग के दबाव मे आकर "ऋण कृत्वा घृत पिबेत" की नीति अपनानी पडी, इससे समृद्ध देश जिनका विश्व बैक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और गैट जैसी सस्थाओ पर अधिकार था, सारे विश्व को अपना कर्जदार बनाने की स्थिति मे हुए और वे साहूकार की हैसियत से सारे विश्व पर मनमाना हुक्म चला सकते थे। डकल प्रस्ताव इस हुक्मनामे की इबारत है।

प्रश्न उठता है कि क्या ये प्रस्ताव मरणासन्न पूॅजीवादी मे नया प्राण फूॅकेगे या ये बुझते दीप की लौ की तरह इसे कुछ समय के लिये प्रदीप्त मात्र करेगे? प्रश्न का उत्तर नकारात्मक ही लगता है क्योकि जिन दो समस्याओ के कारण विश्व का

वर्तमान सकट प्रस्तुत हुआ है उनका समाधान नई अर्थव्यवस्था से नही होगा। इसकी समस्या बढती हुई बेरोजगारी है जो मनुष्य की आत्मा का क्षय रोग है और दूसरी है विषमता की जो सामाजिक द्वेष, घृणा और हिसा बढाकर समाज का कैसर सिद्ध होगी।

डकल प्रस्ताव विश्व की भावी अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित एव सचालित करने वाला दस्तावेज है। यह गैट के पुराने स्वरूप मे सशोधन करके उसका व्यापार की सभी वस्तुओ तक विस्तार कर रहा है। इसमे गैट प्रबन्ध के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र भी आता है जो पहली नही था। इसके अतिरिक्त इसमे सेवाओ का व्यापार, बौद्धिक सम्पदा अधिकार और व्यापार सम्बधी विनियोग उपाय नये प्रावधान है। कृषि सम्बधी प्रावधान मे कृषि को मिलने वाली सरकारी सहायता को घटाने और उसे 13 3 प्रतिशत (विकासशील देशो मे 10 प्रतिशत) तक लाने की शर्त है। स्मरणीय है कि इस समय यूरोप, अमेरिका और जापान मे किसानो को मिलने वाली आर्थिक सहायता 30 से 50 प्रतिशत है जो अधिकतर निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये होती है। भारत मे यह सहायता कठिनाई से तीन–साढे तीन प्रतिशत है और यह अधिकतर खाद्य, बीज, कीटनाशक दवाओ की सहायिकी तथा समर्थन मूल्य के रूप मे होती है इसका उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन देना नही, निर्वाह स्तर को बनाये रखना और खाद्य पदार्थो की सुरक्षा है।

प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध को निम्न सात अध्यायो मे विभाजित किया गया है।

1 शोध अध्ययन का उद्देश्य क्षेत्र एव विधि

2 आर्थिक विकारा एव आर्थिक समृद्धि

3 भारतीय अर्थव्यवस्था का अतीत एव वर्तमान तथा अतीत वर्तमान मे विचलन

4 गैट

5 डकल प्रस्ताव उरूग्वे दौर

6 विश्व व्यापार सगठन

7 डकल प्रस्ताव का प्रभाव

प्रथम अध्याय के अन्तर्गत शोध–अध्ययन का उद्देश्य एव क्षेत्र विधि सकल्पना और सीमाओ का उल्लेख किया गया है। द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत आर्थिक विकास, आर्थिक सवृद्धि, अर्थव्यवस्थाओ का वर्गीकरण एव विकासशील अर्थव्यस्था के लक्षण पर प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार तृतीय अध्याय के अन्तर्गत भारतीय अर्थव्यस्था का अतीत एव वर्तमान जिसमे ब्रिटिश पूर्व अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था एव ब्रिटिश पश्चात् या स्वतत्रता प्राप्त के बाद की अर्थव्यवस्था तथा वर्तमान अतीत मे विचलन का विश्लेषण किया गया है।

चतुर्थ अध्याय के अन्तर्गत गैट की स्थापना तथा उसके द्वारा सम्पादित दौर का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। पाचवे अध्याय मे उरूग्वे दोर की वार्ताओ के साथ–साथ डकल प्रस्ताव की रूप रेखा तथा उपबधो का विश्लेषण किया गया है। छठे अध्याय के अन्तर्गत विश्व व्यापार की स्थापना एव उसके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यो का विश्लेषण है। सातवा अध्याय इस शोध अध्ययन का मूल बिन्दु डकल प्रभाव है इसके अन्तर्गत डकल प्रस्ताव का

विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे पडने वाले सामाजिक, आर्थिक एव राजनैतिक प्रभावो का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सुझाव दिया गया है।

साभारोक्ति

सर्व प्रथम मै अपने शोध–निर्देशक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सहनशीलता की साक्षात् प्रतिमूर्ति वाणिज्य जगत के उत्कृष्ट विद्वान एव दार्शनिक सरस्वती पुत्र डॉ० जगदीश नारायण मिश्र रीडर, वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद का आभारी हू जिनके पुत्रवत स्नेहाशीष की छाया मे अद्भुत वात्सल्य प्रेम का अनुभव करते हुए मै यह शोधकार्य पूर्ण कर सका। मै गुरूदेव की महती कृपा का सदैव ऋणी रहूगा। ऐसे ही महान गुरू का सानिध्य हमे सदैव मिले यही मेरी स्पृहा है। इसके साथ ही साथ मै उनके परिवार के प्रत्येक रादस्यो के साथ विशेष आभारी हू जिनके द्वारा समय–समय पर विविध प्रकार के सहयोग प्राप्त होते रहे है।

मै वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग के अधिष्ठाता प्रो० एस पी सिह का भी आभारी हूँ। जिन्होने समय–समय पर शोध कार्य पूर्ण करने हेतु मेरा उत्साह वर्धन किया।

मै वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग के अध्यक्ष प्रो० जगदीश प्रकाश का भी विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होने शोधकार्य का सुअवसर प्रदान कर अनन्न सहयोग प्रदान किया।

मै वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग के रीडर, मृदु भाषी डॉ० प्रदीप जैन का विशेष रूप से आभारी हूॅ जिन्होने विषम परिस्थियो मे मार्ग दर्शन करते हुए शोध कार्य शीघ्र सम्पन्न करने हेतु अदम्य उत्साह वर्धन किया जो मेरे लिये वन्दनीय है।

मै अपने गुरूजन वृन्द प्रो० पी सी शर्मा, प्रो० जे के जैन, प्रो० के एम शर्मा, डॉ० सरफराज अहमद अशारी, डॉ० बद्री प्रसाद त्रिपाठी, डॉ० वी एम वैजल, डॉ० ए के मुखर्जी, डॉ० अजनी मालवीय, प्रो० आर एस डी द्विवेदी, डॉ० आर के सिह, का भी मै विशेष आभारी हूॅ। जो अपना अमूल्य समय एव सुझाव प्रदान करते रहे है।

मै अपने देवता तुल्य पिता एव अपनी पूज्य माताजी के प्रति विशेष आभारी हूॅ जिन्होने शोधकार्य सम्पन्न करने हेतु समस्त प्रकार की सहायता प्रदान की और समय–समय पर शोधकार्य पूर्ण करने के लिये उत्साह वर्धन करते रहे। उनके चरणो मे कोटिश प्रणाम करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूॅ जन्म जन्मातर तक इन्ही माता पिता सानिध्य प्राप्त होता रहे।

मै अपने ज्येष्ठ भ्राता बन्धुओ के प्रति विशेष आभारी हूॅ, जिन्होने सदैव मेरा उत्साह वर्धन कर इस कार्य को सरल बनाने मे हर सम्भव सहायता प्रदान की।

मै अपने ज्येष्ठ अग्रज पुत्र अर्विद दुबे के अनन्य सहयोग के लिये सस्नेह आभार प्रकट करता हू जिन्होने विभिन्न विषम परिस्थितियो मे अभिन्न सहयोग प्रदान किया। इसी के साथ मै अपने परिवार के समस्त सदस्यो के प्रति आभार व्यक्त करता हू जो विभिन्न प्रकार के सहयोग प्रदान करते रहे है।

मै अपने भाजे विवेक शर्माजी को सस्नह धन्यवाद ज्ञापित करता हू विभिन्न प्रकार के सहायोग के लिये जिससे मुझे शोधकार्य करने मे सरलता का अनुभव हुआ।

मै अपने शोध सहपाठी श्याम कृष्ण पाण्डेय के प्रति विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूगा जिन्होने अमूल्य समय एव सहयोग प्रदान कर मेरे शोध कार्य को सम्पन्न होने मे गति प्रदान की।

मै शोध सहपाठी राजेन्द्र कुमार मिश्र को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होने विभिन्न प्रकार की विषम परिस्थितियो मे सतत् उत्साह वर्धन करते रहे।

मै अपने शोध सहपाठी रूद्र प्रभाकर मिश्र (सपरिवार) को विशेष आभार प्रकट करता हू जिनका सहयोग अविस्मरणीय है।

मै अपनी शोध सहपाठिनी, उत्साहदायनी, नामानुकूल कमलवत गुणो से परिपूर्ण डॉ० कमलेश कुमारी पालीवाल (कमल) का विशेष आभारी हूँ जिनके बिना मै शोधकार्य पूर्ण ही नही कर सकता था, वास्तव मे सुश्री पालीवाल की ही सकारात्मक प्रेरणा ने शोधकार्य सम्पन्न करने लिये प्रेरित हुआ और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की सहयोग विना मागे प्राप्त होते रहे इसके लिये मै उन्हे कोटिश धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और ईश्वर से विशेष प्रार्थना करता हूँ कि उन्हे लम्बी उम्र प्रदान करे।

मै महेन्द्र कुमार शर्मा जी का विशेष आभारी हू जिन्होने अपना अमूल्य समय एव सहयोग प्रदान कर शोधकार्य को सरल बनाने मे विभिन्न प्रकार के सहयोग प्रदान करते रहे। इसके लिये मै उन्हे सस्नेह धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

विशेष सामग्री को अधिक अद्यतम् और उपयोगी बनाने के लिये जिन विभिन्न प्रतिवेदनो पत्रिकाओ और सदर्भ ग्रथो का प्रयोग किया गया उनके प्रणेताओ और प्रकाशको के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ

मै मोहम्मद शाहिद भाई (सपरिवार) का विशेष आभारी हूँ जिनके विशेष सहयोग के द्वारा ही मेरा मुद्रण कार्य सम्पन्न हुआ।

अन्त मे मोहम्मद इस्तियाक को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूगा जिनके सहयोग के मुद्रण कार्य अति सरलता से समय पर सम्पन्न हुआ।

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाक 3-10-98

Jeetendra Nath Dube
(जीतेन्द्र नाथ दुबे)

अध्याय : 1

शोध अध्ययन का उद्देश्य, क्षेत्र एवं विधि

उद्देश्य एवं क्षेत्र :

विगत पाच दशको मे विश्व अथव्यरथा मे वहुआयामी परिवर्तन हुए। जिरामे अर्थ व्यवस्थाओ का स्वरूप भी प्रभावित होता रहा है यथा पूजीवादी अर्थव्यवस्था म रारकारी हरत्तक्षेप तथा रामाजवादी अर्थव्यवस्थाओ मे व्यक्तिगत स्वामित्व का प्रवेश आदि आज विश्व मे कोई भी अर्थव्यवस्था न तो पूर्णतया पूजीवादी ओर न पूर्णतया समाजवादी रह गयी हे। अन्तर इतना हे कि पूजीवादी अर्थव्यवस्था पर व्यक्तिगत स्वामित्व का अधिक प्रभुत्व हे ओर रामाजवादी अर्थव्यवस्था मे सरकारी हरत्तक्षेप काफी मात्रा मे विद्यमान हे। कुलमिलाकर यह कहा जा सकता है कि सभी अर्थव्यवस्थाए मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप की ओर अग्रसर है केवल मात्रा या प्रतिशत का अन्तर ह।

दूरारी ओर 80 के दशक रो विश्व के कई भागो मे आर्थिक रुधारो की प्रक्रिया चल रही हे। इसके अतिरिक्त यूरोपीय देशो मे भी कुछ मदी क आरार रामय समय पर परिलक्षित हुए है जिनसे वहा रोजगार एव ओद्योगिक विकास की समरग्या अनुभव की गयी। इरी लिये विश्व अर्थ व्यवस्था म क्षत्रीग रत्तर पर क्षेत्रीय आर्थिक एव व्यापार से राम्बन्धित रागठना का गठन हुआ। विश्व रतर पर आर्थिक आद्योगिक एव व्यापार नीतियो मे फेर बदल की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। व्यापार एव तटकर राम्बधी सामान्य समझोते को समाप्त कर एक नये व्यापारिक विरत्तृत समझोते का अरितत्व मे लाया गया। नये रामझोत मे न कवल पाश्चात्य यूरापीय देशा की अथव्यवस्था का प्रभावित

किया बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लगभग सभी विकसित एव विकासशील देशो को प्रभावित कर रहा है।

अत वर्तमान अर्थव्यवस्था के भूमण्डलीयकरण की प्रक्रिया मे विकसित एव विकासशील सभी देश प्रभावित हो रहे है। हो सकता है कुछ देशो पर सकारात्मक और कुछ देशो पर नकारात्मक प्रभाव पडे। परन्तु यह निश्चित है कि अर्थव्यवस्थाये किसी न किसी रूप मे अवश्य प्रभावित होगी।

विकासशील अर्थव्यवस्थाये आर्थिक सुधारो व आर्थिक पुनर्सरचना से किसी न किसी रूप मे गहरी सीमा तक प्रभावित हो रही है। विकासशील देशो की अपनी विशेषताए एव अपनी सीमाए है जहा ससाधनो का अल्पदोहन है वही पर पूजी की कमी एव परम्परागत ढाचा विद्यमान है। इस प्रकार अर्थव्यवस्थाओ का विचलन परम्परागतवादी अर्थव्यवस्था के ढाचे से आधुनिक वैज्ञानिक प्रविधि की ओर हो रहा है। औद्योगिक उत्पादन ढाचे एव बाजार व्यवस्था मे परिवर्तन विकासशील देशो की अपनी इच्छा से नही बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौता यथा विश्व व्यापार सगठन से प्रभावित होगा।

वर्तमान समय मे मौद्रिक, औद्योगिक एव व्यापार गतिविधिया किसी देश के ऊपर समग्र रूप से नही निर्भर करती है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय शक्तिया, क्रियाकलाप निर्धारित करती है विदेशी पूजी का आगमन, बहुराष्ट्रीय कम्पनियो का विस्तार एव

स्थापना तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा एव मात्रा समझौते द्वारा निर्धारित की जाती है आज कोई भी देश यदि यह चाहे कि किस देश को कितना आयात और किस देश को कितना निर्यात करना है स्वय निर्णय करे यह उसके ऊपर निर्भर नही करता है।

डकल प्रस्ताव का प्रभाव न केवल विकसित देशो पर पड रहा है और भविष्य मे पडेगा वरन् विकासशील देशो को भी सकारात्मक एव नकारात्मक दोनो दिशाओ मे प्रभावित करेगा। आज "एशियन टाइगर्स" यथा दक्षिणी कोरिया, सिगापुर आदि की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। जबकि अस्सी के दशक के अन्तिम एव नब्बे के दशक के प्रारम्भिक वर्षो मे पूजीवादी, यूरोपीय देशो मे एव औद्योगिक सकट एव बेरोजगारी के आसार नजर आये थे। इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। ऐसी दशा मे पूजीवादी देशो विशेषकर अमेरिका के द्वारा डकल प्रस्ताव के माध्यम से "गैट" मे परिवर्तन करके एक नयी विश्व अर्थव्यवस्था कायम करने की बात सोची गयी और जिसे अन्तत कार्य रूप दे दिया गया।

आज एशिया, लैटिन अमरीका तथा अफ्रीका महाद्वीप के तमाम ऐसे विकासशील देश है जो आर्थिक सुधारो की प्रक्रिया अपनाये हुए है परन्तु आर्थिक एव औद्योगिक उतार चढाव की स्थिति से गुजर रहे है। इन अर्थव्यवस्थाओ मे निर्वाध विदेशी पूजी आगमन बहुराष्ट्रीय निगमो की स्थापना तथा अवश्यक वरीयता वाले उद्योग मे भागीदारी आदि हो रही है जो कि डकल प्रस्ताव का ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष

रूप से प्रभाव कहा जा सकता है। इस शोध के द्वारा इस बात का पता लगा कि विकासशील देश तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर डकल का क्या प्रभाव पड रहा है। या पड सकता है क्योकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसपर भारत का औद्योगिक एव आर्थिक विकास निर्भर करता है। इस अध्ययन के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप एव प्रकृति के साथ साथ विचलनो को भी समझाया जायेगा जिससे भावी विकास रणनीति तय की जा सके, इस लिये इस शोध प्रबन्ध मे विकासशील एव भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप एव लक्षणो को जानने के पश्चात भारतीय अर्थ व्यवस्था का अतीत, वर्तमान एव विचलन को जानने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही साथ शोध का केन्द्र विन्दु उरूग्वे दौर डकल प्रस्ताव जिसकी पृष्ठभूमि "गैट" है और परिणति विश्व व्यापार सगठन है को विस्तृत रूप से अध्ययन करने एव प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया गया है।

यद्यपि शोध का विषय विकासशील देशो पर डकल प्रस्ताव का प्रभाव भारत के विशेष सदर्भ मे है परन्तु एक व्यक्तिगत शोधकर्ता के लिये यह सम्भव नही है कि वह विकासशील देशो मे जा कर उनका अध्ययन करे एव उसके वास्तविक परिणाम निकाले। इसलिये शोध के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था को एक विकासशील देश के प्रतिदर्श के रूप मे लिया गया है, परन्तु किसी वित्तीय एव सरकारी सहयोग के अभाव मे एक शोध छात्र के लिये भारतीय अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो का प्रारम्भिक आकडो के आधार पर अध्ययन करना दुरुह कार्य है। अत भारतीय अर्थ व्यवस्था के

कुछ चयनित क्षेत्रो से सम्बन्धित अध्ययन कर निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है।

इस विषय पर शोध करना एव उसके परिणामो को जानना वर्तमान मे ही महत्वपूर्ण नही है, बल्कि भविष्य मे इसका और अधिक महत्त्व होगा जो नये शोध कर्ताओ के लिये एक दिशा देगा।

संकल्पना :

प्रस्तुत अध्ययन मे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो से सम्बधित सकल्पनाये की गयी है। यथा

1 कृषि (विशेष कर कृषि बीजो एव अनुससाधन) की स्थिति

2 पेटेन्ट मे परिवर्तन किस सीमा तक होगा।

3 बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आइ पी आर) सम्बधी पहलू।

4 सेवा क्षेत्र मे व्यापार की स्थिति (जो एक नई दिशा दे सकती है)

5 विनियोग सम्बधी उपाय तथा

6 सहायिकी आदि।

ये सभी उक्त विन्दु अर्थव्यवथा मे आर्थिक व्यवस्थाये एव राजनैतिक परिवर्तन के साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो एव व्यापार की दिशा भी प्रभावित करेगे।

शोध विधि:

अध्ययन को अर्थपूर्ण एव वास्तविक विश्लेषण करने के लिये एक उचित उपयुक्तशोध प्रारूप का निर्माण आवश्यक होता है। जिसमे सम्भावित समस्याओ के हल अथवा सुधार उपाय निहित होते है। क्यो कि दोषपूर्ण अध्ययन के कारण एक उपयुक्त अच्छा शोध विषय भी गलत विचार धारा प्रस्तुत कर सकता है। इसलिये एक वास्तविक सोच एव विधि आवश्यक होती है।

शोध की रूप रेखा शोध प्रारूप से सम्बधित होती है। इस शोध मे अध्याय 4, 5, 6 एव 7 मे सैद्धातिक एव व्यवहारिक पहलुओ को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन मे प्राथमिक एव द्वितीयक समको के द्वारा सूचनाओ को एकत्रित करने की कल्पना की गयी है। परन्तु द्वितीयक समको के द्वारा ही सूचनाओ को एकत्रित किया गया है। कृषि उद्योग एव सेवा क्षेत्र से कुछ लोगो की प्रतिक्रियाओ के आधार पर डकल प्रस्ताव के प्रभाव को जानने एव लिपिबद्ध करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन की सीमायें :

इस महत्वपूर्ण शोध विषय की कुछ सीमाये भी है, जैसे

1 सूचनाओ को प्राप्त करना एक जटिल कार्य है।

2 चूकि यह कृषि उद्योग एव सेवा या अर्थव्यस्था के सभी क्षेत्रो से सम्बधित है इस लिये किसी भी वर्ग विशेषकर कृषक वर्ग से प्रतिक्रिया जानना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योकि अभी कृषको को इसका पूरा ज्ञान नही है और दूसरे वे सरकारी विभाग का व्यक्ति जान कर दूर रहना चाहते है।

3 इस विषय पर अब तक शोधकार्य का आभाव रहा है इस लिये इस दिशा मे कठिनाई अनुभव हुई है।

4 छितरे हुए व्यक्तिगत सहित्य जो उपलब्ध है उसमे पक्षपात पूर्ण विचार हो सकते है।

5 वित्तीय एव सरकारी सहयोग के आभाव मे व्यक्तिगत शोध-कर्ता के सीमित साधनो को देखते हुए प्राथमिक आकडो का सकलन कठिन कार्य है।

यद्यपि इस विषय पर अभी तक विशेषकर उत्तर भारत मे शोध कार्य नहीं हुआ है इस लिये प्रयाप्त साहित्य का आभाव है डकल प्रस्ताव (मुख्य रूप से अधिकृत प्रकाशन) तथा समाचार पत्रो, पत्र पत्रिकाओ एव विद्वानो को उरूग्वे दौर से सम्बन्धित रहे है के प्रकाशनो से ही सहायता लेने का प्रयास किया गया है।

अध्याय : 2

आर्थिक विकास एवं संवृद्धि

आर्थिक विकास एव आर्थिक सवृद्धि को अधिकाश जन एक ही समझते है व एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप मे प्रयोग करते है। परन्तु अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह गलत है। आर्थिक विकास एव आर्थिक सवृद्धि को जन समुदाय द्वारा एक ही समझना भ्रॉति है। यद्यपि कि परम्परावादी अर्थशास्त्रियो ने आर्थिक सवृद्धि शब्द का प्रयोग किया है। आज आर्थिक विकास एव आर्थिक सवृद्धि दो अलग–अलग विन्दु है और आर्थिक विकास आर्थिक सवृद्धि को समाहित करते हुए ही पूर्ण होता है। अत आर्थिक विकास एव आर्थिक सवृद्धि को अलग–अलग समझना तथा उनके भेदो को जानना आवश्यक है।

आर्थिक विकास:

आर्थिक विकास एक विस्तृत अवधारणा है इसके अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो मे होने वाले सस्थागत एव सरचनात्मक परिवर्तन सम्मिलित है, आर्थिक विकास की अवधारणा का आधार समाज द्वारा मान्य वे मूल्य है जिनपर समाज के निर्माण की सकल्पना की गई है। आर्थिक विकास को कई अर्थशास्त्रियो ने परिभाषित करने का प्रयास किया था। चार्ल्स किडल वर्जर तथा जी०एम० मायर आदि। आर्थिक विकास के सबध मे मायर की अवधारणा यह है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप एक लम्बी अवधि मे वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय मे वृद्धि हो और इसके साथ परम निर्धनता के रेखा के नीचे रहने वाली जनसख्या मे वृद्धि न हो ।

अलग–अलग विद्वानो ने आर्थिक विकास को भिन्न–भिन्न प्रकारो से परिभाषित करने का प्रयास किया परन्तु एक बहुप्रचलित परिभाषा यह दी जा सकती है कि "आर्थिक विकास एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय एक दीर्घ कालीन सदर्भ मे बढती है और यदि आर्थिक विकास की दर जनसख्या वृद्धि की दर से अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय बढेगी।"

उपर्युक्त बहुप्रचलित परिभाषा के विश्लेषण स्वरूप कई बिन्दु निकल कर सामने आते है जो आर्थिक विकास की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। इस श्रृखला मे यह कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमे अर्थव्यवस्था के सरचनात्मक एव सस्थागत परिवर्तन निहित है। आर्थिक विकास एक दीर्घ कालीन प्रक्रिया है जिसमे वास्तविक राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होती रहती है। राष्ट्रीय आय के वास्तविक रूप का सबन्ध वस्तुत मूल्य स्तर से है। राष्ट्रीय आय मे वृद्धि तभी कही जायेगी जब मूल्य स्तर मे वृद्धि राष्ट्रीय आय वृद्धि की दर से नीची हो जिससे कि लोग अपनी बढी हुई वास्तविक प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग अधिक वस्तुए व सेवाए प्राप्त करने मे कर सके। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय मे वृद्धि जीवन स्तर मे लगातार सुधार का परिचायक है।

आर्थिक विकास का एक पहलू यह भी है कि अर्थव्यवस्था का विभाजन एव आधुनिकीकरण को जिनसे की अर्थव्यस्था मे नये–नये क्षेत्रो का विकास हो तथा रोजगार के नए अवसरो का सृजन हो और अन्तत बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण

समाधान हो। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास की अवधारणा मे यह भी निहित है कि दीर्घकाल मे अर्थव्यवस्था मे व्याप्त आर्थिक विषमता मे कमी आये। इसी परिपेक्ष्य मे आय वृद्धि का वितरण सामाजार्थिक न्याय की दृष्टि से हो।

आर्थिक विकास का सम्बन्ध जीवन के उच्च मूल्यो को प्राप्त करने से है। अर्थव्यवस्था मे व्याप्त निर्धनता, भुखमरी तथा महामारी आदि समस्याओ से निदान पाया जा सके। इसीलिए सयुक्त राष्ट्र सघ द्वारा आर्थिक विकास के लिए दी गई परिभाषा मे उपर्युक्त तत्वो को समाहित किया गया है। अत आर्थिक विकास की प्रकृति, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक तथा सास्कृतिक है जिसका उद्देश्य वस्तुओ तथा सेवाओ के उत्पादन मे वृद्धि से है तथा परम्परागत वर्ग से हटकर नये वर्ग के लोगो से है। आर्थिक विकास का सबन्ध सामाजिक न्याय तथा मानवीय मूल्यो से है।

आर्थिक संवृद्धि :

आर्थिक सवृद्धि का सम्बन्ध मौद्रिक परिवर्तनो से है तथा इसके साथ ही साथ उत्पाद, आय आदि चरो के मात्रात्मक वृद्धि से है। यदि कोई देश अधिक उत्पादन करता है और धन अर्जित करके उसमे वृद्धि करता है तो इसे आर्थिक सवृद्धि कहा जायेगा। आर्थिक सवृद्धि की अवधारणा एक सकुचित अवधारणा है। आर्थिक सवृद्धि आर्थिक विकास की भॉति सस्थागत कारणो को ध्यान मे रखते हुए

सरचनात्मक परिवर्तन न होकर आय एव उत्पादन आदि की मात्रात्मक वृद्धि से है। आर्थिक सवृद्धि का प्रत्यक्ष व सीधा सबन्ध जितना आय एव उत्पादन आदि आर्थिक योगो की वृद्धि से है उतना मूल भूत आधारशिला या ढॉचे को तैयार करने से नही है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आर्थिक सवृद्धि का सबन्ध बढे हुए उत्पादन और राष्ट्रीय आय से है। कालान्तर मे आर्थिक सवृद्धि का अर्थ सामान्यत कुल राष्ट्रीय आय के वृद्धि के साथ–साथ प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा आय मे वृद्धि से है।

इस प्रकार आर्थिक सवृद्धि कुल मिलाकर राष्ट्रीय उत्पादन व राष्ट्रीय आय तथा प्रतिव्यक्ति उत्पादन व प्रति व्यक्ति आय मे सतत् वृद्धि से है जिसे मौद्रिक रूप मे समायोजित करने से है ।

आर्थिक विकास व आर्थिक संवृद्धि में भेद :

आर्थिक विकास एव आर्थिक सवृद्धि के पूर्ववत् किए गए विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि दोनो एक नही है। इन दोनो मे भेद करना सैद्धान्तिक विश्लेषण तथा आर्थिक नीति निर्माण के दृष्टि कोण से आवश्यक है। आर्थिक विकास एव आर्थिक सवृद्धि के अन्तर को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है।

1 आर्थिक विकास एक विस्तृत अवधारणा है जब कि आर्थिक सवृद्धि सकुचित रूप मे आर्थिक विकास का एक अग है।

2 आर्थिक विकास का सबन्ध अर्थव्यवस्था के बहुआयामी विकास एव विभाजन से है जबकि आर्थिक सवृद्धि का सबन्ध उत्पादन एव आय के आर्थिक योगो से है।

3 आर्थिक सवृद्धि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रात्मक वृद्धि या उसके आर्थिक चरो के वृद्धि से सबन्धित है जब कि आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि को दर्शाता है जिसमे आर्थिक, सामाजिक व नैतिक सभी कारण सम्मिलित होते है।

आर्थिक विकास व आर्थिक सवृद्धि के सम्बन्ध मे सामान्य धारणा यह भी है कि आर्थिक विकास का प्रयोग विकसित देशो के लिए तथा आर्थिक सवृद्धि का प्रयोग विकासशील देशो के लिए होता है यह एक भ्रान्ति है। वास्तविकता तो यह है कि आर्थिक सवृद्धि एव आर्थिक विकास एक दूसरे के अग है और परस्पर एक दूसरे के पूरक है इस लिए आर्थिक विकास व आर्थिक सवृद्धि के अन्तर की ओर बल देना उचित प्रतीत नही होता है।

अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण :

विश्व अर्थव्यवस्था मे विकास के प्रतिमानो को ध्यान मे रखते हुए समय–समय पर परिवर्तन किए गए परम्परावादी विचार धारा के अर्थशास्त्रियो ने अर्थव्यवस्था के तीन वर्गीकरण किए यथा विकसित, अल्पविकसित, तथा अविकसित परन्तु कालान्तर मे चलकर 1960 के दशक तक सयुक्त राष्ट्र सघ के

अर्थशास्त्रियो ने अल्पविकसित शब्द को परिभाषित करने मे कुछ कठिनाई का अनुभव किया और नये सिरे से वर्गीकरण किये विकसित अर्थ व्यवस्थाए वे हैं जो विकास के उच्चतम प्रतिमानो को प्राप्त कर चुकी है। अल्पविकसित या अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्थाए वे है जो विकास के प्रतिमानो को पाने के लिए अग्रसरित है। अविकसित अर्थव्यवस्थाए वे है जो स्थिरता वर्ग अवस्था मे है। परन्तु नए वर्गीकरण के अनुसार अब मुख्य रूप से दो ही वर्गीकरण प्रचलित है एक तो विकसित और दूसरा विकासशील आज विश्व की कोई भी अर्थव्यवस्था स्थिरता की अवस्था मे नही है केवल (अन्टार्टिका को छोडकर) सभी अर्थव्यवस्थाए विकास की ओर अग्रसरित है उनकी गति भले ही मन्द हो।

विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओ को परिभाषित करने के मापदण्ड समय—समय पर परिवर्तित होते रहे । इस सदर्भ मे विश्व बैक ने अपने विभिन्न प्रतिवेदनो मे इन माप दण्डो को परिभाषित करने का प्रयास किया, विश्व बैक प्रतिवेदन 1988 मे विकास शील अर्थव्यवस्थाओ के समूह को समाप्त करके एक नया वर्गीकरण किया जिनमे निम्न आय, मध्यम आय तथा उच्चआयवाली अर्थव्यवस्थाए तथा गैर सूचित अर्थव्यवस्थाए वर्गीकृत की गई है। इसी श्रृखला मे विश्व बैक प्रतिवेदन 1991 मे निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओ, मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओ, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओ के साथ—साथ अन्य अर्थव्यस्थाओ का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त विश्व बैक ने विश्लेषणात्मक समूह भी प्रस्तुत किए जिसमे तेल निर्यातक देश, अतिऋण ग्रस्त

मध्यम आय वाले देश आदि को सम्मिलित किया गया विश्व बैक ने भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी निम्न आय वाली और मध्यम आयवाली अर्थव्यवस्थाओ का भी वर्गीकरण प्रस्तुत किया है जिसमे सब सहारा अफ्रीका, यूरोप, मध्यपूर्व, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया तथा लैटिन अमेरिका आदि ।[1]

विश्वबैक प्रतिवेदन 1996 मे अर्थव्यवस्थाओ का वर्गीकरण देश समूह के आधार पर प्रतिव्यक्ति आय को ध्यान मे रखते हुए निम्नवत किया गया है ।[2]

1 निम्न आयवाली अर्थ व्यवस्थाए

ये वे अर्थव्यवस्थाए है जिनकी वर्ष 1994 मे प्रति व्यक्ति आय 725 यू0एस0 डालर या उससे कम थी।

2 मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाए

ये वे अर्थव्यवस्थाए है जिनकी वर्ष 1991 मे प्रति व्यक्ति आय 725 यू0एस0 डालर से अधिक परन्तु 8956 यू0एस0 डालर से कम है।

3 उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाए

ये वे अर्थव्यवस्थाए है जिनकी प्रतिव्यक्ति आय 1994 मे 8956 यू०एस० डालर से अधिक है।

---

1 *विश्व बैक प्रतिवेदन, परिभाषा एव टिप्पणी 1991*

विश्व बैक प्रतिवेदन मे उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओ को सम्मिलित करते हुए एक नया समूह प्रस्तुत किया जिसे आर्थिक सहयोग और विकास सगठन कहा गया, जिसके अन्तर्गत, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, वेल्जियम कनाडा, डेनमार्क, फ्रास, जर्मनी, ग्रीस, हगरी आयरलैड, इटली, जापान, लैक्जिम वर्ग मैक्सिको, नीदरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीटजरलैण्ड, टर्की, यूनाइटेड किगडम तथा सयुक्त राज्य आदि है।[3]

उपर्युक्त वर्गीकरण के आधार पर अधिकतर विकासशील अर्थव्यवस्थाए निम्न आयवाली और मध्यम आय वाली समूह मे सम्मिलित है यथा कीनिया नाईजिरिया, मगोलिया, बाना, पाकिस्तान, चीन, मोरक्को इडोनेसिया, फिलिपाइन्स, बल्गारियॉ रोमानिया तथा भारत की 1994 की वर्ष मे प्रति व्यक्ति आय 320 यू०एस० डालर थी।[4]

कुछ विद्वानो ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओ को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप मे ही देखने का प्रयास किया जिनका अभिप्राय पिछडी हुई अर्थव्यवस्थाओ से है। परन्तु विकसित एव अल्पविकसित अथवा विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे जो भेद किया गया है उसका आधार राष्ट्रीय आय एव प्रतिव्यक्ति आय माना। यद्यपि कि इसमे मतभेद हो सकता है क्योकि तेल निर्यातक देशो के कुछ ऐसे देश है जिनकी प्रतिव्यक्ति आय बहुत अधिक है फिर भी वे विकासशील या अल्पविकसित देश है यद्यपि कि विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे

---

3 *विश्व बैक प्रतिवेदन, 1996 पृष्ठ 9*

4. *वही, पृष्ठ 188*

गभीर अन्तराल विद्यमान है। विकसित अर्थव्यवस्थाओ मे जनसख्या कम और ससाधन तुलनात्मक रूप से अधिक है जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे स्थिति इसके विपरीत पायी जाती है। विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे स्पष्ट अन्तर प्रस्तुत करने के लिए विकासशील अर्थव्यवस्थाओ के लक्षणो को स्पष्ट करना आवश्यक है।

विकासशील अर्थव्यवस्था के लक्षण :

यदि विश्व की समस्त विकासशील अर्थव्यवस्थाओ का विश्लेषण हम करके देखे तो भिन्न–भिन्न देश की भिन्न विशेषताए है परन्तु विकासशील अर्थव्यवस्था के कुछ मूलभूत विशेषताओ मे एकरूपता है जो इस प्रकार है

1 एक विकासशील देश प्रमुखतया प्राथमिक अवस्था के उत्पादक देश के रूप मे अवस्थित होता है इन देशो की आधिकतम जनसख्या कृषि कार्यो मे लगी होती है, विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे कृषि कार्यो को सपादित करने के लिए देश की कुल जनसख्या का 62 से 70 प्रतिशत जन–समुदाय लगा होता है इसके बावजूद भी कृषि उत्पादन अपनी प्राथमिक अवस्था से उबरने मे सक्षम नही होती इसका कारण यह है यहा कृषिकार्यो को सम्पादित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यन्त्रो, रासायनिको की तकनीक परम्परागत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन एव उत्पादिता निम्न होती है।

सकल राष्ट्रीय उत्पादन मे विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे कृषि से सम्बन्धित उत्पादन का भाग अधिक होता है परन्तु विकसित देशो मे इनका योगदान कम होता है। यदि हम 1993 के सकल राष्ट्रीय उत्पाद मे विकासशील अर्थव्यवस्थाओ के भाग को देखे तो भारत का 31 प्रतिशत ब्राजील का 11 प्रतिशत योगदान कृषि स्रोत से रहा है। जब कि विकसित देशो का सकल राष्ट्रीय उत्पादन मे कम योगदान रहा है यथा यू०के० 2 प्रतिशत जर्मनी 1 प्रतिशत फ्रास 3 प्रतिशत आदि[5] इस लिए यह कहा जा सकता है कि विकासशील अर्थव्यवस्था मूलत कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है।

2 विकासशील अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओ मे दूसरी विशेषता यह है कि इन देशो की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम होती है। इसी कारण विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे अधिकाश जनसख्या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करती है।

विश्व बैक प्रतिवदेन 1995 के एक प्रकाशन के अनुसार 1993 मे विकासशील देशो की प्रतिव्यक्ति आय जहॉ 200 से 2000 डालर के बीच रही वही विकसित देशो की प्रतिव्यक्ति आय 19000 और 25000 डालर के बीच रही। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे प्रतिव्यक्ति आय नीचे स्तर पर रही और भारत की तो मात्र 300 डालर प्रतिव्यक्ति आय रही है।

---

5 *विश्व बैक प्रतिवेदन 1995 पष्ठ 188—165*

3 जिस प्रकार से विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे नीचा आय स्तर है, ठीक उसी प्रकार यहॉ निम्न जीवन स्तर भी पाया जाता है जीवन स्तर को स्वच्छता एव सुख प्रदान करने वाली विभिन्न आधारभूत वस्तुओ एव सेवाओ की आपूर्ति विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे अत्यन्त कम है। भारत श्रीलका, पाकिस्तान, बग्लादेश भूटान आदि देशो मे प्रतिव्यक्ति दैनिक कैलोरी उर्जा एव प्रोटीन उपलब्धि अत्यन्त कम है। इसी प्रकार सेवाओ की कमी भी इनकी चेष्टाओ के अनुसार सुविधा उपलब्ध कराने मे बहुत ही कम सहयोग प्रदान कर पाती है। जहॉ कनाडा मे प्रतिव्यक्ति व्यापारिक ऊर्जा का वार्षिक उपभोग स्तर 10,009 किलो ग्राम तेल ऊर्जा के बराबर है वही विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे उनकी उपलब्धता बहुत ही कम है विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे स्वास्थ्य का स्तर भी बहुत नीचा है क्योकि यहॉ प्रति चिकित्सक जनसख्या भार की अधिकता इसमे बाधक होती है।

4 विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे प्राय जनसख्या का भार अधिक होता है। विकासशील अर्थव्यवस्था अपने भू क्षेत्र मे अपेक्षाकृत अधिक जनसख्या भार को ग्रहण किये हुये है। इसका प्रमुख कारण वहॉ की अशिक्षित जनसख्या है। बढती हुयी जनसख्या के साथ–साथ विकासशील अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से पिछडी हुयी है। आर्थिक रूप से पिछडी जनसख्या का अभिप्राय वहॉ की जनसख्या का एक बडा भाग का अनुत्पादक होना है। सामान्यत

कुल जनसख्या मे स्त्रियो, बच्चो व बूढो का अनुपात कार्य करनेवाली जनसख्या मे अधिक है। जनसख्या का बडा भाग केवल उपभोक्ता जो अन्य उत्पादन करने वालो पर आश्रित है। इन देशो की जनसख्या के पिछडेपन का आभास इस बात से होता है कि जहॉ स्वीटजर लैण्ड, स्वीडन, अमेरिका, और कनाडा आदि देशो मे साक्षरता स्तर 99 से 100 प्रतिशत के मध्य है वही भारत और पाकिस्तान मे साक्षरता प्रतिशत 51 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है। इसी प्रकार बग्लादेश और नेपाल मे साक्षरता 26 प्रतिशत और 14 प्रतिशत है।[6]

5 विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे भारी सख्या मे छिपी हुयी बेराजगारी है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे जिस अनुपात मे मानवीय श्रम उपलब्ध है उस अनुपात मे रोजगार की उपलब्धता नही होने के कारण अधिक मात्रा मे बेराजगारी की विद्यमानता है। विकासशील अर्थव्यवस्था मे अपने मानवीय श्रम का प्रयोग उचित मात्रा मे न कर पाना इसकी आर्थिक स्थिति को सुव्यवस्थित होने से वचित रखता है। और यहॉ के बच्चो के विकास मे बाधा है। यदि विकासशील देश अपने मानवीय श्रम का उपयोग औद्योगिक इकाइयो के स्थापित तथा सचालित करने मे करे तो इनकी अर्थव्यवस्था

---

6 त्रिपाठी बद्री विशाल भारतीय अर्थव्यवस्था–नियोजन एव विकास किताब महल 1996 पृष्ठ 4।

सुदृढ हो सकती है। परन्तु अभी तक इनके द्वारा अपने मानवीय श्रम का उपयोग न कर पाना इनकी विशेषता रही है।

6 विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनो का उपयोग अल्पमात्रा मे अवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। यदि वैज्ञानिक रूप से ये देश अपने यहा उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनो का सदुपयोग करे तो इनकी आर्थिक स्थिति सृदृढ हो सकती है परन्तु विकासशील अर्थव्यवस्था मे प्राथमिक तकनीक के द्वारा इनका उपयोग किया जाता रहा है जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक ससाधनो का सदुपयोग कम और दुरूपयोग अधिक मात्रा मे हुआ है। भारत के द्वारा अपने प्राकृतिक ससाधनो का प्रचुर मात्रा मे उपभोग वैज्ञानिक तरीके से न कर पाने की वजह से आर्थिक रूप से पिछडे देशो की श्रेणी मे खडा पाते है ।

भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत वन सम्पदा का प्राकृतिक ससाधन के रूप मे दुरूपयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के लिये एक उदाहरण हो सकता है यहॉ आज भी ग्रामीण निवासी लकडियो पर भोजन बनाते है जिससे विकसित देशो के द्वारा भोजन बनाने पर खर्च की गयी उर्जा से कई गुना ऊर्जा खर्च की जाती है। इसका सीधा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पडता है।

तकनीकी रूप से विकासशील देश पिछडे हुये है। जिसके कारण ये अपने प्राकृतिक ससाधनो का सदुपयोग नही कर पाते है और यह इन देशो की प्रमुख विशेषता हो गयी है।

7 विकासशील अर्थव्यवस्थाओ की एक प्रमुख विशेषता यह भी रही है कि इन देशो मे आर्थिक विषमता व्याप्त है, एक ओर लोग अपार धन अपने मे समेटे हुये है तो दूसरी तरफ लोग अधनगे और भूखे, पशुओ की भॉति जीवन यापन करते है। विकास शील देशो कि इस विषमता के कारण ही पूँजी निर्माण और इसको गति करने प्रदान करने की क्षमता का ह्रास होता है और लोगो मे ऊँच– नीच की भावना के तहत वैमनष्य स्थापित हुआ है।

इस आर्थिक विषमता को यदि हम भारत के सदर्भ मे विश्लेषण करे तो पाते है कि हमारी राष्ट्रीय पूॅजी का 80 प्रतिशत भाग आज कुछ औद्योगिक घरानो के पास है और बाकी 20 प्रतिशत राष्ट्रीय पूॅजी 90 करोड लोगो के मध्य है। इस आर्थिक विषमता के कारण ही भारतीय अपने मानवीय श्रम की पूर्ण क्षमता का उपयोग नही कर पा रहा है और वाछित सीमा तक पूॅजी निर्माण मे योगदान नही कर रहा है। इसलिये विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे आर्थिक विषमता उसकी एक प्रमुख विशेषता है।

8 विकासशील अर्थव्यवस्थाओ पूॅजी की कमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप विकासशील देश विनियोग को बढाने मे सक्षम नही होते है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे प्रति व्यक्ति निम्न आय स्तर होता है। जिसके कारण बचत का स्तर अत्यन्त कम होता है, जिसके फलत विनियोग की मात्रा भी अत्यन्त कम होती है। अर्थव्यवस्था की मॉग के

अनुसार विकासशील देश अपने उद्योग धन्धो मे विनियोग नही कर पाते है। जिसके फलस्वरूप इन देशो की प्रौद्योगिकी का स्तर का होता है कम स्तर की प्रौद्योगिकी का स्तर कम होती है कम स्तर की प्रौद्योगिकी के कारण एक ओर इनकी उत्पादन लागत कम होती है तो दूसरी ओर इनकी गुणवत्ता मे कमी रह जाती है। यू०एस०ए०, यू०के०, कनाडा, जापान आदि देशो मे सबल पूँजी के आधार के कारण प्रौद्योगिकी का स्तर ऊँचा है जब कि भारत और अन्य विकासशील देशो यथा पाकिस्तान, बाग्लादेश, अफगानिस्तान, वर्मा, भूटान आदि देशो की प्रौद्योगिकी का स्तर नीचा है। अधिकाश विकासशील अर्थव्यवस्थाओ की राष्ट्रीय आय का केवल 5 से 10 प्रतिशत ही पुनर्विनियोग के रूप मे प्रयुक्त हो पाता है। जबकि विकसित देशो मे यह प्रतिशत 15 से 25 तक है।

9 लगभग समस्त विकासशील अर्थव्यवस्थओ मे द्वितीयक अर्थव्यवस्थाये पायी जाती है। इन देशो मे एक ओर बाजार अर्थव्यवस्था तो दूसरी ओर निर्वाह अर्थव्यवस्था पायी जाती है। बाजार अर्थव्यवस्था इन देशो मे नगरीय प्रकृति की या नगरो के निकट होती है और निर्वाह अर्थ व्यवस्था दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रो मे पायी जाती है। नगरीय प्रकृति की अर्थव्यवस्था के तहत जीवन यापन करने वाले को लगभग सारी सुख सुविधाओ की सम्पन्नता उपलब्ध होती है। परन्तु दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रो मे रहने वाले लोगो को कृषि

सम्बद्ध क्रियाओ के उत्पादन के तहत जीवन व्यतीत करना पडता है। ग्रामीण प्रौद्योगिकी निम्न स्तर की होने के कारण यहाँ के लोगो का जीवन स्तर भी निम्न होता है। जो यहाँ की गरीबी और पिछडेपन के सत्य को सत्यापित करता है। इन अर्थव्यवस्थाओ मे नगरीय अर्थव्यवस्था सीमित और ग्रामीण अर्थव्यवस्था व्यापक होती है। भारत, पाकिस्तान बगलादेश अफगानिस्तान आदि देशो मे 36 प्रतिशत से भी कम जनसख्या नगरो मे रहती है और शेष जनसख्या ग्रामीण अचलो मे रहती है। जबकि विकसित देशो मे स्थिति विपरीत है। स्वीडन, हालैण्ड, डेनमार्क, यू०एस०ए० आदि मे 77 प्रतिशत जनसख्या नगरो मे रहती है।

10 अल्पविकसित देशो के विदेशी व्यापार के सम्बन्ध मे एक प्रमुख विशेषता है कि निर्यात परम्परागत वस्तुओ, प्रारम्भिक उत्पादो तथा कच्चे माल आदि तक ही सीमित रहता है। जब कि आयात का आधिकाश भाग निर्मित वस्तुओ यथा मशीनरी आदि के रूप मे होता है। इनके द्वारा अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओ का आयात किया जाना एव अपने ही द्वारा निर्यात कच्चे माल से निर्मित वस्तुओ का आयात भी किया जाता है। इन देशो का व्यापार सतुलन सदैव ऋणात्मक रहता है और इसको सतुलित करने के लिये विदेशी ऋणो तथा अपने प्राथमिक कच्चे माल के निर्यात पर निर्भर

होना पडता है । विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे व्यापार असतुलन प्रमुख विशेषता रही है।

उपर्युक्त विशेषताओ के विश्लेषणात्मक अध्ययन के परिणाम स्वरूप यह निष्कर्ष निकलता है कि विकासशील अर्थव्यवस्था अपनी दरिद्रता के दुश्चक्र मे फसी हुयी है। जिससे निकल पाना निकट भविष्य मे इन अर्थव्यवस्थाओ के लिए सम्भव नही प्रतीत होता है। नवीन आर्थिक सरचना, आर्थिक सुधार एव अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय व्यापारिक सगठन एव विश्व व्यापार सगठन कहॉ तक विकासशील अर्थव्यवस्थाओ के विकास को त्वरित कर सकेगा, यह समय ही बतायेगा ।

अध्याय : 3

भारतीय अर्थव्यवस्था का अतीत एवं वर्तमान तथा अतीत वर्तमान में विचलन

सृष्टि की सरचना मे कालचक्र का अपना विशिष्ट स्थान होता है वह अपनी गति से बेरोक टोक चला करता है। व्यक्ति व राष्ट्र व प्राकृतिक ससाधनो पर कालचक्र का प्रभाव पडता रहता है। समय की गति एव मानवीय तथा भौतिक पदार्थों व साधनो मे गहरा सह–सम्बन्ध पाया जाता है। हजारो वर्षो के इतिहास इस बात के साक्षी है। समय के साथ–साथ साम्राज्यो के उत्थान पतन एव गठन तथा उनकी सीमाओ मे परिवर्तन होते रहे है और भविष्य मे भी होते रहेगे। इसी प्रकार आर्थिक ससाधनो एव अर्थव्यवस्थाओ के स्वरूप एव आकार मे भी परिवर्तन होते रहते है। चाहे यूरोप महाद्वीप हो या एशिया इग्लैण्ड हो या अमेरिका, भारत हो या चीन सभी राष्ट्रो के जीवन मे उतार चढाव देखने को मिले है। सम्पन्नता, विपन्नता तथा स्थिरता की अवस्थाए प्राय सभी राष्ट्रो के जीवन मे देखने को मिलती रही है। आज विश्व के पटल पर बडी तेजी से परिवर्तन हो रहे है। किसी भी राष्ट्र के अर्थिक जीवन को वहाँ उपलब्ध ससाधन, राजनीतिक दशाए, सामाजिक सरचना आदि प्रभावित करते है। इस परिप्रेक्ष्य मे भारतीय अर्थव्यवस्था के अतीत एव वर्तमान तथा वर्तमान से विचलन का विश्लेषण किया जा सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का अतीत :

भारतीय सस्कृति एव सभ्यता विश्व की अति प्राचीनतम सभ्यताओ मे से एक है। तमाम धर्मग्रन्थो एव वेदो मे भारत की समग्र राम्पन्नता का वर्णन किरी न किसी रूप मे किया गया है भारत वह भूमि रही है जहाँ विदेशी आक्रमणकारियो ने अनेको बार आक्रमण किए और भारत पर आधिपत्य जमाया तथा देश के वैभव को

लूटा–खसोटा। इस प्रकार का क्रम सैकडो–सैकडो वर्षो तक एक के बाद एक चलता रहा। यह भूमि सम्राज्यो के उत्थान एव पतन की भूमि रही है। भारत की सम्पन्नता को देखकर ही लोग इस ओर आकर्षित होते रहे है। कितने ही साम्राज्यो ने भारत के वैभव एव सम्पदा से ही अपने–अपने आर्थिक आधार बनाये एव सम्राज्यो का विकास किया ।

भारत का अतीत बहुत ही वैभवशाली रहा है। भारत के प्राचीनतम इतिहास को जानने के लिये हमे पाच हजार वर्ष पूर्व के प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्यो के विश्लेषण करने पडते है। जिससे मुझे यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय उपमहाद्वीप मे पूर्ण रूप से विकसित नगरीय अर्थव्यवस्था थी जिसे हम आज सिधु सभ्यता के नाम से जानते है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल 1299600 वर्ग किलोमीटर रहा है।[1] जिस समय यहॉ के लोग पूर्ण विकसित अवस्था का जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय इनका रहन सहन, खान–पान, इत्यादि सभी क्रिया कलाप आधुनिक नगरीय अर्थव्यवस्था के समान रहे है।

परन्तु कालचक्र के घातक प्रभाव से यह अर्थव्यवस्था भी अपने को न बचा सकी और लगभग एक हजार वर्ष तक स्थिर रहने के बाद पूर्ण रूप से विनिष्ट हो जाती है। फिर ऋग्वैदिक काल का प्रादुर्भाव होता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नए सिरे से उद्‌भव तथा विकास होता है, इस काल मे भी पशुधन की प्रचुरता के कारण जनजीवन सुखमय रहता है। फिर धीरे–धीरे ऋग्वैदिक ग्रामीण व्यवस्था का

---

1 शर्मा रामशरण प्राचीन भारत एन सी आर टी, पृष्ठ 57

विकास होता है, जो बाद मे चल करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था और नगरीय अर्थव्यवस्था के रूप मे विकसित होती है । भारतीय प्राचीन ग्रन्थो के विश्लेषण से हमे यह विदित होता है कि उस समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से स्वावलबी अर्थव्यवस्था थी। इसे इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है कि यह अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति अपने गॉवो से ही कर लेते थे क्योकि एक गॉव मे ही कपडा धोने वाला धोबी, कृषि कार्यो के उत्पादन मे प्रयोग किए जाने वाले यत्रो का निर्माण करने वाला लोहार, नाई और बढई आदि एक ही गॉव मे रहते थे जो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को निरन्तर सीढियो को चढते हुए घनानन्द के शासन काल मे अपने पूर्ण रूप से वैभवशाली अर्थव्यवस्था को प्राप्त करती है । जिस अर्थव्यवस्था को सिकदर के आक्रमण ने भी भेदने की क्षमता का प्रदर्शन नही कर सका आगे चलकरके इस अर्थव्यवस्था को एक कुशल शासक चद्रगुप्त मौर्य तथा एक कुशल प्रधान मत्री विष्णु गुप्त की प्राप्ति होती है।

इन दोनो व्यक्तियो के अथक प्रयास के फलस्वरूप आधुनिक भारतीय उप महाद्वीप का अधिकतम भू–क्षेत्र एक राजनैतिक एव आर्थिक सूत्र मे बधा और अपनी अर्थव्यवस्था को अत्यधिक सुचारू रूप से सचालित करने मे सफलता प्राप्त की। तत्कालीन प्रधानमत्री विष्णुगुप्त द्वारा रचित पुस्तक 'अर्थशास्त्र' का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इस काल मे भारतीय अर्थव्यवस्था परिपक्वता की

अवस्था लगभग प्राप्त कर लेती है इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी चर्मोत्कर्ष को सचालित करने के लिए विष्णुगुप्त द्वारा लिखित रूप से कानूनी राज्यादेश तैयार किए गए और उनको कार्यरूप प्रदान किया गया। उस समय विविध प्रकार के करो का सग्रह किया जाता था। व्यवसायियो के लिए मार्गो की सुरक्षा प्रदान की गई जिससे उनके आर्थिक क्रिया कलापो मे वृद्धि हुई, व्यवसाय का अधिकाधिक विकास हुआ, राजकीय आय मे वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था अत्यधिक सुदृढ हुई। इसी अर्थव्यवस्था के बल पर एक विशाल राजनैतिक एव आर्थिक आधारशिला का प्रादुर्भाव हुआ जिस पर चन्द्रगुप्त ने अपने शासन रूपी मकान का निर्माण कर एक सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था का कुशल सचालन किया। इसका सत्यापन प्लिनी के इस अभिव्यक्ति से होता है कि चद्रगुप्त की सेना मे छ लाख पैदल सिपाही तीस हजार घुडसवार और नौ हजार हाथी थे। एक अन्य स्रोत मे कहा गया है कि मौर्यो के पास आठ हजार रथ थे, इस विशाल सैन्य व्यवस्था को स्थापित करने मे भारी मात्रा मे आर्थिक खर्च भी हुए होगे जिससे यह निश्चित होता है कि मौर्यो के काल मे भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णरूप से एक सुदृढ अर्थव्यवस्था थी।

चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित अर्थव्यवस्था अशोक के शासन काल मे अपनी चमोत्कर्ष को प्राप्त करती है। और दुर्भाग्यवस अशोक के बाद ही इसके क्षरण की शुरूवात होती है और आगे चलके गुप्त काल मे पूर्णतया पुनरोत्थान को प्राप्त

करती है । गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया है क्योकि इस काल मे सोने के सिक्को की प्रचुरता इसकी आर्थिक स्थिति की सुदृढता को सत्यापित करता है ।

ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था :

ब्रिटिश साम्राज्य के आगमन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था परम्परागत एव सुदृढ थी। भारत के विषय मे सर्वाधिक दिलचस्प तथ्य यह है कि उसकी धरती सवृद्धि है और लोग गरीब है।[2] रजनी पामदत्त मे यह तथ्य व्यक्त किया था कि भारत का वैभव उसकी प्राकृतिक सम्पदा, उसके प्रचुर साधन, उसकी अन्त निहित सवृद्धि जिसमे उसकी सम्पूर्ण वर्तमान आबादी को और उससे अधिक आबादी को सुखी बनाने की क्षमता है।[3] ऐतिहासिक तौर पर छिट–पुट साहित्य से यह विवरण प्राप्त होता है कि युनानियो के आक्रमण एव आगमन के समय भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत थी। मौर्य वश एव गुप्त काल के दस्तावेजो एव प्रशासनिक प्रणाली से यह स्पष्ट प्रमाण मिलते है कि भारत एक सम्पन्न राष्ट्र था और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को इन महान शासको ने स्वीकारा और स्थान दिया था। परन्तु इन दो महान शासको के पश्चात भारत का राजनैतिक एव आर्थिक स्वरूप टूटता और जुडता रहा तथा धीरे–धीरे छोटे–छोटे प्रान्तो एव शासको मे विभाजित होता रहा जिसका अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पडा। यह प्रक्रिया दीर्घ काल तक चलती रही और इस्लामिक एव मुगल सम्राज्यो की स्थापना के परिणाम स्वरूप भी भारत ने

---

2 डार्लिंग, एम एल पजाब दि पजाब पीजेन्ट इन प्रासपर्टी एण्ड डेहतु 1925 पृष्ठ 73

3 दत्त, रजनी पाम, आज का भारत, 1977, पृष्ठ 43

अपना आर्थिक वैभव काफी हद तक बनाये रखा। ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्व भारतीय अर्थ व्यवस्था एक आत्मनिर्भर ही नही बल्कि अतिरेक सृजक अर्थव्यवस्था थी लेकिन अर्थव्यवस्था का स्वरूप ग्रामीण था और ग्रामीण समुदाय श्रम विभाजन के आधार पर आर्थिक क्रियाए सचालित करता था और औद्योगिक वस्तुओ का उत्पादन ग्रामोद्योगो के माध्यम से हाता था। प्रत्येक गॉव एक स्वतन्त्र इकाई था। मुगलो के शासन काल मे भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप यथावत बना रहा। हमारे परम्परागत आर्थिक ढॉचे को मुगलो ने बर्बाद किया मुगल वश का अन्तिम शक्तिशाली शासक औरगजेब के निजी चिकित्सक बेनिस निवासी मनूची ने कहा था कि मुर्शीदाबाद (तत्कालीन बगाल की राजधानी) एव लदन मे फर्क इतना ही है कि मुर्शीदाबाद लदन की तुलना मे अधिक सवृद्ध शाली है।

18वी शाताब्दी तक भारत की आर्थिक दशा उन्नत थी तथा औद्योगिक एव वाणिज्यिक सगठन की भारतीय प्रणाली ससार के किसी भी दूसरे भाग मे प्रचलित प्रणालियो से टक्कर ले सकती थी। बिटिश साम्राज्य के आगमन से पूर्व भारतीय समाज अपने आर्थिक आधार की दृष्टि से पूँजीवाद से पहले के मध्य युगीन यूरोपीय समाजो से भिन्न था।[4]

भारतीय समाज पश्चिमी समाज के आगमन के पूर्व एक सुव्यवरिथत इकाई था। अठारहवी शताब्दी के अन्त तक भारत की सामाजिक व्यवस्था परिवार और

---

4 वेश आस्ते, दि इकोनॉमिक डेवलपमेट ऑफ इण्डिया 1936 पृष्ठ 5 भारत मे अर्थशास्त्री सम्बन्धी विचारो का विकास 1980 पृष्ठ 1 मे पी0 के0 गोपाल कृष्णन द्वारा उद्धृत है

जाति के प्रति अपने दायित्वो को पूरा करती थी। आर्थिक आत्मनिर्भरता, काम करने वाली ग्राम पचायतो पर आधारित थी और इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रो के मध्य व्यापार तथा वाणिज्य पर आधारित श्रेणियो तथा नियमो के प्रति भी दायित्व थे। ग्राम वासियो का मुख्य व्यवसाय कृषि पशुपालन तथा कुटीर उद्योग था।[5]

ब्रिटिश शासन से पूर्व कितने ही राजवशो का अवसान व उदय हुआ परन्तु भारतीय सामाजिक व आर्थिक सरचना को नही प्रभावित कर सके। भारत की औद्योगिक एव दस्तकारी क्षमता इतनी शसक्त थी की उनके द्वारा निर्मित वस्तुओ के उत्पादन व निर्यात मे विश्व विख्यात था। उदाहरण के लिए भारत उस समय लौह निर्मित वस्तुओ का निर्यात करता था। जब दुनिया के बहुत से देश उसकी निर्माण प्रक्रिया से अपरिचित थे। हजारो वर्ष पूर्व भारतीयो द्वारा कुटीर उद्योगो के माध्यम से निर्मित पुरी एव सोमनाथ मदिरो के कपाट एव गर्डर तथा मेहरौली का लौह स्तम्भ भारत के लौह इस्पात प्रक्रिया के मूक साक्षी है।

ब्रिटिश शासको के आगमन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता एव अतिरेक सृजन का प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि भारत विश्व बाजार मे लगभग तीन हजार वर्षो तक सूतीवस्त्र निर्माण एव निर्यात मे अपना एकाधिकार बनाए हुए था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कोलिनक्लार्क ने यह निष्कर्ष निकाला था कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1895 मे भारत मे जो वास्तविक मजदूरी दरे प्रचलित थी

---

5 वही, पृष्ठ 2

वे जहाँगीर कालीन मजदूरी दरो की तुलना मे 1/4 थी।[6] इसी प्रकार प्रो० राधाकमल मुकर्जी ने अपनी पुस्तक "एकोनामिक हिस्ट्री आफ इडिया" मे कहा है कि सत्रहवी शताब्दी के प्रारम्भ मे मजदूरी की जो दरे प्रचलित थी उनकी तुलना मे बिटिश शासन काल मे आधी से भी कम थी। लार्ड क्लाइव ने 1757 मे बगाल की पुरानी राजधानी मुर्शिदाबाद को देखने के बाद यह लिखा था कि 'यह शहर उतना ही विस्तृत एव आबादी वाला है जितना की लन्दन फर्क इतना है कि यहा ऐसे लोग है जिनके पास लदन की तुलना मे असीम सम्पत्ति है" ।[7]

भारतीय अर्थव्यवस्था के अतीत के विषय मे विदेशी यात्रियो ने भी अपने यात्रा समरणो मे भारत की सम्पदा एव वैभव का उल्लेख किया है। उन दिनो आम तौर पर जनता में सवृद्धि थी। 17वी सदी मे भारत की यात्रा का विवरण लिखते समय टेविर्नियर ने टिप्पणी की कि "छोटे–छोटे गावो मे भी चावल, आटा, मक्खन, दूध, चीनी तथा मिठाइया प्रचुर मात्रा मे प्राप्त की जा सकती है।"[8]

इन सभी तथ्यो से यह बात स्पष्ट होती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्तर किसी भी दृष्टि से यूरोपीय देशो की अर्थव्यवस्था से कम नही था। यद्यपि की इस विषय मे लोगो ने अपने मतभेद व्यक्त किए है पर्याप्त प्रामाणिक साहित्य की उपलब्धता के अभाव के सम्बन्ध मे भी मतभेद है। यद्यपि कुछ विद्वानो एव विचारको

---

6 सिह चरण भारत की भयावह अर्थिक स्थित पृष्ठ 4

7 औद्योगिक आयोग प्रतिवेदन पृष्ठ 249 पर अद्धत्ता रजनी पामदत्त द्वारा आज का भारत मे वर्णित पृष्ठ 44

8 दत्त रजनी पाम आज का भारत, पृष्ठ 44

यथा आर०सी० दत्त, डब्लू०एच० मोलैड, दादा भाई नौराजी, रजनी पाम दत्त आदि के लेखन से भारत की ब्रिटिश शासन से पूर्व सम्पन्नता का आभास मिलता है। इस बात की पुष्टि दूसरे देशों से आये यात्रियो के यात्रा वृतात से भी होती है। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की अवस्था एव उसके विविधिकरण को कृषि, उद्योग एव व्यापार तथा परिवहन से देखा जा सकता है।

कृषि -

भारतीय अर्थव्यवस्था प्रारम्भ से ही कृषि आधारित रही है वैसे भी आज की जो उन्नत अर्थव्यवस्थाए है उनके भी विकास का प्रारम्भिक आधार कृषि ही रही है, भारी भरकम उद्योग कभी भी विकास के मूलाधार नही रहे है, ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय सामती व्यवस्था मे भूमि किसी की निजी सम्पत्ति न थी। भूमि हिन्दू शासन काल मे ग्राम समुदाय के अधीन थी। भू-स्वामित्व, भारत मे साम्राज्यवाद के भूस्वामित्व अर्थ से भिन्न था। इसी कारण भारतीय सामती व्यवस्था एव यूरोपीय सामती व्यवस्था मे बुनियादी फर्क था। मुस्लिम शासको ने भी भू-क्षेत्र मे बदला हुआ स्वरूप ही अपनाया यद्यपि की शेरशाह और अकबर ने भूप्रणाली एव भूराजस्व मे परिवर्तन की कोशिश की।

भारत मे कृषि तौर तरीको मे परिवर्तन तथा कृषि सुविधाओ के विस्तार के द्वारा कृषि उत्पादकता मे वृद्धि की सम्भावनाएँ समय-समय पर व्यक्त की गई। कुछ विचारको एव विद्वानो ने इस बात का वर्णन किया है कि अग्रेजीशासन के पूर्व भारतीय कृषि का स्वरूप एव तरीका आदिम एव परम्परावादी था। परन्तु उस समय

भी खाद्यान फसलो के साथ–साथ व्यापारिक फसलो यथा जूट,कपास, तम्बाकू एव मूँगफली आदि की पैदावार की जाती थी। दूसरी ओर ब्रिटिश शासन के प्रारम्भ मे भूराजस्व दरे ब्रिटिश शासन के पूर्व की अवधि से ऊची थी। ब्रिटिश शासन से पूर्व सरकार द्वारा बहुत से सिचाई प्रबन्ध किए जाते थे ।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सम्राज्यवाद से पूर्व भारतीय कृषि दशा अच्छी थी। उस समय फसलो मे परिवर्तन एव जमीन को परती छोडना जिससे ऊपरी शक्ति मे वृद्धि हो की व्यवस्था प्रचलित थी ।

उद्योग :

साम्राज्यवाद के आगमन पूर्व हमारी अर्थव्यवस्था मे कृषि के साथ–साथ उद्योग अपनी अच्छी दशा मे थे। भारत का औद्योगिक आधार बहुत मजबूत था यद्यपि कि लघु एव कुटीर उद्योग ही औद्योगिक उत्पादन के स्रोत थे। उस समय हमारे परम्परागत उद्योग ग्रामीण एव नगरीय आर्थिक सरचना के आधार थे, क्योकि भारतीय गॉवो मे स्वालम्बन था। सीधे–सादे औजारो से की जाने वाली दस्तकारी पर आधारित आत्मनिर्भर गॉव अग्रेजो से पहले के भारतीय समाज का बुनियादी लक्षण था।[9] ये उद्योग न केवल घरेलू आवश्यकता की वस्तुए उत्पादित करते थे, बल्कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान भी उत्पादित करते थे। इन उद्योगो द्वारा निर्मित वस्तुए अपनी गुणवत्ता, कलाकारी एव नमूने के लिए विश्वविख्यात थी। अगेजो के

---

9 देसाई, ए० आर, सोशल बैकग्राउण्ड ऑफ इण्डियन नेशनलिज्म पृष्ठ 1

पूर्व भारत ऊनी एव सूती वस्त्रो, जेवरात तथा अन्य धातु निर्मित वस्तुओ के लिए मशहूर था ।

अग्रेजी साम्राज्य के पहले भारत का औद्योगिक सामान विश्व बाजार मे काफी चर्चित था, जिसकी पुष्टि 1916–18 मे औद्योगिक आयोग ने की है। जब यूरोप के सौदागर प्रथम बार भारत पहुँचे तो देखा कि भारत का औद्योगिक विकास किसी भी मामले मे विकसित यूरोपीय देश से कम न था।[10]

व्यापार

भारत का प्राचीन काल से ही विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रहा है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व भारत का मिस्र से बहुत बडी मात्रा मे व्यापारिक सम्बन्ध था। भारत मे ढाका निर्मित मलमल एव देश के अन्य भागो मे निर्मित सिल्क का निर्यात किया जाता था। उस समय निर्यात की हमारी प्रमुख वस्तुए सूती कपडा हाथी दॉत रग, इत्र, मसाले तथा कलात्मक वस्तुएं थी। तत्कालीन हिन्दू एव मुगल शासको ने विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने की सकारात्मक नीति अपनायी थी, इसलिए मुगलो ने थलमार्गो का निर्माण भी कराया था जिससे कि पडोसी देशो के साथ व्यापारिक सम्बन्ध कायम किए जा सके ।

इसके अतिरिक्त अग्रेजो के पहले के भारत मे नगरीय क्षेत्र मे व्यापारियो का एक वर्ग था जो कि अर्थतत्र के आवश्यक आधार थे । भारतीय व्यापारी बहुत ही

10 औद्योगिक आयोग प्रतिवेदत्त, 1961–78 पृष्ठ 6 ।

सक्रिय एव समृद्ध थे, उनके स्वय के अपने परिवहन साधन थे और वे बाजार का सर्वेक्षण आदि भी करते थे। "भारतीय व्यापारी समुद्री जोखिमो को उठाते थे वे लाभ कमाते थे और उसमे से कल्याण कार्यो के लिए दान तथा राजा को भी कर देते थे"।[11]

पोत निर्माण :

प्राचीन काल मे व्यापार प्राय जल मार्गो द्वारा ही होता था। अत भारतीय व्यापारी नौकाओ या जहाज द्वारा अपना व्यापार किया करते थे। इस सन्दर्भ मे भारतीय जहाज निर्माण कला विश्व मे अद्वितीय थी। भारत की नौकाओ एव जहाज निर्माण की कला का विवरण आदि धार्मिक ग्रन्थो एव विदशी पर्यटको के यात्रा वृतान्तो से मिलता है । यूनानी यात्री मेगस्थनीज द्वारा किए गये भारत का वर्णन एव चौदहवी शताब्दी के विद्वान श्री रैनेल द्वारा रचित पुस्तक 'हिन्दुस्तान अथवा 'मुगल साम्राज्य का मानचित्र' मे उल्लेख मिलता है ।

अशोक ने अपने शासन काल मे बौद्ध धर्म प्रचार हेतु अपने पुत्र एव पुत्री को जल मार्ग से ही बाहर भेजा था। भारत मे निर्मित मजबूत जहाजो के माध्यम से ही ईरान, अरब, पूर्वी अफ्रीका, मालाया एव पूर्वी द्वीपसमूहो से व्यापारिक सम्बन्ध थे।

इस विषय मे डा० आर०के० मुकर्जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भारतीय पोत चालन का इतिहास' मे लिखा है कि भारत की प्रचीन सभ्यता इसलिए ससार के

---

11 मुकर्जी डी०पी०, मार्डन इण्डियन कल्चर, पृष्ठ 1

कोने कोने तक पहुँची कि इसे बडी सामुद्रिक शक्ति प्राप्त थी । इतिहास मे इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि जब सिकन्दर वापस जा रहा था तो 2000 भारतीय जहाजो पर अपने सेना एव समान ले गया था। इस प्रकार जहाज निर्माण की प्रक्रिया के अनेक उदाहरण मिलते है।

ब्रिटिश कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था :

भारत की प्राकृतिक सपदा एव विशाल बाजार को देखकर ही अग्रेज भारत की ओर आकृष्ट हुए थे। और यह शुरूआत ईस्ट इडिया कम्पनी से 1600 ई० मे की गयी थी । यद्यपि साम्राज्यवाद की जडे सत्रहवी एव अठरहवी सदी के मध्य मजबूत हुई। अग्रेज कम्पनी के माध्यम से भारत मे व्यापार करने आये थे परन्तु धीरे–धीरे उन्होने अपना आधिपत्य कायम कर लिया। ब्रिटिश साम्राज्य की सम्पूर्ण अवधि मे भारतीय अर्थव्यवस्था को कई चरणो एव उतार चढाव से गुजरना पडा। ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्व भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर हालत मे थी जैसा कि पहले कहा जा चुका है। लगभग 200 वर्षो के शासन के दौरान अगेजो ने भारत के वैभव को लूटा खसोटा एव भारतीय अर्थव्यवस्था को जर्जर बना दिया। अगेजो ने खेत से उद्योग तक, गॉव से नगर तक के आर्थिक ढॉचे को तोड डाला और एक नयी सस्कृति, जो शोषणकारी थी, को जन्म दिया ।

अग्रेजो ने भारतीय पूजी को दबाकर आर्थिक तत्र को कमजोर कर दिया एव अग्रेजी पूँजीपत वर्ग का प्रभुत्व कायम कर दिया । अग्रेजो ने भारत का शोषण निम्न रूपो मे किया ।

1 व्यापारिक पूँजी के रूप मे ।

2 औद्योगिक पूँजी के रूप मे ।

3 महाजनी पूँजी के रूप मे ।

1 व्यापारिक पूँजी के रूप में

व्यापार के नाम पर भारत मे कम्पनी द्वारा लूट खसोट की जा रही थी । बगाल के नबाव ने सन् 1762 मे अग्रेज गर्वनर के नाम एक पत्र लिखा था जिसमे इस बात का उल्लेख था कि, "कम्पनी नुमाइन्दे हर परगना, गॉव, कारखानो मे,' नमक, सुपारी, घी, चावल, मास, मछली, टाट, अदरक, तम्बाकू, अफीम आदि का क्रय विक्रय जारी रखते थे वे जबरन रैयतो, सौदागरो आदि से चौथाई मूल्य पर माल हथिया लेते थे। इसके साथ ही रैयत के साथ जबरदस्ती एव अत्याचार करके एक रूपये के स्थान पर 5 रूपये वसूल करते थे।[12] इसी प्रकार सन् 1772 मे एक अग्रेजी व्यापारी विलियम बोल्ट्स ने 'कन्सीडरेशस आन इण्डियन अफेयर्स' नामक प्रकाशन मे वर्णन किया था कि "व्यापार के नाम पर व्यापार कम एव लूट अधिक थी।' इसी प्रकार सन् 1858 मे हाउस आफ कामन्स मे यह बयान दिया गया था

---

12 दत्त आर सी, भारत का आर्थिक इतिहास, भाग–1, पृष्ठ 15

कि, "इस पृथ्वी पर आज तक कोई भी सभ्य सरकार इतनी भ्रष्ट, इतनी विश्वासघाती और इतनी लुटेरी नही पायी गयी। जितनी सन् 1765–1784 तक ईस्टइण्डिया कम्पनी की सरकार थी।"[13] अत व्यापारिक पूँजी के नाम पर भारत का शोषण किया गया ।

2 औद्योगिक पूँजी के रूप में .

यदि ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति का जायजा लिया जाय तो यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय पूँजी की लूट से ब्रिटेन के औद्योगिक विकास की नीव खडी की गयी थी, भारतीय उद्योगो को दफनाकर उनकी कब्र पर ब्रिटिश उद्योग का निर्माण किया गया था । अग्रेजो ने भारत को कच्चे माल का स्रोत एव ब्रिटिश निर्मित माल का बाजार बनाया था, जिससे भारतीय उद्योगो का पतन एव ब्रिटिश उद्योगो का विकास हुआ । यहाँ से औद्योगिक पूँजी की आढ मे उन्मुक्त व्यापार की एक तरफा नीति अपनाकर भारतीय औद्योगिक पटल का शोषण किया गया । मार्क्स ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि इग्लैण्ड की पूजी उपनिवेशो की लूट थी और अठारहवी शदी मे इग्लैण्ड मे अचानक बडे पैमाने पर जो पूजी एकत्र हुई वह ज्यादातर भारत की लूट व शोषण से इकट्ठा हुई थी। भारत मे केवल उन्ही उद्योगो के विकास को छूट दी गयी थी जो भौगोलिक दृष्टि से आवश्यक थे ।

---

13 दत्त, रजनी पाम, आज का भारत, मैकमिलन ऑफ इण्डिया लि०, 1977, पृष्ठ 127–128

3. महाजनी पूँजी के रूप में -

भारत मे सामती वर्ग का पूँजीपति के रूप मे उदय ब्रिटिश पूजीवादी हितो के आधार पर ही हुआ। उन्नसवी शताब्दी मे औद्योगिक पूँजी के शोषण के तरीको को समाप्त न करके उसे महजनी पूजी के रूप मे रूपान्तरित कर दिया गया। भारत मे अगेजो ने अपनी नीति मे परिवर्तन के तहत भारत मे परिवहन तथा यातायात के साधनो का विकास तथा यूरोप की भॉति बैकिग व्यवस्था की शुरूआत की लेकिन इसका उद्देश्य भारतीय जनता का हित न होकर, ब्रिटेन की व्यापारिक एव सामरिक आवश्यकता की पूर्ति करना था। भारत की जनता से लूट करके भारत मे एकत्रित पूँजी ब्रिटेन की ओर से भारत मे निवेशित पूँजी कर्ज के रूप मे दी गयी। जिससे उल्टे भारत से रायल्टी एव ब्याज वसूल किया जाता था।[14]

ब्रिटिश काल में आर्थिक शोषण :

ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान व्यापार के रूप मे भारत का आर्थिक शोषण किया गया और यह शोषण की प्रक्रिया.भारतीय अर्थव्यवस्था मे एक लम्बे समय तक जारी रही जब तक ब्रिटिश साम्राज्य भारत मे कायम रहा। इस उपनिवेशी शोषण का एक मात्र लक्ष्य रहा कि ब्रिटिश साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया जाये और भारत से अधिक मात्रा मे लाभकमाया जाय। ईस्टइण्डिया कम्पनी नबाबो से भारी मात्रा मे धनराशि वसूल करती थी और इस श्रृखला मे नबाब भी बदलते रहे। इसका स्पष्ट प्रमाण बगाल रहा जहॉ एक के बाद एक नबाब बदलते रहे। एक

---

14 दत्त, रजनी पाम, आज का भारत, दि मैकमिलन ऑफ इण्डिया, 1977, पृष्ठ 156

अनुमान के अनुसार ईस्टइण्डिया कम्पनी ने 1757 से 1765 के बीच बगाल मे कई नबाबो को बदला और उनसे 60 लाख पौण्ड वसूल किए । जमीदारो की नियुक्ति मे भी नकद राशि प्राप्त करते थे।

ब्रिटिश शासन काल के दौरान हमारे लघु एव कुटीर उद्योगो का बडी बेरहमी के साथ विनाश किया गया। यहाँ तक कि भारतीय जुलाहो एव कारीगरो के अगूँठे कटवा लिए गए ऐसा कहा जाता है कि 18 वी शताब्दी के मध्य तक भारतीय जुलाहो एव कारीगरो के हड्डियो से भारत के मैदान सफेद हो गए तथा हमारे लघु एव कुटीर उद्योगो को दफना कर उनकी कब्रपर इग्लैण्ड के बडे–बडे उद्योगो की नीव खडी की गई। कच्चे पदार्थो की आपूर्ति पर इग्लैण्ड का पूरा–पूरा अधिकार हो गया था जिससे भारी कीमत वसूलते थे। भारतीय उद्यमियो को जहाँ एक ओर कच्चा पदार्थ ऊँची कीमत पर मिलता था वही दूसरी ओर तैयार माल नीचे मूल्यो पर बेचने की बाध्यता थी। ऐसी स्थिति मे भारतीय कारीगरो एव बुनकरो को अपना व्यवसाय जारी रख पाना असम्भव हो गया। औद्योगिक क्षेत्र की भॉति ही कृषि क्षेत्र मे भी शोषण की प्रक्रिया जारी रही किसानो को विवश होकर अपनी उपज को कम कीमतो पर बेचना पडता था। अग्रेजो ने चम्पारन मे किसानो को एक निश्चित क्षेत्र पर नील की खेती के लिए बाध्य किया इसके अतिरिक्त ब्रिटिश शासन के कारिन्दे जमीदार भी किसानो का शोषण करते रहे। भारत से ब्रिटेन को निर्यात किए जाने वाले मलमल एव कपडो के आयात कर की दर 31 प्रतिशत से बढाकर 78 प्रतिशत

कर दी गयी थी। इस प्रकार ब्रिटेन मे भारत से जाने वाले सामान पर भारी निरोधात्मक कर लगाये गये।

ब्रिटिश सरकार ने सरकारी खरीद एव सरकारी सेवाओ के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था का व्यापक शोषण किया। सरकारी खरीद के रूप मे सन् 1921–22 मे और 1928–29 मे क्रमश 16 25 करोड रूपये और 10 10 करोड रूपये का सामान ब्रिटेन से आयात किया गया।[15] ब्रिटिश शासन काल मे भारत मे तैनात उच्च अधिकारी अग्रेज थे तथा निम्न तबके के कर्मचारी एव सैनिक ही भारतीय होते थे। जिससे उच्च अधिकारी बडी मात्रा मे धनराशि वेतन एव पेशन आदि के रूप मे भारत से इग्लैण्ड ले जाते थे। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था पर वित्त का एक भारी बोझ पडता था। अग्रेजो की शोषणकारी नीति के कारण भुगतान सतुलन की स्थिति भी भारत के प्रतिकूल थी।

भारतीय स्थिति एवं अतीत से विचलन :

अत ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का अनेको प्रकार से आर्थिक शोषण किया गया एव भारत के धन एव वैभव को लूट कर इग्लैण्ड मे औद्योगिक विकास की प्रक्रिया त्वरित की गयी एव औद्योगिक क्रान्ति की सज्ञा दी गयी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व सध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था सक्रमण कालीन स्थित मे थी एक ओर युद्ध से जर्जर तथा दूसरी ओर विभाजन से प्रभावित थी। जिसे पुनर्निर्मित व

---

15 त्रिपाठी, डा0 बद्री विशाल, भारतीय अर्थव्यवस्था–नियोजन एव विकास किताब महल, 1997 पृष्ठ 45

पुर्नस्थापित करना था। 1948 मे जब प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की तो उसमे भारत के औद्योगिक विकास की रूप रेखा निर्मित की गई तथा 1950 मे सविधान की मूलभावना के आधार पर सामाजिक न्याय समता एव शोषण विहीन समाज एव अर्थव्यवस्था की सकल्पना की गयी। इन्ही तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अगीकार करते हुए नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से चहुँमुखी विकास का मार्ग अपनाया गया वर्ष 1950–51 मे इस बात पर बल दिया गया कि कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का सतुलित विकास करते हुए सभी क्षेत्रो मे आत्मनिर्भता प्राप्त की जाय इसी क्रम मे कृषि उद्योग एव सेवा क्षेत्र के सुधार एव विकास हेतु विभिन्न प्रयास प्रारम्भ किए गए। आज वर्तमान मे पचास वर्षो की लम्बी यात्रा के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था मे परिवर्तन देखने को मिलता है भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को कुछ मुख्य बिन्दुओ के अन्तर्गत विश्लेषित किया जा सकता है।

1. कृषि की स्थिति -

देश विभाजन के पश्चात कृषि की दशा खराब हो गयी थी और भारत न केवल खाद्यान्नो का आयातक बल्कि कृषि आधरित उद्योगो के कच्चेमाल का भी आयातक बन गया। कृषि गतिहीन अवस्था मे बनी हुई थी, उत्पादन और उत्पादिता बहुत निम्न थी, देश के सामने खाद्यान्न सकट था जिसे आयात द्वारा पूरा किया जाता रहा। इसी लिए पहली योजना के प्रारम्भ मे भूमि सुधारो के अन्तर्गत विभिन्न सस्थागत एव सरचनात्मक कदम उठाए गए जिससे अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण

क्षेत्र कृषि का विकास किया जा सके। भारत के खाद्य सकट पर फोर्ड फाउन्ड्रेशन व्यक्त की और कृषि उत्पादन बढाने के लिए सघन कृषि कार्यक्रम चलाने का सुझाव दिया। वर्ष 1966–67 मे भारतीय कृषि ससाधन परिषद के वैज्ञानिको ने खाद्यान्न मे आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्नत किस्म के बीजो का अविष्कार कर कृषि विकास की नई प्रवृत्ति को जन्म दिया जिसे हरित क्रान्ति की सज्ञा दी गई। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर थी। सिचाई सुविधाओ का अभाव था तथा भूमि उपयोग के अनुकुलतम प्रयोग के प्रयास अप्रर्याप्त थे। परन्तु विभिन्न योजनाओ मे कृषि क्षेत्र के महत्व पर ध्यान दिया गया तथा सिचाई सुविधाओ के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष 1950–51 मे देश मे कुल सिचित क्षमता 12 9 मिलियन हेक्टेयर थी जो कि 1990 मे बढकर 38 मिलियन हेक्टेयर हो गई इसी प्रकार खाद्यान्नो का देश मे कुल उत्पादन 1950–51 मे मात्र 54 9 मिलियन तथा जो वर्तमान समय मे 1996–97 मे बढकर 196 2 मिलियन टन हो गया। इस प्रकार वर्तमान समय मे खाद्यान्नो के उत्पादन मे न केवल आत्मनिर्भरता प्राप्त की है बल्कि निर्यात सभावनाए भी निर्मित की है।

2. उद्योग की स्थिति .

स्वतत्रता के पूर्व भारतीय उद्योग के विकास की चेष्टा करना ही गलत धारणा को जन्म देना कहा जाता है। परन्तु कुछ कारणो से जैसे प्रथम एव द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इस्पात उद्योग का विकास हुआ रेल उद्योग का विकास भारत को उपनिवेश बनाए रखने के लिए सैनिक आवागमन को तीव्रता प्रदान करने के

लिए किया गया। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय उद्योगो के विकास के लिए स्वदेशी सरकार के द्वारा विशेष ध्यान दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योगो मे विकास की गति तीव्र हुई । प्रथम पचवर्षीय योजना मे कृषि के बाद उद्योग को प्राथमिकता से लिया गया जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक उत्पादन 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की सचयी विकास दर से बढा और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष मे 39 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन मे वृद्धि हुई। यह वृद्धि यह दर्शाती है कि विभिन्न उद्योगो मे स्थिति सतोषजनक रही। द्वितीय पचवर्षीय योजना मे 1956 के औद्योगिक नीति के आधार पर औद्योगिककरण की रूपरेखा तैयार की गई, और राज्य द्वारा सगठित उद्योगो पर 870 करोड रूपये का विनियोग तथा निजी क्षेत्र द्वारा 675 करोड रूपये का विनियोग और राजकीय एव निजी क्षेत्रो को मिलाकर 265 करोड रूपये का विनियोग किया गया, इस प्रकार 1810 करोड रूपये का कुल विनियोग द्वितीय पचवर्षीय योजना मे किया गया यदि हम इस पचवर्षीय योजना का कुल खर्च देखे तो लगभग एक तिहाई केवल उद्योगो पर खर्च हुआ जो 27 प्रतिशत था । तीसरी पचवर्षीय योजना मे उद्योगो को विस्तार करने के उद्देश्य से नई मशीन निर्माण और तकनीकी एव प्रबन्धकीय कौशल पर विशेष रूचि थी।

सगठित उद्योगो एव खनन पर 3000 करोड रूपये व्यय हुआ जिसमें से 1700 करोड रूपये सरकारी क्षेत्र एव 1300 करोड रूपये निजी क्षेत्र मे व्यय हुये कुल मिलाकर इस योजनाकाल मे उद्योगो को विशेष रूप से विकास की गति को

प्रदान किया गया और विकास की गति 7 8 प्रतिशत की दर से बढी जो लक्ष्य से आधी ही रही।

चौथी पचवर्षीय योजना के कार्यकाल मे विनियोग के लिए 5300 करोड रूपये निर्धारित किए गये जिसमे 3050 करोड रूपये सरकारी क्षेत्र से 2250 करोड़ रूपये गैर सरकारी क्षेत्र से व्यय किए गये। इसके अलावा लघु एव ग्रामोद्योग मे 1086 करोड रूपये सरकारी क्षेत्र से एव 560 करोड रूपये गैर सरकारी क्षेत्र से विनियोग की व्यवस्था की गई। इस योजना का कुल विनयोग 26 7 प्रतिशत उद्योगो पर व्यय निश्चित किया गया। पॉचवी पचवर्षीय योजना मे सगठित उद्योगो एव खनन पर दस हजार दो सौ करोड परिव्यय निश्चित किया गया जिसमे से 553 करोड रूपये छोटे उद्योगो पर खर्च करने की व्यवस्था की गई। पॉचवी पचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास की गति 5 5 प्रतिशत प्राप्त की गई जो 7 प्रतिशत के लक्ष्य से कम थी जिसे असन्तोष जनक कहा जा सकता है। छठी योजना मे उद्योग एव खनिज पर 13197 करोड रूपये प्रस्तावित व्यय के विपरीत चालू कीमतो पर सरकारी क्षेत्र मे वास्तविक व्यय 15220 करोड रूपये हुआ इसके अतिरिक्त 15182 करोड रूपये का विनियोग गैर सरकारी क्षेत्रो मे किया गया जो वास्तविक विनियोग से कही अधिक था। सातवी पचवर्षीय योजना काल मे सार्वजनिक क्षेत्र के बडे एव मध्यम उद्योगो के लिए 19708 करोड रूपये विनियोग का लक्ष्य रखा गया, इसके अतिरिक्त ग्रामो एव लघु उद्योगो के विकास के लिए 2752 करोड रूपये निर्धारित किया गया जो कुल योजना परिव्यय का 12 5

प्रतिशत था, इस योजना का लक्ष्य 8 7 प्रतिशत वृद्धि करने का था। जबकि वास्तविक प्राप्ति वृद्धि दर 8 5 प्रतिशत ही रही । आठवी पचवर्षीय योजना मे उद्योग एव खनिज पर सार्वजनिक क्षेत्र मे 40673 करोड रूपये परिव्यय किया गया, जिसमे से केन्द्रीय क्षेत्र 35150 करोड रूपये और बाकी 5523 करोड रूपये राजकीय क्षेत्र द्वारा खर्च किए गये। आठवी पचवर्षीय योजना मे खनन क्षेत्र मे उत्पादन के सकल मूल्य मे 8 9 प्रतिशत एव विनिर्माण क्षेत्र मे 8 2 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया।

1951 के बाद के दशको मे भारतीय आर्थिक विकास मे भारतीय औद्योगीकरण की प्रकृति विशेष रूप से चित्रित होती है। औद्योगीकरण की प्रक्रिया सन् 1948 से 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्तावो के आधार पर भारतीय पचवर्षीय योजनाओ मे किए गये प्रयासो के कारण ही भारतीय औद्योगिक विकास की गति तीव्र हुई और विगत 50 वर्षो मे या स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात के पॉच दशको मे औद्योगिक उत्पादन पॉच गुना से अधिक हो गया और भारत ने विश्व औद्योगिक परिदृश्य मे अपने को स्थापित करते हुये दसवा स्थान प्राप्त कर लिया है। भारत के औद्योगिक विकास की प्रगति को इस रूप मे भी देखा जा सकता है कि भारत के विदेशी व्यापार मे निर्मित वस्तुओ के आयात मे लगातार कमी हुई है। इसके विपरीत इन्जीनियरिंग सामान मे विशेष कर भारतीय निर्यात का सामान बढा है। विगत दिनो मे भारतीय औद्योगिक क्षमता को विशेष बल अपने महत्वपूर्ण उद्योगो से प्राप्त हुआ है, जिनमे अत्यधिक विनियोग के द्वारा विकास सम्भव हुआ तथा

तकनीकी एव प्रबन्धकीय क्षमता मे वृद्धि हुई। वर्तमान मे भारत हवाई जहाज के निर्माण से लेकर सैन्य क्षेत्र मे मिसाइलो, पनडुब्बियो के निर्माण मे भी विश्वसनीयता हासिल करते हुये अपनी मूलभूत आवश्यकताओ की प्राप्ति के लिए हर सम्भव कोशिश करते हुये दृढता से प्रवेश करके औद्योगिक विश्वसनीयता प्राप्त की है। भारतीय उद्योगो के विकास को जानने के लिए आवश्यक हो जाता है कि कुछ आधारभूत व मूल उद्योगो का विश्लेषण करे ।

1 भारत मे स्वतन्त्रता के पश्चात भारतीय इस्पात एव लोहा उद्योग का विकास तीव्र गति से हुआ, इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि 30 करोड रूपये का व्यय निश्चित किया गया 17 लाख टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। 10 लाख टन क्षमता वाले तीन बडे कारखानो के स्थापना से सम्बन्धित विदेशी समझौते किये गये। 1953 मे हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना हुई इस काल मे स्टील कार्पोरेशन आफ बगाल और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का सविलन किया गया। प्रथम पचवर्षीय योजना मे इस्पात उद्योग के निर्धारित क्षमता मे 18 प्रतिशत एव उत्पादन क्षमता मे 35 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई 1955 मे ही केन्द्र मे अलग लोहा एव इस्पात मत्रालय की स्थापना हुई।[16] यदि इसकी तुलना 1996–97 तक के वास्तविक उत्पादन से की जाय तो ज्ञात होता है कि भारतीय इस्पात एव लोहा उद्योग लगभग बारह गुना उत्पादन मे वृद्धि होने की सम्भावना रही

16 मिश्र, जगदीश नारायण, भारतीय अर्थव्यवस्था, 13वा सस्करण, 1997, पृष्ठ 618

है। जिसमे से 28 लाख टन इस्पात निर्यात का लक्ष्य 1996–97 मे रखा गया था।[17]

2 भारतीय उद्योग का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र सूती उद्योग रहा है स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत मे सूती उद्योग की विकास गति भी तीव्र हुई है। इसकी जानकारी हमे 1950–51 के उत्पादन से मिलती है जहॉ मिल क्षेत्र के द्वारा 340 करोड मीटर एव विकेन्द्रित क्षेत्र से 101 करोड मीटर सूती वस्त्र का उत्पादन हुआ। यदि 1993–94 का उत्पादन देखा जाय तो जहॉ मिल क्षेत्र का उत्पादन घटकर 191 करोड मीटर रह गया वही विकेन्द्रित क्षेत्र का उत्पादन बढकर के 1663 करोड मीटर हो गया है जो अपनी विकास की गति को प्रदर्शित करता है। 1996–97 मे जहॉ मिल क्षेत्र के उत्पादन को बढा करके 350 करोड मीटर रखा गया वही विकेन्द्रित क्षेत्र के उत्पादन को भी बढाकर 2120 करोड मीटर किया गया।[18]

3 भारत के उद्योगो मे तीसरा बडा चीनी उद्योग है जिसका विकास भी स्वतत्रता पश्चात ही तीव्र गति से हुआ। 1956–57 मे चीनी का उत्पादन 20 3 लाख टन हो गया था, 1960–61 मे यह उत्पादन बढकरके 29 81 लाख टन हो गया। 1991 तक 119 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ जो 1960–61 की तुलना मे लगभग साढे चार गुना बृद्धि को दर्शाता है, जिसमे

---

17 वही पृष्ठ 620

18 वही, पृष्ठ 628

से 1996–97 मे कुल 40 लाख टन चीनी निर्यात करने का लक्ष्य था। वर्तमान समय मे कुल 414 चीनी कारखाने है जिनमे तीन लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत है यदि हम स्वतत्रता प्राप्ति से आज तक की तुलना करे तो विदित होता है कि चीनी उद्योग का विकास बडी तीव्र गति से हुआ।

4 चीनी उद्योग के पश्चात भारतीय उद्योगो मे जूट का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, विश्व मे स्थापित जूट क्षमता का उत्पादन 50 प्रतिशत भारत मे निहित है। 1951 मे भारत मे 112 जूट कारखाने थे। जिनकी उत्पादन क्षमता 12 लाख टन थी। 1950–51 मे 3 3 लाख गॉठे जूट का उत्पादन हुआ जो वर्ष 1996–97 मे बढकरके 95 लाख गॉठ हो गया। भारतीय उद्योगो द्वारा निर्मित जूट का निर्यात बढा है तुलनात्मक दृष्टि से जहॉ पर 1950–51 मे 7 9 लाख टन का निर्यात हुआ वही 1993–94 मे घटकर 2 लाख टन रह गया इससे यह प्रतीत होता है कि भारत मे जूट उत्पादन की क्षमता तो बढती रही है, परन्तु घरैलू उपभोग की मात्रा भी बढी है, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात घटा सन् 1996–97 मे 16 लाख टन जूट निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया था।[19]

जूट उद्योग के बाद भारतीय उद्योगो मे सीमेन्ट उद्योग का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस उद्योग मे भी स्वतत्रता के पश्चात उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। 1950–51 मे 33 लाख टन सीमेन्ट उत्पादन क्षमता थी परन्तु 82 प्रतिशत क्षमता का

---

19 वही, पृष्ठ 638

उपभोग करते हुये 22 लाख टन उत्पादन हुआ। यदि हम 1996–97 के लक्ष्य से इसकी तुलना करे तो प्रतीत होता है कि भारतीय सीमेण्ट उद्योग मे तीव्र गति से वृद्धि हुई है नौ सौ लाख टन उत्पादन क्षमता का 85 प्रतिशत क्षमता उपयोग प्रतिशत के आधार पर प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया, वर्तमान समय मे देश मे 103 बड़े सीमेण्ट उद्योग एव 250 लघु उद्योग कार्यरत है।[20]

5 उर्वरक उद्योग मे स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात विशेष ध्यान दिया गया है, 1951–52 के प्रारम्भ मे जहॉ मात्र नाइट्रोजन उत्पादन करने वाले मात्र तीन कारखाने थे जिनकी उत्पाद क्षमता 9 लाख टन थी वही फास्फेट युक्त उर्वरक कारखानो की सख्या 12 एव कुल उत्पादन 78 लाख टन था वही 1989–90 मे कुल उत्पादन 45 4 लाख टन हो गया तथा 1996–97 मे कुल उत्पादन का लक्ष्य 128 लाख टन रखा गया।[21]

इससे यह प्रतीत होता है कि भारतीय उद्योगो की क्षमता मे स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तरोत्तर वृद्धि का सिलसिला आज तक जारी रहा है और विकास की गति मे वृद्धि हुई है यदि हम भारतीय उद्योगो का विश्लेषण करते है तो यह निश्चित रूप से कह सकते है कि स्वतत्रता के समय जहॉ भारतीय उद्योग अपनी आवश्यक परक वस्तुओ के उत्पादन मे सक्षम नही थे वही आज निर्यात परक वस्तुओ के उत्पादन करने मे अपने सक्षमता को सिद्ध किया है, आज भारतीय उद्योगो के द्वारा

---

20 वही, पृष्ठ 642

21 वही, पृष्ठ 647

निर्मित वस्तुओ जैसे इजीनियरिंग के सामानो एव सूती वस्त्रो आदि का बृहद रूप से निर्माण करके विदेशो को निर्यात किया जाता है। इसी कडी मे आगे चीनी उद्योग के द्वारा भी भारतीय निर्यात मे वृद्धि देखी जा सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मे भारतीय उद्योगो का महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। जो निश्चित रूप से भारतीय अर्थ व्यवस्था को शक्ति प्रदान करता है।

3 विदेशी व्यापार की स्थिति

किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ उस अर्थव्यवस्था का विदेशी व्यापार होता है इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था मे बिना विदेशी व्यपार का अध्ययन किए यह पता लगाना सम्भव नही होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान वास्तविक स्थिति कैसी है और विकास की गति कितनी है।

स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय विदेशी व्यापार मे उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ व्यापार सतुलन भी प्रतिकूल दिशा मे बढता ही रहा। सन् 1950–51 मे भारत का आयात 650 21 करोड रूपये और निर्यात मात्र 600 64 करोड का हुआ और भारतीय व्यपार इस समय व्यापार सतुलन की दृष्टि से 49 57 करोड रूपये ऋणात्मक रहा। परन्तु 1990–91 मे भारत का आयात की तुलना मे कम रहते हुये 32553 करोड रूपया रहा एव व्यापार सतुलन ऋणात्मक रहते हुये बढकर 10640 करोड रूपये हो गया। 1994–95 मे भारतीय आयात 63814 करोड रूपये तथा

निर्यात 57503 करोड रूपये का हुआ और ऋणात्मक व्यापार सतुलन रहते हुये घटकर 6311 करोड रूपये रह गया।[22]

सेवा क्षेत्र :

किसी भी अर्थव्यवस्था मे सेवा क्षेत्र उस अर्थव्यवस्था का आधार विन्दु होता है। बिना सेवा क्षेत्र के विकास के किसी भी अर्थव्यवस्था के द्वारा अपना विकास करना सम्भव नही हो सकता इसीलिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय सेवा क्षेत्रो मे निरन्तर वृद्धि के प्रयास किये जाते रहे, जिसके परिणामस्वरूप सेवा क्षेत्रों का वृहद रूप से विस्तार हुआ।

सेवा क्षेत्र मे रेल परिवहन एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप मे स्थापित रहा है। स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात 1950–51 मे जहॉ कुल रेलमार्गो की लम्बाई 53596 किमी, कुल इजनो की सख्या 8209 थी, कुल सवारी डिब्बे 19628, कुल मालडिब्बे 205596 थे तथा 12840 लाख यात्री ले जाये गये एव 930 लाख टन माल ढोया गया। वही वर्ष 1993–94 मे कुल रेलमार्गो की लम्बाई बढकर 62462 किमी0 इजनो की सख्या घटकर 7810, सवारी डिब्बे की सख्या बढकरके 43393, मालडिब्बे बढकरके 3 लाख 38 हजार हो गये एव 3587 लाख टन माल ढोया गया। रेल उद्योग के विकास पर प्रथम पचवर्षीय योजना मे कुल व्यय 423 72 करोड

---

22 वही, पृष्ठ 888, तालिका सख्या–1

रूपये निश्चित किया गया था। आठवी पचवर्षीय योजना मे यह व्यय बढकर 27207 करोड रूपये हो गया।[23]

भारतीय सेवा क्षेत्र मे रेल उद्योग के बाद सडक परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, किसी भी देश विकास मे सडक परिवहन अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है जैरमी बैथम के अनुसार "सडके किसी देश की रक्त वाहिनी धमनी एव शिराये होती है जिनसे होकर समस्त सुधार प्रवाहित होता है"।[24] स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात सडक परिवहन पर भी विशेष ध्यान दिया गया। 1951 मे भार वाहनो की सख्या 82 हजार थी वही 1990 मे 1289 हजार हो गई, तथा 1951 मे 34 हजार बसे थी जो 1990 मे बढकर 312 हजार हो गई, कार जीप एव टैक्सी की सख्या 159 हजार थी जो बढकरके 1990 मे 2733 हजार हो गयी। इसी प्रकार द्विपाहिया वाहनो की सख्या मे 1951 मे 27 हजार थी जो 1990 मे बढकर 12525 हजार हो गयी। अन्य वाहन चार हजार थे जो बढकर 2364 हजार हो गये। इसी प्रकार यदि हम कुल वाहनो का तुलनात्मक विश्लेषण करे तो हमे ज्ञात होता है कि 1951 मे कुल वाहनो की सख्या 306 हजार थी जो 1990 मे बढकर 19173 हजार हो गई।[25]

---

23 वही, पृष्ठ 763

24 वही, पृष्ठ 771

25 वही, पृष्ठ 779

5. जल परिवहन :

सेवा क्षेत्र मे जल परिवहन अपना प्रमुख स्थान रखता है और आन्तरिक सेवाओ के साथ–साथ विदेशी सेवाओ मे महत्वपूर्ण योगदान देता है वर्ष 1950–51 मे जहॉ भारतीय जहाजो द्वारा 19 2 मिलियन टन सामानो का आवागमन बदरगाहो से हुआ वही 1993–94 मे 179 3 मिलियन टन और 1996–97 मे 253.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया । प्रथम योजना काल मे पोत परिवहन पर कुल वास्तविक व्यय 18 71 करोड रूपये किए गये एव सात नये दीप घरो का निर्माण किया गया। जबकि आठवी पचवर्षीय योजना मे जहाज रानी पर कुल 3668.9 करोड रूपये व्यय तथा बदरगाहो और प्रकाश गृहो पर 313 58 करोड रूपये व्यय का निर्धारण किया गया । वर्ष 1997 तक बदरगाहो की क्षमता का लक्ष्य 253 5 मिलियन टन आका गया।[26]

6. वायु परिवहन :

सेवा क्षेत्र मे आधुनिक परिवहन के साधनो मे वायु परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है इसमे भी स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। प्रथम पचवर्षीय योजना मे 11 हवाई अड्डो का निर्माण एव कई पुराने हवाई अड्डो का सुधार किया गया इस योजना मे 7 8 करोड रूपये वास्तविक व्यय के रूप मे खर्च किये गये जो लक्ष्य से कम था। आठवी पचवर्षीय योजना मे 4083 26 करोड रूपये

---

26 वही, पृष्ठ 789

का व्यय निर्धारित किया गया एव 1990 मे भारत मे 815 हवाई जहाज पजीकृत थे इस समय भारत मे 4 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एव 91 राष्ट्रीय हवाई अड्डे है।

भारतीय सेवा क्षेत्र मे कुछ और सेवाओ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जैसे बैकिग, बीमा, एव विद्युत सेवाये आदि। इन सेवाओ मे भी स्वतत्रता प्राप्ति के बांद उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात जहॉ पर तहसील एव जनपद स्तर तक ही लगभग बैकिग सेवाये उपलब्ध थी वही आज छोटे–छोटे कस्बो एव गावो मे भी बैकिग सेवाओ की प्रचुरता यह सिद्ध करती है कि तीब्रगामी विकास बैकिग सेवा के क्षेत्र मे हुआ है। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र मे भी विकास की गति स्वतत्रता प्राप्ति के बाद तीब्र रूप से हुई है स्वतत्रता प्राप्ति के समय विद्युत व्यवस्था की आपूर्ति शहरो तक जहॉ सीमित रही वही आज ग्रामीण क्षेत्रो मे भी इसकी आपूर्ति प्रचुर मात्रा मे हो रही है जो अपनी विकास की तीव्रता को सिद्ध करते हुये भारतीय आर्थिक विकास की गति की दृढता को सिद्ध करती है।

स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात सचार, माध्यमो मे तीव्रता से विकास हुआ जहॉ पर स्वतत्रता प्राप्ति के समय सीमित सचार माध्यम थे वही इसमे उत्तरोत्तर वृद्धि होकर भारतीय सचार माध्यमो का सचार गॉव घरो तक हुआ जहॉ 1950–51 मे टेलीफोन वायरलेस दूरदर्शन रेडियो आम आदमी से दूर उच्च पदस्थ या कुछ प्रमुख लोगो तक ही सीमित था आज वही यह अपने विकास की कहानी स्वय बता रहे है। आज सामान्य लोगो के उपभोग की वस्तुओ मे इन सचार माध्यमो का उपभोग उपयोग हो रहा है। स्वतत्रता प्राप्ति के समय जहॉ सचार के माध्यम शहरो

तक ही कुछ व्यक्तियो तक सीमित था, आज यह दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रो मे भी पहुँच रहा है।

स्वतत्रंता प्राप्ति के पश्चात जहॉ बीमा क्षेत्र बहुत ही सीमित था, आज उसमे तीव्रता से विकास हुआ और जन–जन को सुरक्षा देने की भावना से जीवन बीमा से लेकर के माल बीमा दुकान बीमा, मोटर वाहनो का बीमा, उद्योग बीमा, फसल बीमा आदि सुविधाये प्रदान कर रहा है।

स्वतत्रता के पश्चात भारतीय अर्थ व्यवस्था के विकास या वर्तमान स्थिति का आकलन राष्ट्रीय आय के द्वारा ही सत्य रूप मे प्राप्त किया जा सकता है यदि हम 1950–51 की राष्ट्रीय आय देखे तो 8574 करोड रूपया थी, जो सन् 1995–96 मे बढकर 858596 करोड रूपये हो गयी परन्तु यह वृद्धि 1951 मे 229 रूपया प्रति रूपया प्रति व्यक्ति से बढकर 1995–96 मे 9350 रूपये हो गई जो भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति को दर्शाते हुए यह चित्रित करता है।

भारत में उदारीकरण प्रक्रिया :

जुलाई 1991 से भारत की आर्थिक नीतियो मे व्यापक बदलाव आया है। तीव्र उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते भारत की अर्थव्यवस्था को बाजार मुखी बनाने का प्रयास शुरू हुआ साथ ही इसे विश्वव्यापी आर्थिक ढॉचे मे ढालने का भी प्रयास किया जाने लगा। यह प्रक्रिया बहुत ही साधारण ढग से सत्तर के दशक के उत्तरार्द्ध मे शुरू की गई। अस्सी के दशक के प्रारम्भ मे इसे बेहतर बनाने का क्रम

शुरू हुआ और इसी दशक के मध्य आते–आते इसमे तेजी लाई गई। यद्यपि विकास के लिये निजी क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार किया गया परन्तु बाजार एव व्यापार पर विभिन्न प्रकार के निरोधक नियम जैसे कि आई0डी0आर0 एक्ट, एम०आर०टी०पी० एव 'फेरा' बने रहे साथ ही साथ अफसरशाही का नियत्रण बढता गया।

अस्सी के दशक मे काफी विकास हुआ जिसमे 5 5 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से विकास हुआ। लेकिन नब्बे का दशक समस्याओ के साथ आरम्भ हुआ। सकल घरेलू उत्पाद सन् 1990–91 मे 4 5 प्रतिशत तक गिर गया और सन् 1991–92 मे तो यह 2 5 प्रतिशत तक पहुँच गया। जून 1991 के अत तक विदेशी विनिमय सचय 3 368 मिलियन डालर (57 870 मिलियन रूपये) से घट कर मात्र 1 1 मिलियन डालर (23 830 मिलियन रूपये) रह गया जो केवल दो सप्ताह के आयात की जरूरतो के लिये ही था।

इसका मुख्य कारण निर्यात विकास दर मे गिरावट था जो कि सन् 1990–91 मे 9 1 प्रतिशत (डालर के सबध मे) रहा जबकि पिछले तीन वर्षो मे यह 19%, 15 6% तथा 24% रहा। इसके विपरीत आयात 9 1% से 13 2% तक ही रहा। इसकी वजह से वाह्य ऋण सेवा मे काफी बढोत्तरी रही। अगस्त 1990 के उपरान्त खाडी समस्या ने भी इस सकटकालीन स्थिति को पैदा करने मे मदद की।

इस समस्या की जडे असन्तुलन मे निहित थी, जिसकी वजह से वित्तीय घाटा बढता ही गया। यह घाटा सन् 1980–81 मे 88870 मिलियन रूपये से बढकर 1990–91 मे 446500 मिलियन रूपये तक हो गया। कुल शेष आतरिक ऋण 484 510 मिलियन रूपये (जी०डी०पी० का 35 6%) से बढकर 2795280 मिलियन रू० (जी०डी०पी० का 52 8%) तक हो गया। बाकी वाह्य ऋण 134790 मिलियन रू० (जी०डी०पी० का 9 9%) से बढकर 660170 मिलियन (जी०डी०पी० का 12%) तक हो गया। सन् 1980–81 तथा सन् 1990–91 के मध्य ऋण की कुल देनदारी सरकार के कुल खर्चे का 11 6% से बढकर 26 2 % हो गयी।[27]

इस तरह की स्थिति को ज्यादा दिनो तक बरकरार नही रखा जा सकता था। इस समस्या पर काबू पाना ही प्रथम लक्ष्य था और पिछले दो वर्षों मे जो भी नीतिया बनाई गई उनमे इसी बात को सर्वोपरि रखा गया। स्थायित्व के साथ सरचनात्मक सुधार तथा लम्बी आर्थिक व्यवस्था को कायम करने की कोशिश की गई। दो चरणो मे रूपये के 20% अवमूल्यन की योजना बनाई गई। सरचनात्मक व्यवस्थापना के कार्यक्रम मे अन्य बातो के अलावा औद्योगिक तथा वित्तीय नीतियो को भी समाहित किया गया ताकि आर्थिक सुधार मे तीव्रता लाई जा सके। जुलाई 1991 मे व्यापार नीति पर सुधार की घोषणा की गई। निर्यात की बढोत्तरी के लिये अच्छा वातावरण बनाया जाये इस पर काफी जोर दिया गया। साथ ही निर्यातित

27 *ग्लोब लाइजेसन इण्डियन इकोनॉमिक दि इनवायरमेन्ट, पृष्ठ 26–27*

उत्पादों को और मजबूती प्रदान करने के लिये भी प्रयास किये गए। पुनर्निर्मित व्यापार नीति में आयात एवं निर्यात को जोड़ा गया। नियंत्रण नियम एवं रूकावटों को काफी हद तक दूर किया गया। वित्तीय उत्पादों के आयात को और उदार बनाया गया।

उदारीकरण प्रक्रिया के तहत उद्योग नीति को और सुदृढ़ बनाया गया ताकि उद्योग का विकास हो, साथ ही यह भी ध्यान में रखा गया कि आधुनिकीकरण एवं तकनीकीकरण को अपनाया जाये ताकि औद्योगिक प्रतिस्पर्धा कायम हो सके। सबसे मूलभूत बदलाव सीधे विदेशी निवेश में किया गया। प्रधान उद्योगों में 51% तक की भागीदारी की छूट दी गई। ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के प्रयास तेज किये गये, साथ में इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों को भी आकर्षित करने की योजना बनाई गई।

नई उद्योग नीति के अंतर्गत, कुछ उद्योगों को छोड़कर लगभग शेष सभी पर लाइसेन्स प्रक्रिया को लगभग समाप्त कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अब काफी हद तक सीमा बाधित कर दिया गया। अब ये केवल आधारभूत क्षेत्र पर ही अधिक ध्यान देंगे। वित्तीय तथा आर्थिक सुधार का मुख्य लक्ष्य मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण तथा बकाया धन अदायगी में सुधार ही है।

पिछले तीन बजटो मे इस बात पर काफी जोर दिया गया कि कर नियमो मे सुधार किया जाय। राजा चैलैया समिति की रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इसमे निगम कर मे व्यापक परिवर्तन के लिये दिये गये सुझावो को स्वीकार कर धीरे–धीरे लागू करने का निर्णय किया गया। साथ ही सरकार ने नरसिम्हन समिति द्वारा सुझाये गये आर्थिक सुधारो को भी अगीकार कर लिया गया।

अत उक्त से स्पष्ट है कि भारत की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय मे सतत् वृद्धिमान प्रवृत्ति पायी गयी, परन्तु राष्ट्रीय आय की तुलना मे प्रतिव्यक्ति आय मे अनुपातिक वृद्धि कम हुई है जिसका कारण तीव्र गति से बढती हुई जनसख्या है ।

अध्याय : 4

"गैट"

"GATT"

प्रशुल्क एवं व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौताः

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था सक्रमण कालीन स्थित मे थी। युद्ध के अन्तिम चरण एव युद्ध के तत्काल पश्चात सभी राष्ट्रो के समक्ष औद्योगीकरण एव अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की समस्या थी। इस समस्या से निपटने के लिए विश्व के पटल पर वाणिज्य व्यापार औद्योगीकरण तथा आर्थिक क्षेत्र मे सहयोग की आवश्यकता अनुभव की गई । इसी श्रृखला मे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एव विश्वबैक की स्थापना हुई। वाणिज्य एव व्यापार के क्षेत्र मे आपसी सहयोग के लिए विभिन्न राष्ट्रो ने एक सहमति व्यक्त की। जिसमे यह तय किया गया कि व्यापार का समुचित विकास मे प्रशुल्क के अवरोध को समाप्त करना चाहिए। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बढाने की दृष्टि से विभिन्न देशो के द्वारा आपसी विचार विमर्श किए गये एव सयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित अनेक बिन्दुओ पर अपना विचार व्यक्त किया यथा प्रशुल्क प्राथमिकता, अभ्यश और लाइसेन्स प्रणाली अदृष्य सरक्षण अनुदान आदि।

उपर्युक्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए लन्दन मे वर्ष 1946 मे तथा जेनेवा मे 1947 मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और रोजगार सम्बन्धी विषयो पर सम्मेलन हुए परन्तु आपसी मतभेद के कारण अन्तिम निष्कर्ष पर नही पहॅचा जा सका। अन्तत हवाना सम्मेलन के माध्यम से एक चार्टर तैयार किया गया जिसमे व्यापार प्रतिबधो मे

शिथलीकरण की बात कही गयी और अन्तत 30 अक्टुबर 1947 को जेनेवा मे 23 देशो ने (भारत सहित) हस्ताक्षर किए और प्रशुल्क एव व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौते "गैट" का जन्म हुआ। इस प्रकार भारत इसके जन्म से ही इसका सदस्य रहा। गैट ने 1 जनवरी 1948 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया गैट मूलत एक व्यापारिक समझौता है जिसके अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रो की प्रशुल्क रियायते द्विपक्षीय समझोतो से सम्बधित है गैट स्वभावत कई राष्ट्रो के बीच विधिक समझौता है एव समझौता करने वाले राष्ट्रो के द्वारा प्रशासित एक सधि है।

गैट के मुख्य उद्देश्य :

यद्यपि यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु एक स्थाई समझौता है परन्तु इसके कुछ उद्देश्य है। प्रशुल्क दरो के अवरोधो को कम करने एव अन्तर्राष्ट्रीय विषमता को समाप्त करने के दृष्टिकोण से इसके मुख्य उद्देश्य निम्नवत है –

1 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार

2 सदस्य राष्ट्रो द्वारा पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना और विश्व उत्पादन मे वृद्धि करना।

3 विश्व ससाधनो का विकास तथा उनका पूर्ण उपयोग करना।

4 सम्पूर्ण विश्व समुदाय के रहन सहन के स्तर को उचा उठाना।

यद्यपि यह सभी उद्‌देश्य सामान्य स्वाभाव के है और गैट के प्रावधान इन उद्‌देश्यो को प्राप्त करने के लिये प्रत्यक्ष रूप से कोई व्यवस्था नही करते परन्तु स्वतत्र तथा बहु पक्षीय व्यापार के प्रोत्साहन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इन उद्देश्यो की प्राप्ति हो जाती है। गैट मे मात्रात्मक प्रतिबन्धो की भी व्यवस्था की गई, गैट के अन्तर्गत प्रशुल्क मे कमी और भेदभाव की समाप्ति आपसी लाभ एव सहमति के आधार पर की जाती है। वास्तव मे गैट के अर्न्तगत अपने उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धान्त निर्धारित किए गए।

गैट के सिद्धान्त :

गैट के दर्शन या सिद्धान्त को समझाना बहुत कठिन है। पाल क्रुगमैन के अनुसार गैट का दर्शन है प्रकाशमयी व्यापारवाद और कोई अच्छा वाक्य न मिल पांने के कारण इसे "गैट थिक" से सबोधित करते है वे लिखते है "गैट थिक" व्यापारवादी है क्योकि हर देश अपनी स्वेच्छा से निर्यात पर छूट प्रदान करेगा और आयात प्रतिबन्ध लगायेगा। परन्तु यह प्रकाशमयी या ज्ञानी इसलिये है क्योकि इसके अन्तर्गत सभी देश व्यापार बढाने के लिय एक दूसरे की आयातित वस्तुओ को बढावा देगे। उनके अनुसार वैसे तो देश सरक्षणवादी हो जाते है परन्तु सब मिलकर मुक्त व्याार से लाभान्वित होते है। यद्यपि "गैट थिक" आर्थिक बकवास है। परन्तु जो कुछ हो रहा है यह उसका अच्छा उदाहरण है ।

प्रशुल्क एव व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौता द्वारा कुछ नियम निम्न मूलभूत सिद्धान्तो के आधार पर अगीकार लिए गए है।[1] **यथा**

1 व्यापार गैर विभेदात्मक तरीके से किया जाना चाहिए ।

2 परिमाणात्मक प्रतिबन्धो के प्रयोग को ध्यान मे न रखा जाय ।

3 इन समझौतो को जिन पर सहमति न हो विचार विमर्श द्वारा हल किया जाना चाहिए ।

सक्षेप मे'यह कहा जा सकता है कि गैट के सदस्य देश व्यापार बॉधाओ और विभेदात्मक व्यापार को कम करने के लिए सहमत है जिससे कि बहुपक्षीय और स्वतन्त्र व्याार को प्रोत्साहित किया जा सके और अत मे विश्व व्यापार को विस्तृत दिशा मिल सके ।

गैट के प्रावधान :

सामान्य शर्तो के तहत सदस्य राष्ट्र इस बात पर सहमत है कि प्रशुल्क मे कमी और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विभेद को समाप्त किया जाय तथा यह कार्य आदान प्रदान और आपसी लाभ के आधार पर हो इस सम्बन्ध मे गैट की कुछ धाराओ या अनुच्छेदो को देखा जा सकता है। यथा

---

1 इल्स वर्थ–पी0 टी0 दि इण्टरनेशनल इकोनॉमी (अग्रेजी सस्करण) पृष्ठ 513

1 परम मित्र राष्ट्र (एम.एफ एन) वाक्य या धारा -

भेदभाव को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए इस अनुच्छेद के तहत सभी आयात व निर्यात शुल्को को बिना शर्त परममित्र राष्ट्रो द्वारा अपनाना है। परममित्र राष्ट्र का नियम एक देश द्वारा दूसरे देश के लिए दी गई है प्रशुल्क अधिमान व्यापार सम्बन्ध रखने वाले अन्य सभी देशो पर लागू होती है। इस प्रकार परममित्र राष्ट्र का सिद्धान्त इस बात मे निहित है कि प्रत्येक राष्ट्र को परममित्र राष्ट्र माना जाना चाहिए। वार्ता और अधिमान को द्विपक्षीय समझौते द्वारा समान आधार पर सभी सदस्य देशो पर विस्तारित किया'जाना चाहिए जिससे की अधिमानो को बहुपक्षीय किया जा सके ।

2 प्रशुल्क रियायते

प्रशुल्क एव व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौता का महत्वपूर्ण घटक अनुबन्ध करने वाले देशो के बीच आपसी प्रशुल्क रियायतो का वार्ताकृत सतुलन है। वार्ताकृत निर्धारित प्रशुल्क दरो को परममित्र राष्ट्र के सिद्धान्त के माध्यम से सभी अनुबन्ध करने वाले देशो मे सामान्य कृत किया जाता है। इस प्रकार अनुबन्ध करने वाले देश समझौते के अनुच्छेद ग्यारह (11) मे वर्णित रियायतो की सारणियो मे निर्धारित वार्ताकृत दरो से अधिक आयात सीमा शुल्क न लेने के लिए प्रतिबद्ध होते है।[2]

---

2 झिन्गान, एम एल अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र कोणार्क, 1996 पृष्ठ 489

3 मात्रात्मक प्रतिबन्धो का सामान्य उन्मूलन

प्रशुल्क एव व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौता विभिन्न देशो को उनके आयात शुल्को पर न्यूनतम सभव स्तर पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विकसित देशो ने अधिकतर निर्मित वस्तुओ पर करारो को काफी सीमा तक कम कर दिया और उन्हे आयात मूल्य के चार से दस प्रतिशत न्यूनतम स्तर पर निश्चित किया जाता है[3] इस बात का उल्लेख करार के ग्यारहवे अनुच्छेद मे वर्णित किया गया है ।

4 आयात सरक्षण संहिता

इसके तहत एक राष्ट्र आयातो को रोकने के लिए प्रशुल्क या कोटा निर्धारित कर सकता है जो आयात घरेलू उत्पादकताओ को बहुत अधिक हानि पहुँचाते है या हानि पहुँचाने की सम्भावना रखते है इस प्रकार की व्यवस्था प्रशुल्क या व्यापार सम्बन्धी समझौता के उन्नीसवे (19) अनुच्छेद मे वणित है ।

---

3 वही, पृष्ठ 490

5 अपवाद

इसमे अनुबन्ध करने वाले राष्ट्रो द्वारा आयात कोटे पर रोक लगाने के लिए सामान्य और सुरक्षा अपवादो की व्यवस्था की गई है। इस सदर्भ मे प्रशुल्क एव व्यापार सम्बन्धी समझौता के अनुच्छेद 20, 21 एव 24 मे व्यवस्था की गई है।

6 सहायिकी एवं प्रति इकाई शुल्को के नियम :

यद्यपि इनको प्रशुल्क एव व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौता के प्रारम्भ मे अलग से नही रखा गया था लेकिन 1970 के टोकियो दौर मे एक अलग नियमावली के तहत रखा गया। इसके तहत प्राथमिक वस्तुओ की निर्यात सहायिकी केवल इस शर्त के अनुसार है कि इसके अन्तर्गत वे देश विश्व निर्यात व्यापार के समान अश से अधिक न प्राप्त कर सकें[4] इस समझौते मे इस प्रकार की व्यवस्था है जिसके तहत आयातक देशो को व्यापार करने वाले उन देशो के विरूद्ध क्षतिपूरक कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया है जो आयातक देशो के बाजारो मे राशिपातन वस्तुओ अथवा निर्यात सहायिकी के माध्यम से बढी हुई कीमतो की वस्तुए सम्मिलित कर देते है।[5]

---

4 वही, पृष्ठ 491

5 वही, पृष्ठ 491

प्रशुल्क एवं व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौता वार्ताओं के दौरः

गैट की स्थापना से अब तक विश्व व्यापार वार्ताओ के कई दौर सम्पन्न हुए। जिसके अन्तर्गत विश्व व्यापार को एक नई दिशा मिली एव सदस्य राष्ट्रो के व्यापार मे प्रगति हुई। कुल मिलाकर गैट के अन्तिम काल तक कुल आठ सम्मेलन या दौर आयोजित हुए। सभी सम्मेलनो मे कुछ न कुछ प्रगति हुई। कुल मिलाकर गैट मे प्रगतिशील परिवर्तन दिखाई पडे।

गैट का प्रथम सम्मेलन 1947 मे जनेवा में आयोजित हुआ यह सम्मेलन विश्व व्यापार की दिशा मे एक प्रगतिशील प्रयास था जिससे सदस्य राष्ट्रो विशेष कर उन राष्ट्रो जो चालीस के दशक मे दूसरा सम्मेलन सन् 1949 मे एन्नेक्सी नामक स्थान पर फ्रास मे आयोजित हुआ इसी प्रकार गैट का तीसरा सम्मेलन 1950–51 मे इग्लैड मे, चतुर्थ सम्मेलन स्वीटजरलैण्ड के जेनेवा मे 1955–56 मे सम्पन्न हुआ। गैट का छठा सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है। जिसे कनैडी दौर कहा जाता है इसमे राजधानी टोकियो मे 1973–79 के बीच आयोजित किया गया इसके बाद सर्वाधिक

महत्वपूर्ण एव क्रातिकारी दौर आठवे सम्मेलन पुण्टाडेल ऐस्टे (उरूग्वे दौर) 1986 मे हुआ।

तालिका न० (1)

गैट के व्यापार के दौर :

वर्ष	स्थान	समझौते की प्रकृति	भाग लेने वाले देश की सख्या
1947	जेनेवा	तटकर	23
1949	एन्नेसी	तटकर	13
1951	टोरके	तटकर	38
1956	जेनेवा	तटकर	26
1960	जेनेवा	तटकर	26
1964	जनेवा	तटकर और कम मूल्य पर न बेचने सम्बन्धी उपाय	62
1967	कनेडी दौर	तटकर और कम मूल्य पर न बेचने सम्बन्धी उपाय	62
1973	जेनेवा	प्रशुल्क, गैट प्रशुल्क एव "ढाचा' सबन्धित समझौते	102
1979	टोकियो	प्रशुल्क एव गैर प्रशुल्क उपाय नियम सेवाए	102
1986	जेनेवा	बौद्धिक सम्पदा सबन्धी अधिकार विवाद निपटाना कपडा कृषि तथा विश्व व्यापार सगठन की स्थापना आदि।	123
1993	उरूग्वेदौर	बौद्धिक सम्पदा सबन्धी अधिकार विवाद निपटाना कपडा कृषि तथा विश्व व्यापार सगठन की स्थापना आदि।	123

स्रोत *Aswathappa K , Essentials of Business Environment, 1996, Page 84*

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1947 से 1993 तक गैट सम्बन्धी विभिन्न सम्मेलन आयोजित किये और इन सम्मेलनो मे कई देशो ने भाग लिया तथा भाग लेने वाले देशो की सख्या मे उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही। वर्ष 1947 से 1960 तक के दौर जो कि मुख्यत जेनेवा मे आयोजित हुए और मुख्य मुद्दा प्रशुल्क एव कम मूल्य पर न बेचने (एन्टी डम्पिग) से सम्बन्धित रहा जिसमे लगभग 62 देशो ने भाग लिया जो अभी तक हुए दौर मे सर्वाधिक सख्या रही। इसके पश्चात 1973 प्रशुल्क के साथ साथ ढाचागत समझौते हुए।

वर्ष 1986 मे गैट की दिशा मे कुछ विचलन की स्थिति आयी जिसमे प्रशुल्क एव गैर प्रशुल्क उपाय के अतिरिक्त नियमन सेवाए बौद्धिक सम्पदा सम्बन्धी अधिकार, विवादो का निपटारा, कपडा, कृषि तथा विश्व व्यापार सगठन की स्थापना सम्बन्धी आदि महत्वपूर्ण मुद्दे सम्मिलित किये गये। जिसमे 123 देशो ने भाग लिया तथा विवादास्पद स्थिति प्रारम्भ हुई जिसकी पुनरावृत्ति 1993 मे हुई जो उरूग्वे दौर से भी चर्चित हुआ।

कनैडी दौर:

गैट के अन्तर्गत जो भी सम्मेलन आयोजित किये गये वे सभी प्राय (टैरिफ) प्रशुल्क कटौती से सम्बन्धित रहे है तथा द्विपक्षीय रूप मे उभरे। यद्यपि की इन सम्मेलनो की प्रगति मन्द रही परन्तु यूरोपीय आर्थिक समुदाय के गठन से अमेरिका के

व्यापार मे हानि की स्थित परिलक्षित हुयी थी। इस प्रकार की स्थिति से उबरने के लिये तत्कालीन कनैडी प्रशासन ने 1962 मे एक अधिनियम के तहत अमेरिका को सभी वस्तुओ पर 50% प्रशुल्क कटौती लगाने का अधिकार दिया गया। परिणाम स्वरूप 1964 मे जेनेवा मे व्यापार वार्ताओ के कनैडी दौर के प्रारम्भ होने का मार्ग प्रशस्त हुआ[6] इस प्रकार की प्रशुल्क कटौतियो को व्यवहार रूप मे 37 देशो ने विश्व व्यापार करार मे भाग लिया जिसमे विश्व व्यापार के लगभग 80% व्यापार को शामिल किया गया। इसके तहत कुछ मुख्य औद्योगिक देशो तथा ब्रिटेन, जापान और कनाडा ने उस सीमा तक लागू किया जहा तक अमेरिका ने अपने शुल्क योग्य आयातो को 40% किया। परन्तु ये प्रशुल्क रियायते विकसित देशो द्वारा निर्मित वस्तुओ के दायरे मे ही सीमित थी।

टोकियो दौर :

प्रशुल्क एव व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौते का सातवा दौर जापान के राजधानी टोकियो मे 1973–79 के बीच सम्पन्न हुआ। इस दौर की शुरूआत सितम्बर 1973 से शुरू की गयी। चूकि यह टोकियो मे ही घोषणा की गयी थी इसलिये इसे टोकियो दौर कहा जाता है। टोकियो घोषणा मे प्रमुखता 6 क्षेत्रो के लिये कार्यक्रम बनाये गये थे जिनका प्रभाव दूरगामी था। यथा

---

6 झिगन एम एल अन्तरर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र कोणार्क, 1996 पृष्ठ 492

1 प्रशुल्क कटौतिया

2 गैर प्रशुल्क अवरोधो मे कटौती

3 चयनित क्षेत्रो मे समस्त व्यापार अवरोधो मे कमी।

4 बहुपक्षीय सुरक्षा पर वार्ता।

5 कृषि क्षेत्र मे महत्वपूर्ण पहलुओ को विशेषकर समस्याओ एव विशेषताओ को मद्दे नजर रखते हुए व्यापार मे उदारीकरण।

6 उष्ण कटिबधीय उत्पादो को मुख्य रूप से उपचारित करना।

इस दौर की घोषणा मे इस बात पर भी जोर डाला गया है कि बहुपक्षीय वार्ता मे विकासशील व पिछडे हुये देशो की अभिरूचि और उनकी कठिनाइयो को भी ध्यान मे रखा जाये टोकियो दौर के अन्तिम दौर या इस दौर की समाप्ती पर विशेष गैट प्रशुल्क उपायो और कृषि जन्म उत्पादो पर बहुत से समझौतो पर सहमति व्यक्त की गयी और उनको 1980 के प्रारम्भ से ही लागू कर दिया गया जिनमे मुख्य रूप से –

1 डेरी उत्पादो से सम्बन्धित समझौतो – जिसमे मक्खन, दूध, पनीर आदि सम्मिलित है।

2 विद्यमान व्यापार की अनावश्यक तकनीकी अवरोधो से सम्बन्धित समझौते – इसमे वैधानिक तौर पर बाध्य नियमो का भी प्रावधान किया गया।

3 सहायिकी एव प्रतिकार शुल्क सम्बन्धी करार– इसके तहत कृषि, मत्स्य पालन, वनो उत्पादन आदि के विवादो से सम्बन्धी निपटारे को सम्मिलित किया गया।

4 आयात अनुज्ञा सम्बन्धी समझौते – इसमे स्वत अनुमोदन, कोटे के सम्बन्ध मे विवादो पर सलाह एव निपटारे को सम्मिलित किया गया।

5 उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकारी वसूली एव नागरिक उड्डयन व्यापार सम्बन्धी समझौते सम्मिलित किये गये।

तालिका न० 2

टोकियो दौर में प्रशुल्क परिवर्तन

प्रशुलक (प्रतिशत)			
वस्तुए	पूर्व–टोकियो	टोकियो पश्चात्	कमी (प्रतिशत)
सकल औद्योगिक उत्पाद	72	49	33
कच्चा माल	08	04	42
अर्द्धनिर्मित	58	41	30
तैयार माल	103	69	33

स्रोत *गैट (1971) पृ० 120, बी० सोडरस्टन एव जी० रीड इन्टर नेशनल,* इकोनॉमिक्स 1994 मैकमिलन द्वारा उद्धित।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि टोकियो दौर के पूर्व और पश्चात प्रशुल्क दरो मे महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित हुए है। सकल औद्योगिक उत्पाद की प्रशुल्क

दरो मे 33% की कमी आयी जब कि कच्चे मालो की प्रशुल्क दरो मे 52% की कमी दर्ज की गयी। इस प्रकार टोकियो दौर के पूर्व सकल औद्योगिक उत्पाद की प्रशुल्क दरे 7 2 प्रतिशत जो कि टोकियो दौर के पश्चात घट कर 4 9% रह गयी। कच्चे माल की प्रशुल्क दर टोकियो दौर के पूर्व 8% थी जो कि टोकियो दौर मे 4% रह गयी।

कई क्षेत्रो मे टोकियो दौर का मिला जुला असर रहा। कृषि व्यापार की मौलिक समस्याओ से निपटने मे यह कारगर नही हो सका। फिर भी गैर. प्रशुल्क अवरोधो पर कई समझौते हुए, कुछ मामलो मे यह गैट नियमो का अनुपालन करके कुछ मे पूर्णता नये तरीको को अपनाकर। अधिकतर स्थितियो मे इन समझौतो पर अमल केवल कुछ औद्योगिक देशो ने ही किया। इसी कारण से इन्हे अकसर सहिता से सम्बोधित किया गया है। इसके अन्तर्गन निम्न समझौते आते है। यथा

सहायिकी और क्षतिपूर्ति के उपाय– गैट के अनुच्छेद VI, XVI, XXIII का अनुपालन।

व्यापार पर तकनीकी अडचन– जिन्हे कभी–कभी "मानक सहिता" कहा जाता है।

आयात लाइसेंसिंग प्रक्रियायें :

सरकारी खरीद ;

कस्टम मूल्याकन – अनुच्छेद VII

एन्टी डम्पिग अनुच्छेद VI

गोमांस व्यवस्था :

1 अन्तरर्राष्ट्रीय डेरी व्यवस्था

2 सिविल एयर क्राफ्ट मे व्यापार

इनमे से कई कोडो का उरूग्वे दौर मे सशोधन एव विस्तारीकरण किया गया। सहायिकी और क्षतिपूर्ति के उपाय, व्यापार पर तकनीकी अडचन, आयात लाइसेसिग कस्टम मूल्याक और एन्टी डम्पिग अब बहुपक्षीय वचन वद्धता है जो विश्व व्यापार सगठन समझौते के अन्तर्गत आते है दूसरे शब्दो मे सभी विश्व व्यापार सगठन के सदस्य इनसे बाध्य है। जबकि सरकारी खरीद, गोमास, डेरी उत्पाद और सिविल एयर क्राफ्ट बहुद्देशीय समझौते है। गैट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एव विवादास्पद उरूग्वे दौर रहा है। जिसका विस्तृत विवरण अगले अध्याय मे है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि गैट ने अपने उद्देश्यो मे कहा तक सफलता प्राप्त की। यदि हम गैट के विगत 47 वर्षो की कार्य प्रणाली का विश्लेषण करते है तो इसकी सफलता का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है।

गैट के द्वारा प्रशुल्क दरो को कम कर विश्व व्यापार को प्रोत्साहन प्रदान करने मे वाछित सफलता नही प्राप्त की जा सकी है। परन्तु इसके बावजूद यह तो निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि गैट की भूमिका को नकारा नही जा सकता। इसलिये

गैट प्रारम्भिक अवस्था मे प्रशुल्क दरो को कम कराने मे काफी सीमा तक सफल रहा है।

दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति मे गैट की सफलता का आकलन सदस्य देशो के द्वारा अपने यहॉ के उद्योगो को सरक्षण देने की प्रवृत्ति को कम करने का रहा। गैट की सफलता को जानने के लिये भी आवश्यक है कि क्या सदस्य देश अपने यहॉ लगने वाले प्रशुल्क दरो को कम करते हुए अन्य प्रकार के व्यापारिक प्रतिबन्धो को वास्तविक रूप मे अन्य प्रकार के विश्व व्यापार को हतोत्साहित करने वाले प्रतिबन्धो को समाप्त करने का दावा करना तो हास्यस्पद होगा। परन्तु यह सत्य है कि इस दिशा मे वे अपने यहॉं व्यापार अन्य क्षेत्रो मे सहायिकी को कम करे जिससे विश्व व्यापार विकास के साथ–साथ निष्पक्षता का प्रादुर्भाव हो सके। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि गैट आशिक रूप मे ही अपने उद्देश्यो को प्राप्त करने मे सफल रहा है।

विश्व स्तर पर बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए विश्व व्यापार के प्रोत्साहन द्वारा रोजगार अवसारो का सृजन करना भी एक उद्देश्य रहा है, जिसमे कुछ सीमा तक सफलता भी प्राप्त हुई है बेरोजगारी की सख्या मे वृद्धि हुई है। इसके तुलनात्मक विश्लेषण के पश्चात इस तथ्य पर पहुचते है कि गैट के द्वारा बेरोजगारी को कम करने के अपने दृष्टिकोण मे सफलता सामान्य रही।

अध्याय : 5

डंकल प्रस्ताव : उलझे दौर

पृष्ठभूमि :

प्रशुल्क एव व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौते का आठवॉ एव महत्वपूर्ण दौर उरूग्वे की राजधानी पुन्तादेल अस्त मे 20 सितम्बर 1986 को प्रारम्भ हुआ। यह दौर टोकियो दौर के बाद का दौर था। टोकियो दौर के दौरान विश्वव्यापी अवसाद एव तीन मुख्य व्यापारिक समूहो के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गयी थी, यथा सयुक्त राज्य, यूरोपीय समुदाय एव जापान। सयुक्त राज्य एव यूरोपीय समुदाय का विवाद अधिकाशत कृषि मामलो पर केन्द्रित था। उसी समय सयुक्त राज्य अमेरिका इस बात का प्रयास कर रहा था कि जापान अपने घरेलू बाजार को विदेशी सामानो के लिए खोल दे जबकि दूसरी ओर यूरोपीय समुदाय इस बात का प्रयास कर रहा था कि जापान के निर्यात व्यापार को सीमित किया जाय। जापान इस बात के पक्ष मे था कि एक नया दौर बहुपक्षीय हो इसी प्रकार अन्य देश भी प्राय इन सब से सम्बन्धित नये दौर के पक्ष मे थे।

वर्ष 1985 मे एक समिति का गठन किया गया जिसका कार्य होने वाले दौर के उद्देश्य एव विषय वस्तु के सम्बन्ध मे निश्चय करना था। अन्तत 1986 मे वाछित उरूग्वे दौर प्रारम्भ हुआ जिसमे कुल मिलाकर 120 देशो ने भाग लिया इसमे बहुत से बैठके हुई और यह सर्वाधिक विवादास्पद दौर रहा। गैट के तत्कालीन महासचिव आर्थर डकल ने मामले को सुलझाने का प्रयास किया और एक विस्तृत प्रस्ताव प्रारूप

सदस्यो के समक्ष प्रस्तुत किया। वास्तविक रूप मे इस दौर मे सभी स्तरो की बैठको मे कभी भी सहमति नही रही और परिणाम यह हुआ कि सधि– पत्र पर हस्ताक्षर नही हो सके यद्यपि इस दौर मे कुछ तो परम्परागत मुद्दे रहे यथा–तटकर दरो मे कटौती, गैर तटकर प्रतिबन्धो मे कटौती आदि सम्मिलित थे इसके अतिरिक्त कुछ नये प्रस्ताव रखे गये जिसमे बौद्धिक सम्पदा सबन्धित व्यापार विनियोग तथा उद्योग सम्बन्धी व्यापार तथा सेवाओ सम्बन्धी व्यापार। यह दौर गैट का आठवॉ दौर था। डकल प्रस्ताव मे 'ले लो या छोड दो' को आधार बनाया। डकल प्रस्ताव एक विधिक एव तकनीकी दस्तावेज है। भविष्य मे अतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसके अतर्विषय दूरगामी तरीको से आलिप्त करने वाले है। अत इस का बहुत ही गौर से अध्ययन, विश्लेषण एव विचार विमर्श करना आवश्यक है। इस प्रस्ताव पर अर्थशास्त्रियो, राजनीतिज्ञो, सरकारी सस्थाओ तथा अनेक विशेषज्ञो ने अपनी प्रतिक्रिया तथा टिप्पणिया की हैं। यह प्रस्ताव 28 खण्डो मे विभाजित है।[1]

1 उरूग्वे दौर के सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतो से सम्बन्धित नियम।

2 अल्प विकसित राष्ट्रो के लिये उपाय।

3 उत्पादनो मे व्यापार।

4 मूल नियम।

5 जहाज पर लादने से पूर्व निरीक्षण।

---

1 *India's Economics refomes and Beyond, page 171-172*

6 प्रति राशिपातन।

7 व्यापार पर तकनीकी रूकावटे।

8 आयात लाइसेसिग प्रक्रिया।

9 आर्थिक सहायता तथा प्रतिरोधक शुल्क।

10 सीमा शुल्क मूल्याकन।

11 सरकारी वसूली।

12 कृषि।

13 स्वास्थ कर उपाय।

14 व्यापार सबधी निवेश के उपाय।

15 वस्त्र।

16 गैट के अनुच्छेद II 1 (b) मे।

17 गैट के अनुच्छेद XVII

18 गैट के अर्न्तगत बकाया भुगतान प्राविधान।

19 विवाद निस्तारण सबधी नियम व प्रक्रिया।

20 सपूर्ण विवाद निस्तारण व्यवस्था।

21 छूट का समापन।

22 गैट के अनुच्छेद XXIV

23 गैट के अनुच्छेद XXVII

24 गैट के अनुच्छेद XXXV

25 गैट की कार्य प्रणाली।

26 सेवा मे व्यापार।

27 व्यापार सबधी बौद्धिक सम्पदा अधिकार।

28 बहुपक्षीय व्यापार सगठन की स्थापना।

उरूग्वे दौर के उद्देश्य :

इसके अन्तरगत रखी गयी वार्तायें विस्तृत आधार पर थी। इस दौर के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार रहे।[2]

1 जीवन स्तर को उठाना।

2 पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना।

3 वास्तविक आय मे वृद्धि सुनिश्चित करना।

4 वस्तु एव सेवाओ के व्यापार का विस्तार।

5 ससाधनो का अनुकूलतम् उपयोग सुनिश्चित करना।

6 पर्यावरण बचाना एव सरक्षित करना।

ये सभी उद्देश्य आपसी लाभदायक व्यापार के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते है, यथा

(A) प्रशुल्को को घटाकर,

(B) अन्य व्यापार प्रतिबन्धो को हटाकर।

ये बहुपक्षीय व्यपार व्यवस्था बहुत ही विस्तृत है, जिसमे निम्न समझौतो को सम्मिलित किया गया है

(1) विश्व व्यापार सगठन का गठन,

(11) वस्तुओ मे व्यापार

(111) कृषि

---

2 शर्मा ए डी एव गीतिका, किताब महल, गैट–डब्लू टी ओ 1995, पृष्ठ 8–9

(iv) सफाई एव पौध सुरक्षा प्रावधान।

(vi) टेक्सटाइल एव कपडा।

(vi) व्यापार के तकनीकी अवरोध।

(vii) विनियोग तथा उद्योग सम्बन्धी व्यापार।

(viii) प्रति राशिपातन।

(ix) उद्गम के नियम।

(x) सहायिकी एव प्रतिरोधी उपाय।

(xi)सेवाओ मे व्यापार।

(xii) बौद्धिक सम्पदा सम्बन्धी व्यापार।

(xiii) एकीकृत विवाद निपटारा।

(xiv) व्यापार नीति पुनरसमीक्षा तत्र।

उरूग्वे दौर के वार्ता समूह :

उरूग्वे दौर की कार्यसूची बहुत ही जटिल है। वस्तु व्यापार पर वार्ता करने के लिए ही 15 समूह बनाये गये जबकि सेवा व्यापार के सदर्भ मे अन्य समूह वार्ता करने के लिए गठित किए गये। उरूग्वे दौर मे इस बात की भी व्यवस्था की गयी है कि अवाछित तिर्पक क्षेत्रीय मॉग को बचाने के लिए सतुलित रियायतो की व्यवस्था की जाय।[3]

अभी तक गैट की जितनी भी बैठके हुई थी उनमे से यह सबसे प्रभावी बैठक थी। पिछली सभी बैठको को केवल औद्योगिक वस्तु व्यापार के उदारीकरण को लेकर ही चर्चा होती रही। परन्तु उरूग्वे बैठक मे इनके साथ–साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न

3 साडस्टन वी ओ एव रीड, इन्टर नेशनल इकोनॉमिक्स, मैकमिलन 1994, पृष्ठ 367–368।

पहलुओ पर चर्चा हुई और गैट की परिधि मे कुछ नवीन क्षेत्रो को लाने का प्रस्ताव किया गया। साथ ही नये क्षेत्रो जैसे कि कृषि, सेवाए, बौद्धिक सम्पदा एव व्यापार सम्बन्धी विनियोग प्रावधानो ट्रिप्स को भी वार्ता मे लाया गया।

व्यापार समझौता समिति द्वारा समझौते के तहत निम्न विषयो पर बातचीत तय की गई[4]। 1 टैरिफ 2 नान टैरिफ उपाय 3 उष्णकटिबन्ध उत्पाद 4 नैसर्गिक सम्पदा उत्पाद 5 वस्त्र 6 कृषि 7 गैट सबधी वस्तुए 8 सरक्षण 9 बहुपक्षीय व्यापार समझौते और व्यवस्थाएँ। 10 आर्थिक सहायता 11 विवाद समझौते 12 ट्रिप्स 13 ट्रिप्स 14 गैट की कार्य प्रणाली 15 अन्य सेवाएँ।

सम्पूर्ण बातचीत के लिये एक व्यापार वार्ता समिति गठित की गई इस समिति मे दो अध्यक्ष थे एक मत्री स्तर का तथा दूसरा अनुसचिवीय स्तर का। इसी के पश्चात गैट के महानिदेशक आर्थर डकल को अनुसचिवीय स्तर पर टी एन सी का चेयरमैन बनाया गया। जो क्षेत्र वस्तुओ के वार्ता के दायरे मे आते थे उनके लिये एक समूह बनाया गया और प्रत्येक 15 क्षेत्रो के लिये एक वार्ता समूह बनाया गया है जो कि जी एन श्री एव टी एन सी के प्रति जवाब उत्तरदायी है। तीसरी दुनिया के राष्ट्रो जैसे की भारत तथा ब्राजील के विरोध के कारण सेवा क्षेत्र के लिये एक अलग वार्ता समूह बनाया गया।

---

4 वही,

उरुग्वे दौर के वार्ता समूह

व्यापार प्रतिबन्ध एव सम्बन्धित मुद्दे	**क्षेत्र विशेष**
सहायिकी एव क्षतिपूरक उपाय	कृषि
गैर–तटकर उपाय	प्राकृतिक ससाधन उत्पाद
सुरक्षात्मक/बचाव के उपाय	सेवाए
तटकर	कपडा, सम–शितोष्ण वस्तुए
विधि/प्रक्रिया	**अन्य**
विवाद निपटारा गैट के अनुच्छेद गैट की कार्यशैली बहुपक्षीय व्यापार वार्ताए	बौद्धिक सम्पदा सम्बन्धी व्यापार, विनियोग तथा उद्योग सम्बन्धी व्यापार।

यद्यपि आठवे चक्र की वार्ता को 1990 के अत तक पूर्ण हो जाना था परन्तु अनुसचिवीय स्तर की बैठक जो कि दिसम्बर मे ब्रसेल्स मे हुई इसमे किसी भी निष्कर्ष पर नही पहुँचा जा सका क्योकि कृषि को लेकर असमजस की स्थिति बरकरार थी। वार्ता कुछ समय के लिये स्थगित कर दी गयी और 26 फरवरी 1991 मे टी0एन0सी0 ने व्यापार वार्ता पुन प्रारम्भ करने का निर्णय किया। समझौता वार्ता को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से मूल 15 क्षेत्रो को 7 नये क्षेत्रो मे समायोजित कर दिया गया। 1 कृषि 2 वस्त्र 3 सेवा 4 नियम निर्माण 5 ट्रिम्स तथा ट्रिप्स 6 विवाद सुलझाना 7 बाजार व्यवस्था की बढोत्तरी।[5]

---

5 *Indian Economic reform and beyond, Page 171*

इस समायोजक को बेहतर ढग से समझा जा सकता है यदि मूल 15 क्षेत्रो को तीन प्रासगिक समूहो मे विभाजित किया जाये[6] प्रथम विशेष व्यापार प्रतिबन्धो पर कमी लाना तथा बाजार व्यवस्था की बढोत्तरी करना द्वितीय गैट सबधी दायरो को मजबूत करना। तृतीय सभी नये क्षेत्रो जैसे 'ट्रिप्स 'ट्रिम्स' और सेवाए।

गैट–1994

विश्व अर्थव्यवस्था मे हुए परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में और नए सिद्धान्तो के उदभव के साथ उरूग्वे दौर की वार्ता जो 1986 मे शुरू हुई जिसे हम अन्तिम एक्ट या 'गैट 1994' के नाम से जानते है। इसके द्वारा विश्व की व्यापार व्यवस्था मे एक नया आयाम आया।

यह विदित है कि गैट स्वय 1948 मे शुरू किया गया था और यह अमरीका के आपसी व्यापार समझौता अधिनियम का निस्तारण था। मूलत यह अमरीका तथा उसके व्यापरिक साथियो (देशो) के बीच आपसी बातचीत के लिये था जिसे राष्ट्रपति टूमैन कई देशो पर लागू करना चाहते थे। यद्यपि गैट के लगभग 50 वर्ष जन्म लिये हो गए है परन्तु इसने अभी भी अपने जन्मगत स्वाभाव नही छोडा है। यह सत्य है कि जितनी भी आगामी गैट वार्ता के दौर हुए उन सभी मे अमरीकी व्यापार अधिनियम, जो समय समय पर पारित होते रहे है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे अपना प्रभाव डालते रहे है।

---

6 वही, पृष्ठ 171

अन्तिम एक्ट एक भारी दस्तावेज है जिसमे व्यापार के लिये कई गैर पारम्परिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है पूरे विश्व मे डकल प्रस्ताव और अब अन्तिम एक्ट पर जो प्रतिक्रियाऐ व्यक्त की जा रही है वे भावनात्मक अधिक है जो कि प्राविधानो को पूरी तरह से ने समझ पाने के कारण है। यह एक अधे द्वारा हाथी के विभिन्न हिस्सो को छूकर हर को हाथी ही समझने जैसा है। वर्तमान स्थिति मे विश्व व्यापार मे सेवा क्षेत्र का अत्यन्त तीव्रगति से विकास हो रहा है।

उरूग्वे दौर : डंकल प्रस्ताव के विभिन्न प्रावधान :

गैट के पूर्व सम्मेलनो मे औद्योगिक उत्पादो के व्यापार विस्तार हेतु प्रशुल्क को कम करने का प्रावधान था और कृषि एव बागवानी क्षेत्र, गैट के प्राविधान मे सम्मिलित नही थे। गैट प्राविधान लागू होने के पश्चात् सदस्य देश की कृषि को भी गैट व्यवस्था के अनुरूप व्यस्थित किया जा सकेगा।

विगत दो दशको मे भारतीय कृषि परिदृश्य मे नाटकीय परिवर्तन आये है। हमने अपनी खाद्यान्न की समस्या का लगभग समाधान कर लिया है और कृषि क्षेत्र मे एक स्थायित्व आया है यद्यपि कृषि उत्पादन मे स्थिरता की स्थिति नही आई है फिर भी हम निर्यात करने की स्थिति मे पहुच गए है। आज इस बात पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि हम उच्च स्तर के कृषि उत्पादो का निर्यात करे और उससे जो विदेशी मुद्रा अर्जित हो उसे हम सस्ती वस्तुओ की खरीद के लिये उपयोग करे। कृषि उत्पादनो के

निर्यात से जहॉ एक ओर हम देश के बकाया धनभुगतान की स्थित को सुधारने के लिये नगद मुद्रा अर्जित करते है वही दूसरी ओर कृषको को अधिक एव बहतर उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहित करते है।

भारतीय कृषि को विश्वव्यापी बनाने के पीछ मकसद ह कि किसाना का बहतर लाभ मिले साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र को विकास के लिये जरूरी आर्थिक फायदा हो पर दुर्भाग्य से हम इन सब को पाने के लिये विश्व समुदाय का सरक्षण चाहते है। यदि कृषि को व्यापार मुखी बनाना है तो हमारे किसानो को भीतरी तथा बाहरी दोनो जगहो पर प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा।

डकल प्रस्ताव पर आधारित गैट समझौते की आठव दोरे की वार्ता बहुत ही सही समय पर हुई है क्योकि इसी समय भारत ने भी नई आर्थिक नीतियो की घोषणा की है।

डंकल प्रस्ताव में कृषि व्याख्या

भाग (क) कृषि पर उरूग्वे दौर की वार्ता

भाग (ख) सुधार कार्यक्रम पर विशेष बधीकरण प्रक्रिया पर समझोता।

भाग (ग) सफाई और पौध सुरक्षा उपायो को लागू करने हेतु समझौता करने वाली पार्टियो द्वारा निर्णय।

भाग (घ) पूर्ण खाद्य आयात करने वाले विकासशील देशो के सुधार कार्यक्रम पर पडने वाले सभावित नकारात्मक प्रभाव पर उपाय।

भाग (क)

कृषि पर उरूग्वे दौर वार्ता मे कई निर्णय लिए गये[7]

1 सभी भाग लेने वालो ने निर्णय लिया कि पुन्टाडेल ऐस्टेट घोषणा के अतरगत कृषि मे व्यापार पर सुधार प्रक्रिया चालू की जाय। इस बात पर ध्यान दिया जाये जिसमे दीर्घ कालीन उद्देश्यों के लिये मध्यावधि समीक्षा समझौता के अतर्गत एक साफ एव बाजार मुखी कृषि व्यापार प्रणाली तैयार की जाये और साथ ही एक सुधार कार्यक्रम चालू किया जाये जिसके अतर्गत गैट नियम एव कानूनो को अधिक प्रभावी सुदृढ, व्यापक और मजबूत बनाया जाय।

2 इस बात पर भी ध्यान दिया जाय कि उपर्युक्त प्रस्तावित दीर्घ कालीन उद्देश्य मे एक सुनिश्चित समय मे कृषि पर सहायता एव सरक्षण के लिये प्रगतिशील कटौती की जाये ताकि विश्व कृषि मण्डियो मे जो उतार–चढाव है उसे समाप्त किया जाय।

3 उद्देश्यो को प्राप्त करने हेतु प्रतिज्ञाबद्ध बाजार प्रवेश, स्वदेशी सहायता निर्यात प्रतिस्पर्धा और सेनेटरी तथा फाइटोसेनटरी मुद्दो पर समझौता करना।

---

7 *Dunkel Draft, Page I-1*

4 इस बात पर ध्यान दिया जाय कि सभी भाग लेने वालो के मध्य सुधार कार्यक्रम मे बराबर की भागीदारी हो जिसमे गैर व्यापारिक बातो पर ध्यान दिया जाये जिसके अतर्गत खाद्य सुरक्षा एव पर्यावरण सरक्षण शामिल है और विकासशील देशो को विशेष ध्यान दिया जाय तथा पूर्ण खाद्य आयातित विकासशील देशो द्वारा सुधार कार्यक्रमो मे पडने वाले नकारात्मक प्रभाव को भी ध्यान मे रखा जाय।

विभिन्न पौधो को पेटेन्ट करना

विभिन्न प्रकार के पौधो को पेटेन्ट करना ट्रिप्स समझौते मे एक प्रमुख दूरगामी प्रक्रिया है। विकासशील राष्ट्रो मे कृषि कार्य, जीवन निर्वाह तथा अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाये रखने का साधन है। अपने बीजो के प्रयोग के लिये किसानो के अधिकार की रक्षा करना और कीट नियत्रक का इस्तेमाल, कृषि उत्पादन मे वृद्धि का कारण है और इन राष्ट्रो के खाद्यानो मे आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।[8]

पौधो के सरक्षण व पेटेन्ट के विषय मे किसी देश के द्वारा प्रभावशाली पद्धति अपनाई जाती है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय मानक से मेल खाती है और वह मानक (नये किस्म के पौधो के सरक्षण) के सम्मेलन मे तय किया गया।

उत्पाद विशिष्टता की वचनबद्धता :

---

8 Dubey, Muchkund An Unequal Treaty 1996, Page 37

डकल प्रस्ताव के कृषि सम्बन्धी अध्याय एल के परिशिष्ट 8 मे उत्पाद वर्णन की वचनबद्धता के समबन्ध मे बताया गया है। जहॉ पर भी निर्यात के उत्पादो को सहायिकी परिशिष्ट 7 के पैराग्राफ 1(a) से 1(e) तक मे बताया गया है कि उन सभी उत्पादो या उत्पाद समूहो के लिये उनका वर्णन और मात्रा भी निर्धारित की जायेगी[9] खास तौर पर 1 गेहूॅ और आटा 2 मोटे अनाज 3 चावल 4 तिलहन 5 वनस्पति तेल 6 तेल केक 7 चीनी 8 मक्खन, घी 9 पाउडर दूध 10 पनीर 11 अन्य दुग्ध पदार्थ 12 ढोर मास 13 सुअर मास 14 पोलट्री मास 15 भेड मास 16 जिन्दा जानवर 17 अण्डे 18 वाइन 19 फल 20 सब्जी 21 तम्बाकू 22 कपास।

सेनेटरी एव फाइटोसेनेटरी उपाय

सेनेटरी और फाइटोसेनेटरी उपायो से सबधित निर्णय मे इस बात पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये कि ये निर्णय स्वास्थ्य तथा जीव-जन्तु हितो को हानि न पहुॅचाये। हालाकि अधिकतर भाग लेने वालो का मानना था कि इस निर्णय के अतर्गत केवल कुछ ही बाते स्वास्थ्य सबधी है और अन्य उपभोक्ता बातो के साथ जीव हित के लिये अलग से प्रपत्र तैयार किये जा सकते है।

सेनेटरी एव फाइटोसेनेटरी उपायो के क्रियान्वन के लिये पार्टियों द्वारा निर्णय

---

9 Dunkel Draft, Page L-34

सभी सविदा करने वाली पार्टिया इस तथ्य को मानती है कि किसी को भी मानव, जैव एव वनस्पति जीवन और स्वास्थ्य के लिये आवश्यक उपाय अपनाने से नही रोका जायेगा परन्तु यह भी देखा जायेगा कि यदि समपरिस्थितिया हैं तो देशो के बीच कोई भेदभाव नही हो रहा है या छिपे तौर पर अतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रूकावट पैदा हो रही है।[10]

इस बात की अपेक्षा की जाती है कि सभी सविदा करने वाली पार्टियो के यहा मानव स्वास्थ्य, जैव स्वास्थ्य तथा फाइटोसेनेटरी स्थितियो मे सुधार लाया जाय।

इसको ध्यान दिया जाये कि दो पक्षीय समझौते और प्रोटोकालो के आधार पर सेनेटरी एव फाईटोसेनेटरी उपायो को लागू किया जाये।

अपेक्षा की जाती है कि सेनेटरी एव फाइटोसेनेटरी उपायो का व्यापार मे नकारात्मक प्रभाव कम से कम पडे इसके लिये बहुपक्षीय नियम एव कानून बनाये जाये।

इस सबध मे अतर्राष्ट्रीय मानक दिशा निर्देश तथा सुझाव पर ध्यान देना[11] तथा अतर्राष्ट्रीय एव क्षेत्रीय सगठन जो जो अतर्राष्ट्रीय पौध सरक्षण सुधार के अर्न्तगत कार्य

---

10 वही, पृष्ठ L-35

11 वही, पृष्ठ L-35

कर रहे है उन्ही के आधार पर सम्बन्धित पार्टियो से अपेक्षा की जाती है कि वे भी सेनेटरी एव फाइटोसेनेटरी उपायो को लयबद्ध तरीके से लागू करेगे।

यह माना जाये कि विकासशील सविदा पार्टियो को सेनटरी एव फाइटोसेनटरी उपाय लागू करने मे खास परेशानी होगी अत इससे निपटने के लिये उन्हे विशेष सहायता प्रदान की जाय।

सामान्य समझौता के प्राविधानो को लागू करने वाले नियमो जो सेनेटरी एव फाइटोसेनेटरी उपायो से सबधित है और खास तौर पर अनु० xx(b) के प्रविधानो से उन नियमो को आगे बढाया जाये। इस सम्बन्ध मे निम्न निर्णय लिए गये।

यह निर्णय उन सभी सेनेटरी एव फाइटोसेनेटरी उपायो पर लागू होगा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे अतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते है के सम्बन्ध मे ऐसे उपाय किये जायेगे जो निर्णय को लागू कर सके। इस निर्णय के लिये ड्राफ्ट के परिशिष्ट 'A' मे दी गई परिभाषाये लागू होगी।

सभी परिशिष्ट इस निर्णय के आतरिक हिस्से है।

यह निर्णय पक्षकारो के उन अधिकारो पर प्रभाव डालेगा जो व्यापार समझौते के तकनीकी अवरोध से सबधित है। इसमे मूलाधिकार एव दायित्व के विषय मे निम्न व्यवस्था की गयी है –।[12]

1 इसमे अधिकार एव दायित्व के विषय मे भी निम्न सभी सविदा करने वालो पक्षकारो को अधिकार है कि जो मानव जैव, तथा वनस्पति जीवन या स्वास्थ्य के लिये सेनेटरी तथा फाइटोसेनेटरी उपायो को अपनाये बशर्ते यह उपाय इस निर्णय के प्राविधानो से असगत न हो।

2 सभी सविदा, पार्टियो को इस बात का ध्यान देना होगा कि सेनेटरी तथा फाइटोसेनेटरी उपाय उसी सीमा तक लागू हो जहॉ तक मानव, जैव एव वनस्पति जीवन तथा स्वास्थ्य के लिये आवश्यक हो और वे वैज्ञानिक मान्यताओ पर आधारित हो तथा उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य के विरूद्ध न हो।

3 समपरिस्थितियो मे सविदा करने वाली पार्टियो द्वारा सेनेटरी तथा फाइटोसेनेटरी उपाय लागू करने मे भेदभाव नही होना चाहिये और यह भी जरूरी है कि वे परोक्ष रूप से अतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रूकावट नही डाले।

---

12 वही पृष्ठ एल –36

4 यह माना जायेगा कि इस निर्णय के अतर्गत सेनेटरी एव फाइटोसेनेटरी उपाय सभी सविदा पार्टियो के दायित्वो के आधार पर है जो कि सामान्य समझौता के प्रविधानो के अतर्गत आते है और जो सेनेटरी एव फाइटोसेनेटरी उपायो के उपयोग से सबधित है, मुख्यत अनु० xx(b) मे दिये गये प्राविधानो से।

डंकल प्रस्ताव और बौद्धिक सम्पदा अधिकार :

बौद्धिक सम्पदा का आशय यह है कि किसी व्यक्ति या निगम के द्वारा आविष्कार करना और अधिकार से तात्पर्य यहाँ यह है कि अविष्कार का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति या निगम के द्वारा प्रयोग करने के पूर्व मे आविष्कारकर्ता से अनुमति प्राप्त करना तथा आविष्कारकर्ता को अनुमति प्रदान करने के प्रतिफल के रूप मे शुल्क प्राप्त करने के अधिकार से सुसज्जित करना है।

वर्ष 1980 के प्रारम्भ तक बौद्धिक सम्पदा अधिकार की रक्षा को एक व्यापार व्यवस्था के पहलू के रूप मे कभी नही सोचा गया था। दोनो विकसित और विकासशील राष्ट्र जानते थे कि नव परिवर्तन के लिये पारितोषिक और प्रोत्साहन के रूप मे बौद्धिक सम्पदा का अधिकार खासकर पेटेन्ट के लिये भुगतान आवश्यक है। परिवर्तन और स्वदेशी तकनीकी के विकास मे तथा औद्योगीकरण के उपकरण के रूप मे साधन की तरह पेटेन्ट पर जोर दिया जाता था। जनता की रूचि ने भी स्थाई रूप से प्रमाणित किया और पेटेन्ट के उत्पादन की उचित दर पर आपूर्ति भी। इन्ही कारणो से

कई राष्ट्रो ने पेटेन्ट के लिये कानून का निर्माण किया। जिसका उद्देश्य पेटेन्ट प्राप्त करता और जनता के बीच सन्तुलन बनाना है। पेटेन्ट का कार्य करने के लिये आवश्यक अधिकार का विधान समाहित था जैसे पेटेन्ट उत्पादन का स्थानीय निर्माण और केवल सवेदनशील आर्थिक क्षेत्रो मे पेटेन्ट प्रक्रिया की स्वीकृति।[13]

भारत सहित कई विकासशील देश औद्योगिक सम्पदा की सुरक्षा (1967) के लिये पेरिस रिवाज पर दृढ नही रहे क्योकि वह सोचते थे कि यह उनकी औद्योगिक नीति के रूप मे आयेगी। भारत मे कई बार सघीय मत्रिमडल के द्वारा विचार के लिये पेरिस रीति पर मूल्य निर्धारण का प्रश्न आया। प्रत्येक बार मत्रिमडल ने मूल्य निर्धारण के लिये प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 1970 के अन्त और 1980 के प्रारम्भ मे अकटाड के शुरू मे विकासशील देशो ने पेरिस रिवाज मे परिवर्तन लाने की कोशिश किया विशेषतया पेटेन्ट के कार्यो को पेटेन्ट प्राप्त कर्ता के आधार के रूप मे उनके विकास आवश्यकताओ और प्राथमिकताओ को दिखाना।

यह भी सत्य है कि नव ज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्तमान मे बडी तेजी से चारोओर फैल रही है। नव ज्ञान पाने की क्षमता विश्व स्तर पर बढ गयी है बहुत से विकासशील राष्ट्रो ने नव ज्ञान और प्रौद्योगिकी को कुशलता पूर्वक बढाने की क्षमता निर्मित की है।

---

13 Dubey, Muchkund An Unequal Treaty, 1996, Page 20

ट्रिप्स समझौता और भारत के पेटेन्ट अधिनियम 1970 के बीच तुलना :

1. भारतीय अधिनियम बहिष्कृत करता है कि आंणविक ऊर्जा, कृषि, बागवानी और जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया और पेटेन्ट के उत्पादनों को। ट्रिप्स समझौता इन सारे तरीकों और उत्पादनों को पेटेन्ट के योग्य बनाता है।

2. भारतीय अधिनियम के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक पेटेन्ट, दवायें, ड्रग्स व रासायनिक उत्पादों को स्वीकृत क़रता है। जब कि ट्रिप्स समझौता इन तमाम क्षेत्रों में उत्पादक पेटेन्ट की स्वीकृत प्रदान करता है।

3. भारतीय अधिनियम के अनुसार जहां प्रक्रियात्मक पेटेन्ट की अवधि मात्र 5—7 वर्षों तक उत्पादन के लिये तथा 14 वर्ष के लिये होती है वहीं ट्रिप्स समझौते के अन्तर्गत यह 20 वर्षों के लिये हो जायेगी।

4. भारतीय पेटेन्ट अधिनियम में प्रभावशाली प्रक्रियायें उपलब्ध हैं जिसे अनुज्ञा का अधिकार कहते हैं जब कि ट्रिप्स समझौते के अन्तर्गत आवश्यक अनुज्ञा अथवा अधिकार के अनुज्ञा अथवा पेटेन्ट के खण्डन के लिये कोई ऐसा खास विधान नहीं है।

बौद्धिक सम्पदा व्यापार सम्बन्धी अधिकार के प्रकार ·

ट्रिप्स सात तरह की होती है। यथा कापीराइट ट्रेड मार्क व्यापार गोपनीयता, उद्योग डिजाइन, इन्टीग्रेटेड सर्किट्स, ज्योग्राफिकल इडीकेशन्स और पेटेन्ट्स सिवाय पेटेन्ट्स के बाकी सभी के लिये हमारे यहा वही नीतिया, नियम और कानून है जो कि विश्व के अन्य देशो मे प्रचलित है। डकल प्रस्ताव मे बताए गए पैमाने भारतीय पेटेन्ट्स एक्ट 1970 से काफी भिन्न है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार उन वैज्ञानिको एव पौधे उगाने वालो के लिये वरदान है जो कि नई किस्म के पौधो के अनुसधान मे लगे हुए है। इसमे कोई शक नही है कि यह तरीका हमारे देश के लिए नया है। परन्तु यूरोप मे सन् 1961 से पौधो के किस्मो के सरक्षण के लिये कई नियम है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्तन :

व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा अधिकार (ट्रिप्स) पर विश्व व्यापार सगठन समझौता इस तथ्य को मानता है कि बौद्धिक सम्पदा अधिकार के सरक्षण तथा प्रवर्तन मे काफी भिन्नताए है तथा जाली वस्तुओ के अतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक हेतु बहुपक्षीय कानूनो की कमी के कारण अतर्राष्ट्रीय आर्थिक सबधो मे तनाव बढता जा रहा है। इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए यह समझौता गैट के उद्देश्यो को लागू करना चाहता है। समझौते का भाग 1 सामान्य प्रविधानो और मूल उद्देश्यो का वर्णन करता है खास तौर पर एक राष्ट्रीय प्रबध वादा जिसके अतर्गत बौद्धिक सम्पदा अधिकार के सरक्षण के

लिये विदेशी नागरिको को वही सहूलियत प्रदान की जायेगी जैसी की एक राष्ट्र अपने नागरिको को देता है। इसके अतर्गत परममित्र राष्ट्रो का उप—नियम आता है जिसके अतर्गत यदि कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य देश के नागरिक को कोई खास लाभ देता है तो वैसी ही सहूलियत अन्य सदस्यो के नागरिको को भी देनी होगी चाहे इस तरह का प्रबध स्वदेशी नागरिको की अपेक्षा विदेशियो के लिये अधिक ही क्यो न हो।

समझौते के भाग II मे विभिन्न प्रकार के बौद्धिक सम्पदा अधिकार का वर्णन है। यह इस बात पर जोर देता है कि सभी सदस्य देशो मे बौद्धिक सम्पदा सरक्षण की पूर्ण व्यवस्था है। यहा आरम्भिक बिन्दु विश्व बौद्धिक सम्पदा सगठन के पूर्व चली आ रही परम्पराओ को माना गया, जैसे कि बौद्धिक सम्पदा सरक्षण हेतु जिन मुद्दो पर प्रचलित पेरिस सम्मेलन चुप है या पूर्ण नही है उन पर इस समझौते मे नवीन ऊँचे स्तर के नियम जोड दिये गये है।

कापीराइट के विषय मे यह समझौता मानता है कि कम्प्यूटर प्रोग्रामो को वर्न सम्मेलन के तहत साहित्यिक कार्य के रूप मे सरक्षित किया जायेगा और यह भी बताया गया है कि कैसे डाटा बेसो को सरक्षित किया जाय।

काफी राइट के अतर्राष्ट्रीय नियमो मे एक खास पहल की गई है कि वह भाडे या किराये के अधिकार का प्राविधान कम्प्यूटर प्रोग्रामो के रचयिता तथा ध्वनि सग्राहक को अधिकार दिया गया है कि वे अपनी कृति को जनता के लिये व्यापारिक भाडे पर

किसी को दे सकते है अथवा देने से मना कर सकते है। इसी प्रकार के अधिकार फिल्मो पर लागू होते है। साउण्ड रिकार्डिग के प्रोड्यूसरो को अधिकार होना चाहिये कि अपनी रिकार्डिग के पुर्नप्रोडक्सन पर 50 वर्षो तक के लिये प्रतिबध लगा सके।

यह समझौता यह भी बताता है कि ट्रेडमार्क या सेवा मार्क के लिये कौन से चिन्ह सरक्षित किये गये है और उनके मालिको के लिये न्यूनतम् अधिकार कैसे होने चाहिये। जो मार्क किसी राष्ट्र मे काफी प्रचलित हो चुके है उन्हे अतिरिक्त सरक्षण प्राप्त है। यह समझौता ट्रेडमार्क और सेवा मार्क के लिये कई दायित्वो का वर्णन करता है उनके सरक्षण की शर्ते तथा उनके लाइसेन्स देने के नियम। उदाहरण के लिये, सामान्य नियम के तहत विदेशी मार्क, लोकल मार्को के साथ उपयोग नही किये जा सकते है।

भौगोलिक चिन्हो के सबध मे सदस्यो को चाहिये कि वे ऐसे चिन्हो के उपयोग को रोके जिनसे वस्तु की उत्पत्ति को लेकर उपभोक्ता भ्रमित होता है और किसी भी प्रकार के उपयोग से गलत प्रतिस्पर्धा को बढावा मिले। वाइन और स्प्रिट के भौगोलिक चिन्हो को उच्च स्तरीय सरक्षण प्राप्त है। कुछ अपवाद इसमे भी है। वाहन के भौगोलिक चिन्हो के लिये बहुपक्षीय प्रणाली हेतु भविष्य वार्ता का भी प्रबध है।

समझौते के तहत औद्योगिक डिजाइनो को 10 वर्ष का सरक्षण प्राप्त है। सरक्षित डिजाइनो के स्वामियो को अधिकार प्राप्त कराया जाना चाहिये कि वे सरक्षित डिजाइन की प्रतिलिपि के उत्पादन बिक्री तथा आयात पर प्रतिबध लगा सके।

जहाँ तक पेटेन्टो का सबध है, समझौते के तहत 20 वर्षीय सरक्षण सभी प्रकार की तकनीको के सभी खोजो पर उपलब्ध कराया जाये। पेटेन्टीकरण से अविष्कारो को अलग रखा जा सकता है यदि जन आदेश या नैतिकता के कारणो से उनके वाणिज्यिक इस्तेमाल पर रोक है। पेटेन्ट प्रक्रिया के लिये जो अधिकार दिये गये है वे उन उत्पादो पर भी सीधे लागू किये जाने चाहिये जो इस प्रक्रिया से प्राप्त किये गये है। कुछ दशाओ मे न्यायालय इस बात की आज्ञा दे सकते है कि इसका प्रमाण किया जाये कि पेटेन्ट प्रक्रिया का उपयोग नही किया गया है।

'ले आउट डिजाइन्स आफ इन्टीग्रेटेड सर्किट्स' के सरक्षण के सम्बन्ध मे सदस्यो को चाहिये कि वे वाशिगटन सधि जो बौद्धिक सम्पदा के इन्टीग्रेटेड सरकिट्स के सम्बन्ध मे मई 1989 मे की गयी के आधार पर सरक्षण प्रदान करे। इसके साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है जैसे– कम से कम 10 वर्ष का सरक्षण दिया जाना, उन सभी वस्तुओ पर ये अधिकार हो जो 'इनफ्रिन्जिग ले आउट डिजाइन्स को समाहित करते है, स्वार्थहीन इन्फ्रीजर्स को इस बात की छूट होनी चाहिये कि वे सारे

बचे माल का उपयोग कर सके या फिर उसे बेच सके पर इसके लिये उसे उपयुक्त रायलटी देनी होगी।

व्यापार गोपनीयता तथा जानकारी जिसका वाणिज्यिक महत्व है उसे विश्वास भग तथा अन्य कार्य जो सच्चे व्यापारिक प्रक्रिया के विरूद्ध हो सरक्षण प्रदान करना आवश्यक है। औषधि एव कृषि रसायनो पर हुये परीक्षण जो सरकारी मजूरी के लिये प्रेषित हो उन पर भी सरक्षण दिया गया है। सविदा लाइसेन्सो की गैर–प्रतियोगी प्रक्रिया के लिये सदस्यो को अधिकार प्राप्त है तथा सरकारो को भी छूट है कि वे बौद्धिक सम्पदा अधिकार के गलत उपयोग पर रोक हेतु आपसी वार्ता कर सकते है।

समझौते का भाग III प्रवर्तन से सबधित है इसमे कहा गया है कि सरकारो को चाहिये कि वे स्वदेशी नियमो के अन्तर्गत ऐसे उपाय तथा प्रक्रिया अपनाये जिसके द्वारा बौद्धिक सम्पदा अधिकार को अच्छी तरह से लागू किया जा सके। ये प्रक्रिया सीधी, सस्ती तथा समय बचाने वाली हो।

व्यवहार तथा प्रशासनिक प्रक्रिया तथा उपाय जो यहा बताए गए हैं उनके अतर्गत साक्ष्य, तदर्थ उपाय, निर्देश, क्षतिपूर्ति और अन्य उपाय के प्राविधान आते है जिसके अतर्गत न्यायिक अधिकारी प्रतिबधित वस्तुओ के विक्रय या नष्टीकरण का आदेश दे सकते है साथ ही ट्रेडमार्क के गलत उपयोग या कापीराइट पाइरेसी पर सदस्यो को चाहिये कि वे दण्डात्मक नियम व कानून बनाये। इसके अतिरिक्त सदस्यो

को चाहिये कि अधिकार धारक के जाली तथा चुराये गये वस्तुओ के आयात पर कस्टम अधिकारियो की सहायता प्राप्त कर सके।

बीच के समय के लिये समझौते के अनुसार विकसित राष्ट्रो को अपने यहॉ के विधेयक तथा प्रक्रिया को समरूप बनाने हेतु एक वर्ष का समय दिया जाता है। विकासशील देशो के लिये पाच वर्ष तथा अल्प विकसित राष्ट्रो को 11 वर्ष का समय दिया गया है।

जिन विकासशील देशो के यहा उत्पादन पेटेन्ट सरक्षण की व्यवस्था नही है उन्हे 10 वर्ष का समय दिया गया है कि इसकी व्यवस्था वे इस अतराल मे कर ले। वस्तु, औषधि, एव कृषि रसायनो के सम्बन्ध मे ऐसी व्यवस्था नही की गई है। यदि परिवर्तन के समय मे किसी औषधि या कृषि रसायन के व्यापार के लिये अधिकार प्राप्त कर लिया गया हो तो उक्त विकासशील राष्ट्र को चाहिये कि वह पाच वर्षो के लिये या जब तक उत्पाद का पेटेन्ट नही करा लिया जाता है, इन दोनो मे से जो पहले पूर्ण होता है उसके लिये विशेष बिक्री अधिकार दिये जाने चाहिये।

कुछ विशेष प्रमुख अपवादो को छोडकर सामान्यत इस समझौते के दायित्व सभी बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर लागू होगी और साथ ही नये पर भी लागू होगे। सरकारो द्वारा अनुपालन और समझौते को लागू करने हेतु व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा अधिकार परिषद का गठन किया गया है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार के व्यापार सबधित पहलू पर समझौता[14] ·

भाग I सामान्य प्राविधान तथा मूलभूत सिद्धान्त।

भाग II बौद्धिक सम्पदा अधिकार की उपलब्धता दायरा एव प्रयोग से सबधित स्तर।

1 कापीराइट तथा सबधित अधिकार

2 व्यापार चिन्ह

3 भौगोलिक चिन्ह

4 औद्योगिक डिजाइन्स

5 पेटेन्ट्स

6 इन्टीग्रेटेड सर्किटस के ले आउट डिजाइन

7 प्रकट न की गई सूचना का सरक्षण

8 प्रतियोगिता विरोधी कार्यो का नियत्रण

भाग III बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रवर्तन

भाग IV बौद्धिक सम्पदा अधिकार का ग्रहण एव रखरखाव और सबधित अन्त पक्षकार प्राविधान

भाग V विवाद निस्तारण और विवादो को रोकना

भाग VI परिवर्तन व्यवस्था

भाग VII सस्थाओ के सिद्धान्त सबधी व्यवस्था।

---

14 वही पृष्ठ 57

बौद्धिक सम्पदा अधिकार के अतर्गत सभी पक्षकार जो अतर्राष्ट्रीय व्यापार मे रूकावटो और कमियो को दूर करना चाहते है और जो इसे पूर्ण सरक्षण प्रदान करना चाहते है वे यह भी ध्यान देगे कि वे स्वय व्यापार मे बाधा नही पहुँचायेगे।

इस सम्बन्ध मे वे सभी नियम और कानून को मान्यता है जो कि –

(a) गैट के मूलभूत सिद्धान्तो और अतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा समझौतो के अनुरूप लागू हो।

(b) पूर्ण स्तरीय प्राविधान तथा व्यापार सम्बन्धित बौद्धिक सम्पदा अधिकार के सिद्धान्तो की उपलब्धता, दायरा एव इस्तेमाल।

(c) व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रवर्तन के लिये सही और कारगर प्राविधान साथ ही विभिन्न राष्ट्रो के कानूनी प्रणालियो मे भेद।

(d) विभिन्न सरकारो के मध्य बहुपक्षीय विवादो पर रोक एव उनके निस्तारण के तेज और कारगर प्राविधानो को बनाना है, और

(e) वार्ता के परिणामो की पूर्ण भागीदारी के लिये परिवर्तन व्यवस्था को ध्यान मे रखना– बहुपक्षीय सिद्धान्तो, नियमो और कानूनो जो कि जाली वस्तुओ के अतर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित हो उनके लिये एक ढाचे को अभिस्वीकार करना।

– अभिस्वीकार करना कि बौद्धिक सम्पदा अधिकार निजी अधिकार है।

– बौद्धिक सम्पदा अधिकार की सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय नियमो के तहत सामाजिक नीतियो को अभिस्वीकार करना जिसके अतर्गत विकासशील एव तकनीकी उद्देश्य भी शामिल है।

–एक अच्छे तकनीकी आधार हेतु ऐसे नियमो का प्रतिपादन जिससे अल्प विकसित देशो की खास आवश्यकताओ की पूर्ति को अभिस्वीकार करना।

–व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा अधिकार के विवादो के निस्तारण हेतु बहुपक्षीय प्रक्रियाओ को अपनाना जिससे आपसी तनाव कम हो।

गैट तथा विश्व बौद्धिक सम्पदा सगठन के साथ–साथ अन्य अतर्राष्ट्रीय सगठनो के मध्य आपसी सहयोग की बढोत्तरी के लिये प्रयास करना।

वस्त्र एवं परिधान व्यापार समझौता :

सन् 1960 के आरम्भिक वर्षो से ही वस्त्र एव कपडा व्यापार को गैट के अतर्गत विशेष दर्जा दिया गया और विकसित राष्ट्रो को उद्योगो द्वारा झेली जा रही कठिनाईयो के कारण इसे विशेष नियमो के अतर्गत रखा गया। 1974 से यह बहुतन्तु समझौता परम मित्र राष्ट्र के अतर्गत शासित होता आ रहा है।

विकसित राष्ट्रो ने परम मित्र राष्ट्र के आधार पर दो पक्षीय वार्ता द्वारा या स्वय से ही वस्त्र एव कपडे के आयात पर प्रतिस्पर्धा वाले विकासशील देशो का कोटा निर्धारण कर दिया। इस क्षेत्र का विश्व व्यापार सगठन (गैट 1994) की मुख्य धारा मे समाकलन के लिये उरूग्वे दौर मे वार्ता की गई और इसे दस वर्ष के समय के अन्दर धीरे–धीरे लागू किया जायेगा। इसके लागू होने पर सूती रेशमी, एव सिन्थेटिक वस्त्रो परिधान एव तागो पर गैट के विधान लागू हो जायेगे। कई विकासशील देश यथा भारत, बाग्लादेश वस्त्र व्यापार मे अग्रणी रहे यह सोचा गया कि इससे विकासशील अर्थव्यवस्थाओ का वस्त्र व्यापार का क्षेत्र विकसित होगा तथा वस्त्र व्यापार एव अन्य वस्तुओ के व्यापार मे पूर्ण समन्वय स्थापित हो सकेगा।

बहुतन्तु समझौता प्रतिबध जो 31 दिसम्बर 1994 को थे वे नये समझौते मे शामिल कर लिये गये और तब तक रहेगे जब तक वे धीरे–धीरे बाहर नही कर दिये जाते और वस्त्र एव कपडा भी अन्य औद्योगिक उत्पादो की तरह गैट के नियम और कानून मे समाहित हो जाता है। इस समाकलन कार्यक्रम के चार चरण है –

1 प्रत्येक पार्टी जो 1 जनवरी 1995 को विशेष सूची से अनुकुलित की गई है और जो अपने वस्त्र एव कपडा आयात के कुल 16 प्रतिशत से कम न हो 1990 मे।

2 1 जनवरी 1998 को 1990 के आधार पर आयातित उत्पाद जो 17 प्रतिशत से कम न हो वे अनुकूलित कर लिये गये।

3 1 जनवरी 2002 को 1990 के आधार पर आयातित उत्पाद जो 18 प्रतिशत से कम न हो उसे अनुकूलित कर लिया जायेगा।

4 1 जनवरी 2005 को सभी बाकी उत्पाद सम्मिलित कर लिये जायेगे।

प्रत्येक प्रथम तीन चरणो मे निम्न श्रेणी मे से उत्पाद चुने जायेगे सूती वस्त्र तथा परिधान और बाकी बचे उत्पादो के लिये किसी भी स्तर पर समझौते मे एक फार्मूला दिया जा रहा है ताकि वृद्धि दर को बढाया जा सके। इस तरह प्रथम चरण (1995 से 1997 निहित) मे परम मित्र राष्ट्र दो पक्षीय समझौते पर प्रत्येक प्रतिबध पर 1994 के आधार पर सालाना वृद्धि 16 प्रतिशत से कम न हो। दूसरे चरण (1998 से 2001 निहित) मे वार्षिक वृद्धि दर 25 प्रतिशत अधिक चरण 1 से होनी चाहिये। तीसरे चरण (2002 से 2004 निहित) मे सालाना वृद्धि दर चरण दो से 27 प्रतिशत अधिक होनी चहिये।

किसी विश्व व्यापार सगठन सदस्य द्वारा कोई गैर परम मित्र राष्ट्र प्रतिबध रखा जा रहा है और जिसे गैट के अतर्गत उचित नही माना गया है तो उसे 1996 तक गैट के अधीन लाया जायेगा या फिर धीरे–धीरे उसे 2005 तक समाप्त कर दिया जायेगा। एक विशेष सुरक्षा व्यवस्था सदस्यो को प्रदान की गई है ताकि वे निर्यातक राष्ट्रो के विरूद्ध प्रतिबध लगा सके पर वे ऐसा तभी कर सकते है जब वे यह दिखा दे कि आयातित वस्तु जो अलग–अलग राष्ट्रो द्वारा की जा रही है वह स्वदेशी उद्योग को गम्भीर हानि पहुँचा सकती है।

कुछ राष्ट्रो के लिये विशेष व्यवस्था की गयी है जेसे कि उन देशो के लिये जो 1986 से परम मित्र राष्ट्र के सदस्य नही है, जो बाजार मे नय आये है तथा छोटे सप्लायर तथा अल्प विकसित राष्ट्र है। शेष सभी के लिये समझौतो मे ऐसे नियम व कानून बनाये। जो विश्व ब्यापार सगठन को शक्ति प्रदान करते है तथा तन्तु एव कपडा उत्पादो को बेहतर बाजार व्यवस्था कायम करने मे सहायता प्रदान करते है।

स्वास्थ्य तथा पौध सुरक्षा उपाय :

सेनेटरी तथा फाइटोसेनेटरी उपायो सम्बन्धित समझौते के अतरगत वे सभी प्रतिबन्ध आते है जो खाद्य सुरक्षा तथा जीव–जन्तु एव पौधो के स्वास्थ्य को प्रभावित करते है इस समझौते के अतर्गत सभी सरकारो को अधिकार है कि वे सेनेटरी एव फाइटोसेनेटरी उपायो को लागू करे परन्तु ये विज्ञान पर आधारित होने चाहिये और इन्हे तभी तक लागू किया जाये जब तक ये मानव, जैव, वनस्पति जीवन एव स्वास्थ्य पर कुप्रभाव न डाले। साथ ही समपरिस्थितियो मे सदस्यो को एक दूसरे के प्रति भेदभाव पूर्ण रवैया नही अपनाना चाहिये।

सेवा में व्यापार पर सामान्य समझौता (GATS)

सेवा व्यापार से अभिप्राय किसी देश द्वारा किसी सदस्य देश की सीमा मे उत्पादन वितरण, विनियम और भण्डार की सुविधा जैसी सेवाए प्रदान करने से है। इन सेवाओ के अन्तर्गत वित्तीय सेवाएँ, दूर सचार, यातायात और प्राविधिक सहयोग

आदि सम्मिलित है। गैट्स मूल रूप से एक बहुपक्षीय ढाचा है जो सिद्धातो एव नियमो, सेवा मे व्यापार की पारदर्शिता और प्रगतिशील उदारता को प्रस्तुत करता है।

सेवाओं में व्यापार विकास तथा निवेश के नियम :

गैट्स का अनु० (16) विदेशी बाजार के लिये विशिष्ट वादे करता है। इस अनु० मे व्यवस्था है कि क्षेत्र या उपक्षेत्र मे जहा बाजार आधिक्य के लिये कमिटमेट हुआ है कोई सदस्य निम्न को न कायम रख सकता है और न तो प्राप्त कर सकता है।[15]

1 सेवा प्रदाता की सख्याओ पर सीमा निर्धारण।

2 सेवा प्रवर्तन के मूल्य पर सीमानिर्धारण।

3 कुल सेवा उत्पादन की मात्रा।

4 प्राकृतिक व्यक्तियो की सख्या जो किसी खास सेवा मे लगे है।

5 विदेशी पूजी सहभागिता की अधिकतम सीमा निर्धारण।

---

15 Dubey Muchkund, an equal Treaty, 1996, Page 49

सेवा में सामान्य समझौते:

जिस पर उरूग्वे दौर मे चर्चा हुई वह अतर्राष्ट्रीय व्यापार मे सेवा पर लागू होने वाले नियम और कानून का प्रथम हिस्सा है जिस पर बहुपक्षीय सहमति है और यह कानूनी तौर पर लागू किया जा सकता है। इस समझौते मे 3 मुख्य बाते है। 1 सामान्य नियम और कानून का ढाचा 2 प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपनियम तैयार करना एनेक्सेस 3 और बाजार प्रवेश हेतु राष्ट्रीय सूची तैयार करना है। जो इस समझौते के आतरिक हिस्से है।

इस समझौते के अनुपालन के लिये सेवा मे व्यापार के लिए परिषद बनायी गयी है। परिषद ढाचे के अतर्गत 29 अनुच्छेद आते है– इस समझौते के दायरे मे सभी प्रकार की अतर्राष्ट्रीय व्यापार सेवा आती है चाहे जैसे भी प्रदान की जाये। समझौता चार प्रकार से सेवा प्रदान करने का जिक्र करता है एक सदस्य राष्ट्र से दूसरे सदस्य राष्ट्र को सेवा प्रदान करना जैसे–अतर्राष्ट्रीय दूरभाष सेवा। एक सदस्य के क्षेत्र मे अन्य किसी को सेवा प्रदान करना जैसे पर्यटन, एक सदस्य के वाणिज्य व्यवस्था को अन्य किसी के लिये सेवा मे देना जैसे–बैकिग। एक सदस्य के व्यक्तियो द्वारा अन्य के क्षेत्र मे सेवा प्रदान करना जैसे–फैशन मॉडल या कन्सल्टेनसी।

परम मित्र राष्ट्र (MFN) बन्दोबस्त :

एक सरकार को चाहिये कि वह अन्य सदस्यो द्वारा दी जा रही सेवा के साथ कोई भेदभाव नही बर्ते यदि सरकारे अन्य राष्ट्रो को विशेष दर्जा कुछ खास सेवाओ के लिये देना चाहती है तो उन्हे एक बार का अवसर दिया गया कि वे ऐसा परम मित्र राष्ट्र छूट के द्वारा कर ले जो कि गैट्स के लागू होने के पूर्व था। इस प्रकार की छूट की लिस्ट पर प्रत्येक पाच वर्षो बाद पुनर्निरीक्षण किया जायेगा और इसका सामान्य कार्यकाल 10 वर्ष का होगा।

पारदर्शिता :

इसके लिये आवश्यक है कि सभी जरूरी नियम व कानूनो का प्रकाशन हो। तटकरो की गैर मौजूदगी के कारण स्वदेशी कानून ही सेवा व्यापार पर सबसे अधिक प्रभाव एव नियत्रण प्रदान करते है। अत समझौता यह चाहता है कि ऐसे सभी उपायो का क्रियावन्यन तर्कसगत, उद्देश्यपूर्ण तथा बिना भेदभाव के किया जाये। सरकारो से अपेक्षा की जाती है कि वे सेवा प्रदान करने सबधित सभी प्रशासनिक निर्णयो के सिहालोकन के लिये शीघ्र व्यवस्था कायम करे।

मान्यता या अभिस्वीकार :

यदि दो सरकारे आपस मे योग्यताओ के मान्यता पर आपसी समझौता करती है जैसे सेवा प्रदायीयो के लिये अनुज्ञा या प्रमाण–पत्र। तो इस समझौते के अतर्गत

उन्हे समरूप समझौते के अतर्गत उन्हे समरूप समझौतो पर अन्य सदस्यो के साथ भी वैसे ही समझौते करने होगे। अभिस्वीकारकरण भेदभाव पूर्ण तरीके से नही किया जा सकता है और न ही उसे इस तरह लागू किया जाये कि उसके द्वारा छिपे तौर पर व्यापार मे बाधा पहुँचे।

अंतर्राष्ट्रीय भुगतान तथा हस्तान्तरण :

इस समझौते के तहत विशेष वादो से सबधित चालू सौदो के लिये अतर्राष्ट्रीय भुगतान एव हस्तातरण पर कोई रोक नही होगी परन्तु यदि बकाया भुगतान मे कठिनाइया है तो ये एक रोक सीमित अल्प कालिक और शर्तो के तहत होगी।

बाजार प्रवेश और राष्ट्रीय प्रबंध :

बाजार प्रवेश और राष्ट्रीय प्रबध के वादे राष्ट्रीय सूची मे दर्ज है। जिस सेवा या सेवा कार्य के लिये बाजार प्रवेश की गारेन्टी है उन्हे सूची मे दर्ज किया गया है। यदि विदेशी सेवा प्रदाइयो पर कोई प्रतिबध लगाया जाता है और उन्हे स्वदेशी प्रदाईयो से कम सहूलियत दी जाती है तो उसे सूची मे दर्ज करना होगा। ये वादे बाध्यकारी है और उन्हे सशोधित या वापस तभी लिया जा सकता है जब प्रभावित देश से हानि पूर्ति के लिये वार्ता हो जाये। अत यह ऐसी गारन्टीपूर्ण शर्ते प्रदान करता है जिसके अतर्गत विदेशी निवेशक तथा सेवाओ के निर्यातक एव आयातक धन्धा आराम से कर सकते है।

व्यापार सम्बन्धी विनियोग उपाय (TRIMS) :-

विगत वर्षो मे विदेशी विनियोग औद्योगिक एव आर्थिक प्रगति मे एक प्रमुख माध्यम बना हुआ है विकसित देशो के विभिन्न निगम विकासशील देशो मे प्रत्यक्ष विनियोग कर रहे है विकासशील देश विनियोग कर्ताओ पर विनियोग हेतु कुछ शर्ते लगाते है इसी को हम विनियोग शर्ते कहते है। यह सरक्षण वादी प्रवृत्ति विनियोगकर्ता देश के द्वारा कही जाती है और इस समय इसको हटाने या कम करने की प्रक्रिया जारी है।

विदेशी पूॅजी निवेश शताब्दियो से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। 18वी और 19 शताब्दियो के उत्तरार्द्ध मे यूरोपीय शक्तियो और सयुक्त राज्य विदेशी पूॅजी निवेश को आकर्षित करने मे समर्थ थे। जो अपने नागरिको तथा कम्पनियो के लिये बेहतर व्यवस्था करना चाहते थे उनके द्वारा थोपे गयी व्यवस्था के अनुसार मेजबान देश को विदेशी सम्पत्ति मे हस्तक्षेप करने की मनाही थी। यह बाते अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य सिद्धातो की बाते थी।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एव उसके पश्चात बडी प्रमुख सम्पन्न शक्तिया उस समय भी विदेशी पूजी निवेश एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। 1948 मे हवाना के सम्मेलन मे जिसपर बहस हुई थी। हवाना चार्टर्ड की बातचीत से सकेत मिले की

सरकारे अन्तर्राष्ट्रीय नियम कानूनो अपने निवेश नीति मे स्वीकार करने को तैयार नही थे[16]

वास्तव मे प्रतिबधित व्यापार पर राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय उद्योगो मे नियत्रण पर अधिक जोर था। नियत्रण एव नियमन हेतु 'बनाये गये अन्तर्राष्ट्रीय कानून मे सहृदयता नही थी। जो ऐसे निवेशो के लिये बनाये गये। यहा तक कि हवाना चार्टर्ड मे इसके लिये एक अलग अध्याय था।

वर्ष 1950 और 1960 के प्रारम्भ मे राष्ट्रीय सशाधनो पर स्थाई प्रभुत्व के लिये सयुक्त राष्ट्र सभा के सत्रो मे प्रस्ताव अगीकार किये गये। जिसमे यह व्यख्या की गयी कि कोई भी राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय सम्पदा या सारे सशाधनो का उपयोग स्वतत्र रूप से कर सकता है। राष्ट्रीय हितो पर मेजबानो को सप्रभुता एव विदेशी उद्यमो के क्रिया कलापो एव अधीनस्थता को ध्यान मे रखते हुए 1974 मे एक प्रस्ताव पेश हुआ जिसमे आचार्य सहिता एव तकनीकी हस्तातरण के मुद्दे भी थे 1970 मे विदेशी उद्यम एव व्यापार व्यवहार अपनी चरम सीमा पर पहुच गया था परन्तु विकासशील राष्ट्र विदेशी प्रभाव एव ऋण के कारण 1980 के प्रारम्भ मे पुन विपरीत दिशा मे सोचने लगे और अपनी विकास योजनाओ के रूप मे सरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमो को लागू करने लगे इस बदली हुई परिस्थित का फायदा लेकर सयुक्त राज्य और इसके प्रमुख

---

16 Dubey, Muchkund An Unequal Treaty, 1996, Page 65

विकसित देशो ने इस विषय को उरूग्वे दौर मे इस विचार धारा के साथ प्रस्तुत किया कि–[17]

(a) राष्ट्रीय ससाधनो पर स्थाई अधिकार एव राष्ट्रीय दोहन/उपयोग के अधिकार के विपरीत दिशा मे जाना।

(b) आन्तरिक अवरोधो को कम करते हुए विकासशील देशो मे विदेशी उद्योगो को स्थापित करना।

(c) ऐसे उद्यमो के विशेषाधिकार के लिये व्यवस्था कायम करना।

उपर्युक्त बातो पर विचार करते हुए सयुक्त राज्य मे उरूग्वे दौर मे ट्रिम्स से सम्बन्धित समझौते के कुछ विशेष उद्देश्य रखे–[18]

(a) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिये व्यापार अवरोध कम करना या समाप्त करना।

(b) परम मित्रराष्ट्र और राष्ट्रीय सिद्धातो के विदेशी निवेश हेतु विस्तार करना।

(c) निश्चित व्यापार सम्बन्धी विनियोग, उपायो को पहचानना उनके निषेध की अनुमति प्राप्त करना।

(d) सूचना प्रक्रिया द्वारा ऐसे उपायो मे काफी सीमा तक पारदर्शिता प्रस्तुत करना।

---

17 Dubey, Muchkund An Unequal Treaty, 1996, Page 67

17 Dubey, Muchkund An Unequal Treaty, 1996, Page 67

(e) एक ऐसी सस्था का निर्माण करना जो कि ट्रिम्स के प्रावधानो को लागू कर सके।

ट्रिम्स सम्बन्धी प्रावधान :

डकल प्रस्ताव मे इस बात पर विस्तृत चर्चा की गयी है, इसके अतरगत निम्न प्रावधान हैं–

सविदा करने वाले पक्षकार इस बात को ध्यान मे रखते हैं कि पुन्टाडेल स्टैंट घोषणा मे मिनिस्टर इस बात के लिये सहमत हुए कि गैट अनुच्छेदो से सबधित निवेश उपायो पर प्रतिबधित व्यापार के लिये आगे वार्ता का प्राविधान रखा जाये ताकि व्यापार पर विपरीत प्रभाव को रोका जा सके।

1 यह अपेक्षा की जाती है कि विश्व व्यापार के प्रगतिशील उदारीकरण के लिये तथा अतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश के लिये सम्पूर्ण प्रयास किये जाय ताकि सभी व्यापारिक वर्गो का विशेषरूप से विकासशील देशो का उन्नयन हो तथा जिसमे मुक्त प्रतिस्पर्धा कायम रहे। इसमे यह भी व्यवस्था की गयी है कि विकासशील देशो खासतौर पर अल्पविकसित राष्ट्रो के व्यापार विकास तथा आर्थिक आवश्यकताओ को ध्यान मे रखा जाये इसके साथ ही साथ इस तथ्य

को भी ध्यान मे रखा जाये कि कुछ निवेश उपाय व्यापार पर रूकावटे ला सकते है[19]।

डकल प्रस्ताव के भाग एन' के अनुच्छेद 1 मे यह कहा गया है कि यह निर्णय केवल वस्तु व्यापार के निवेश उपायो पर लागू होगा। (इसे अब ट्रिम्स से सबोधित किया जायेगा) इसी श्रृखला मे अनुच्छेद 2 मे राष्ट्रीय उपचार तथा गुणात्मक प्रतिबन्ध के अन्तर्गत अन्य अधिकार एव कर्तव्यो को बिना भेदभाव के कोई भी सविदा करने वाला पक्षकार किसी भी ट्रिम्स को लागू नही करेगा जो कि अनु० 3 या अनुच्छेद 11 मे दिये गये प्राविधानो से भिन्न हो[20]।

2 एक व्याख्यात्मक ट्रिम्स की सूची जो कि अनु० III 4 मे दिये गये राष्ट्रीय उपचार के कर्तव्यो से भिन्न है और अनुच्छेद XI 1 मे दिये गये गुणात्मक प्रतिबन्धो के कर्तव्यो के लिये इस निर्णय के परिशिष्ट मे दी जा रही है।

सहायिकी पर समझौता और काउन्टरवेलिंग उपाय :

डकल के प्रस्ताव के वर्ग 1 भाग एक के विभिन्न अनुच्छेदो मे इस सदर्भ मे व्यवस्था की गयी है।

---

19 डकल ड्राफ्ट, पृष्ठ एन–1

20 वही, पृष्ठ एन–1

अनुच्छेद 1 सहायिकी की परिभाषा[21] :

1 1 इस समझौते के लिये सहायिकी का अर्थ है –

(a) (1) इस समझौते मे शामिल कोई भी सरकार या अन्य कोइ सार्वजनिक सस्था द्वारा आर्थिक सहायता (जिसे अब सरकार कहा जायेगा) –जहॉ –

(1) सरकार द्वारा सीधे फड ट्रासफर किये जाते हो (जैसे– अनुदान ऋण और समता) या दायित्वो का सीधा ट्रासफर हो (जैसे लोन गारन्टी) ।,

(11) सरकारी कर जो बाकी हो उसे छोड दिया जाये या न जमा कराया जाये (जैसे–टैक्स, क्रेडिट)

(111) सरकार द्वारा सामान्य ढाचे के अतिरिक्त माल या सेवा प्रदान किया जाना अथवा वह स्वय माल खरीद ले ।

(1v) कोष के लिये सरकार स्वय पेसे दे या किसी निजी सस्था को निर्देश दे या उसे सौप दे कि वह (1) से (111) तक मे दिये गये कार्यो का प्रतिपादन करे और यह प्रक्रिया लगभग सभी सरकारो द्वारा अपनाई जाती है या सहायिकी देने के निर्णय पर यदि यह सबपैराग्राफ लागू किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि सहायिकी देने वाले देश की आर्थिक गतिविधियो मे कितनी विभिन्नता है साथ ही सहायिकी कितने लम्बे से दी जा रही है ।

2 2 एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र मे स्थित सभी उद्यमो को दी जाने वाली सहायिकी विशिष्ट प्रकार की होगी चाहे उसे देने वाला कोई भी प्राधिकारी हो ।

---

21 वही, पृष्ठ आई–1

2 3 कोई भी सहायिकी जो कि अनुच्छेद 3 के प्राविधानो के अतर्गत आये उसे विशिष्ट माना जायेगा।

2 4 इस अनुच्छेद के प्राविधानो के अतर्गत विशिष्टता के मानक निर्धारण के लिये सकारात्मक प्रमाणो को ही माना जायेगा।

भाग II निषिद्ध सहायिकी अनुच्छेद 3 निषिद्ध सहायिकी[22]

3 1 निम्नलिखित सहायिकी जो कि अनु० 1 के अतर्गत आते है वे प्रतिषिद्ध है–

(a) विधि या वास्तविकता मे आकस्मिक सहायिकी चाहे अकेले अथवा अन्य स्थितियो, निर्यात पर और वे भी जिनका वर्णन परिशिष्ट एक मे है।

(b) आकस्मिक सहायिकी, चाहे अकेले अथवा एक या अनेक स्थितियो, आयातित वस्तुओ के ऊपर स्वदेशी वस्तुओ का प्रयोग।

सभी हस्ताक्षरित राष्ट्र उन वस्तुओ पर न ही सहायिकी देगे ना ही रखेगे जिनका वर्णन पैरा 1 मे किया गया है।

भाग IV

अनुच्छेद 8 गैट क्रियाशील सहायकी को चिन्हित करना [23]

8 1 सभी हस्ताक्षरित राष्ट्र मानते है कि निम्न को गैटवादी सहायिकी माना जायेगा

---

22 वही, पृष्ठ आई–3

23 वही, पृष्ठ आई –9

(a) उपरोक्त अनुच्छेद 2 के अतर्गत वे सहायिकी जो कि विशिष्ट नही है।

(b) वे सहायिकी जो अनुच्छेद 2 के अतर्गत विशिष्ट है पर वे नीचे दिये गये पैरा 2(a) और 3(b) मे वर्णित सभी शर्ते पूर्ण करते हो।

अनु० 8 2 समझौते के भाग III और V मे दिये गए प्राविधानो के अतिरिक्त निम्न सहायिकी जिन पर कार्यवाही नही हो सकती गैटवादी मानी जायेगी।

(a) फर्मो द्वारा शोध कार्य मे सहायता या उच्च शिक्षा या शोध सस्थापको द्वारा सहायता अनुबन्ध के आधार पर औद्योगिक शोध मे सहायता 50% से अधिक न हो या शोध मे 25% राशि लगायी हो, और ऐसी सहायता सीमित हो।

(1) व्यक्तिगत धनराशि (शोधकर्ता, टेक्नीशियन और अन्य सहायक स्टाफ जो कि शोध कार्य के लिये विशेष तौर पर लगाये गये हो)।

निर्यात की विवरणात्मक सूची[24] :

(a) सरकार द्वारा किसी फर्म या उद्योग को उसके निर्यात कार्य पर सीधी सहायिकी का प्राविधान।

(b) रोकड जमा स्कीम या अन्य इसी प्रकार के चलन जो निर्यात पर बोनस स्वरूप हो,

(c) निर्यात पर किराया चार्ज और आतरिक ट्रास्पोर्ट जिसे सरकारे स्वदेशी माल से अधिक लाभकारी सहायता प्रदान करे।

---

24 डकल प्रस्ताव, पृष्ठ आई–37

(d) वे सरकारी या उसकी ऐजेन्सियो द्वारा सीधे या परोक्ष रूप से दिये गए प्राविधान जो सरकारी स्कीमो द्वारा आयातित या स्वदेशी उत्पादो या सेवाओ के लिये जो निर्यात करने वाले वस्तुओ के उत्पादन के लिये हो और जो सीधे प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादो या सेवा के लिये जिन्हे स्वदेशी उपयोग की वस्तुओ के लिये लिया गया हो और जिन के लिये लाभकारी शर्ते निर्यातको को विश्व बाजार मे वाणिज्यक रूप मे उपलब्ध हो।

(e) पूर्ण या आशिक छूट, वापसी जो निर्यात सम्बन्धित हो और जिन पर सीधे कर या सामाजिक लाभ कर औद्योगिक या वाणिज्यिक सस्थानो द्वारा दिया जाये।

(f) स्वदेशी उपयोग मे दी जाने वाली छूट के ऊपर निर्यात पर विशेष कटौतिया जिनकी सीधे कर पर गणना की गई हो।

(g) उन सभी वस्तुओ पर जिनका उत्पादन और वितरण स्वदेशी उपयोग के लिये होता हो और ऐसे ही उत्पाद निर्यात के लिये भी हो और उनके उत्पादन और वितरण पर छूट दी गयी हो।

(h) उन सभी वस्तुओ पर जो निर्यात के लिये हो पर वे स्वदेश मे भी बनाई और वितरित की जाती हो उनपर सम्मलित कर मे छूट या वापसी का प्रविधान। इस उपनियम का अर्थ एनेक्स मे दिये गये उत्पादन प्रक्रिया के लिये प्रस्तावित मानको के आधार पर ही होगा।

प्रति राशिपातन उपाय :

गैट सदस्य राष्ट्रो को एन्टी–डम्पिग उपाय लागू करने की अनुमति देता है। यह उपाय आयात पर लगाए जा सकते है यदि इस आयात से स्वदेशी उद्योग को हानि पहुँच रही है। टोकियो दौर मे जो नियम आयातको के शुल्को अथवा दामो के लिये बनाए गए थे उन्हे उरूग्वे दौर मे पुन सशोधित किया गया।

विश्व व्यापार सगठन समझौता डम्प किये गए माल के लिए काफी साफ शब्दो मे खुलासा करता है। डम्प किये गए उत्पाद से स्वदेशी उद्योग को जो क्षति पहुची है उसके लिये अतिरिक्त सिद्धान्त प्रतिपादित किये गए है। साथ ही एन्टी डम्पिग अन्वेषण के लिए प्रारूप भी बताया गया है। एन्टी डम्पिग उपायों के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनको लागू करने तथा उनकी सीमा के बारे मे भी इस समझौते को बताया गया है। इसके अतिरिक्त विवाद निस्तारण समितियो की भूमिका के बारे मे भी टिप्पणी की गई है।

गैट के अनुच्छेद VII को लागू करने हेतु समझौता :

भाग I प्रति राशिपातन संहिता : अनुच्छेद I : सिद्धान्त ·

डकल प्रस्ताव मे गैट से सम्बन्धित दिये गये प्रतिराशिपातन सहिता के कुछ सिद्धात है प्रतिराशिपातन नियम गैट के अनुच्छेद VI के अतर्गत ही लागू होगे और निम्न प्राविधान अनु० VI पर लागू होते है।[25]

---

25 डकल ड्राफ्ट, अगेजी सस्करण, पृष्ट एफ–1

अनुच्छेद II · राशिपातन की माप :

इस सहिता के लिये कोई भी उत्पाद डम्प तभी माना जायेगा जब उसे व्यापार हेतु दूसरे देश मे उसकी सामान्य दर से कम मे बेचा जाये और सामान्य व्यापार मे उस उत्पाद का निर्यात मूल्य तुलनात्मक मूल्य से कम हो। स्वदेशी बाजार मे यदि किसी उत्पाद की बिक्री नही हो रही हो और ऐसी जिसकी बिक्री से तुलना नही की जा सकती हो तो डम्प वस्तु के मुनाफे को तुलनात्मक मूल्य से आका जायेगा।

अनुच्छेद 9 प्रतिराशि पातन करो को लगाना एव इकट्ठा करना इसके अतर्गत निम्न बाते आती है[26] –

1 उन सभी स्थितियो मे जहा कर लगाने हेतु सभी आवश्यकताएँ पूरी कर ली गई हैं ऐसी स्थिति मे एन्टी डम्पिग कर लगाने का निर्णय आयात करने वाले देश के अधिकारी लगायेगे।

2 जब किसी वस्तु के सम्बन्ध मे प्रति राशिपातन कर लगाया जाता है तो उसे ठीक तरह से वसूल किया जाये और आयात की हुई उन वस्तुओ पर जो डम्प की गई हो या जो नुकसान पहुचा रही हो उन पर बिना भेदभाव के कर लगाया जाये।

---

26 वही पृष्ठ एफ–16

ऐसी वस्तुओ को सप्लाई करने वालो को अधिकारी चिन्हित करेगे। यदि कई आपूर्तिकर्ता है और उन्हे पहचानना कठिन हो रहा है तो उस देश को ही चिन्हित किया जायेगा। यदि एक से अधिक देशो से आपूर्ति कर्ता है तो उन सभी के नाम लिये जायेगे और यदि यह सम्भव नही है तो सभी आपूर्ति करने वाले देशो को गिना जायेगा।

3 अनुच्छेद मे इस बात की व्यवस्था की गयी है कि ऐन्टी डम्पिग कर का मूल्य अनुच्छेत 2 के अतरगत वर्णित डम्प की मात्रा से अधिक नही होना चाहिये। पूर्ववर्ती तौर पर जन एन्टी डम्पिग के मूल्य का निर्धारण किया जाता है तो वह पूर्ण माना जायेगा और उसे शीघ्र से शीघ्र लागू किया जायेगा। सामान्यत 12 माह के भीतर और किसी भी सूरत मे 18 माह से अधिक नही। जो भी धन वापस किया जाना है उसे 90 दिनो के अन्दर ही वापस किया जाना चाहिये और यदि ऐसा नही होता है तो अधिकारियो को उसके पीछे कारण बताना होगा।

जब एन्टी डम्पिग शुल्क के मूल्य को आगे के लिये निर्धारित करना हो तो ऐसे प्राविधान बनाने चाहिये कि अधिक दिये गया शुल्क तुरन्त वापस हो। यह मूल्य वापसी 12 माह के भीतर ही होनी चाहिये और किसी भी सूरत मे 18 माह से अधिक देर नही होनी चाहिये जो कि आयात करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रमाणित हो। जो धन वापस करने के लिये अधिकृत किया जाये उसे 90 दिनो के अन्दर वापस करना चाहिये।

इसी अनुच्छेद मे मे यह भी व्यवस्था है कि धन अदायगी कितनी और किस स्तर तक होगी जब निर्यात मूल्य को अनुच्छेद 2 3 के तहत किया गया हो तो अधिकारियो को सामान्य मूल्य मे हुये किसी भी परिवर्तन को ध्यान मे रखना होगा, आयात करने और पुन बिक्री के दरम्यान हुए मूल्य परिवर्तन और पुन बिक्री के मूल्य मे हुए चलन को निर्यात मूल्य से गणना करनी चाहिये और यदि ठोस प्रमाण दिये गये हो तो किसी भी प्रकार की मूल्य कटौती एन्टी डम्पिग शुल्क मे से नही करनी चाहिये।

4 जब अधिकारियो ने अपने परीक्षण को अनुच्छेद 6 10 के दूसरे वाक्य के अनुसार सीमित कर लिया हो तो निर्यातको या उद्यमियो से किए गए आयात पर एन्टी डम्पिग शुल्क जो कि लागू होगा और जिसे परीक्षण मे शामिल नही किया गया हो उससे अधिक नही होना चाहिये –

(अ) चुने हुए निर्यातको या उद्यमियो के मापे गये डम्पिग के औसत लान या

(ब) एन्टी डम्पिग शुल्क अदायगी के दायित्व की गणना सामान्य मूल्य के आधार पर की गई हो, चुने हुए.निर्यातको या उद्यमियो के मापे गये औसत सामान्य मूल्य के बीच अन्तर और उन निर्यातको या उद्यमियो जिनका व्यक्तिगत परिक्षण नही हुआ हो उनके निर्यात मूल्य यदि अधिकारी उक्त पैराग्राफ के लिये किसी भी शून्य एव न्यूनतम लाभ और लाभ की अवज्ञा कर दे जिन्हे अनुच्छेद 6 8 के अतरगत प्रतिपादित किया गया हो तो

अधिकारी व्यक्तिगत शुल्क या सामान्य मूल्य उन आयातो पर लागू करेगे जिन्हे किसी निर्यातक जैसा कि अनु० 6,10,2 मे दिया गया हो।

(5) किसी जाच के दौरान निर्यातक या उद्यमी यह सिद्ध कर देते है कि वे एन्टी डम्पिग शुल्क के अतर्गत किसी भी निर्यातक या उद्यमी से सम्बन्धित नही है तो अधिकारियो को चाहिये कि वे ऐसे व्यक्तियो के लिये शीघ्र निर्णय ले। यह निर्णय या पुन विचार तीव्रता से किया जाना चाहिये। जब तक यह पुनर्विचार चलता है तब तक कोई भी एन्टी डम्पिग शुल्क आयातित वस्तुओ पर नही लगाया जायेगा।

अनुच्छेद–11 एन्टी डम्पिंग शुल्क एवं मूल्यों की समयसीमा तथा पुनर्विचार

ड्राफ्ट के अनुच्छेद 11 में निम्न बातें वर्णित है[27] :

1 एन्टी डम्पिग शुल्क उस समय तक लागू रहेगा जब तक डम्प की जाने वाली वस्तु से हानि होती है।

2 अधिकारी स्वय अथवा किसी व्यक्ति के आग्रह पर शुल्क जारी रखने पर पुनर्विचार तभी करेगे जब ऐन्टी डम्पिग शुल्क लागू होने के पश्चात काफी समय हो चुका हो और व्यक्ति विशेष पुनर्विचार के लिये सकारात्मक सूचना

---

27 वही, पृष्ठ एफ–20

देता है। जिन पार्टियो का कोई स्वार्थ निहित हो वे पुनर्विचार के लिये आग्रह कर सकते है ताकि यह देखा जा सके यदि शुल्क जारी रहा अथवा हटा दिया गया तो क्या नुकसान भी होता रहेगा या समाप्त हो जायेगा। यदि हम इस पैराग्राफ के अतर्गत पुनर्विचार के बाद यह निर्णय लिया जाता है कि ऐन्टी डम्पिग शुल्क की आगे आवश्यकता नही है तो उसे तुरन्त ही समाप्त किया जायेगा।

3 पैराग्राफ 1 और 2 मे दिये गये प्राविधानो के अतिरिक्त कोई भी ऐन्टी डम्पिग शुल्क अपने लागू होने की तारीख से पाच वर्ष से अधिक के समय से पहले नही समाप्त होगी या सबसे नवीन पुनर्विचार की तारीख जो कि पैरा 2 के अतर्गत हो अथवा इस पैरा के अतरगत हो। फिर भी यदि अधिकारी यह मानते है कि डम्प वस्तुओ द्वारा लगातार हानि हो रही है तो शुल्क लागू रखा जायेगा।

4 अनुच्छेद 6 मे दिये प्राविधानो जो कि साक्ष्य एव प्रक्रिया अपनाये जाने के बारे मे बताता है कि वह इस अनुच्छेद के अतर्गत होने वाले किसी भी पुनर्विचार पर भी लागू होगा। इस तरह का कोई भी पुनर्विचार शीघ्रता से निबटाया जायेगा और 12 माह के अतरगत उसे समाप्त किया जायेगा।

45 इस अनुच्छेद के प्राविधान जरूरी परिवर्तनो के साथ अनु० 8 मे निहित मूल प्राविधानो पर भी लागू होगा।

डम्पिंग के विरूद्ध कार्यवाही – प्रक्रिया एवं नियम :

अनु० VI, 1994 गैट के अतर्गत सदस्यो को एण्टी–डम्पिग उपाय लागू करने की छूट दी गई है। ऐसे उपाय उन आयातित उत्पादो पर लगाये जा सकते है जिनका निर्यात मूल्य "सामान्य दर" से कम हो और यदि ये स्वदेशी उद्योग को नुकसान पहुँचाते हो। ऐसे उपायो को टोकियो दौर मे विस्तृत चर्चा की गई और इसका उरूग्वे दौर मे पुनर्मूल्याकन किया गया।

जहॉ स्वदेशी बाजार से मूल्यो की सीधी तुलना सभव नही है वहॉ के लिये विश्व व्यापार सगठन समझौता डम्प किये गये उत्पाद के लिये नियम बताता है। डम्प वस्तु द्वारा स्वदेशी उद्योग को हानि होने पर किस प्रकार की प्रक्रिया होगी और किस तरह से एण्टी डम्पिग जाच की जाये यह भी बताया गया है। नियमो के अनुपालन की प्रक्रिया तथा एण्टी डम्पिग उपायो की अवधि भी इस समझौते के हिस्से है। साथ ही विवाद निस्तारण प्रक्रिया पर भी यह प्रकाश डालता है।

इस समझौते के अतर्गत आयात करने वाले देश को साफ तौर पर सिद्ध करना होगा कि डम्प वस्तुओ द्वारा किस प्रकार से स्वदेशी उद्योग को हानि पहुॅच रही है। इसके लिये सभी आर्थिक कारणो की परख होनी चाहिये जिसके द्वारा उक्त उद्योग को डम्प वस्तु से नुकसान हो रहा हो। कैसे एण्टी–डम्पिग केसो को दायर किया जाय, किस प्रकार से उसकी जाच हो तथा सभी सबधित पक्षकारो का साक्ष्य देने का समय

दिया जाये इन सभी प्रक्रियो पर साफ तौर पर प्रकाश डाला गया है। जिस तारीख से एण्टी डम्पिग उपाय लागू हुए है तब से पाच वर्ष तक ये लागू रहेगे।

यदि जाच अधिकारी यह पाते है कि डम्पिग का मारजिन 2% से कम हो तो ऐसी जाच तुरन्त बद कर दी जाये या डम्प आयातित वस्तु का कुल मान लगभग नगण्य हो तो भी जाच समाप्त कर दी जायेगी।

सभी आरम्भिक तथा अतिम कार्यवाही की पूर्ण जानकारी प्रतिराशि पातन व्यवहार समिति को देना अनिर्वाय है। इस समझौते से सबधित किसी भी मुद्दे को लागू करने के लिये सभी सदस्यो को पूरा अवसर दिया जायेगा।

सहायिकी पर सीमा और काउन्टरवेलिंग उपाय :

सहायिकी और काउन्टरवेलिग उपाय (Subsidies And Counter Vailing Measurs) पर समझौता गैट के VI, XVI, और XXIII के मायने तथा उनके अनुपालन की प्रकिया को बतलाता है जिस पर टोकियो दौर मे वार्ता हुई थी। इसमे सहायिकी की परिभाषा दी गई है और ये विशिष्ट सहायिकी के बारे मे व्यख्या की गई है।

जो समझौता गैर कृषि उत्पादो पर लागू होता है वह तीन प्रकार की सहायिकी के बारे मे बताता है – वे जो प्रतिबधित है, वे जिन पर कार्यवाही हो सकती है और वे जिन पर कार्यवाही नही हो सकती है।

सामान्यत प्रतिबधित सहायिकी वे है जिनको निर्यात के आधार पर दिया जाये या फिर विदेशी वस्तुओ के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओ के उपयोग पर आधारित हो। ये सहायिकी विवाद निस्तारण प्रक्रिया के तहत आती है। यदि पाया जाता है कि सहायिकी वास्तव मे प्रतिबधित है तो उसे तुरन्त वापस ले लिया जाता है।

कार्यवाही वाली सहायिकी के तहत यह माना गया है कि विश्व व्यापार सगठन के किसी भी सदस्य को सहायिकी के उपयोग से दूसरे सदस्यो के हितो की हानि नही करनी चाहिए। जो सदस्य इस सहायिकी से हानि उठाते है वे विवाद निस्तारण समिति के समक्ष यह मुद्दा रख सकते है। यदि यह पाया जाता है कि इसके द्वारा कुप्रभाव पड रहे है तो उसे तुरन्त वापस लिया जाना चाहिये।

इस समझौते के तहत क्षतिपूर्ति के उपायो काउन्टरवेलिग उपाय का प्राविधान भी है। यह ऐसे नियमो का प्राविधान है जो सभी पक्ष सूचना और जानकारी दे सकते है और अपने तर्क रख सकते है। स्वदेशी उद्योग को हुए नुकसान के आधार पर सहायिकी का मूल्याकन किया जाता है। सभी क्षतिपूर्ति शुल्क लागू होने के पाच साल बाद समाप्त कर दिये जाते है यदि अधिकारी यह दिखा दे कि इसके उपरात भी हानि होती रहेगी तो ये जारी रखा जा सकता है।

विकासशील देशो मे सहायिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और केन्द्रशासित अर्थ व्यवस्थाओ को बाजार व्यवस्था मे परिवर्तन मे सहायक हो सकती

है। अल्प विकसित देश और वे देश जिनकी सकल प्रति व्यक्ति उत्पाद 1000 डालर से कम है उन्हे प्रतिबन्धित सहायिकी से प्रतिबधित सहायिकी पर समय बन्धित छूट प्रदान की गई है। अन्य विकासशील देशो के लिए निर्यात सहायिकी प्रतिबध सन् 2003 से लागू होगा। यदि सहायिकी का पूर्ण स्तर 2% से अधिक नही होता है तो विकासशील देशो के यहा क्षतिपूर्ति जाच समाप्त कर दी जायेगी। परिवर्तनशील अर्थव्यवस्थाओ के यहा प्रतिबधित सहायिकी सन् 2002 तक हटा दी जायेगी।

निवेश उपाय– व्यापारिक खामियों को कम करना :

यह समझौता वस्तुओ के व्यापार पर निवेश उपायो पर ही लागू होता है। यह मानता है कि कुछ निवेश उपाय ट्रिम्स व्यापार को खराब और प्रतिबधित कर सकते है। कोई भी सदस्य गैट के अनु० III और XI के विपरीत किसी भी प्रकार का ट्रिम्स नही लगा सकता है। इसके लिये ऐसी एक सूची इस समझौते के साथ ही जोडी गयी है।

सभी प्रकार के ट्रिम्स विकसित राष्ट्रो द्वारा 2 वर्षो मे विकासशील देशो द्वारा 5 वर्षो के भीतर और अल्पविकसित देशो द्वारा 7 वर्षो के भीतर समाप्त कर दिये जायेगे। इसके लिये एक निरीक्षण समिति गठित की जायेगी। इस पर विचार के लिये 1 जनवरी 2000 निश्चित की गई है।

समन्वित विवाद निस्तारण प्रक्रिया के तत्व[28]

विवाद निस्तारण समिति :–

1 इसमे आपसी समझौते के सदस्य इस बात के लिये सहमत है कि समझौते के सभी नियम व प्रक्रिया उन सभी विवादो पर लागू होगी जो स्वीकार पत्र के ऐनेक्सर 1 मे दिये गये है और ये सब कोई भी विशेष या अतिरिक्त प्राविधान विवाद निस्तारण का जो इस समझौते मे रखे गये है, उनके अधीन हो।

2 सदस्य इसके साथ ही एक विवाद निस्तारण समिति का गठन करते है जिसके पास सामान्य परिषद है और परिषद तथा समितियो की शक्ति होगी कि वह उन सभी विवादो के निस्तारण के लिये जो इस सामान्य समझौते के तहत आते है, इस समझौते के नियम व प्रक्रिया के अतर्गत सुलझाये। इसके पास इसका भी अधिकार होगा कि वह पैनेलो का गठन करे पैनल समिति के रिपोर्ट को माने नजीरो और सस्तुतियो को लागू करने के लिये निरीक्षण करे, तथा इस सहमति पत्र के अतर्गत आने वाली छूट एव अन्य कर्तव्यो को निरस्त कर सके।

3 इस विवाद निस्तारण समिति की सदस्यता विश्व व्यापार सगठन के सभी सदस्यो के लिये खुली है। विवाद निस्तारण मे जो भी प्रगति होगी उसकी परिषदो एव समितियो को पूरी सूचना दी जायेगी।

28 डकल प्रस्ताव, पृष्ठ टी–01

4 जहॉ इस समझौते के तहत यह दिया गया है कि नियम और प्रक्रिया के अतर्गत विवाद निस्तारण समिति कोई निर्णय ले सकती है तो वह ऐसा एकमत होकर ही ऐसा कर सकती है।

5 विवाद निस्तारण समिति इस समझौते मे दी गई प्रक्रिया को ही मानेगे परन्तु जहॉ विशेष या अतिरिक्त प्रक्रिया बताई गयी हो वहा उसे माना जायेगा। ऐसे विशेष एव अतिरिक्त प्रक्रिया डकल प्रस्ताव के परिशिष्ट मे बतायी गई है। जहॉ विवाद मे एक से अधिक प्राविधान लागू हो रहे हो और जहॉ विशेष या अतिरिक्त प्रक्रिया मे विवाद हो तथा विवादित पार्टिया पैनल गठन के 20 दिनो के अदर प्रक्रिया अपनाये जाने पर सहमत नही हो तो विवाद निस्तारण समिति का अध्यक्ष सभी विवादित पार्टियो से विचार विमर्श के बाद 10 दिनो के भीतर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया पर निर्णय लेगा। अध्यक्ष इस तथ्य को मानेगा कि जहॉ सभव हो वहॉ विशेष एव अतिरिक्त प्रक्रिया ही मानी जाये और इस समझौते मे वर्णित प्रक्रिया विवाद को समाप्त करने के लिये उपयोग किया जाये।

पैनल की संदर्भित शर्ते :

पैनल निम्न शर्ते एवं सदर्भ मानेंगे :

1 यदि विवादित पार्टिया 20 दिनो के भीतर किसी अन्य पर सहमति नही बतलाती है। "विवादित पार्टियो द्वारा घोषित समझौते सबधित प्राविधान की

रोशनी में निरीक्षण किया जायेगा कि विवादित मुद्दा जो समिति के समक्ष रखा गया है उसे पार्टी के नाम में दस्तावेज है।

2. विवादित पार्टियों द्वारा घोषित आवश्यक प्रविधानों को पैनल अपने ध्यान में रखेगा।

विवाद निस्तारण पर अनुसचिवीय निर्णय[29]

अनुसचिवों के निर्णय के अनुसार नीचे दिये गए निर्णय को 'गैट्स' अपनी प्रथम बैठक में अपनायेगा।

विवाद निस्तारण पैनल :

समझौते के खास दायित्वों एवं कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए तथा सेवा में व्यापार संबंधित अनुच्छेद XXII एवं XXIII के अतंर्गत विवाद निस्तारण के लिये निम्न निर्णय लिए गए हैं :

1. पैनल के चुनाव में सहायता हेतु पैनलिस्टों के एक रोस्टर का गठन।
2. इसके लिये पक्षों, उन पक्षों एवं व्यक्तियों का नाम सुझायेगी जो नीचे दिये गए पैरा–3 के अनुसार सभी अहर्ताएं पूरी करते हों और इसके साथ ही ऐसे

---

29. डंकल ड्राफ्ट, अंग्रजी संस्करण, पृष्ठ 49

व्यक्तियो की योग्यताओ के साथ–साथ विशिष्ट क्षेत्र मे योग्यता के बारे मे जानकारी भी दी जायेगी।

3 पैनल मे ऐसे लोग रखे जाये जो पूरी तरह से योग्य हो वे सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति हो सकते है जिन्हे गैट्स या अतर्राष्ट्रीय व्यापार मे सेवा से सबधित अनुभव प्राप्त हो। ये सभी व्यक्ति जो पैनल मे शामिल होगे वे व्यक्तिगत तौर पर कार्य करेगे न कि किसी सरकार या सगठन के प्रतिनिधि के रूप मे।

4 खास मुद्दो के विवादो के लिये जो पैनल गठित होगे वे जरूरी योग्यताओ और बातो से पूर्ण होगे।

5 रोस्टर सचिवालय के अधीन कार्य करेगा और उसके प्रशासन के लिये निर्णय अध्यक्ष के साथ विचार–विमर्श करके लिया जायेगा।

डंकल प्रस्ताव में प्रयुक्त कुछ शब्दावलियां एवं परिभाषाएं:

डंकल प्रस्ताव के अनुच्छेद XXXIV में कुछ परिभाषाएँ दी गयी हैं[30] –

(क) "परिभाषा" का अर्थ है किसी भी पार्टी द्वारा किसी भी नियम कानून प्रक्रिया निर्णय प्रशासनिक कार्य या अन्य कोई तरीके को इस्तेमाल मे लाना।

---

30 डकल ड्राफ्ट (अग्रेजी सस्करण) पृष्ठ 29

(ख) "सेवा प्रदान करने" के अतरगत सेवा का उत्पादन वितरण बिक्री, खरीददारी आती है।

(ग) पार्टियो द्वारा व्यापार मे सेवा का अर्थ है वे सभी उपाय जो कि –

(1) खरीद, देनदारी या सेवा के इस्तेमाल।

(11) सेवा देने के लिये प्रवेश और इस्तेमाल मे।

1 वितरण एव परिवहन व्यवस्था।

2 पब्लिक टेलीकम्न्यूनिकेशन्स परिवहन नेटवर्क एव सेवा।

(111) उपस्थिति, जिसमे वाणिज्यिक उपस्थिति निहित है जहॉ एक पार्टी दूसरे क्षेत्र मे लोगो को सेवा प्रदान करने की व्यवस्था करता है।

(घ) "वाणिज्यिक उपस्थिति" का मतलब है व्यापार या व्यवसायिक प्रतिस्थापन जिसके अतर्गत –

(1) न्यायिक व्यक्ति की स्थापना, अपनाना या ध्यान रखना है, या

(11) किसी भी ब्राच या प्रतिनिध कार्यालय के निर्माण एव पोषण निहित है।

(च) "सेवा प्रदान करने" वाले का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे किसी पार्टी ने सेवा के लिये दिया हो,

(छ) "सेवा लेनेवाले" का अर्थ वह व्यक्ति जो किसी भी पार्टी द्वारा सेवा लेता हो।

(ज) "व्यक्ति" का अभिप्राय है प्राकृतिक या न्यायिक व्यक्ति ,

(झ) "प्राकृतिक व्यक्ति" किसी भी पार्टी का हो उससे अभिप्राय है –

(1) एक प्राकृतिक व्यक्ति जो किसी पार्टी मे नियमत उस देश का वासी हो, या।

(11) जिन पार्टियो मे कोई भी देशवासी नही होते है वहा पार्टी के नियमो के अतरगत प्राकृतिक व्यक्ति के पक्के तौर पर रहने का अधिकार प्राप्त है, और जो उस पार्टी या अन्य पार्टी के क्षेत्र मे रहता है

(ग) अन्य पार्टी का "न्यायिक व्यक्ति" का अर्थ है कोई भी निगम, साझेदारी, सयुक्त उपक्रम सम्पूर्ण स्वामित्व एव समूह जो कि लाभ या अन्य किसी प्रयोजन के लिये गठित किये गए हो और जो कि निजी या सरकारी तरीके के हो, जो कि

(1) पार्टी के नियमो के तहत गठित हो और जो उस पार्टी के क्षेत्र मे या अन्य पार्टी के क्षेत्र मे व्यापार मे सलग्न हो। या

(11) जिसका नियत्रण या स्वामित्व।

(1) उस पार्टी के प्राकृतिक व्यक्तियो द्वारा हो, या

(2) उस पार्टी के न्यायिक व्यक्तियो जिनका पैरा (1) के अतरगत विवरण है।

(त) न्यायिक व्यक्ति का मतलब है –

(i) यदि 50% प्रतिशत से अधिक का हिस्सा उस पार्टी के व्यक्तियो द्वारा लाभ के लिये हो तो वे व्यक्ति उस पार्टी के मालिक होगे।

(ii) "नियत्रण" का अर्थ है यदि पार्टी के व्यक्तियो के पास अधिकाश निदेशको की नियुक्ति करने की शक्ति हो या वे कानूनी तौर पर पार्टी के क्रियाकलापो को दिशा देते हो,

(iii) अन्य व्यक्ति से जुडने का अर्थ है यदि वह व्यक्ति उसे नियत्रण करता हो या वह और अन्य व्यक्ति दोनो ही उसी व्यक्ति के नियत्रण मे हो।

डंकल प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया : भारतीय सदर्भ में:

डकल प्रस्ताव पर लागतार मिली जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती रही है। जिनमे कुछ तो सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पहलू की ओर सकेत करती है। जिनको इस शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

प्रतिक्रिया :

डकल प्रस्तावो को स्वीकार कर लिया गया है तथा अप्रैल 1994 इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया है यह दस्तावेज बहुत ही विस्तृत और विवादास्पद है परन्तु हमारे देश मे इसंके बारे मे बहुत ही कम जानकारी है। दुर्भाग्य से 400 पृष्ठो वाला यह दस्तावेज कुछ 'सौभाग्यशाली' शिक्षाविदो, राजनीतिज्ञो और प्रशासको को ही उपलब्ध

है। कृषक समुदाय को इसके विषय मे कुछ नेताओ के भाषणो से ही जानकारी उपलब्ध है।

भारत सभी वार्ता चक्रो मे शामिल रहा है और अपनी खराब आर्थिक स्थिति की वजह से ही सभी पूर्व समझौतो मे विशेष दर्जा प्राप्त करता रहा है। इसमे कोई शक नही है कि सदस्य देशो के बीच आठवे दौर की वार्ता के कुछ अनुच्छेदो पर गहरे मतभेद रहे है फिर भी कोई राष्ट्र इस वार्ता से वचित नही रह सकता है क्योकि गैट राष्ट्रो के विश्व व्यापार के लगभग 90% हिस्से पर नियत्रण रखते है। आठवे दौर की वार्ता के सफल होने से विश्व बैक तथा आर्थिक सहयोग एव विकास सगठन (OECD) ने अनुमान लगाया है कि विश्व व्यापी मुनाफे मे डालर 217 230 मे बिलियन की बढोत्तरी होगी। इस बढते व्यापार मे अनुमान लगया जा रहा है कि भारत के हिस्से मे 4 6 बिलियन डालर की बढोत्तरी होगी।

भारत मे गैट का विरोध आर्थिक कारणो से कम बल्कि बदलाव प्रक्रिया मे शामिल न होना ही अधिक है। पूर्व गैट वार्ताओ मे विकासशील देशो को विशेष सहूलियते प्रदान की जाती थी। उनसे यह आशा नही की जाती थी कि वे विकसित राष्ट्रो द्वारा प्रदान की जानी वाली मदद के बदले कुछ दे। यह भी जरूरी नही था कि विकासशील देश अपने बाजार बडे राष्ट्रो के लिये खोले। आठवे चक्र मे भी विकासशील देशो को कुछ पृथक प्रतिबन्धो की छूट दी गई है। किन्तु हम इन छूटो से

सतुष्ट नही है। अभी तक भारत को विश्व समुदाय से विशेष सहूलियते मिलती रही है क्योकि हम एक विकासशील देश है। हमे विश्व बाजार मे प्रतिस्पर्धा का भी कोई अनुभव नही रहा है।

पिछले 50 वर्षो मे भारत सरक्षित बच्चे की तरह बडा हुआ है जिसे अतर्राष्ट्रीय सगठनो एव मित्र राष्ट्रो से हमेशा उदार ऋण एव अनुदान मिलते रहे है। और हम विकास के लिये पर्याप्त ससाधनो को जुटाने मे असफल रहे है। जिसके कारण प्रति व्यक्ति ऋण 3000 रूपये का हो गया है। हमने सोना बधक रखकर अपनी इज्जत बचाई। अब हमारे सामने यह चिन्ता है कि हम किस प्रकार से सरक्षण के दायरे से बाहर आये यह बडी बिडम्बना की बात है कि हम विश्व मे एक बडी अर्थ शक्ति के रूप मे उभरना भी चाहते है और साथ ही विश्व समुदाय से विशेष दर्जा एव सहूलियते भी प्राप्त करते रहना चाहते है।

यदि हमे अपने कृषि उत्पादन मे तेजी लानी है तो हमे कुछ बातो पर विशेष ध्यान देना होगा। यथा 1 विनियोग स्तर मे बढोत्तरी 2 भूधारण अधिकार विवादो का निष्पादन 3 ऋण उपलब्धता मे बढोत्तरी 4 सही मूल्य नीतियो की स्थापना 5 उत्पादन बढाने के लिये नई तकनीको को अपनाना 6 सरकारी छूट 7 कृषि मे बढोत्तरी के लिये प्रशुल्क नीतिया।

ऐसी मूल्य नीतिया बनाई जानी चाहिये जो कि किसानो को सही प्रतिफल दे सके। यह सही है कि एक सीमा तक ही सरकारी छूट को औचित्यपूर्ण ठहराया जा सकता है। इस सबध मे यह बताना जरूरी है कि जो उच्च दर्जे का सरक्षण पहले उद्योग को दिया गया था उसी तरह का सरक्षण कृषि को भी देना होगा। आज जो असतुलन है उसे हम ठीक कर सकते है यदि हम उद्योगो की दिये जाने वाले सरक्षण मे कमी लाये और कृषि उत्पादनो विशेषकर निर्मित कृषि उत्पादन को निर्यात का प्रश्रय दे आज कृषि उत्पादनो के निर्यात की व्यापक सभावनाए है न केवल किसानो के हितो के लिये बल्कि बकाया धन अदायगी को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। भारत सरकार ने 1993–94 मे 3000 करोड रूपयो की खाद्यान एव उर्वरक आर्थिक सहायता प्रदान की। 1990 91 मे कृषि उत्पादन 176 40 मिलियन टन था जो कि 1992–97 मे बढकर 196 20 मिलियन टन हो गया। यद्यपि यह उन्नति का सूचक है फिर भी यह विश्व व्यापी आर्थिक विकास की तुलना मे काफी कम है।

उदारीकरण के अतर्गत यह भी जरूरी है कि देश के आतरिक बाजार की जरूरतो पर कृषि उत्पादनो को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी अवरोध के आने जाने दिया जाये। घरेलू सरकारी सहायता पर कटौती हेतु डकल प्रस्ताव मे कहा गया है कि प्रत्येक सरकार को (Aggregate Measure of Support) ए०एम०एस० की गणना करना होगा। आर्थिक सहायता को दो हिस्सो मे विभाजित किया गया है –

गैर उत्पाद विशिष्ट एन०पी०एस० (Non Product Specific) और उत्पाद विशिष्ट एन०पी०एस० (Non Product Specific) के अतर्गत पानी (सिचाई), बिजली, खाद/उर्वरक, बीज, ऋण कीटनाशक आदि तथा सभी प्रकार की फसले न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा अन्य प्रति फसल आर्थिक सहायता को पी०एस० की श्रेणी मे रखा गया है। 22 प्रकार के कृषि उत्पादनो– गेहूँ, धान, गन्ना, दाल, खद्यान तेल, आदि पी०एस० के अतरगत आते है जिन पर भारत न्यूनतम समर्थन मूल्य देता है। पी0एस0 क्षेत्र मे ए०एम०एस० की बहुत से उत्पादो मे नकारात्मक गणना की गई है और एक या दो उत्पादो पर सकारात्मक किन्तु 10% से कम आकी गई है यह भी सभव है कि यदि इन उत्पादो पर छूट दी गई तो ये 10% से अधिक हो जायेगे। भारत की घरेलू समर्थन कार्यक्रमो को प्रभाहीन बनाए रखने के लिये अतिरिक्त लोचपन की आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध मे कई प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते है जैसे क्या गैट 1994 के लागू हो जाने के पश्चात विश्व व्यापार व्यवस्था और भी मुक्त एव सुदृढ हो जायेगा? क्या अब विश्व मे न्यायोचित व्यापार व्यवस्था होगी, जिसमे कमजोर राष्ट्रो के हितो को ध्यान मे रखा जायेगा? क्या नई व्यवस्था अमरीका और अन्य आर्थिक शक्तियो के एकाधिकार को समाप्त कर सकेगी? विश्व मे टेक्नोलाजी बाजार मे और विकासशील देशो मे तकनीक वृद्धि पर क्या असर होगा? उत्तर सभव नही है।

अप्रैल 1994 तक लगभग सभी देशो ने गैट 1994 का अनुमोदन दिया है और इसकी सस्थागत इकाई विश्व व्यापार सगठन जुलाई 1995 से इसका स्थान ले लिया है। गैट 1994 के बाद से निम्न सभावनाए व्यक्त की गयी है यथा –

1 सभी देश आज से अधिक बेहतर स्थिति मे होगे।

2 कुछ राष्ट्र अन्य से मजबूत स्थिति मे होगे।

3 कुछ देशो की स्थिति बहुत खराब हो जायेगी या

4 सभी देश खराब स्थिति मे होगे।

अतिम परिणाम (2) और (3) परिदृष्यो के मध्य कही स्थित होगा। यदि आज की खराब स्थिति वाले देश बेहतर स्थिति मे नही पहुँच जाते है तो स्थिति और बिगड सकती है सभी सूचक इस बात की ओर इगित करते है कि अतिम परिणाम कुछ मिले जुले असर वाले होगे।

यह अनुमान किया जाता है कि वस्तुओ का व्यापार और उदार होगा परन्तु इसकी सापेक्षिक लाभ या हानि के बारे मे तभी पता चलेगा जब विभिन्न देशो की उदारीकरण प्रक्रिया चालू होगी। उपलब्ध आर्थिक टिप्पणियो के अनुसार आगामी दस वर्षो मे गैट 1994 के लागू हो जाने के बाद विश्व व्यापार मे लगभग 200 बिलियन डालर तक की वृद्धि होगी। इसमे भारत तथा अन्य देशो की कितनी भागीदारी होगी इसकी परिकल्पना करना सभव नही है।

टोकियो दौर की गैट वार्ता के बाद 'बेला बेलासा' द्वारा बताये गए तुलनात्मक परिणामो के बारे मे हम ध्यान दिलाना चाहेगे। सभी नीतियो की जाच के बाद उन्होने पाया कि विकसित राष्ट्रो मे सरक्षण की दरो मे वृद्धि उन क्षेत्रो मे हुई है जिन पर टैरिफ मे टोकियो दौर के बाद कटौती की गई है और जो कि विकासशील देशो के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से विदेशी प्रदायक को स्वदेशी प्रदायक की तुलना मे बाजार मे प्रवेश मे विशेष लाभ की सभावना नही है। इस व्यापार खेल मे स्वदेशी प्रदायक का पलडा ही भारी है। अत गैट 1994 के परिणामो के लिये हमे अभी 2004 तक और इन्तजार करना होगा जिसका सेवा क्षेत्र, वस्त्र, कृषि, ट्रिम्स और ट्रिप्स समझौतो पर व्यापक असर पडेगा।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रशासन और बहुराष्ट्रीय कम्पनियो मे आपसी सबध होना स्वाभाविक है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार को बहुराष्ट्रीय निगम अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए इस्तेमाल करेगे। जैसा कि ओ एल आई (स्वामित्व स्थान निर्धारण एव अन्तर्राष्ट्रीयवाद) ढाचे मे है। बहुराष्ट्रीय निगम उत्पादन क्रिया को अपनी सुविधानुसार अपने देश मे या बाहरी क्षेत्रो मे करना चाहेगे क्या अपने पेटेन्टो के लिए एम एन सी एस अनिवार्य लाइसेन्स प्रदान करना चाहेगे और इसके बदले मे रायल टी लेना चाहेगे? वे विभिन्न देशो मे अपने अपने क्षेत्र सुरक्षित करके फर्मो के लिये बौद्धिक सम्पदा अधिकार को रजिस्टर्ड करालेगे जिससे भौगोलिक प्रतिस्पर्धा घटे जो आई पी आर प्रशासन फाइनल एक्ट मे प्रस्तावित है उसमे एम एन सी एस को सभी तरह की

अपनी इच्छाओ के लिए विकल्प मौजूद है। ट्रिप्स समझौते के प्रस्तावना मे साफ तौर स्वीकारा गया है कि बौद्धिक सम्पदा अधिकार निजी अधिकार है। इसमे राष्ट्रीय व्यवहार और परममित्र राष्ट्र (एम एफ एन) व्यवहार के प्राविधान है। औषधियो और कृषि केमिकल के लिए पाच वर्षीय सम्पूर्ण बाजार अधिकार का प्राविधान है। यहॉ तक कि वे देश जैसे कि भारत जहा उत्पाद पेटेन्ट प्रशासन नही है उन्हे दस वर्षो का समय दिया गया है ताकि वे अपने यहॉ नए प्रशासन को लागू कर सके। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे प्राविधान है जिनके अतर्गत राष्ट्रीय विपदा के समय या गैर वाणिज्य इस्तेमाल के लिये अधिकार धारक की स्वीकृत के बिना ही पेटेन्टो का उपयोग किया जा सकता है। इस अपवाद के अतर्गत पेटेन्ट अधिकार धारक को बाद मे ठीक तरह से उसका पर्याप्त प्रतिफल चुकाना पडेगा। परन्तु यह स्पष्ट नही है कि राष्ट्रीय विपदा, गैर वाणिज्य उपयोग पर्याप्त प्रतिफल आदि का क्या अर्थ है।

ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रिप्स मे पेटेन्ट धारको के अधिकारो पर अधिक ध्यान दिया गया है और उनके कर्तव्यो पर कम विवाद निपटारा सहमति के प्रविधानो के अतरगत सेवा और वस्तु के प्रतिकार पर किसी भी प्रकार के निलम्बन या छूट की वापसी की जा सकती है और यह यू०एस० व्यापार अधिनियम की धाराए 301, सुपर 301 या स्पेशल 301 का ही प्रतिरूप है।

अध्याय : 6

विश्व व्यापार संगठन

स्थापना:

विश्व व्यापार सगठन (W T O) की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। 15 दिसम्बर 1993 को उरूग्वे दौर की वार्ता सम्पन्न हुई और विश्व के विभिन्न देशो के मत्रियो ने अप्रैल 1994 मे मराक्केश, मोराक्को मे हस्ताक्षर करके इस राजनैतिक सरक्षण प्रदान किया। 15 अप्रैल 1994 को हुए मराक्केश घोषणा क अनुसार उरूग्वे दौर के नतीजो से विश्व अर्थव्यवस्था सुदृढ होगी और इसकी वजह से अधिक व्यापार, निवेश रोजगार तथा आय स्रोत मे विश्वव्यापी वृद्धि होगी। विश्व व्यापार सगठन उरूग्वे दौर की वार्ता का नतीजा है और गैट का उत्तराधिकारी भी है। उरूग्वे दौर के दौरान लिये गये निर्णय व उसके परिणाम को लागू करने के लिये विश्व व्यापार सगठन को आवश्यक साधन के रूप मे प्रस्तुत किया गया जो सस्थागत ढॉचा है। विश्व व्यापार सगठन का उद्देश्य अनुच्छेद (2) और प्रस्तावना मे विश्व व्यापार सगठन की स्थापना रो सम्बन्धित समझौते मे भारत इसके स्थापना करने वाले सदस्यो मे से एक है। इसकी सदस्यता से भारत को क्या लाभ होगा इसकी चर्चा हम प्रभाव वाले अध्याय मे करेगे।

विश्व व्यापार संगठन के कार्य एवं सिद्धान्त

विश्व व्यापार सगठन का कार्यालय जेनेवा, स्वीटजर लैण्ड मे स्थित है इसके निम्न कार्य है –

1 बहुपक्षीय एव बहुउद्देश्यीय व्यापारिक समझौते को प्रभावित एव परिचालित करना।

2 बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के लिए एक मच के रूप मे कार्य करना ।

3 व्यापार विवादो का निस्तारण करना ।

4 राष्ट्रीय व्यापार नीतियो की देख–रेख करना ।

5 विश्व की अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाए जो विश्व आर्थिक नीतियो का बनाती है उनके साथ मिलकर कार्य मे सहयोग करना।

विश्व व्यापार सगठन जैसा कि अनुच्छेद 3 मे परिभाषित है उसका एक कार्य यह भी है कि (आर्थिक नीति निर्णय मे विश्व स्तर पर अधिकतर सौहार्द कायम करना, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण बैक तथा इससे सम्बद्ध अभिकरणो के साथ सहयोग कायम करना है) विश्व आर्थिक नीति निर्णयन मे अधिकतर सौहार्द कायम करने के सम्बन्ध मे मराक्केश समिति ने एक विस्तृत उद्घोषणा की। परन्तु विश्व आर्थिक नीति निर्णयन वर्तमान सन्दर्भ मे दुर्भाग्य से इसके परिणाम विश्व बैक एवम् अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के अनुकूल नही थे।

व्यापार प्रणाली के सिद्धान्त :

विश्व व्यापार सगठन समझौते के अन्तर्गत 21 विधिक अध्याय है जिनके अन्तर्गत कृषि एव वस्त्र, सेवा एव सरकारी खरीद तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकार

समिलित है। इसके अतिरिक्त 25 और अनुसचवीय घोषणा/निर्णय तथा समझौते की भी चर्चा की गयी है।

भेद—भाव रहित व्यापार :

पूर्व गैट और वर्तमान मे विश्व व्यापार सगठन का मुख्य उद्देश्य भेद—भाव रहित व्यापार की स्थापना है। लगभग 50 वर्षो तक गैट के प्राविधान भेद—भाव को मिटाने मे लगे थे। साथ ही सदस्य देशो के निर्यात एव स्वदेशी उत्पादो मे भेद—भाव को दूर करने के उद्देश्य से कार्यरत थे। अनुच्छेद (1) के अनुसार अति मित्र राष्ट्र (M F N) के उपनियम के अर्न्तगत सदस्य देश इस बात के लिए बाधित थे कि वे अन्य सदस्य देशो के उत्पादो के साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा कि वे विश्व के किसी अन्य देश के उत्पाद के साथ करते है। दूसरे तरीके के अर्न्तगत जिसे राष्ट्रीय नीति कहते है यह जरूरी है कि एक बार उत्पाद बाजार मे आ जाय तो उन्हे स्वदेशी उत्पादो के समरूप ही मानना होगा। यह गैट का अनुच्छेद (3) है। इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार सगठन समझौते मे बहुत से ऐसे प्राविधान है जो कि परम मित्र राष्ट्र तथा राष्ट्रीय व्यवहार नीति से सम्बन्धित है सेवाओ मे व्यापार पर सामान्य समझौता गैट के अर्न्तगत सदस्यो को अन्य सदस्यो की सेवाओ के लिए परम मित्र राष्ट्र का व्यवहार करना होगा।

सशोधित गैट (जिसे गैट 1994 कहते है) के अतिरिक्त कई अन्य विश्व व्यापार सगठन के समझौते परमित्र राष्ट्र और राष्ट्रीय उपचार से सबधित प्रविधान रखते है

कुछ अपवादो को छोडकर ट्रिप्स मे विश्व व्यापार सगठन सदस्यो के बोद्धिक सपदा सरक्षण से सबधित परम मित्र राष्ट्र और राष्ट्रीय व्यवहार गेटस क आवश्यकताओ का प्राविधान भी है। गैट्स के अतर्गत सदस्यो से अपेक्षा की गई है कि वे अन्य सदस्यो की सेवाओ और सेवा प्रदायियो को परम मित्र राष्ट्र का दर्जा प्रदान करे। परन्तु इसमे कुछ छूट भी प्रदान की गई है जिसके लिये शुरूवात मे सदस्य ऐसा कर पाने की स्थिति मे नही है। जहॉ ऐसी छूट दी गयी है उसपर पाच वर्ष बाद पुर्नमूल्याकन किया जायेगा और किसी भी सूरत मे उसे 10 वर्षो से अधिक नही रखा जायेगा। सक्रिय व्यवहार गैट्स के अन्तर्गत ही आता है जिसे सदस्य खास तौर पर सेवा या कार्य हेतु बनाते है। इसका अर्थ है कि सक्रिय व्यवहार सदस्यो के आपसी बात चीत का परिणाम है।

विश्व व्यापार सगठन समझौते के अन्य भेद भाव प्राविधानो के अन्तर्गत– आरम्भ (Origin) के नियम, माल लादने के पूर्व की जाच, व्यापार सम्बन्धी निवेश उपाय, और सिनेटरी एव फाइटो सेनेटरी उपाय।

गैट/विश्व व्यापार सगठन का मुख्य उद्देश्य मुख्यत वाणिज्यिक है, जो कि मुक्त व्यापार को बढावा देगा। सभी देश जिनमे गरीब भी सम्मिलित है उनके पास मानव, उद्योग, प्राकृतिक सम्पदा तथा आर्थिक सम्पत्ति होती है जिसे वे वस्तु उत्पादन मे तथा स्वदेशी बाजार के लिए सेवा मे लगा सकते है। तुलनात्मक लाभ का अर्थ है कि देश अपने यहा की सम्पत्ति को पूर्ण लाभ हेतु सबसे अच्छे उत्पादन के लिये लगा सकते है। बडे बाजार, स्वदेशी तथा विदेशी इन देशो को लाभ पहुचाने मे सहायक

होगे। व्यापार की उदार नीतिया वस्तुओ के आदान–प्रदान मे कोई भी रूकावट नही आने देती है तथा सेवा के लिये विस्तृत व्यापार पेश करती है।

विश्व व्यापार संगठन तथा गैटः

सामान्य आवधारणा के विपरीत विश्व व्यापार सगठन मुक्त व्यापार सस्था नही है। इसके अन्तर्गत सीमित दायरे मे ही प्रशुल्क एव अन्य तरीके के सरक्षण का प्राविधान है। यह नियमो की वह व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत खुला साफ तथा बिना बिगडे हुए प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था है। न केवल विश्व व्यापार सगठन की सदस्यता गैट से अधिक है (128 देश 1994 के अत मे), बल्कि वाणिज्य और व्यापार मे भी इसका दायरा बहुत विस्तृत है। जहा गैट केवल व्यापारिक वस्तुओ पर ही लागू होता था वही विश्व व्यापार सगठन के अन्तर्गत सभी प्रकार की वस्तुओ का यथा व्यापार, सेवाये तथा "विचारो के व्यापार" या बौद्धिक सम्पदा भी आते है।

गैट/विश्व व्यापार सगठन का सीधा विस्तार नही है बल्कि पूरी तरह से यह बदला हुआ स्वरूप है। गैट तथा विश्व व्यापार सगठन मे मुख्य अतर इस प्रकार है

1 गैट कोई स्थायी सस्था नही है यह केवल एक नियमो का जत्था है, एक बहुराष्ट्रीय समझौता है। इसकी उत्पत्ति 1940 के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सस्था पर आधारित थी, जबकि विश्व व्यापार सगठन एक स्थायी सस्था है जिसका अपना सचिवालय है।

2 गैट को गैर स्थायी रूप मे स्थापित किया गया था। यद्यपि 40 वर्ष बाद सरकारे इसे स्थाई रूप मे लेती है। विश्व व्यापार सगठन की वचनबद्धता पूर्ण तथा स्थाई है।

3 गैट के नियम व्यापारिक वस्तुओ पर लागू थे जबकि विश्व व्यापार सगठन इसके अतिरिक्त सेवा तथा बौद्धिक सम्पदा के व्यापार सम्बन्धित क्षेत्रो पर लागू होता है।

4 यद्यपि गैट बहुराष्ट्रीय व्यवस्था की ओर 1980 आते–आते इसमे अनेक नवीन समझौते जोड दिये गये इसके विपरीत विश्व व्यापार सगठन के समस्त समझौते बहुपक्षीय है और ये सभी सदस्यो पर लागू होते है।

5 विश्व व्यापार सगठन की विवाद निस्तारण व्यवस्था अधिक तीव्र तथा स्वचालित होने की वहज से इसमे व्यवधान कम उत्पन्न होते है जबकि गैट मे ऐसा नही था।

गैट का उरूग्वे दौर साफ तौर पर वार्ता के दौरान गरीब राष्ट्रो पर अमीर देशो की विजय को दर्शाता है। परन्तु गैट का नया अवतार विश्व व्यापार सगठन विश्व व्यापार व्यवस्था को नियम बद्ध करके उसे और सुदृढता प्रदान करता है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

विश्व व्यापार सगठन भाग लेते है और ये अनुसचवीय बैठक के अन्तर्गत कार्य करते है। इसकी प्रत्येक दो वर्षो मे एक बार बैठक होती है, और यह सभी बहुराष्ट्रीय

व्यापार समझौतो के तहत मुद्दो पर निर्णय लेने के लिये अधिकारी है। इसका दैनिक कार्य छोटी–छोटी समितिया देखती है मुख्यत जनरल कौसिल जिसमे सभी सदस्य सामिल होते है। और यह अनुसचवीय समिति के प्रति उत्तरदायी होती है। जनरल कौसिल की दो मुख्य उपसमितिया है– (1) विवाद निस्तारण (2) व्यापार नीति पुर्नपरीक्षण इसके अतिरिक्त तीन अन्य और समितिया है– वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार तथा बौद्धिक सम्पदा सम्बन्धी व्यापार।

विश्व व्यापार सगठन का संगठनात्मक ढाचा

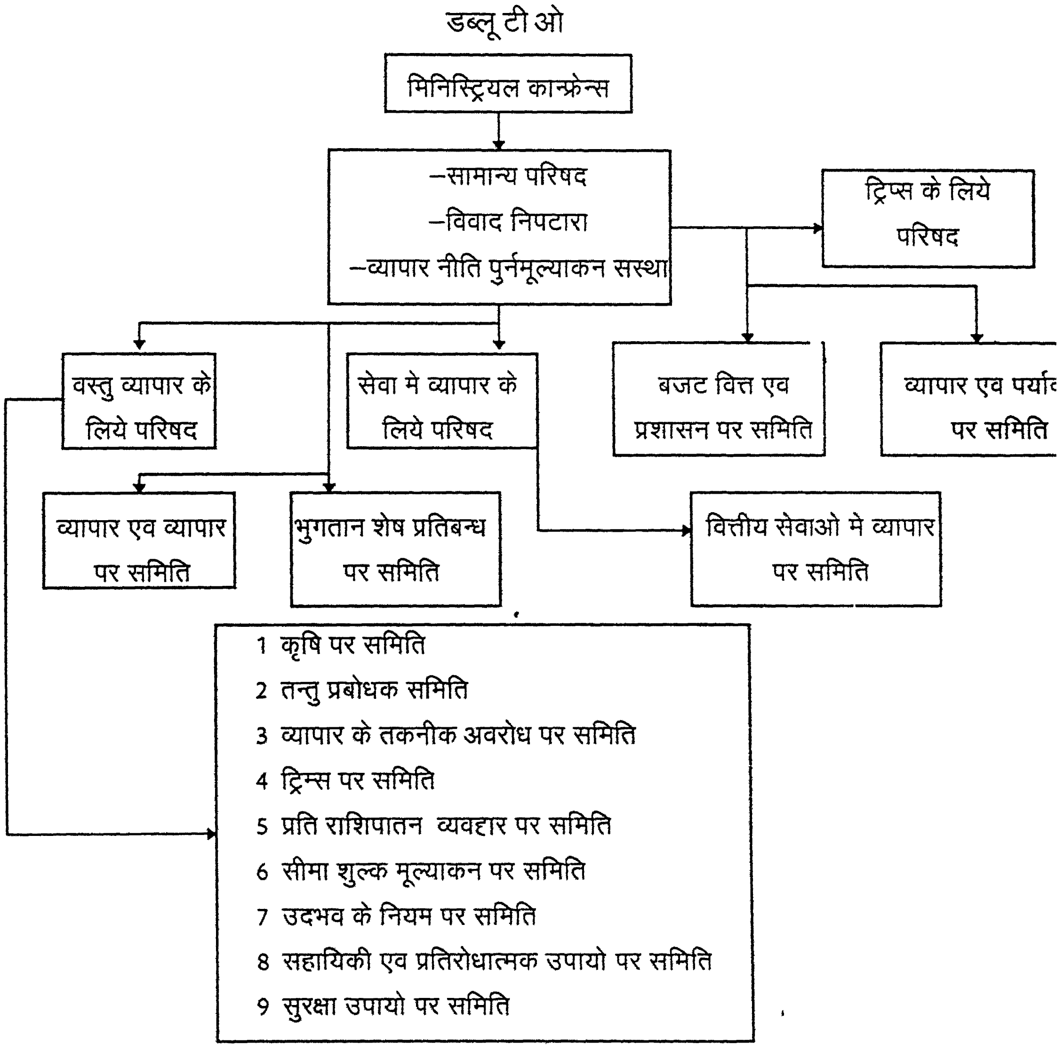

स्रोत *Dubey Muchkund An Unequal Treaty 1996 Page 104*

विश्व व्यापार संगठन सचिवालय और बजट :

विश्व व्यापार सगठन का सचिवालय जेनेवा मे स्थित है। इसमे 450 कर्मचारी है जिनका प्रमुख महानिदेशक ओर इनके चार उप–महानिदेशक है। इसका का कार्य है समझौतो को लागू करना और वार्ता हेतु प्रारूप तैयार करना। इसका प्रमुख कर्तव्य विकासशील देशो के तकनीकि सहायता प्रदान करना है खास तोर पर अल्प विकसित देशो को विश्व व्यापार सगठन के अर्थशास्त्री तथा साख्यिकी व्यापार निष्पादक और व्यापार नीतियो का आकलन करते है। जबकि इसका विधि कार्यालय व्यापार विवादो के निस्तारण मे सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त नये सदस्यो के प्रवेश हेतु वार्ता का माहौल तैयार करना तथा जो सरकारे सदस्यता ग्रहण करना चाहती है उन्हे सलाह प्रदान करना है।

विश्व व्यापार संगठन की कार्य प्रणाली :

निस्तारण प्रक्रियाः

विश्व व्यापार सगठन मे निर्णय मतदान की अपेक्षा आपसी सहमति से लिया जाता है ताकि सदस्यो के हितो पर पूरी तरह से विचार हो सके। यदि सहमति नही हो सकी तो मतदान प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसी परिस्थितियो मे बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है जिसमे एक देश एक मत का प्राविधान है।

विश्व व्यापार सगठन समझौते मे चार प्रकार की खास म''दान स्थितियो का वर्णन है। प्रथम, तीन चौथाई बहुमत से सदस्य किसी बहुपक्षीय व्यापार समझौते की व्याख्या को अपना सकते है। द्वितीय, इसी बहुमत से किसी खास सदस्य पर बहुपक्षीय समझौते के अतर्गत लागू किसी दायित्व को हटाया जा सकता ह। तृतीय, बहुपर्क्षीय समझौतो मे सशोधन या तो सभी सदस्यो की सहमति से किया जा सकता है या फिर दो–तिहाई बहुमत के आधार पर यह प्राविधान की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। किन्तु यह केवल उन सदस्यो पर लागू होगा जो उसे मानेगे। अतिम, नये सदस्य के प्रवेश का निर्णय दो–तिहाई बहुमत के आधार पर होगा।

विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बनने की प्रक्रिया:

अधिकतर विश्व व्यापार सगठन सदस्य वे है जो पूर्व मे गैट सदस्य थे जिन्होने उरूग्वे दौर के फाइनल एक्ट मे हस्ताक्षर किया था तथा मराक्केश बैठक 1994 मे जिन्होने वस्तुओ और सेवाओ के लिये अपने बाजार प्रवेश वार्ता का सम्पादन किया था। कुछ सदस्य जिन्होने 1994 के बाद मे गैट की सदस्यता ली थी वे भी वस्तु तथा सेवा वार्ता को समाप्त कर, अन्तिम एक्ट मे हस्ताक्षर करके विश्व व्यापार सगठन सदस्य बन गए। अन्य देश जिन्होने उरूग्वे दौर वार्ता मे भाग लिया उन्होने अपने–अपने यहा अनुसमर्थन प्रक्रिया की समाप्ति के उपरान्त 1995 मे विश्व व्यापार सगठन की सदस्यता ग्रहण की।

इन व्यवस्थाओ के अतिरिक्त जो कि "मूल" सदस्यो से सम्बधित है कोई भी राज्य या 'कस्टम टेरीटरी' जिसके पास अपनी व्यापार नितियो की पूर्ण स्वायत्तता है वह विश्व व्यापार सगठन सदस्यो की शर्तो पर विश्व व्यापार सगठन का सदस्य बन सकता है।

प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम स्तर पर इच्छुक सरकार को अपने व्यापार तथा आर्थिक नीतियो का एक ज्ञापन विश्व व्यापार सगठन को देना होता है। यही ज्ञापन प्रवेश के लिये जाच का आधार बनता है।

इसके साथ ही प्रार्थी सरकार सबधित सदस्य सरकारो से आपसी वार्ता कर वस्तुओ पर छूट एव बाध्यता तथा सेवाओ के लिये वचन बद्धता स्थापित करती है। प्रार्थी के व्यापारिक ढाचे और बाजार प्रवेश वार्ता की पडताल पूर्ण होने के उपरात प्रवेश हेतु मूलभूत शर्ते तैयार की जाती है।

अत कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर प्रवेश हेतु एक ड्राफ्ट प्रोटोकाल तथा आपसी वार्ता के आधार पर सहमति सूची को सामान्य सभा या मिनिस्ट्रियल सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि विश्व व्यापार सगठन की सदस्य दो–तिहाई बहुमत से इसे पारित करते है तो प्रार्थी प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर करने के लिये स्वतत्र है और सगठन मे आ सकते है।

बाजार में प्रवेशः

सरकारो तथा बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली द्वारा निवेशको, मालिको, कर्मचारियो और उपभोक्ताओ के लिये ऐसा व्यापारिक वातावरण प्रदान करना है जो व्यापार, निवेश और रोजगार को बढावा दे। ऐसे वातावरण को स्थिर एव स्थायी होना जरूरी है, खासतौर पर व्यापार की बढोत्तरी और उन्नति के लिये। सुरक्षित तथा स्थायी बाजार प्रवेश टैरिफ एव कस्टम शुल्क द्वारा ही बनाये रखा जा सकता है। जहा कोटे को गैट कानूनी घाषित कर दिया गया है वही विश्व व्यापार सगठन मे टैरिफ को कानूनी माना गया है जिसके द्वारा सरकारे अपने स्वदेशी उत्पादो और उद्योगो को सरक्षित करती है तथा अपनी आय मे वृद्धि भी लाती है। किन्तु इन पर कुछ प्रतिबन्ध भी है, जैसे आयात मे यह भेदभाव नही बरत सकती है। अत किसी उत्पाद पर जो टैरिफ स्तर बनाया गया है उसे कोई सदस्य स्वत नही बढा सकता है। ऐसा करने पर उसे अपने प्रमुख व्यापारिक पक्षो को मुआवजा देना होगा।

1948 मे गैट की स्थापना के बाद जो सात व्यापार दौर हुये उनसे बडे ही नाटकीय तरीके से प्रशुल्क (टैरिफ) स्तर नीचे गिरे। उरूग्वे दौर ने इसमे बढोत्तरी की और प्रशुल्क स्तर कही–कही पर शून्य हो गया इसके विपरीत ्धित प्रशुल्क व. स्तर ऊचा उठ गया।

प्रशुल्क कटौती, जो पाच वर्ष मे पूर्ण होगी उसके कारण विकसित राष्ट्रो के औद्योगिक उत्पादो मे 40 प्रतिशत की कटौती होगी जिसका औषत 6 3 प्रतिशत 3 8 प्रतिशत होगा ओर आयातित औद्योगिक उत्पादो मे जो विकसित राष्ट्रो मे शुल्क मुक्त है उन मे 22 से 44 प्रतिशत तक उछाल आयेगा। प्रशुल्क ढाचे मे अन्तत विकसित राष्ट्रो के सभी स्रोतो से हो रहे आयात जिन पर 15 प्रतिशत से ऊपर प्रशुल्क लगता है वे 7 से 5 प्रतिशत तक गिर जायेगे और विकासशील देशो से होने वाले आयात मे 1 से 5 प्रतिशत की कमी आयेगी।

उरूग्वे दौर ने सीमित उत्पादो मे बढोत्तरी का प्रतिशत विकसित राष्ट्रो के लिये 78 से 99 प्रतिशत विकासशील अर्थव्यवस्थाओ के लिये 2 से 73 प्रतिशत और परिवर्तनशील अर्थव्यवस्थाओ के लिये 73 से 98 प्रतिशत कर दिया है। यह ऐसे परिणाम है जो कि उच्च स्तर की बाजार सुरक्षा व्यापारियो तथा निवेशको को प्रदान कर रहे है।

कृषि उत्पादो के सभी गैर-प्रशुल्क आयात प्रतिबधो के प्रशुल्कीकरण से कृषि उत्पादो बाजार स्थिरता का स्तर काफी ऊचा हुआ है। पहले लगभग 30 प्रतिशत कृषि उत्पादो पर कोटा या आयात प्रतिबध थे। ये सभी अब प्रशुल्क मे परिवर्तित कर दिए गये है जिससे इन्हे पूर्ववर्ती गैर-प्रशुल्क सरक्षण का स्तर तो मिला ही है साथ ही उरूग्वे दौर के कृषि समझौते के अनुसार छ वर्षो के भीतर कम कर दिया जायेगा।

कुछ उत्पादो पर पूर्व मे जो प्रतिबध थे वे कृषि पर बाजार प्रवेश द्वारा समाप्त हो जायेगे।

कई अन्य विश्व व्यापार सगठन समझौते इस बात की व्यवस्था करते है। कि सरकारे अपनी स्वेच्छा से नियम नही बदल सकी जिसके फल स्वरूप निवेश और व्यापार का भविष्य स्थिर रह सके। लगभग सभी नीतियो मे इस बात का ध्यान दिया गया है कि विद्वेशपूर्ण, भेदभावपूर्ण और अपने उत्पादो को सरक्षण की नीतियो पर विश्व व्यापार सगठन रोक लगा सकता है।

स्वदेशी नियमो, कानूनो और आचार पर पारदर्शिता के द्वारा स्थित व्यापार का भविष्य तैयार किया जा सकता है। कई विश्व व्यापार सगठन समझौते पारदर्शिता प्राविधानो के बारे मे बतलाते है जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर नीतियो की घोषणा करना आवश्यक है। इन घोषणाओ के पुर्नमूल्याकन का कार्य विश्व व्यापार सगठन की सस्थाओ पर है। राष्ट्रीय व्यापार नीतियो का पुनरावलोकन (Trade Policy Review) स्वदेशी और बहुराष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शिता को बढावा देता है।

स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना :

विश्व व्यापार सगठन "मुक्त" व्यापार सस्था नही है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो खुले, स्वच्छ और सीधी प्रतिस्पर्धा को बढावा देता है।

गैर भेदभाव के नियम इस प्रकार से बनाये गये है ताकि व स्वच्छ और साफ माहौल मे व्यापार हो सके ओर इसी प्रकार के नियम डम्पिग और महारिकी के लिये भी बनाये है। पूर्व गैट नियम जिनके आधार पर सरकारे इन दो तरह की 'अनुचित प्रतिस्पर्धा पर क्षतिपूर्ति शुल्क लगाती थी उन्हे विश्व व्यापार सगठन समझौते मे और विस्तृत तथा साफ किया गया है।

कृषि पर विश्व व्यापार सगठन समझौता कृषि व्यापार मे ओर सुधार लायेगा। विचार और खोज को बौद्धिक सपदा तथा सेवा मे व्यापार को गैट्स इस प्रकार से सरक्षित करेगे। सरकारी खरीद पर बहुपक्षीय समझौते प्रतिस्पर्धा नियमो को हजारो वस्तुओ की खरीद पर कई राष्ट्रो मे लागू होगे।

विकास एवं आर्थिक सुधार को बढावा:

तीन–चौथाई से अधिक विश्व व्यापार सगठन के सदस्य विकासशील देश है या वे राष्ट्र है जहा आर्थिक सुधार के कार्यक्रम चालू है क्यो कि पहले यहा बाजार व्यवस्था की प्रणाली नही थी। उरूग्वे दौर के सात वर्षो मे 1986 से 1993 के मध्य 60 से अधिक राष्ट्रो ने व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम लागू किये। उरूग्वे दौर मे विकासशील देशो ने और परिवर्तनशील अर्थ व्यवस्थाओ मे बढ चढ कर और प्रभावी रूप मे हिस्सा लिया।

इससे यह साफ जाहिर होता है कि व्यापार व्यवस्था औद्योगिक राष्ट्रो के लिये नही होती अपितु सभी के लिये होती है। इसने इस बात मे भी परिवर्तन ला दिया जहा विकासशील देशो को कुछ गैट प्राविधानो और समझौतो मे छूट मिल जाती थी। उरूग्वे दौर की समाप्ति के बाद विकासशील देशो ने दिखा दिया कि वे उन दायित्वो को उठाने के लिये तैयार है जो कि विकसित राष्ट्रो द्वारा उठाये जा रहे है। उन्हे नये और कठिन विश्व व्यापार सगठन प्राविधानो को अपने यहा ढालने के लिये परिवर्तन का समय दिया गया, खास तौर पर गरीब और अल्प विकसित देशो को। इन राष्ट्रो को हर प्रकार की सहायता, जिसके अन्तर्गत तकनीकी सहायता मे बढोत्तरी प्रमुख है, प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। जहा तक विकास के मूल्य की बात है तो खुली बाजारमुखी नीतिया, जो विश्व व्यापार सगठन सिद्धातो पर आधारित है उन्हे अपनाया गया है। परन्तु इन नीतियो को लागू करने के लिये लचीलेपन पर भी जोर दिया गया है।

निर्यात बढ़ोत्तरी हेतु विशेष सहायता:

अपने निर्यात को बढाने हेतु, विकासशील देशो के आग्रह पर गैट ने 1964 मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र (International Trade Centre) की स्थापना की। यह विश्व व्यापार सगठन और सयुक्त राष्ट्रो, दोनो के द्वारा साथ–साथ चलाया जाता है। सयुक्त राष्ट्र इसे अकटाड के माध्यम से देखता है।

केन्द्र विकासशील देशो के आग्रह पर उन्हे निर्यात उन्नति कार्यक्रमो को लागू करने हेतु सहायता प्रदान करता है। इसके साथ ही आयात प्रक्रिया और तकनीकि देने मे भी सहायता करता है। यह निर्यात बाजार और बाजार तकनीको पर सूचना तथा सलाह भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त निर्यात वृद्धि और बाजार सेवाओ मे सहायता प्रदान करता है। साथ ही इन सेवाओ के लिये प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। अल्पविकसित देशो के लिये केन्द्र निशुल्क सहायता प्रदान करता है।

अन्य प्रावधान :

विश्व व्यापार सगठन के प्रावधानो के माध्यम से सयुक्त राष्ट्र व्यापार एव प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 301 को वैधानिक एव सार्वजनिक बनाया गया है। अब प्रत्येक विकसित देश अन्तर प्रतिशोधात्मक विवाद निस्तारण हेतु धारा 301 को बिश्व व्यापार सगठन के माध्यम से अपनायेगा। सयुक्त राष्ट्र अब भी उन व्यापारिक क्षेत्रो मे जो विश्व व्यापार सगठन की परिधि मे नही है धारा 301 को लागू करेगा। विश्व व्यापार सगठन 14(4) यह व्यवस्था करता है कि प्रत्येक सदस्य इसके नियमो, प्रतिबन्धो एव प्रसाशनिक प्रक्रियाओ को लागू करने के लिये सुनिश्चित करेगा जो कि इसके परिधि मे आते है।

विश्व व्यापार सगठन के सम्बन्ध मे अब स्थित यह है कि या तो कोई भी देश बिना आरक्षण के इसके सभी प्रावधानो को स्वीकार करे या तो विश्व व्यापार की धारा

से अलग हो जाये। इसके अतिरिक्त जो विश्व व्यापार सगठन का सदस्य नही है वह 'गैट' का भी सदस्य नही हो सकता क्योकि उरूग्वे दौर के समय गह तय हो गया था कि 'गैट' विश्व व्यापार सगठन मे समाहित है।

विकासशील देशो को किसी भ्राति के अन्दर नही रहना चाहिए जिसमे वे विश्व व्यापार सगठन के अन्तर सम्बन्धो का प्रयोग कर सके। अपने आर्थिक विकास के निम्नतर स्थिति और विकास प्रक्रिया को बनाये रखने के लिये विकसित देशो से आयात की निर्भरता तथा आवश्यकताओ के साथ जो विकसित कमजोर, सौदेबाजी की शक्ति के कारण विकासशील देश कदाचित गैट के अनुच्छेद (23) के अन्तर्गत बदला लेने के योग्य होते थे यह वास्तव मे सु विचार है कि वे अब साधारणतया बदला लेने मे समर्थ है क्योकि इस समय बदला के लिये तमाम वैकल्पिक क्षेत्र है।

संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व व्यापार संगठन :

विश्व व्यापार सगठन की स्थापना मे जो लोग अग्रणी रहे उनका दृष्टिकोण सयुक्त राष्ट्र एव गैट के बीच स्थापित सम्बन्धो का चित्रण करना था। गैट और सयुक्त राष्ट्र के बीच कभी भी कोई औपचारिक समझौता नही हुआ। क्योकि गैट का स्वाभाव एक अतरिम व्यवस्था तक सीमित था न कि पूर्ण रूपेण अन्तर्राष्ट्रीय सगठन का, यद्यपि सयुक्त राष्ट्र के महासचिव और गैट के महानिदेशक के बीच पत्रो का आदान प्रदान गैट सचिवालय और सयुक्त राष्ट्र के सम्बन्धो की ओर सकेत करता है।

उपर्युक्त वर्णित पत्रो की श्रृखला मे गैट व्यवहारिक रूप से सयुक्त राष्ट्र विशिष्टीकृत अभिकरण माना जाता है। यद्यपि गैट वास्तविक रूप से सुयुक्त राष्ट्र की अधिक विशिस्टीकृत अभिकरण के रूप मे कार्य नही किया, न तो अन्य माध्यमो से ही सभी उद्देश्यो के लिये गैट एक स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय सगठन के रूप मे सयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के बाहर कार्य करता रहा है। सयुक्त राष्ट्र का विश्व व्यापार सगठन के आगमन से कोई लेना देना नही है, विश्व व्यापार सगठन समझौता महानिदेशक (विश्व व्यापार सगठन) के साथ होगा न कि सयुक्त राष्ट्र के महासचिव के साथ।[1]

विश्व व्यापार सगठन समझौते मे सयुक्त राष्ट्र के विषय मे अलग से कुछ भी नही वर्णित है जो कि "अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो" के वर्गीकरण मे आता है। विश्व व्यापार सगठन का अनु० 5(1) व्यवस्था करता है कि "विश्व व्यापार सगठन " की सामान्य परिषद के अन्तरगत सरकारी सगठनो जो कि विश्व व्यापार सगठन के दायित्व से सम्बन्धित है उनके साथ सहयोग के लिये उचित कदम उठायेगा।[2] वर्ष 1994 के प्रारम्भ मे सयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने गैट के महानिदेशक सयुक्त राष्ट्र एव विश्व व्यापार सगठन के सम्बन्धो के प्रश्न पर एक पत्र लिखा था। महासचिव ने अपने 30 मार्च 1994 के पत्र मे यह सकेत दिया था कि सयुक्त राष्ट्र व्यवस्था विश्व व्यापार सगठन के साथ पूरा सहयोग करने को तैयार है। उन्होने यह भी सकेत दिया कि विश्व

---

1 Dubey, Muchkund An Unequal Treaty, 1996, Page 111
2 वही, पृष्ठ 112

व्यापार सगठन एक महत्वपूर्ण दूरी को कम करेगा और सयुक्त राष्ट्र व्यवस्था मे एक महत्वपूर्ण भागीदार जुडेगा।[3] परन्तु इसके बाद की प्रगति इस बात का सकेत करती है कि बडी आर्थिक शक्तिया तथा विश्व व्यापार सगठन के सदस्य विश्व व्यापार सगठन को सयुक्त राष्ट्र व्यवस्था से जोडने मे रूचि नही रखते।

सयुक्त राष्ट्र का अनु० 57 विश्व व्यापार सगठन जैसे सगठनो के लिये सयुक्त राष्ट्र के साथ सम्बन्धो को स्वैच्छिक बताता है।[4]

विश्व व्यापार संगठन एवं अंकटाड :

गैट एव अकटाड को विश्व अन्तर्राष्ट्रीय व्यपार सगठन (विश्व व्यापार सगठन) को आशिक प्रतिक्रिया थी जो कि अस्तित्व मे नही आ सकता। यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-सगठन स्थापित किया गया होता तो गैट इसका एक भाग होता। अकटाड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सगठन का स्वत अनुमानित हिस्सा होता। वर्ष 1964 मे अकटाड के प्रथम सत्र मे विकासशील देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सगठन को स्थापित करना चाहते थे परन्तु उस पर आम सहमति नही हो सकी और अकटाड को स्थापित करने पर ही सतोष करना पडा। अकटाड, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सगठन के विशिष्ट अभिकरण के रूप मे नही स्थापित किया जा सका जैसा कि सोचा गया था अकटाड

---

3 Dubey, Muchnd Unequal Treaty, 1996 Page 112
4 Ibid, Page 113

महा सभा के प्राधिकृत काम करता है। गैट की तरह विश्व व्यापार सगठन भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सगठन नही है जैसा कि उसकी घोषण मे कहा गया था।[5]

विश्व व्यापार संगठन का भारत एव विकासशील देशों पर प्रभाव.

विश्व व्यापार सगठन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव विकासशील देशो के दृष्टिकोण से अन्तर सम्बन्धो की विकृति को अनुमति देना है। विश्व व्यापार सगठन विवाद निपटारे की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 22(3) के अनुसार "सामान्य सिद्धात यह है कि शिकायत करने वाले पक्षकार को पहले उस क्षेत्र की रियायत को स्थगित करना होगा।" और यदि यह समझता है कि "यह व्यवहारिक या प्रभावी नही है" तो "उसी समझौते के तहत अन्य क्षेत्रो मे भी रियायत या छूट स्थगित कर दी जायेगी। भारत उन 76 अन्य देशो मे से एक है जो विश्व व्यापार सगठन की स्थापना के प्रथम दिवस पर ही उसके सदस्य बन गये थे। इसके साथ ही इसके समर्थन एव विपक्ष मे लोगो ने विचार प्रकट किये है–

समर्थन :

1 हम उन कुछ विकासशील देशो मे से एक है जिन्होने सफलतापूर्वक उदारीकरण कार्यक्रम लागू किया है। विश्व व्यापार सगठन सदस्यो मे तीन–चौथाई के ऊपर विकासशील देश है जहा आर्थिक सुधार कार्यक्रम चालू

---

5 वही पृष्ठ 115

है। इन सभी देशो ने काफी विचार विमर्श के बाद ही विश्व व्यापार सगठन मे सम्मिलित होने का निर्णय लिया है। अत यह स्पष्ट है कि उन्हे सदस्य बनने से आर्थिक लाभ होने की आशा होगी। भारत को इसमे अपवाद नही होना चाहिये।

2 विश्व व्यापार सगठन मात्र औद्योगिक राष्ट्रो के लिये है, यह आलोचना तर्क सगत नही है। 1986 से 1993 के सात वर्षो के दौरान उरूगवे दौर मे साठ से अधिक विकासशील राष्ट्रो ने उदारीकरण कार्यक्रमो को लागू किया है। कुछ ने गैट वार्ता मे प्रवेश के लिये तो कुछ ने स्वत ही ऐसा किया है। इस दौरान विकासशील देश तथा आर्थिक परिवर्तनशील देशो ने उरूग्वे दौर की वार्ता मे खुल कर एव प्रभावी रूप मे भाग लिया।

3 उरूग्वे दौर की समाप्ती के बाद विकासशील देश उन सभी दायित्वो के निर्वाह के लिये तैयार हो जो कि विकसित राष्ट्रो के जिम्मे थे। जो अति गरीब राष्ट्र के जिम्मे थे जो अति गरीब राष्ट्र है उन्हे इस बीच के समय मे समाहित होने के लिये ताकि वे विश्व व्यापार सगठन के कठिन एव नये प्राविधानो को ठीक से समझ सके इस लिये उन्हे अतिरिक्त समय दिया गया है। इसके अतिरिक्त इन राष्ट्रो को विश्व व्यापार सगठन समझौते के अतर्गत हर प्रकार की आर्थिक एव तकनीकी सहायता प्रदान कराई जायेगी। अत विश्व व्यापार सगठन के

सिद्धातो पर आधारित खुले बाजार की नीतियो का व्यापक तौर पर स्वागत किया गया है। इस लिये यह आवश्यक है कि इन नीतियो को अमल मे लाने के लिये विकासशील राष्ट्र अपनी नीतियो मे कुछ लचीलापन लाये।

4 भारत के लिये विश्व व्यापार सगठन का असली महत्व इसके द्वारा राष्ट्र के विकास मे आयात उद्योग को बढावा मिलने से है। तकनीकी विकास एव रोजगार उपलब्धि हेतु आवश्यक है कि अन्य राष्ट्रो के लिये भारत अपने पट खोले। अर्द्ध–आर्थिक स्वतत्रता की प्रणाली जो पूर्व मे हमने अपनाई थी उससे स्वदेशी उद्योग तथा कृषि के विकास मे काफी सहायता मिली। परन्तु इसमे आतरिक सक्रियता की कमी थी। सक्षिप्त मे यह एक बद प्रणाली थी जहा विकास एव विस्तार के लिये कोई रास्ता नही था। आगे बढने के लिये उद्योग को वाह्य व्यापार तथा निर्यात बाजार मे भागीदारी से ही प्राप्त होगा।

5 एक और कारण है जिसकी वजह से भारत को विदेशी बाजार की आवश्यकता है। काफी लम्बे समय से हम यह मानते चले आ रहे है कि हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र एव स्वत पूर्ण है। किन्तु सत्य यह है कि पेट्रोलियम, उर्वरक, पूजी उत्पाद, कच्चे माल एव जीवन दायनी दवाओ के लिये भारतीय अर्थ व्यवस्था काफी हद तक आयात पर निर्भर है। जब तक हम आयात पर निर्भर रहेगे तक तक हमे इन आयातो की देनदारी के लिये निर्यात करने की जरूरत रहेगी।

6 भारत को जब तक आयात–निर्यात की आवश्यकता है हम बहुराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था से बाहर नही रह सकते है। यही कारण है कि चीन, जो कि विश्व का आखिरी बडा समाजवादी देश बचा है, वह भी विश्व व्यापार सगठन मे प्रवेश पाने के लिये प्रायासरत है।

7 भारत यदि विश्व व्यापार सगठन का सदस्य बनता है तो वह अतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र, जो कि विश्व व्यापार सगठन तथा सयुक्त राष्ट्र द्वारा सचालित है, उसका लाभ उठा सकता है। अतर्राष्ट्रीय व्यपार केन्द्र, गैट द्वारा 1964 मे विकासशील राष्ट्रो के आग्रह पर स्थापित किया गया था ताकि उनके आयात को बढावा मिल सके।

यह केन्द्र विकासशील देशो को निर्यात विकास के लिये हर प्रकार की मदद करता है। यह निर्यात बाजार एव बाजार तकनीक के बारे मे भी हर प्रकार की सूचना प्रदान करता है ताकि पिछडे राष्ट्रो के उत्पादो के निर्यात को बढावा मिले।

8 विश्व बैक, आर्थिक सहयोग एव विकास सगठन तथा गैट सचिवालय के अनुमान के अनुसार उरूग्वे दौर वार्ता के लागू हो जाने के पश्चात विश्व आय मे प्रति वर्ष 213 से 274 मिलियन यू०एस० डालर कि वृद्धि होगी। गैट सचिवालय के अनुसार सन् 2005 मे व्यापारिक वस्तुओ के सम्पूर्ण व्यापार मे

745 बिलियन यू०एस० डालर की वृद्धि होगी। गैट सचिवालय यह भी बताता है कि सबसे अधिक वृद्धि कपडा 60 प्रतिशत कृषि, वन सम्पदा तथा मत्स्य उत्पादो 20 प्रतिशत की होगी। चूकि भारत का वर्तमान मे ओर भविष्य मे भी इन्ही क्षेत्रो मे सबसे अधिक निर्यात होगा अत यह तथ्य सत्य है कि भारत इसमे अधिक लाभ उठा सकेगा। यदि यह मान लिया जाये कि विश्व निर्यात मे भारत की भागीदारी 0 5 प्रतिशत से बढ कर 1 प्रतिशत की हो जाती है और हम जो भी अवसर मिलता है उसका लाभ उठा लेते है तो हमारे व्यापार मे प्रति वर्ष 2 7 बिलियन यू०एस० डालर की अतिरिक्त वृद्धि होगी। यदि हम थोडा उदार अनुमान मानते है तो 3 5 से 7 बिलियन यू०एस० डालर तक निर्यात मे वृद्धि होगी।

9 विश्व व्यापार सगठन सदस्यता का एक अन्य लाभ यह भी है कि भारत (या किसी भी देश) को दो पक्षीय व्यापार वार्ता एव समझौते नही करने पडेगे। विश्व व्यापार सगठन के सदस्य होने से हम सभी अन्य सदस्य देशो के साथ सीधे व्यापार पर सकते है बिना किसी अन्य समझौते के इस सदर्भ मे विश्व व्यापार सगठन को हम एक टेलीफोन एक्सचेन्ज के रूप मे देख सकते है।

10 उरूग्वे दौर पैकेज मे कई ऐसे क्षेत्र है जो कि बाजार मे प्रवेश से सबन्धितत है। इनमे से प्रमुख प्रशुल्क, वस्त्र तथा कृषि, भारत इन सभी मे क्षेत्रो मे लाभ की स्थिति मे है और सारे प्राविधान देश के हित मे है।

सदस्यता के विरोध में तर्क :

1 भारत तथा अन्य विकासशील देशो मे आख मूद कर विकसित राष्ट्रो द्वारा बिछाये गये जाल मे पदार्पण कर लिया। अतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैक के साथ मिल कर विश्व व्यापार सगठन केवल विकसित राष्ट्रो के हितो के लिये बनाया गया है। चाहे जितनी भी बाते की जाये विश्व व्यापार सगठन कभी भी विकासशील देशो के उत्पादो के लिये खुले व्यापार की व्यवस्था नहीं करेगा। यह ऐसा वातावरण तैयार करेगा जिसमे पूजीवादी देशो के प्रभुत्व एव प्रधानता ही सर्वोपरि हो। असलियत मे उरूग्वे दौर की वार्ता को अमरीका तथा पश्चिम यूरोप के दशो ने ही चालू करवाया ताकि उनके यहा के उद्योगो को नये बाजार मिल सके मुख्यता सेवा एव वित्तीय क्षेत्रो मे।

2 यद्यपि उरूग्वे दौर पैकेज मे दर्शाये गये क्षेत्र देखने मे भारत के लिये काफी हितकारी लगते है। परन्तु जो भी लाभ टैरिफ छूट एव कोटो के हटने से मिलेगे वे सब नये नियम एव कानून तथा व्यापार मे होने वाले व्यवधानो मे ही खो कर रह जायेगे।

3. समझौते में जो भी वर्णित है और हकीकत में जो भी क्रियान्वित होता है उसमें काफी अंतर है। उदाहरण के लिये विवाद निस्तारण प्रक्रिया। विश्व व्यापार संगठन समझौते के अनुसार विश्व व्यापार संगठन सदस्य किसी भी व्यापार विवाद के आपस में नहीं सुलझायेंगे बल्कि बहुपक्षीय विवाद समझौता प्रणाली के अंतरगत अपने विवादों को सुलझायेंगे और उसके निर्णय को मानेंगे।

परन्तु हाल ही में जापान और अमरीका के मध्य कार संघर्ष में प्रतिपादित प्रणाली का खुला उल्लंघन हुआ। कारों की बिक्री एवं कल पुर्जो पर हुए जापान और अमरीकी समझौते वाशिंगटन द्वारा प्रतिबन्धों की आड़ में कराये गये।

जो विवाद निस्तारण प्रक्रिया में हुआ वह अन्य प्राविधानों में भी हो सकता है। अमरीका अपने हितकारी व्यापार उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किसी भी विकासशील देश के विरूद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता जो कि विश्व व्यापार संगठन समझौते का खुला उल्लंघन है। आज यह जापान के खिलाफ हुआ है कल यह भारत, पाकिस्तान या बंगला देश पर हो सकता है।

विश्व व्यापार संगठन की पराजय :

अमरीका और जापानी वार्ताकारों द्वारा जेनेवा में जो समझौता अमरीका द्वारा जापानी कारों पर प्रतिबंध लगाये जाने के कुछ घंटों पूर्व हुआ वह बड़े जापानी कार बनाने वाली कंपनियों द्वारा 'स्वेच्छा' से क्रय प्लान के अंतरगत हुआ।

अमरीका द्वारा सुझाये गये व्यवस्था के अतर्गत जापान की पाच प्रमुख कार बनाने वाली कपनिययो को अमरीका मे 1998 तक अपने कार उत्पादन को 2 1 मिलियन से बढकर 2 65 मिलियन तक करना होगा। इस वृद्धि से अमरीका मे निर्मित कारो के कलपुर्जो मे 6 75 मिलियन यू०एस० डालर की बढोत्तरी होगी साथ ही 1998 तक जापान उत्तरी अमरीका मे निर्मित पुर्जो मे 56 प्रतिशत तक की वृद्धि करेगा। जापान मे बनाई जाने वाली कारो के प्रमुख निर्माताओ 6 विलियन यू०एस० डालर के विदेशी पुर्जो को खरीदना होगा। इस व्यवस्था के लिये अमरीका ने जापानी सरकार से गारण्टी मागी थी जिसे जापान ने अस्वीकार कर दिया। जापान को इस वार्ता मे कुछ सीमित लाभ अवश्य, हुआ परन्तु समझौते पर सारी निगरानी अमरीकी आटो इन्डस्ट्री अपनी सरकार के साथ मिलकर रखेगी।यदि जापानी कार उद्योगपति समझौते का उल्लघन करते है तो धारा 301 के अतरगत उन पर पुन कार्यवाही हो सकती है।

4 सबसे अधिक क्रय जो विश्व व्यापार सगठन के सबध मे व्यक्त किया जा रहा है वह है दवाओ और कृषि से सबधित सामान के दामो मे व्यापक वृद्धि।

निष्कर्ष :

सभी बातो को विचारने के बाद हम यह कह सकते है कि विश्व व्यापार सगठन सदस्यता हमारे लिये हितकारी होगी क्योकि इसका लाभ उठाने के लिये हमे अपने

उत्पादो एव सेवाओ मे सुधार लाना होगा ताकि हम विश्व बाजार मे बेहतर स्थिति मे हो।

व्यापार समूह :

गैट द्वारा खुले विश्व व्यापार की स्थापना मे असफल होने के कारण से व्यापारिक समूह का उदय हुआ। अब गैट विश्व व्यापार सगठन के रूप मे पुन जीवित हो गया है। जिसके सदस्यो की सख्या काफी है। आशा की जाती है कि विश्व व्यापार सगठन तथा व्यापार के हित आपस मे नही टकरायेगे। यहा पर कुछ व्यापार समूह विवरण दिया जा रहा है।

क्र०	व्यापारिक समूह का नाम	सदस्य राष्ट्र	स्थापना वर्ष
1	योरोपियन कम्युनिटी (EC)	बेलजियम, डेनमार्क, फ्रास, इटली लक्सम्बर्ग, निदरलैण्डस्, पुर्तगाल, स्पेन और यू० के०	1957
2	योरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EETA)	आस्ट्रेलिया, फिनलैण्ड,, आइसलैण्ड, लिचेटेन, स्टीन, नार्वे, स्वीडन और स्वीटजरलैण्ड	1960
3	नार्थ अमरीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेट	यू० एस० ए०, कनाडा मैक्सिको	1989
4	लैटिन अमेरिकन इन्टीग्रेशन एसोसिए शन (LAIA)	मैक्सिको, परगुए, पेरू, उरूग्वे, वेनेजुएला	1980
5	सदर्नकोन, कामन मार्केट (MERCOSUL)	अर्जेनटीना, ब्राजील परगुए, उरूग्वे	1991
6	एनडियन कामन मार्केट (ANCOM)	बोलिविया, कोलम्बिया, इक्योडोर पेरू, वेनेजुएला	1969
7	सेन्ट्रल अमरीकन कामन मार्केट (CACM)	कास्टा रिका, एलसेलेवेडोर ग्वाटेमाला, निकारागुआ, होनड्राजेए	1960

8	केरेबियन कामन मार्केट (CARICOM)	एनटिगुआ और बरमुडा बहामास बारबेडोस बिलेज, डोमनिका गेनेडा गुआना, जमैका, मानटेसेरेट सेटकिट्स नेविस सेट लूसिया सेट विनसेट, त्रिनाद	1973
9	ओरगेनाइजेशन ऑफ इस्टर्न केरेबियन स्टेट्स (OECS)	एनटिगुआ और बरमुडा, डोमनिका ग्रनेडा, मानटसेरे सत किट्स नेविस सेट लूसिया, सेट विनसेट ग्रेनेडीस तथा वरजिने आइलैण्ड्स	1981
10	गल्फ कोआपररेशन कौसिल (GCC)	बहरीन कुवैत ओमान, कतर, सऊदी अरबिया यू०ए०ई०	1981
11	अरब कामन मार्केट (ACM)	मिश्र, इराक, जार्डन, लेबनान लीबिया, सीरिया मारिटानिया	1964
12	अरब महारेल यूनियन (AMU)	अलजीरिया, लीबिया, मारिटानिया, मोरक्को, टूनिसिया	1989
13	साउदर्न अफरीकी कष्टमस यूनियन (SACU)	बोपूथातसवाना, बोस्तवाना, सिसकी, लेगोथो, नामाबिया दक्षिणी अफ्रीका, स्वीटरजरलैण्ड, ट्रासिकी, वेनडा	1969
14	इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेटस (ECOWAS)	बेनिन, बुरकीना फासो, केप वेरडे, कोटे डी आइवरे, गैम्बिया, घाना, गिनिया बिसाउ, लाइबीरिया, माली, मारीटानिया, नाइजर, टोगो नाइजेरिया, सेनेगल, सिएरालोन,	1975,
15	प्रिफिसियल ट्रेड एरिया फार इस्टर्न एण्ड सदर्न अफ्रीकन स्टेटस (PTA)	बुरुन्डी, बुरकीना फासो, काम्फ्रेस, डीजीबूती, इथोपिया, केनिया, लेसेथो मलावी, मारीशियस, मोजाम्बीक, रवाडा, सोमाली, स्वाजीलैड, तन्जानिया, यूगाडा, जिम्बाम्बे	1981
16	इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ सेन्ट्रल अफ्रीकन स्टेटस (CEEAC)	बुरुन्डी, कैमीरून, चाड, सेन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कान्गो, इक्योटोरियल, गीनिया, गोबोन रवाडा सावटोन जैरे, 1981	1981

17	वेस्ट अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्यूनिटी (CEAO)	लेनिन बुरकीना फासो कोटेजी आइवरे माली मारिटानिया लाइजर सेनेगल	1959
18	इकोनॉमिक एण्ड कस्टम्स एण्ड यूनियन आफ सेन्ट्रल अफ्रीका (UADEC)	कोमेरोन चार्ड कोन्गो, सेन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इक्योटोरियल गीनिया गेबोन	1964
19	मानो रिवर यूनियन (MRU)	गीनिया लाइबेरिया सिएरालोन	1973
20	एशोसिएशन ऑफ साउथ ईष्ट एशियन नेशनस (ASEAN/AFTA)	बुरूनेई इन्डोनेशिया मलेसिया फिलीपीन्स, सिगापुर थाईलैण्ड	1967
21	बैकाक एग्रीनेन्ट (BA)	बगला देश, भारत लावोस दक्षिणी कोरिया, श्रीलका	1976
22	आस्ट्रेलिया, नियुजीलैण्ड, क्लोजर इकोनॉमिक रिलेशनस एण्ड ट्रेड एग्रीमेट (ANZCERT)	आस्ट्रेलिया नियुजीलैण्ड	1983
23	साउथ एशियन प्रिफिन्सियल ट्रेडिग एग्रीमेट्स (SAPTA)	सार्क राष्ट्र	1993

यद्यपि अन्य क्षेत्रीय व्यापारिक सगठनो का भारत सदस्य है परन्तु इन सबके बावजूद विश्व व्यापार सगठन से भारत को तुलनात्मक अधिक लाभ की सकल्पना की गयी है। भारत ने प्रमुख व्यापारिक समूहो की सदस्यता ग्रहण न करके बुद्धिमत्ता ही की है। क्योकि अब विश्व व्यापार सगठन के उपरान्त विश्व व्यापार एव बाजार मे प्रवेश आसान हो गया है।

अध्याय :7

गैट, डंकल एवं विश्व व्यापार संगठन का विकासशील अर्थव्यवस्थाओं एवं भारत पर प्रभाव

जब भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्य एव व्यापारिक समझात या नियमावली मे परिवर्तन किये जाते है तो निश्चित रूप से सम्बन्धित देशो पर प्रभाव पडता है। वर्तमान दशक मे डकल प्रतिवेदन छाया रहा है गेट के पूर्व महासचिव आर्थर डकल के द्वारा तैयार की गयी नियमावली को आधार मानकर ही वर्तमान रामय म गेट को परिवर्तित करके विश्व व्यापार सगठन स्थापित किया गया है। विश्व व्यापार सगठन का प्रभाव विश्व भर मे पडना निश्चित है। मुख्य रूप से विश्व व्यापार सगठन का प्रभाव तीन क्षेत्रो पर दिखाई पडता है। परन्तु इसका स्पष्ट प्रभाव 2005 ई० तक दिखाई पडेगा। डकल प्रस्ताव का प्रभाव भारत एव विकासशील अर्थ व्यवस्थाओ के कृषि व्यापार, उद्योग, सामाजिक एव राजनीतिक क्षेत्र पर पडेगा जिसस सम्पूर्ण आर्थिक सामाजिक तथा राजनैतिक जन जीवन अवश्य ही प्रभावित होगा और जिसके दूरगामी परिणाम होगे।

सामाजिक प्रभाव :

डकल के प्रभाव मे सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव इसके आर्थिक पहलू पर पडने वाला प्रभाव है। जब भी किसी व्यवस्था मे परिवर्तन किया जाता है तो उसका आर्थिक ढाचा कही न कही अवश्य प्रभावित होता है। इसी क्रम मे डकल प्रस्ताव के द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती प्रतीत हो रही है। यदि हम केवल विकासशील अर्थव्यवस्था को अलग करके देखे तो हमे स्पष्टत यह प्रतीत हो रहा है कि विकसित

अर्थव्यवस्थाओ की अपेक्षा विकासशील अर्थव्यवस्था इससे कही अधिक आर्थिक रूप से प्रभावित हुई है सामान्यत यह प्रतीत होता है कि विकासशील राष्ट्रो के द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था को एक बाजार मे परिवर्तित कर इन बाजारो मे अपने उत्पादो को भरने की साजिश के तहत डकल प्रस्ताव को ब्रह्मास्त्र के रूप मे प्रयोग किया गया है। इस ब्रह्मास्त्र का घातक स्वरूप वर्तमान मे दिखाई पडने लगा है। वासमती चावल, हल्दी एव नीम के पेटेन्ट की प्रक्रिया को लेने की कोशिश के रूम मे। राईश टेक कम्पनी के द्वारा वासमती चावल का पेटेन्ट करा लेना जिसको सारा विश्व जानता है कि इस पर भारत का मौलिक अधिकार बनता है। यह सर्वथा अनुचित कार्य था और इसको अमेरिका द्वारा पेटेन्ट देना अपने कम्पनी को, विना जाच पडताल किये, इसके असली स्वरूप को प्रकट करता है। विश्व व्यापार सगठन, के द्वारा विश्व व्यापार को प्रोत्साहन मिलना निश्चित है विश्व व्यापार पर से प्रतिबन्धो को कम करने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विकासशील अर्थव्यवस्था के सामाजिक क्रियाकलापो को प्रभावित करता है। यह भारतीय सामाजिक व्यवस्था को कहा तक प्रभावित करेगा अभी यह कह पाना कठिन है, परन्तु भविष्य मे इसके प्रभाव दूरगामी होगे। प्रत्येक देश का सामाजिक ढाचा वहा के रीति रिवाजो के साथ–साथ वहा के भौगोलिक वातावरण के द्वारा व्यवस्थित होता है। विश्व व्यापार सगठन की कार्य प्रणाली से देश के सामाजिक क्रिया–कलापो मे असतुलन पैदा हो जाने की सम्भावना विद्यमान है। जब किसी देश के साथ व्यापारिक आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू होती है तब वहा का सामाजिक

परिदृश्य भी प्रभावित होता है। लोग अपने सास्कृतिक रहन सहन को प्रभावित होने से नही रोक सकते है। व्यक्ति सदैव दूसर के रहन सहन को देखकर उसी प्रकार अपने क्रिया कलापो मे परिवर्तन की कोशिश करता हे। जो उसके भोगालिक वातावरण से मेल नही खाता इससे सामाजिक असतुलन की स्थिति पैदा हो जाती हे भारतीय परिप्रेक्ष्य मे इसे कई प्रकार से देखा जा सकता है।

1 रहन सहनः

विश्व व्यापार से न केवल व्यापारिक जगत मे परिवर्तन आता है बल्कि रहन–सहन भी प्रभावित होता है। भारत के लोगो पर यूरोप के रहन–सहन की छाप पडने लगी है। यहा के लोगो का पहनावा कुछ ज्यादा ही प्रभावित हुआ है।लोग यूरोप के पहनावे को अपनाने मे गर्व का अनुभव करते है जो वास्तव मे उनके लिये हानिकारक होता है। हमारे यहा लडके एव लडकियो का वस्त्र पूर्ण एव व्यवस्थित हुआ करता था परन्तु आज वह लुप्त होता जा रहा है और बदन दिखाऊ कपडे धारण करते जा रहे है। पश्चिमी सस्कृत जो अपने को सभ्य कहते है अर्द्धनग्न रहते है जो पाश्चात्य सभ्यता के नाम पर भारत को प्रभावित कर रही है यदि कम कपडे सभ्यता का परिचय देते है तो लोगो को कम कपडे पहनने की जरूरत ही क्या है? वे वस्त्र धारण ही न करे निर्वस्त्र ही रहे ज्यादा सभ्य कहे जायेगे। इस देश का अपना एक पारिवारिक ढाचा रहा है, जो इस समय चरमरा रहा है। भारतीय गावो मे तो यह सस्कृति विद्यमान दिखाई

पडती है परन्तु शहरो मे पूर्ण रामाप्ति की ओर अग्ररार है। यदि विज्ञापनो को हम देखे तो हमे अर्द्धनग्न माहिला दिखाई पडेगी। जेसे स्वय को निमन्त्रण दे रही है इसका उपयोग करिये और मेरी तरह भोगवादी रास्कृति को अपनाइये। यूरोप की आवश्यकता होगी भौगोलिक परिदृष्य के अनुसार परन्तु भारतीय परिदृष्य इसको स्वीकार नही करता है। क्यो कि यहा गर्मी अधिक पडती है यहा कपडे पहनना आवश्यक है यहा के लोग अर्द्धनग्न महिला देखने के आदी नही है। यदि इरा शदी के अन्तिम दशक पर नजर डाले तो स्पष्ट दिखाई पडता है कि अपराध बढे है। इसमे बलात्कार भी बडी तेजी से बढे है लोग अपने पारिवारिक रिश्ते भूलना शुरू कर दिय है। धीरे धीरे पति - पत्नी के राम्बन्ध परमेश्वर रो हटकर लाइफ पार्टनर की रीमा पर आ गया है।

विश्व व्यापार सगठन के परिणाम स्वरूप ही देखा जा रहा है कि लोग अपना खान पान भी परिवर्तित करते जा रहे है लोगो को मास मदिरा के साथ--साथ सुन्दरियो की आवश्यकता पडनी शुरू हो गयी है। हमारे देश के भौगोलिक वातावरण को पहाडी क्षेत्रो को छोड कर देखे तो राफ दिखाई पडता है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है परन्तु हम सेवन न करे तो असभ्य कहे जायेगे। हम भूल जाते है कि यूरोप के भौगोलिक वातावरण की आवश्यकता है शराब, क्योकि वहा सर्दी ज्यादा पडती है।

पारिवारिक एवं सामाजिक विभाजनः

वर्तमान समय मे विश्व व्यापार सगठन के तहत मुक्त व्यापार नीति के द्वारा आर्थिक क्रिया कलापो का दौर चल रहा है। इन आर्थिक क्रिया कलापो के साथ–साथ सामाजिक क्रिया कलापो का एक दूसरे देश के साथ आदान प्रदान भी हो रहा है। जिसका प्रभाव हमारे पारिवारिक एव सामाजिक ढाचे पर निरन्तर पडता हुआ प्रतीत हो रहा है। प्रत्येक देशो की अपनी पारिवारिक एव सामाजिक क्रिया विधि रही है परन्तु वर्तमान समय मे आर्थिक गतिविधियो के बढ जाने के कारण देश के पारिवारिक ढाचे टूटते हुए प्रतीत हो रहे है। यदि हम अपने पूर्व पारिवारिक ढाचे को देखे तो स्पष्ट दिखाई देता है कि सयुक्त परिवार की परम्परा विद्यमान रही है। परिवार के कुछ सदस्य या एक सदस्य द्वारा आर्थिक स्रोत होने पर भी पूरे परिवार को व्यवस्थित रूप से सचालित करने की क्षमता की विद्यमानता रही है। परन्तु वर्तमान समय मे मुक्त व्यापार नीति के द्वारा विदेशी सस्कृति के आगमन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति का आर्थिक खर्च असीमित हो रहा है जिससे पारिवारिक कलह तीब्रता से दिखाई पड रही है इसी कारण भाई चारे को लोग भूलते जा रहे है और हर एक परिवार विघटन की ओर बढ रहा है।

विश्व व्यापार सगठन के द्वारा सचालित विश्व आर्थिक परिदृश्य साफ–साफ दिखाई पडता है आज का व्यक्ति सामाजिक गतिविधियो से दूर हटते हुए केवल

आर्थिक क्रिया कलापो मे व्यस्त रहा है जिससे व्यक्ति आर्थिक दिमाग का हो गया है। अभी तक आर्थिक गतिविधियो के साथ–साथ सामाजिक गतिविधिया व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित की जाती रही है जिससे समाज की सरचना सम्पादित करने मे किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नही होता था परन्तु व्यक्ति आर्थिक दिमाग के होने के कारण स्वार्थी प्रवृत्ति के विचार से ओत प्रोत होता जा रहा है। जिसका सामाजिक ढाचे पर दूरगामी परिणाम पडना निश्चित है। इससे सामाजिक ढाचे को छिन्न भिन्न होने की आशका पूर्ण दिखाई पड रही है। परन्तु पारिवारिक एव सामाजिक विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण रूप रो देखने के लिये हमे इन्तजार करना होगा।

इरा प्रकार की गतिविधिया अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा आयातित हो रही है। यदि हम अभी इराके विषय मे नही ध्यान देते है तो कुछ वर्षो मे अपना मेरे पास कुछ नही रहेगा। नैतिकता साथ छोड देगी और उसकी जगह भोगवादी रास्कृति स्थापित हो जायेगी देश के युवा पीढी को बेकार साबित होगी। हम अपने घरो मे परिवार के राथ–साथ दूरदर्शन प्रोग्राम देखने मे अभी शर्म करते है परन्तु 21 रादी मे हो राकता है कि दूरदर्शन हमे वे चीजे परोरो जो कल्पनीय ही न हो। विश्व व्यापार रागठन के द्वारा हम आयात–निर्यात तक प्रभावित ही नही होगे बल्कि अपनी नैतिकता, सामाजिक रहन सहन को भी प्रभावित कर रहे है। जिस देश की युवा पीढी भोगवादी सस्कृति मे डूबी हुई हो तो उस देश का मालिक ईश्वर ही हो राकता है। हमे विश्व व्यापार सगठन

रागठन के द्वारा होने वाले व्यापार पर नजर रखकर यह व्यवस्थित करना होगा कि भोगवादी सस्कृति को प्रभावी न होने दिया जाये यदि तत्काल इस पर ध्यान नही दिया गया तो भारत चदेलो के शासन काल की तरफ बढ जायेगा और गर्त मे जाने की स्थित सुनिश्चित होगी।

राजनैतिक प्रभाव :

जब–जब किसी देश मे वृहद् आर्थिक परिवर्तन का दौर रहा है तो उस देश की राजनैतिक व्यवस्था इससे अप्रभावित रहे। यह सम्भव नही है जहा पूरे विश्व मे इतना बडा परिवर्तन हुआ हो तो राजनैतिक प्रभाव पडना तो निश्चित है। यदि विकाराशील देश की राजनैतिक व्यवस्था पर एक नजर डाले तो निश्चित तौर पर दिखाई पडता कि राजनैतिक क्रिया कलाप इन परिवर्तनो के परिणाम स्वरूप प्रभावित हुए है भारतीय उप–महाद्वीप को यदि हम देखे तो निश्चित रूप रो भारत और इसके आस–पास के देश जैसे पाकिस्तान, बगलादेश, श्रीलका, मालद्वीप, भूटान, अफगानिस्तान आदि देशो की राजनैतिक घ्यवस्था इससे प्रत्यक्ष या आप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई है भारत मे तो इसके प्रारम्भ से ही राजनैतिक एव सामाजिक विरोध पूरे जोर सोर से होता रहा है यदि 1991 के बाद की स्थिति का आकलन करे तो हमे पूर्ण रूप से यह दिखाई पडता है कि आर्थिक उदारता का जो दौर शुरू हुआ वह 1991 मे राजनैतिक रूप से विश्व व्यापार सगठन के पूर्व ही स्थिति को सगठन के अनुसार

व्यवस्थित करने की थी। उस समय इस आर्थिक उदारता का लगभग सभी दलो ने विरोध किया चाहे वर्तमान समय मे सत्ता मे स्थापित भारतीय जनता पार्टी हो, या इसके पूर्व सत्ता एव सत्ता मे भागीदार दल (जनता दल, समा, मार्क्सवादी पार्टी तथा इसके सहयोगी दल आदि) या सयुक्त मोर्चे के सदस्यगण सभी ने तत्कालीन वित्त मत्री मनमोहन सिह का लोकसभा एव उसके बाहर विरोध करते हुए कहा था कि इनके द्वारा तैयार की गयी नीति पूर्ण रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष एव विश्व बैक तथा विश्व के शक्तिशाली देशो के दबाव मे बनाई गयी है।

परन्तु वास्तविक रूप मे यह सब राजनीतिक दल भी उसी प्रकार कार्य करते रहे सत्ता प्राप्त के बाद जिस प्रकार का कार्य श्री मनमोहन के द्वारा किया गया था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी ने देश की जनता का राजनैतिक रूप से शोषण किया एव उनके हितो को नजर अन्दाज किया। लोग डकल का विरोध करते रहे और स्वदेशी का नारा देते आज भी नही थकते है यह सत्य है कि सत्ता मे आकर लोग सारे सिद्धात भूल जाया करते है। यह एक कड़वा सत्य है यदि वामपथी दलो पर विचार किया जाय तो डकल के मुद्दे पर इनके द्वारा भी कोई ठोस निर्णय नही लिया जा सका।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि डकल प्रस्ताव के सुझाव के अनुसार विश्व व्यापार सगठन के गठन तक से आज तक राजनीतिक अस्थिरता का दौर बना

हुआ है और वर्तमान समय मे भी कुछ सामाजिक सगठन की प्रभावी व्यक्तित्व इसके विरोध को जारी रखे हुए है– जैसे विश्वविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता वन्दना शिवाजी एव आजादी बचाओ आन्दोलन के कार्यकर्ताओ के द्वारा शुरू मे इसका राजनैतिक विरोध हुआ और सत्ता दल को हानि भी हुई और लोगो ने इसका विरोध किया परन्तु किसी न किसी रूप मे सभी दल सत्ता मे रहकर यह सिद्ध किया कि हम इसको लागू रखेगे। इससे यह सिद्ध होता है कि राजनैतिक दलो का विरोध स्वार्थ परक एव भारतीय जनतन्त्र के साथ कपट पूर्ण रहा है जो किसी भी राष्ट्र के लिये शुभ लक्षण नही है।

कृषि पर प्रभावः

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप रो कृषि होती है। इसी लिये कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ कहा जाता है। परन्तु वर्तमान समय मे कृषि को अर्थव्यवस्था मे गौड स्थान प्रदान किया जाता है जो अनुचित है। क्योकि यदि देश को स्वावलम्बी बनना है तो कृषि को प्रधानता प्रदान करनी होगी। विश्व व्यापार सगठन के अन्तर्गत कृषि को स्थापित करके विकसित राष्ट्रो को हानि नही पहुचाया जा सकता है, परन्तु हम निश्चित रूप से कह सकते है कि इरारो विकासशील राष्ट्रो को लाभ भी नही होने वाला है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी भौगोलिक सीमा के तहत अपने कृषि जन्य उत्पादो को उत्पादित करने की स्वतत्रता प्रकृति ने प्रदान की है और

उराकी स्वतन्त्रता बरकरार रहनी चाहिए और उसपर किसी प्रकार का प्रतिबध उचित नही है प्रत्येक देश अपने यहा अपनी सुविधाओ एव क्षमताओ के अनुसार कृषि वस्तुओ का उत्पादन करते रहे है जिरासे उनमे किसी प्रकार की कोई असुविधा उत्पन्न नही होती रही है। परन्तु वर्तमान समय मे कृषि उत्पादो को भी पेटेन्ट के तहत लाने से कृषको को असुविधा उत्पन्न हो सकती है। बीज पेटेन्ट करने की प्रक्रिया किसानो मे आक्रोश व्याप्त कर सकती है। क्योकि अभी तक कृषको के द्वारा एक बार बीज खरीद कर दोबारा पैदा करके उसका विस्तार करने की प्रवृति रही है जो कम खर्चीली थी परन्तु यदि इस प्रक्रिया को पेटेन्ट के तहत प्रतिबधित किया गया तो विकाराशील देशो के किरान ज्यादा प्रभावित होगे। मूल रूप से यदि भारत को देखे तो गहा का किसान निम्न या मध्यम वर्ग का है। जो कृषि पर ज्यादा खर्च नही कर राकता उराको महगे बीज खरीद कर बोवाई करनी पडी तो कृषि कार्य करने मे राक्षम नही होगा इराके परिणाम स्वरूप मजदूर बन जाने की सम्भावना प्रबल हो जाती है। विश्व व्यापार सगठन के द्वारा दूसरे महत्वपूर्ण प्राविधान के अन्तार्गत कृषि क्षत्र मे कृषि राहायकी को समस्त उत्पादन लागत के 10 प्रतिशत से अधिक किरी देश को न रखने का प्रावधान है।[1] परन्तु कुछ क्षेत्रो यथा अन्वेषण और विकारा फसल रोग नियत्रण, प्ररार रोवा और अवस्थापना सृजन के लिये अधिक सहायिकी प्रदान करने की छूट है। कृषि राहायिकी

1 *त्रिपाठी, डॉ० बद्री विशाल, भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन एव विकास, किताब महल, 1996, पृष्ठ 445*

कम करने के परिणाम स्वरूप किसानो को हानि होने की सम्भावना बढ जाती है। क्यो कि विकासशील देशो के किसान निम्न या मध्यम वर्ग के है जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ नही है कि वे कृषि उत्पाद पर अधिक पूजी लगा सके। साथ ही साथ कृषि उत्पादो की लागत बढने से उन वस्तुओ के मूल्य मे वृद्धि की प्रबल सभावना है जिसका बहुत ही भयानक परिणाम हो सकता है। निम्न या मध्यम आय वाले वर्ग पर जो कृषि कार्य से सम्बन्धित नही है परन्तु कृषि उत्पादो पर आश्रित है।

विश्व व्यापार सगठन मे तीसरा महत्व पूर्ण प्रावधान यह है कि प्रत्येक देश को अपने 1986–88 के उपभोग–स्तर के आधार पर तीन प्रतिशत भाग आयात करना होगा। जो क्रमश पाच प्रतिशत तक बढाया जायेगा।[2] प्रत्येक देश विश्व व्यापार सगठन के इस प्रावधान के अन्तर्गत आयात करने के लिये बाध्य होते है, चाहे वह एक निर्यातक या आत्मनिर्भर देश ही क्यो न हो। इससे भी विकासशील देशो को हानि पहुचने की सभावना प्रबल होती है। क्योकि प्रत्येक विकासशील देश कृषि उत्पादो का आयात करने की बाध्यता के तहत न चाहते हुये भी आवश्यक आयात करने के लिये अपनी मुद्रा को खर्च करेगे। जो उनकी अर्थव्यवस्था के लिये उचित नही होगा। विश्व व्यापार सगठन की यह नीति कि सभी वस्तुओ को विश्व व्यापार के तहत सचालित करना सर्वथा अनुचित होगा। वर्तमान विश्व व्यापी परिदृष्य मे होने वाले परिवर्तन के

2 वही, पृष्ठ 445

कारण भारतीय कृषि मे भी बदलाव आने लगे है। आज भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व व्यापार के लिये खोलना पड रहा है और उरूग्वे दौर के कारण ही भारत को भी गैट पर हस्ताक्षर करने पडे है। डकल प्रस्ताव के कारण भारतीय कृषि पर गभीर प्रभाव पडेगे। अभी तक कृषि क्षेत्र गैट के दायरे से बाहर था। उरूग्वे दौर की वार्ता के दौरान यह तय किया गया कि गैट के कार्यक्षेत्र को बढाया जाये और इस के लिये सदस्य राष्ट्र अपने यहा के बाजार को खोलेगे, आतरिक सहायता तथा आयात को बढावा देगे। इसमे प्रगतिशील देशो पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन नये तथ्यो के आने की वजह से कृषि पर पडने वाले प्रभाव को अच्छी तरह से समझना होगा। वनस्पति अनुसधान अधिकार के लागू होने के बाद से कई यूरोपीय राष्ट्र जो कि पूर्व मे शुद्ध आयात करने वाले देश थे वे अब कृषि उत्पाद के शुद्ध निर्यातक होगये है। अत यह कहा जा सकता है कि बौद्धिक सम्पदा अधिकार के लागू हो जाने से भारतीय कृषि के विकास पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडा है।

गैट वार्ता मे बीजो एव पौधो के पेटेन्ट का जो प्राविधान दिया गया है। उससे उन भारतीय प्लाट ब्रीडरो पर असर पडेगा जो कि केवल नकल करके बीजो का उत्पादन कर बाजार मे बेचने का धधा करते है। ऐसे लोगो का मत है कि विकसित देशो मे किये गये अनुसधान के सहारे या आड मे अपना धधा चलाया जा सकता है। परन्तु इस तरह के लोग भारत मे बहुत ही कम सख्या मे पाये जाते है। इसके विपरीत

भारत मे कई ऐरो प्लाट ब्रीडर मिल जायेगे जो कि खुद अनुसधान द्वारा देश के वातावरण एव मानक के अनुरूप विभिन्न स्थितियो के लिये बीज एव पौधे विकसित कर रहे हे। यहा यह वात ध्यान देने योग्य है कि अब विकसित देश उच्च कीमत वाली फरालो पर ही अधिक अनुसधान कर रहे है।

इन देशो द्वारा दाल तिलहन, कपास आदि पर बहुत कम अनुसधान हो रहा है और ये ही मुख्य फसल है जो भारत मे पैदा की जाती है। अत भारतीय वैज्ञानिको को इन पर विशेष ध्यान देना चाहिये और इन फसलो की उन्नत किस्मे तैयार करनी चाहिये। राथ ही निर्यात योग्य फसल जैसे मसाले, फल, सब्जिया आदि की नई किस्मो के अविष्कार पर कोई रोक नही है। जब इन सभी की नई किस्मे तैयार करके पेटेन्ट कराली जायेगी तो हम भी तीसरी दुनिया के देशो को इनका निर्यात करके लाभ उठा सकते है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार के लागू हो जाने से उच्च श्रेणी के बीजो के दामों मे वृद्धि होने की सभावना है। नई किस्मो रो पैदावार मे जो वृद्धि होगी उराकी तुलना मे बीजो के दामो मे बढोत्तरी बिलकुल नगण्य होगी। कुल उपज के अनुपात मे बीजो के दामो मे वृद्धि 2 रो 10 प्रतिशत तक की ही होगी।

अत बीजो के दामो मे वृद्धि फसल उत्पादन ढाचे पर अधिक असर नही डालेगी। भारतीय किसान काफी चतुर है और वे किरी भी प्रकार की नई तकनीक को

तब तक नही अपनाते है जब तक की उससे 30 प्रतिशत से अधिक का लाभ न हो। अत नई किस्मो रो बढी उपज बीजो के दामो से कही अधिक होगी। इसमे कोई शक नही कि अधिकतर किसान भारत मे गरीब है परन्तु आर्थिक लाभ की तकनीक 'को अपनाने से बिलकुल भी नही हिचकते है।

ट्रिप्स के अनु० 27 के अनुसार पौधो एव जानवरो के पेटेन्ट कराने का प्राविधान गैट मे है। आने वाले साल के लिये किसान बीजो को सरक्षित कर सकते है। पेटेन्ट बीजो के इस्तेमाल तथा पुन इस्तेमाल के किसानो और ब्रीडरो के अधिकार पर कोई सकट नही है क्यो कि इन के बचाव के लिये सरकार के पास पर्याप्त अधिकार है।

कृषि व्यपार पर प्रभाव:

कृषि व्यापार पर, वर्तमान गैट नियमो मे, व्यापक खामिया है। इनका लाभ उठा कर औद्योगिक राष्ट्र अपने यहा की कृषि को सरक्षण के लिये एक भारी आर्थिक राहायता दे रहे है। इस प्रकार ये राष्ट्र विश्व मे हो रहे उत्पादन को प्रभावित करते अन्न, डेरी उत्पादन, मास, चीनी, खाद्यान्न तेल आदि पर प्रतिस्पर्धा के चलते आर्थिक सहायता का जो दौर चला है, उसके परिणाम स्वरूम इन उत्पादनो के मूल्यो पर कई वर्षो तक विश्व मे मदी रही और जिन राष्ट्रो मे इनका व्यापक पैमाने पर उत्पादन होता था वे ही सबसे अधिक प्रभावित हुये।

ऐरा प्रतीत होता है कि उरूग्वे दौर मे मुख्यता औद्योगिक राष्ट्रो के कृषि व्यापार एव उत्पादन पर ही विशेष ध्यान दिया गया है। नेतृत्वविहीनता के आभाव मे तीसरी दुनिया के देशो मे एकता नही कायम हो सकी यह अत्यन्त ही खेद की बात है कि अमेरिका और यूरोपीय देशो ने वार्ता को अपने स्वार्थ हेतु पूरे एक वर्ष तक रोके रखा। वही विकाराशील देशो ने आम मुद्दो पर भी एक जुट होने का प्रयास नही किया। तत्कालीन भारतीय सरकार पूरे राष्ट्र को इस बात को समझाने की कोशिश मे लगी रही कि डकल प्रस्ताव के द्वारा देश का हित होगा।

भारतीय कृषि पर भविष्य मे चार पहलुओ पर सबसे अधिक प्रभाव पडेगा। ये है– कृषि हेतु आर्थिक सहायता, निर्यात प्रतिस्पर्धा, बाजार की पहुच और बौद्धिक राम्पदा अधिकार।

कृषि पर आर्थिक सहायता :

विश्व के लगभग सभी देश अपने कृषको को कृषि के विकास के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करते है। ओ ई सी डी राष्ट्रो मे कृषि समर्थत मे 12 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई और 1990 के अत तक यह 300 विलियन डालर पहुच गई। किसानो को दी जाने वाली कुल आर्थिक सहायता जिसे इस प्रोड्यूसर सहायिकी इक्यूवैलेन्ट (पी एस ई) कहते है 16 प्रतिशत बढ कर 176 विलियन डालर हो गई जो कि फसल

एव पशुधन के कुल मूल्य का 44 प्रतिशत था। प्रति व्यक्ति अनुदान मे अमरीका पूर्ण कालिक किसानो को प्रति वर्ष उत्पादन मे 22000 डालर की आर्थिक सहायता प्रदान करता है। जबकि जापान 15000 डालर और यूरोपीय देश 12000 डालर करता है। अमरीका उत्पादन के प्रतिशत के हिसाब से अनाज पर 51 52 प्रतिशत सोरघम (Soighnm) पर 49 51 प्रतिशत और सोयावीन पर 50 52 प्रतिशत आर्थिक सहायता देता है। जो विश्व भर मे सबरो अधिक है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई सी सी) अपने किसानो को प्रति वर्ष 135 बिलियन डालर की आर्थिक सहायता देता है। जो कि उसके सकल घरेलू उत्पाद का 0 75 प्रतिशत है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा बडे पैमाने पर अपने किरानो को आर्थिक सहायता देने की वजह से उसने अमेरिकी कृषि उत्पादनो के निर्यात के लिये खतरे की घटी बजा दी है। साथ ही यूरोपीय आर्थिक रामुदाय द्वारा मास एव मारा रो निर्मित खाद्यान्न को कम दामो पर अमरीका को निर्यात कर रहा है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय आर्थिक समुदाय मे कुछ ऐसे कानून है जिनकी वजह कई अमरीकी उत्पादनो के आयात पर रोक है। इन्ही कारणो की वजह रो अमरीका ने उरूग्वे दौर की वार्ता मे

कृषि को शामिल करने के लिये ऐडी–चोटी का जोर लगा दिया था ताकि उसके यहा के कृषि उत्पादनो को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बाजार मे प्रवेश मिल सके।

शुरू मे सयुक्त राज्य अमेरिका ने कृषि पर आर्थिक सहायता पूरी तरह से वापस लिये जाने के लिये जोर दिया। परन्तु फ्रास द्वारा इसका पूरी तरह से विरोध किया गया।

1990 मे हुई बैठक जिसके अतर्गत आठवे दौर की वार्ता का समापन होना कृषि के कारण विफल हो गई। इसके उपरान्त आया डकल ड्राफ्ट, जिसके आधार पर भविष्य मे होने वाली बातचीत की जायेगी। यद्यपि फ्रास ने ड्राफ्ट मे कृषि के लिये दिये गये प्राविधानो को तुरन्त ही नकार दिया परन्तु वह इस बात के लिये तैयार हो गया कि कृषि के लिये व्यापक सुधार नीति तैयार की जाये। एक समझौते के अनुसार यह तय किया गया कि आने वाले छ वर्षो मे कुछ तरह की कृषि पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता मे 20 प्रतिशत की और निर्यात पर आर्थिक सहायता मे 36 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

जहॉ तक विकासशील देशो का सवाल है तो उनके लिये यह प्राविधान रखा गया कि अगर कृषि उत्पादन का मूल्य 10 प्रतिशत से अधिक होता है तो वे आर्थिक सहायता मे कटौती करेगे। भारत सरकार के अनुसार मौजूदा आर्थिक सहायता गैट

द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है और सहायता मे कमी के लिये गैट द्वारा कोई दबाव नही है।

जिन 15 फसलो पर भारत आर्थिक सहायता प्रदान करता है। उन मे से 12 मे नमारात्मक और 3 फसल—मूगफली, गन्ना तथा तम्बाकू मे यह सकारात्मक है, परन्तु 10 प्रतिशत से कम है। उत्पादन के कुल मूल्य का एन पी एस (NPS) 6 प्रतिशत से भी कम है। लेकिन अभी भी आर्थिक सहायता के मूल्याकन को लेकर काफी भ्रम बना हुआ है। इस बात का डर है कि यदि मूल्याकन मे जरा सी भी हेर फेर हुआ तो भारत द्वारा दी जाने वाली कृषि पर आर्थिक सहायता 10 प्रतिशत के ऊपर पहुच जायेगी।

डकल प्रस्ताव के अनुसार सभी सदस्य देशो को चाहिये कि वे कृषि वस्तुओ के आयात एव निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबधो मे कमी लाये। हमारे यहा परिणामात्मक प्रतिबध इस लिये लगाये जाते है। ताकि आयात एव निर्यात पर नियत्रण रखा जा सके और बदली हुई परिस्थिति मे इनके स्थान पर शुल्क एव प्रशुल्क लगाया जा सके और ऐसी मान्यता है कि बहुराष्ट्रीय निगमित जगत भारतीय बीज बाजार पर कब्जा जमा लेगा, परन्तु यह किसी तथ्य पर आधारित नही है। इस सदर्भ मे पाइनियर सीड्स, कारगिल सीड्स तथा सेनडोल सीड्स की चर्चा की जा सकती है। ये कम्पनिया कई वर्षो से हमारे यहा कार्यरत है परन्तु अभी तक भारतीय बीज बाजार मे ये अपनी पैठ नही बैठा सकी है।

कृषि क्षेत्र मे लाभ के अतिरिक्त गैट समझौते के तहत भारतीय वैज्ञानिको को भी बहुत फायदा होगा। इसमे कृषि वैज्ञानिक शामिल है। इन लोगो को विकसित देशो म अल्प कालीन रोवा हेतु बहुत से अवरार प्राप्त होगे। अमेरिका तथा विश्व व्यापार के प्रमुख राष्ट्रो के एक तरफा तरीको पर पाबदी लगेगी। धारा 301 अमरीकी नियमावली म जरूर रहेगी। परन्तु उपयोग उन क्षेत्रा मे नही किया जा सकता है जो कि आठवे दौर के गैट समझौतो के अतर्गत आते है।

इस समझौते मे दिये गये उपनियमो से सबन्धित कोई भी विवाद बहुस्तरीय विवाद निस्तारण प्रक्रिया के तहत ही किया जायेगा। सभी सदस्य राष्ट्रो से अपेक्षा की जाती है कि वे बदले हुए परिदृष्य मे मुनाफे मे बढोत्तरी के लिये तुलनात्मक लाभ के सिद्धाथ को अपनायेगे। यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन गैट वार्ता भारतीय कृषि को विश्वव्यापी बनाने मे काफी मदद करेगी। साथ ही कृषि को राभी तरह की कृत्रिम रूकावटो रो भी निजात मिल जायेगी इराके कारण न केवल कृषि आय मे वृद्धि होगी बल्कि कृषि क्षेत्र मे और अधिक निवेश के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। अब जरूरी हो गया है कि आठवे दौर की गैट वार्ता को सही परिदृष्य मे राजनीति रो हटकर लागू किया जाये और एक जुट होकर अतर्राष्ट्रीय व्यापार रो अधिक से अधिक लाभ उठाया जाये।

भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार डकल प्रस्ताव मे सकारात्मक एव नकारात्मक दोनो ही पहलू है। परन्तु तौलने पर सकारात्मक बिन्दु नकारात्मक बिन्दुओ पर भारी

पडते है। कृषि पर डकल प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओ का सही आकलन तभी हो सकता है जब हम लाभ एव हानि बिन्दुओ पर विचार करले।

सकारात्मक प्रभाव :

1 गैट के अतर्गत कृषि पर भी कुछ बंधन लागू होगे–बाजार मे प्रवेश, राष्ट्रीय समर्थन तथा निर्यात प्रतिस्पर्धा।

2 विकासशील देशो मे कृषि पर निवेश सहायता तथा गरीब किसानो को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को राष्ट्रीय समर्थन कटौती से बाहर रखा गया है।

3 उन विकासशील देशो मे जहा कुल समर्थन स्तर व्यक्तिगत उत्पादो का कुल 10 प्रतिशत हो वे खास–उत्पाद समर्थन मे कटौती के लये बाध्य नही है।

4 सीमा शुल्क मे 36 प्रतिशत की कटौती की जायेगी जो कि प्रत्येक टैरिफ लाइन का न्यूनतम 15 प्रतिशत होगा।

5 सभी बजट प्रस्तावो पर निर्यात सहायता मे 36 प्रतिशत तक की छूट होगी और सभी मात्रा मे 24 प्रतिशत की छूट विकासशील देशो के लिये यह 24 प्रतिशत और 16 प्रतिशत होगी जो कि सन् 2005 तक पूरी तरह से लागू हो जायेगी।

6 राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मे 20 प्रतिशत तक की कटौती की जायेगी। जिन विकासशील देशो के यहा बकाया धन देय मे कोई समस्या है उनके लिये सीमा शुल्क टेरिफ सीलिंग की कोई भी बाध्यता नही है।

7 विकासशील देशो को आयात के प्रतिपक्ष मे सेनेटरी एव फाइटो–सेनेटरी उपायो पर विशेष ध्यान देना होगा।

नकारात्मक :

1 कृषि पर आर्थिक सहायता केवल गरीब किसानो के लिये ही सीमित होगी।

2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) द्वारा दी जाने वाली सहायता पोषण के मानक के आधार पर तैयार की जायेगी।

3 क्षेत्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली धनराशि और जुडी हुई आय सहायता पर की गई कटौती के वादे पर छूट। इसका लाभ यूरोपीय समुदाय उठा सकता है।

4 यदि खास उत्पाद 10 प्रतिशत से अधिक है तो विकासशील देशो को सन् 2005 तक राष्ट्रीय स्तर पर दिये जाने वाले समर्थन पर 13 प्रतिशत की कटौती करनी होगी।

5 खाद्यान्न की खरीद सरकार द्वारा तत्कालीन बाजार दामो पर की जायेगी।

6 तत्कालीन प्रवेश और न्यूनतम प्रवेश सबधी जरूरतो के बारे मे कोई स्पष्ट प्राविधान नही है।

बीज पेटेन्टीकरण के पश्चात कृषि सहायिकी समाप्त करने की प्रक्रिया का प्रावधान विश्व व्यापार सगठन मे प्राविधिक किया गया है। जो विकासशील राष्ट्रो के किसानो के लिये बहुत ही हानिप्रद सिद्ध हो रहा है। अभी तक विकासशील देशो की सरकारो के द्वारा कृषि उत्पादो मे सहायक रसायनो (खाद) पर सहायिकी प्रदान की जाती थी। परन्तु अब विश्व व्यापार सगठन के सदस्य विकासशील देश इसको समाप्त कर रहे है। यदि भारत के सदर्भ मे दृष्टि डाले तो सहायिकी कम करने की वजह कृषि कार्यो मे प्रयुक्त होने वाले रासायनो का मूल्य बडी तेजी से वृद्धि की ओर उन्मुख हुआ है।

कृषि पर प्रभाव :

डकल प्रस्ताव और बौद्धिक अधिकार राम्पदा से भारतीय किसानो मे काफी रारगर्मी है। ऐसा माना जा रहा है कि उदारीकरण की नीति तथा बहुराष्ट्रीय निगमो के आने रो भारतीय कृषि विशेषकर बीजो, उर्वरको तथा पौधो की दवाईयो पर दूरगामी असर पडेगा। डकल प्रस्ताव के अनुसार जो भी पौधो एव जानवरो की किस्मे विदेशो मे

इजात की जायेगी उनको विदेशी कपनिया पेटेन्ट करा सकती है तथा उन्हे पूरा अधिकार प्राप्त होगा कि वे पेटेन्ट अधिकार देने से इनकार कर दे।

अभी तक हमारे वैज्ञानिको को पूरी छूट थी कि वे विश्व मे कही पर भी किसी भी प्रकार की जीन का इस्तेमाल कर सकते है। परन्तु डकल प्रस्ताव और बौद्धिक सम्पदा अधिकार के लागू हो जाने के बाद मे ऐसा करना सम्भव नही होगा। यह कदम भारतीय कृषि के लिए आत्मघाती है क्योकि अब हम अपनी जरूरत के अनुसार फसलो की किस्मो को तैयार नही कर सकते है। मुख्य फसलो की नई किस्मे तभी तैयार की जा सकती है जब हम बदली हुई परिस्थितियो मे मिट्टी, पानी एव वातावरण को ध्यान मे रखे। यह बहुत ही आवश्यक है कि यदि हमे अपनी कृषि को जीवित रखना है तो यह तभी सम्भव है जब हमे अपनी आवश्यकता अनुसार जीन उपलब्ध हो। अभी तक यह सहूलियत हमारे पास मुफ्त मे उपलब्ध थी।

बहुराष्ट्रीय निगमो के पास आर्थिक ससाधनो की कोई कमी नही होती है ऐसी स्थिति मे वे पेटेन्टो को बहुत ही आसानी से खरीद सकते है और फिर बीजो के उत्पादन एव वितरण पर अपना एकाधिकार जमा लेगे। पेटेन्ट अधिकार को देने से इनकार वाले उपनियम की वजह से भारतीय कृषि और किसान उन विकसित राष्ट्रो पर निर्भर हो जायेगी जिनके पास अधिकतर फसलो की नई किस्मो के जीन है।

यदि यह प्रस्ताव मान लिये गये तो ये भारतीय कृषि को दो प्रकार से हानि पहुॅचा सकते हे।

1 बहुराष्ट्रीय निगम के पास अधिकतर बीजो के उत्पादन के अधिकार होने की वजह से हमारी खाद्यान्न सुरक्षा खतरे मे आजायेगी। यह बिलकुल उसी तरह से होगा जैसे कि युद्ध के लिये विदेशी अस्त्र शस्त्रो पर निर्भर होना पडे।

2 बीजो के मूल्य बहुत अधिक होगे जो कि हमारे यहॉ के लाखो गरीब और छोटे किसानो, जिनका प्रतिशत लगभग 76 है, उनकी पहुॅच से परे रहेगे।

बीजो की तरह से उर्वरको और कीटनाशको पर भी ऐसा ही असर होगा क्योकि इन पर भी बहुराष्ट्रीय निगमो का अधिकार जमा है। परन्तु इसका यह मतलब नही है कि डकल रिपोर्ट को कूडेदान मे फेक दिया जाये। हम ऐसा नही कर सकते है। ऐसा करने रो हम विश्व व्यापार मे पूर्णत अकेले पड जायेगे। इसके लिये आवश्यक है कि हम खारा मुद्दो पर छूट के लिए वार्ता करे साथ ही जब तक हम अतर्राष्ट्रीय स्पर्धा का रामना करने के लायक नही हो जाते तब तक हमे समुचित सरक्षण दिया जाना चाहिए। अत अधिक से अधिक लाभ प्राप्ति के लिये इस विषय पर और वार्ता की जरूरत है।

उद्योग पर प्रभाव:

डकल प्रस्ताव व विश्व व्यापार सगठन के सकारात्मक एव नकारात्मक प्रभाव न केवल कृषि एव व्यापार पर ही पडेगे बल्कि उद्योग एव सेवा क्षेत्रो पर भी पडेगा। जहा तक उद्योगो का प्रश्न है अभी यह नही कहा जा सकता कि किस दिशा मे प्रभावित करेगा परन्तु इतना अवश्य ही है कि विकासशील देशो के पटल पर अपना प्रभाव जरूर डालेगा। सच कहा जाये तो वास्तविक रूप से डकल प्रस्ताव एव आर्थिक सुधारो की प्रक्रिया व भू–मण्डलीकरण उद्योगो के कारण ही है। 1980 के दशक मे अमेरिका एव अन्य यूरोपीय देशो मे अवसाद के लक्षण दिखाई पडे थे जिसके कारण उद्योगो'मे स्थिरता तथा बेरोजगारी की समस्या का खतरा पैदा हो गया था। इस समस्या से निपटने के लिये विकासशील देशो के बाजार को प्राप्त करना एव यूरोपीय (विशेषकर ओ ई सी डी) देशो के उद्योगो का विकास करना था। जिसके तहत डकल प्रस्ताव की रूपरेखा निर्मित की गयी और विभाजन तक की यात्रा तय की गयी है।

विकासशील देशो मे यूरोपीय उद्योगो एव पूजी निवेश को बढावा देना इस प्रक्रिया मे सम्मिलित है। उदारीकरण, एमआरटीपी अधिनियम फेरा मे छूट बहुराष्ट्रीय निगमो एव कम्पनियो के साथ नरम रवैया अपनाकर विकासशील एव भारत जैसे देशो मे विदेशी उद्योगो के द्वार खोलना है। जिससे विकासशील देशो एव भारत के उद्योग प्रभावित हो रहे है और होगे। भारत का न केवल सार्वजनिक क्षेत्र बल्कि निजी क्षेत्र भी एक निश्चित समय एव सीमा के बाद प्रभावित होगा।

भारत के दो महत्वपूर्ण एव परम्परागत उद्योग कपडा तथा जूट बुरी तरह प्रभावित हुए है और वर्ष 2003 के बाद ही वास्तविक स्थिति का पता चल पायेगा, परन्तु अभी कपडा एव परिधान उद्योग नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है।

डकल प्रस्ताव के द्वारा कपडा उद्योग को वर्तमान विश्व व्यापार सगठन के नियमो के अन्तर्गत समाहित कर लिया गया है। यह प्रस्ताव 10 वर्षो की सक्रमण अवधि मे बहुतन्तु व्यवस्था को समाप्त करके विश्व व्यापार मे कपडा उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करना है। भारत तथा अन्य देशो के अनुरोध पर ही इस समय अवधि को घटाकर 15 वर्ष से कम करके 10 वर्ष कर दिया गया। भारत से सर्वाधिक मात्रा मे कपडा एव पोशाक का निर्यात अमेरिका एव यूरोपीय समुदाय के देशो को किया जाता है। इन बाजारो मे भारतीय वस्त्रो की अच्छी माग है वस्तु निर्यात पर कोटा प्रतिबन्ध लगा रखा है। जिराके कारण भारत इन बाजारो मे कही कम मात्रा मे कपडा बेच पाता है। इरा रामझौते के परिणाम स्वरूम भारत अपने वस्त्रो एव पोशाको के निर्यात मे पर्याप्त वृद्धि कर सकता है।

विश्व व्यापार सगठन जो वर्तमान मे गैट का प्रतिनिधित्व करते हुए डकल प्रस्ताओ को कार्यरूप प्रदान कर रहा है का प्रभाव विभिन्न तीन चरणो मे 3 4 3 के अनुपात मे विदेशी प्रतिबन्धो को सन् 2003 तक समाप्त करने के पश्चात् ही भारतीय वस्तु उद्योग को विश्व बाजार मे अपनी दक्षता को सिद्ध करने का पूर्ण अवसर प्रदान हो

राकेगा। भविष्य की सम्भावनाओ के आधार पर हम यह मत व्यक्त कर सकते है कि भारतीय वरतु उद्योग विभिन्न देशो मे मुक्त व्यापार नीति के तहत अपनी सर्वोच्चता रिद्ध करने मे सक्षम है जिसके आधार पर हम यह कह सकते है कि विश्व व्यापार रागठन भविष्य मे सफलता अत्यधिक मात्रा मे प्राप्त करने मे सक्षम् होगा इसी प्रकार डकल प्रस्ताव एव उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारत के परम्परागत निर्यातक उद्योगो की श्रृखला मे जूट उद्योग भी प्रभावित हुआ है। यद्यपि वर्ष 1990–91 की तुलना मे वर्ष 1995–96 मे वृद्धि हुई है। परन्तु विश्व बाजार मे डब्लू टी ओ के तहत जूट को लाभ की सभावनाये कम ही नजर आती है।

परन्तु समग्र रूप से अभी यह नही कहा जा सकता कि विकासशील देशो एव भारत के उद्योगो पर उसका प्रभाव सकारात्मक दिशा मे पडेगा या नकारात्मक रूप मे प्रभावित करेगा। कोटा पद्धति एव उदारीकरण रो निश्चित रूप से सगठित उद्योगो का विकारा तो होगा, भले ही वे विदेशी पूजी एव राहस का परिचय दे। निर्विवाद रूप से गह कहा जा राकता है कि भारतीय औद्योगिक पटल पर विदेशी पूजी का आगमन तेजी रो हो रहा है जो औद्योगिक विकारा को प्रभावित कर रहा है।

सेवा क्षेत्र पर प्रभाव :

आधुनिक समय मे किसी भी अर्थव्यवस्था मे सेवाओ का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योकि सेवा क्षेत्र ने अर्थव्यवस्थाओ के सामाजिक, आर्थिक एव राजनैतिक जीवन मे

क्राति पैदा कर दी है। सेवा क्षेत्र मे मुख्य रूप से परिवहन, ऊर्जा, सचार, यातायात, बैकिग, बीमा एव सलाहकारी सेवाये आदि सम्मिलित की जाती है। आज विकासशील देशो के रोवा क्षेत्र मे विदेशी सेवाओ का योगदान बढता ही जा रहा है। पश्चिम के यूरोपीय देशो ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे भागीदारी प्रारम्भ कर दी है। सचार, परिवहन, बैकिग एव ऊर्जा के क्षेत्र मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की न केवल सलाहकारी रोवाये उपलब्ध है बल्कि पूजी निवेश एव उनके सचालन मे भी भागीदारी अदा कर रही है।

यदि वर्ष 1990–91 के बाद की रिथति का लेखा जोखा लिया जाये तो निष्कर्ष यही निकलता है कि डकल प्रस्ताव एव विश्व व्यापार सगठन के आ जाने के बाद इस क्षेत्र का प्रचार एव प्रसार तथा जनता को प्रदान की जा रही रोवा मे सुधार हुए है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था मे दूर सचार एव ऊर्जा के क्षेत्र मे उदारीकरण की प्रक्रिया के तहत अधिक सुधार परिलक्षित हऐ है। निश्चय रूप से इस नयी विश्व व्यापार व्यवस्था के माध्यम से आधुनिक एव सुधरी हुई उचित मूल्य पर सेवाये उपलब्ध होगी। जहा तक बैकिग एव बीमा का प्रश्न है इन सेवाओ का विस्तार एव रुधार विकासशील देशो मे अधिक तेजी से हा रहा है।

विकासशील देशो ने माग की है कि उनके बाजार मे जो विकसित देश बैकिग, इन्श्योरेन्रा और अन्य सेवाओ के लिये मुक्त प्रवेश चाहते है उसके बदले मे उन्हे अपने

गहा विकाराशील देशो की श्रम सेवाओ के लिये मुक्त प्रवेश प्रदान करना होगा। यह मुद्दा गेट मे नही शामिल किया गया। गैट मे यह भी कहा गया है कि विकसित देशो को विकासशील देशो के लिये सेवा क्षेत्र मे और अधिक सूचना प्रदान करनी चाहिये। यह कहा जा सकता है कि गैट्स के अतर्गत सेवा व्यापार को वस्तु व्यापार के समकक्ष लाना है ताकि सेवाये राष्ट्रीय नीति प्रशासन के दायरे से बाहर आ सके। राष्ट्रो को इस बात की स्वीकृति है कि वे अपनी अनुसूची मे उन्ही सेवाओ को शामिल करे जिन्हे वे खोलना चाहते है।

भारतीय रोवाए क्या विश्व व्यापार सगठन से प्रभावित हुई है? इस विन्दु पर ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है कि मुक्त व्यापार नीति के तहत इन पर भी प्रभाव पडेगा। परन्तु वर्तमान समय मे अभी तक इन सेवाओ पर कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नही पड रहा है। परन्तु एक नजर इस सेवाओ पर डाल कर निरीक्षण कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है।

रार्व प्रभम भारतीय रेल सेवा का उदाहरण है जिसका व्यय एव आगम लगातार बढ रहा है। इसलिये रेल सेवाओ मे उदारीकरण एव विश्व व्यापार सगठन का प्रभाव सकारात्मक ही पडा है। सन् 1990–91 मे कुल सकल यातायात प्रक्रिया 12096 करोड रूपये की रही वही कुल कार्यचालन व्यय 11154 करोड रूपया रहा।[3] जबकि सन्

3 भारत सरकार आर्थिक समीक्षा, 1997–98, पृष्ठ एस–50

1996–97 मे कुल कल सकल प्राप्तिया 24319 करोड रूपये की रही और सकल कार्यचालन व्यय 21001 करोड रूपये का रहा। इस उद्योग पर विश्व व्यापार सगठन का कोई अरार स्पष्ट रूप मे अभी सामने आता हुआ नही दिखाई पड रहा है परन्तु हम यह कह राकते है कि विश्व व्यापार सगठन के अभी पूर्ण नियमो का कडाई से अनुपालन नही हुआ है और इन नियमो का यदि पूर्ण अनुपालन हुआ तो अवश्य ही प्रभावित होगा।

तालिका*

सेवाओं पर परिव्यय केन्द्र, राज्य एवं संघशासित प्रदेशों का आठवीं पंचवर्षीय योजना मे

(करोड रूपये)

सेवा क्षेत्र	1992—93	1993—94	1994—95	1995—96	1996—97	1997—98
I ऊर्जा	20289 80	26909 00	27482 00	30067 00	29615 30	24234 50
(क) विद्युत	12157 40	14773 10	1636 40	17135 00	16532 40	8078 90
(ख) पेट्रोलियम	5698 50	9589 30	8643 60	10619 00	10528 30	12383 60
(ग) कोयला और लिग्नाइट	2276 50	2293 10	2238 70	1853 00	1932 10	3142 60
(घ) ऊर्जा के गैर परम्परागत ससाधन	157 40	253 50	253 30	460 00	622 50	629 40
I I परिवहन	10662 70	11976 70	12096 60	15921 00	18895 90	15016 00
(क) रेलवे	6162 00	5901 00	5472 00	7500 00	8300 00	8300 00
(ख) अन्य	4500 70	6075 70	6624 60	8421 00	10595 90	6716 00
III सचार सेवाए	5150 90	6201 60	7273 80	9778 70	10077 40	13361 00

IV सामाजिक सेवाए	11322 80	14016 60	17409 20	23237 70	27864 80	15707 00
(क) शिक्षा	2619 40	3147 30	3940 00	6123 10	7346 10	4157 90
(ख) चिकित्सा व जन स्वास्थ्य	1213 90	1300 40	1625 90	2010 20	2600 20	954 80
(ग) परिवार कल्याण	1008 10	1312 60	1684 90	1506 00	1547 00	1829 30
(घ) आवास	650 60	1291 50	1055 60	1974 70	3285 80	2150 60
(ङ) शहरी विकास	791 30	855 80	1025 20	1797 70	2330 00	1073 00
(च) अन्य सामाजिक सेवाये	5039 50	6109 00	8077 60	9826 00	10755 70	5541 40
V सामान्य सेवाए	266 00	462 60	651 10	1132 80	1263 70	277 60

स्रोत : *भारत सरकार आर्थिक समीक्षा 1997—98 पृष्ठ S— 46

सेवा क्षेत्र में उदारीकरण की प्रक्रिया के पश्चात परिव्ययों में वृद्धि हुई जो स्थिति के सुधार का द्योतक है जहां ऊर्जा क्षेत्र में सन् 1992–93 से लगातार अपने परिव्यय में वृद्धि करके बेहतर सेवायें प्रदान करती हुई प्रगति की ओर अग्रसर है इसे कुछ सीमा तक उदारीकरण का परिणाम कहा जा सकता है। इसी प्रकार संचार सेवाओं में परिव्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। जिसमें उदारीकरण एवं विश्व व्यापार संगठन के लागू होने के बाद से सुधार भी परिलक्षित हुए हैं संचार सेवायें निरन्तर बेहतर सुविधायें प्रदान करने की कोशिश में अधिक सफलता भी प्राप्त कर रही हैं।

इसी प्रकार समाजिक सेवाओं का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि उदारीकरण की प्रक्रिया के पश्चात इसमें निरन्तर वृद्धिमान गति से परिव्यय हुआ है। जहां सन् 1992–93 में कुल सामाजिक सेवाओं पर व्यय 11322.8 करोड़ रूपये का हुआ वहीं सन् 1996–97 में बढ़कर 27864.80 करोड़ रूपये हो गया परन्तु अन्य सेवाओं की भांति यह भी आर्थिक मंदी से बिना प्रभावित हुए नहीं हर सका और 1997–98 में घटकर 15707 करोड़ रूपये रह गया।

सामान्य सेवायें भी उदारीकरण प्रक्रिया के बाद की स्थिति निरन्तर वृद्धि की रही परिव्यय में परन्तु 1996–97 इसकी भी स्थिति सामाजिक सेवा की भांति कम होने की रही जैसा की तालिका में दिखाया गया है।

उपर्युक्त तालिका के आधार पर हम कह सकते हैं कि उदारीकरण लागू होने के बाद सेवाएं अपनी सेवाओं को सुविधा परक बनाने के प्रयास किये परन्तु आर्थिक

मदी के दौर का सामना करने मे सक्षम नही प्रतीत होती है। केवल सचार सेवा ही अदम्य साहस के साथ अपनी स्थिति सुधारे हुए अपने व्ययो मे वृद्धि जारी रख सका है।

व्यापार पर प्रभाव ·

भारत खाद्यान्न के क्षेत्र मे जहा पूर्व मे आयातक देश रहा वही आज विगत कई वर्षो से निर्यातक देश बन गया है। भारतीय निर्यात की चर्चा वर्तमान मे जब होती है तो इस बात का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है कि खाद्यान्न की चर्चा हो। भारतीय लोग सन् 1950–51 मे खाद्यान्न का उत्पादन मात्र 5 08 करोड टन करते थे वही आज 20 करोड टन कर रहे है।[4]

विश्व व्यापार मे फल एव सब्जी के निर्यात मे भारत का भाग मात्र 1 प्रतिशत है जबकि ससार का 65 प्रतिशत अदरक, 75 प्रतिशत हल्दी एव 40 प्रतिशत काजू भारत मे पैदा होता है। इसी प्रकार फूलो के व्यापार की सभावनाए विश्व बाजार मे असीमित हो रही है और प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। भारत के द्वारा इस समय फूलो के निर्यात के द्वारा एक अरब रूपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा रही है। इन्ही तथ्यो को ध्यान मे रखकर पुष्प उत्पादक क्षेत्र को 34 हजार हेक्टेयर करने और नौवी योजना के अन्त तक निर्यात को बढा कर 48 अरब रूपये प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है।

4 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग, योजना अक, 1998 मई अक–2

तालिका *

क्रम सख्या	वस्तुए	1991–92	1996–97	2000 (लक्ष्य)
1	फल	187	355	उपलब्ध नही
2	सब्जिया	206	415	552
3	काजू	669	1096	1658
4	मरााले	170	272	उपलब्ध नही
5	मशरूम	11	17	32
6	फूल	12	100	200
7	सरक्षित पौध	उपलब्ध नही	15	30
8	प्रसरस्कृत फल एव सब्जिया	100	375	656

* **स्रोत** *भारत सरकार, प्रकाशन विभाग, योजना मई 1998 अक 2*

उपर्युक्त तालिका से स्पष्टत दिखाई पड रहा है कि बागवानी क्षेत्र मे भारत रान् 1950–51 की तुलना मे निरतर वृद्धि और अग्रसर रहा है निर्यात के क्षेत्र मे यदि डकल के प्रभाव के रूप मे हम इसका विश्लेषण करते है तो हमे यह देखना पडेगा की रान् 1991 मे की गई उदारीकरण प्रक्रिया इन क्षेत्रो को प्रभावित करती है जो डकल प्रस्ताव को ध्यान मे रखकर मुक्त व्यापार नीति को अपनाने की ओर अग्रसर रही।

बागवानी उत्पादो मे जहा फलो एव सब्जियो के निर्यात मे वृद्धि 1991–92 की तुलना मे 1996–97 मे लगभग दो गुने की हुई वही काजू के निर्यात मे वृद्धि दो गुने से कम रही परन्तु इसके निर्यात मे भी 427 करोड रूपये की वृद्धि हुई जो सफलतम वृद्धि कही जा सकती है भारत जैसे देश के लिये जहा की आवादी विश्व म दूसरे स्थान पर हे। मसाले मे भी वृद्धि 198 करोड रूपये की निर्यात मे रही। मशरूम के निर्यात मे 6 करोड रूपये की रही है।

फूल के निर्यात मे वृद्धि विगत 6 वर्षो मे 8 गुने ज्यादा की रही सन् 1990–91 मे जहा मात्र 12 करोड रूपये का निर्यात हुआ वही 1996–97 मे 100 करोड रूपये का रहा। प्रसस्कृत एव सब्जियो के निर्यात मे भी लगभग चार गुने की वृद्धि हुई सन् 1990–91 मे की तुलता मे 1996–97 मे 275 करोड रूपये की वृद्धि हुई।

उपर्युक्त तालिका के द्वारा यदि हम सन् 2000 तक लक्ष्य को ध्यान मे रखकर विश्लेषण करे तो इन्हे प्राप्त करने वाले लक्ष्य की सज्ञा दी जा सकती है। अभी तक की वृद्धि को देखने के उपरान्त यही लगता है कि लक्ष्य पा लिया जायेगा।

मुक्त व्यापार नीति का बागवानी क्षेत्रो के विकास एव उसको निर्यातोन्मुखी बनाने मे सहायक प्रतीत होती है। इस समय जब डकल प्रस्ताव के आधार पर विश्व व्यापार सगठन अपने कार्यरूप मे सन् 1995 जनवरी से है तो इसके विकास की और

भी राभावनाये बनेगी। अभी तक वस्तुओ के निर्यात मे तमाम प्रकार की बाधाए जेरा लाइरोन्स प्रणाली का गूढ होना तथा आयातित दश के द्वारा तटकर आदि लगाय जान रो व्यापार कठिन हो जाता था परन्तु मुक्त व्यापार नीति की ओर अग्ररार विश्व अर्थव्यवस्था मे भारत को बागवानी क्षेत्र की वस्तुओ के निर्यात मे ओर अधिक सफलता मिलने की राभावनाए हे।

उपर्युक्त तालिका क आधार पर हम कह राकते हे कि भारत का भविष्य म बागवानी क्षेत्र मे लाभ होगा विश्व व्यापार रागठन के कार्य रूप मे आने के परिणाम स्वरूप गेट, डकल प्रस्ताव एव विश्व व्यापार का न केवल अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अग कृषि पर ही प्रभाव पडेगा। जिराका विवरण आगे दिया जा रहा हे।

तालिका व्यापार शेष*

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-9
निर्यात	18477	18266	18669	22683	26855	32311	23764
आयात	27915	21064	24316	26739	25904	43670	48063
निर्यात एव आयात	&9438	&2798	&5447	&4056	&9049	&11359	&1429

** स्रोत भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा, –1997 पृष्ठ 77*

उपर्युक्त तालिका के द्वारा हम निर्यात को देखे तो यह निश्चित तौर पर कह सकते है। कि उदारीकरण के परिणाम स्वरूप निर्यात मे विशेष लाभ की स्थिति नही रही। यह शुरू के वर्षो मे स्थिरता की स्थिति मे रहा और सन् 1993 एव 1994 मे वृद्धिमान प्रवृत्ति पायी गयी तथा 1995 मे वृद्धि दर अधिक और भारतीय निर्यात बढकर 32311 अमरीकी मिलियन डालर हो गया जो अब तक के वर्षो सर्वाधिक रहा परन्तु 1996–97 मे घटकर 23764 अमरीकी मिलियन डालर रह गया इसी प्रकार उक्त तालिका के विश्लेषण के परिणाम स्वरूप आयात की स्थिति उदारीकरण के शुरू के वर्षो मे कम होकर स्थिर गति से वृद्धिमान रही परन्तु विश्व व्यापार सगठन के लागू होने के पश्चात सन् 1995 मे वृद्धि हुई और बढकर 436 70 अमरीकी मिलियन डालर हो गई। इसके पश्चात सन् 1996–97 मे बढकर 48063 अमरीकी मिलियन डालर तक पहुच गई।

यदि हम तालिका के द्वारा यह देखे कि आयात–निर्यात मे विगत वर्षो मे स्थिति क्या रही तो हम पाते है कि निर्यात मे 1996 मे कमी हुई है और सभी वर्षो मे बढोत्तरी हुई है और आयात मे 1991 मे कमी हुई है। परन्तु आयात मे भी निर्यात की तुलना मे वृद्धिदर तीव्र रही।

उपर्युक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि भारत का आयात–निर्यात का व्यापार शेष सदैव ऋणात्मक बना हुआ है परन्तु सन् 1991 मे उदारी करण की प्रक्रिया के बाद

इरामे सुधार दिखाई पडता है जहा सन् 1990 मे भारत का भुगतान 9438 मिलियन अमरीकी डालर ऋणात्मक था उसमे कमी होकर सन् 1991 मे मात्र 2792 मिलियन अमरीकी डालर ऋणात्मक रह गया। परन्तु सन् 1992–93 मे तथा 1993–94 मे वृद्धि के साथ उतार चढाव की स्थिति रही । उसके बाद के वषो मे वृद्धि दर अधिक रही और बढकर दोगुनी पहुच गयी।

इरा तालिका से हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि उदारीकरण प्रक्रिया का तो तत्कालीन लाभ व्यापार असतुलन की स्थित कम करने पर रहा परन्तु दीर्घकाल मे इसका विपरीत प्रभाव दिखाई पड रहा है। यदि इस तालिका से हम देखे कि 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार सगठन कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है और उदारीकरण प्रक्रिया इसी परिपेक्ष्य मे लागू करने का प्रयास रहा तो हम यह कह सकते है कि उदारीकरण के परिणाम स्वरूप व्यापार असतुलन मे अल्प कालीन कमी तो आयी परन्तु विश्व व्यापार सगठन के कार्य रूप ग्रहण करने के उपरान्त व्यापार असतुलन बढता ही जा रहा है। विश्व व्यापार सगठन के लागू होने के पूर्व तो उतार चढाव हुए है परन्तु सन् 1995 एव सन् 1996 मे वृद्धि जारी रही।

किसी भी देश के लिये व्यापार असतुलन की स्थिति अशुभ मानी जाती है यदि यह स्थित ज्यादा समय तक रहती है तो वह बहुत ही विनाशकारी स्थिति पैदा कर सकती है। भारत का व्यापार सतुलन विगत वर्षो मे ऋणात्मक बना हुआ है जो बहुत ही

चिन्ता का विषय है। हम यह कह सकते है कि जब विश्व व्यापार सगठन के तहत मुक्त व्यापार नीति को अपना लिया गया है तो अपने निर्यात को बढाया जाय और इस विनाशकारी स्थिति से जल्दी छुटकारा प्राप्त कर स्थिति को सुदृढ किया जाये।

तालिका * कुल निर्यात मे कृषि उत्पादो के निर्यात

(करोड रूपयो मे)

वर्ष	देश का कुल निर्यात	कृषि उत्पादो का निर्यात	प्रतिशत हिस्सा (भारत)
1992–93	53688	7884	14 7
1993–94	69751	10811	15 5
1994–95	82674	11051	13 4
1995–96	106353	17496	16 5
1996 -97	118817	21021	17 7

*** स्रोत** *भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा, 1997–98, पृष्ठ 198*

उपर्युक्त तालिका मे देश के द्वारा निर्यात मे उदारीकरण के पश्चात लगातार वृद्धि हुई है जहा भारत के द्वारा 1992–93 मे कुल निर्यात 53688 करोड था वही सन् 1995–96 मे 106353 करोड रूपये बढकर हो गया। यहा वृद्धि सन् 1992–93 की तुलना मे लगभग 2 गुनी हुई। सन् 1996–97 मे वृद्धि जारी है।

यदि डकल प्रभाव के उदारीकरण के तहत उदारीकरण की प्रक्रिया के परिणामो के प्रतिफल के रूप मे इसे हम देखे तो यह स्पष्ट दिखाई पडता है कि उदारीकरण प्रक्रिया का प्रभाव देश के निर्यात पर धनात्मक रहा है यदि विश्व व्यापार सगठन क लागू होने और उसके बाद के वर्षो को देखे तो हमे वृद्धि ही दिखाई पडती है जो भारतीय निर्यात के लिये शुभ लक्षण है।

भारतीय निर्यात मे कृषि जन्य वस्तुओ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिये बिना कृषि जन्य वस्तुओ के निर्यात के विश्लेषण से यह पूर्ण नही होगा। सन् 1992–93 मे कृषि जन्य वस्तुओ का निर्माण 7884 करोड रूपये था वही सन् 1995–96 मे 17496 करोड रूपये बढकर हो गया और सन् 1996–97 मे 21021 करोड रूपये कृषि उत्पादो का निर्यात किया गया कृषि उत्पादो का 92–93 मे देश के कुल निर्यात का हिस्सा 14 7 प्रतिशत था वही सन् 1996–97 मे बढकर 17 7 प्रतिशत हो जाता है। इस प्रकार कृषि उत्पादो के निर्यात मे वृद्धि के साथ–साथ देश के द्वारा किया जाने वाले निर्यात मे कृषि वस्तुओ का प्रतिशत बढ रहा है।

कृषि उत्पादो के निर्यात को हम विश्व व्यापार मे हम देखे तो भारत का हिस्सा मात्र 1 प्रतिशत है। इसलिये यह नही कहा जा सकता है कि भारत की स्थिति कृषि उत्पादो के निर्यात मे विश्व परिदृष्य मे अच्छी है। परन्तु वर्तमान विश्व व्यापार मे हमे

और प्रयास करने चाहिये अपने कृषि जन्य वस्तुओ के निर्यात के लिये उत्पादन वृद्धि को बढावा देकर।

तालिका –* उर्वरक आयात एव आर्थिक सहायता

वर्ष	आयात (हजार मीटर टन)	आर्थिक सहायता (करोड रूपये मे)
1990–91	2758	659
1995–96	4008	1935
1996–97	2014	1350
1997–98	3246	826

**स्रोत भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा, 1997–98 पृष्ठ 120*

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारतीय उर्वरक उद्योग अभी अपने देश की उर्वरक शक्ति की पूर्ति करने मे सक्षम नही है। जिसके परिणाम स्वरूप हमे विदेशो से उर्वरक रासायनो की आपूर्ति करनी पडती है। यह रसायन काफी महगे होते है और भारतीय किसानो के क्रय करने की क्षमता के बाहर की स्थिति होती है। जिसके लिये सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान समय मे डकल प्रस्ताव के कारण उदारीकरण प्रक्रिया के उपरान्त की स्थिति यह रही कि आर्थिक सहायता मे कमी की जाये जिसका परिणाम यह हो रहा है कि भारतीय कृषको को अधिक व्यय करना पड रहा है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि आयात किये जाने वाले रासायनो के परिव्यय मे लगातार वृद्धि हो रही है। विश्व व्यापार सगठन को स्थापित किये जाने के बाद उर्वरक रासायनो के आयात मे कमी हुई और सन् 1996–97 मे मात्र 2000 मीटरटन ही आयात हुआ।

उपर्युक्त तालिका के आधार पर यदि हम आर्थिक सहायता के विषय वस्तु पर ध्यान केन्द्रित करे तो यह निश्चित रूप से कह सकते है कि सरकार विश्व व्यापार सगठन के नियमो के तहत इसको पूर्ण समाप्त करने की कोशिश जारी रखे हुए है और सन् 1997–98 मे इसको कम करके 826 करोड रूपये का अनुमान है जो सन् 1995–96 के आधे से भी कम रकम है।

ट्रिप्स समझौते को लागू करना:

भारत के समक्ष नीति विकल्प :

ट्रिप्स समझौता विश्व व्यापार सगठन समझौते का एक प्रमुख हिस्सा है जिसे 117 राष्ट्रो ने स्वीकारा है। उरूग्वे दौर की वार्ता के उपरात विश्व व्यापार सगठन पर हस्ताक्षर किये गये। व्यापार वार्ताओ के इतिहास मे यह प्रथम अवसर था जब इस दौर की वार्ता के परिणाम को एक ही बार मे पूर्णता स्वीकार अथवा अस्वीकार करना था। अपनी स्वेच्छा से समझौतो और प्राविधानो को चुनने का अधिकार सदस्यो को नही

दिया गया। साथ ही प्रथम बार उरूग्वे दौर से उत्पन्न सभी समझौते सभी विकासशील देशो पर लागू होगे। इन राष्ट्रो को दी गई कोई विशेष छूट लम्बे परिवर्तन अवधि के लिये है। जैसे –कुछ प्राविधानो के अनुपालन अवधि मे विलम्ब ट्रिप्स समझौते के प्राविधानो के साथ भी ऐसा ही है। वहा ये सभी देशो पर लागू होते है पर अल्प विकसित देशो के लिये विकासशील देशो की अपेक्षा लम्बे विलम्ब की छूट का प्राविधान किया गया है।

ट्रिप्स समझौते ने भारत मे काफी उथल पुथल कर दी है और इसके कुछ प्रखर विरोधियो का मानना है कि भारत को विश्व व्यापार सगठन की सही सदस्यता छोड देनी चाहिए। यह सही है कि यह विकल्प भारत के पास है परन्तु वस्तुत विश्व व्यापार सगठन ही ऐसी सस्था है और रहेगी जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये नियम बनायेगी और उसका अनुपालन करवायेगी तथा चीन और रूस जो विश्व व्यापार सगठन के सदस्य नही है उनको प्रवेश पाने मे हो रही दिक्कतो को देखते हुए भारत, बिना किसी औचित्यपूर्ण कारण के विश्व व्यापार सगठन की सदस्यता त्यागने की बात नही सोच सकता है। दूसरी तरफ यदि भारत विश्व व्यापार सगठन मे रहता है तो ट्रिप्स समझौते के अनुपालन हेतु विश्व व्यापार सगठन के भविष्य मे विवाद निस्तारण पैनेल के समक्ष उसे वास्तविक, पक्का और रक्षात्मक होना पडेगा।

आम जनता के हितो और बौद्धिक सम्पदा अधिकार धारको के निजी हितो के बीच तारतम्य बैठा कर भारत ट्रिप्स प्राविधानो को अपना सकता है। जब तक ऐसा है, विश्व व्यापार सगठन को छोडना भारत के लिये काफी महगा साबित हो सकता है।

भारत मे पहले से ही जो नियम व कानून बौद्धिक सम्पदा के लिये, जो कापीराइट, ट्रेडमार्क पेटेन्ट्स तथा औद्योगिक प्रतिरूप को समाहित करते है उसके लिये यह आवश्यक है कि क्रियात्मक एव रचनात्मक कार्यो की बढोत्तरी के लिये बौद्धिक सम्पदा अधिकारो का सरक्षण किया जाये। कई नये क्षेत्र जो वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून के दायरे मे नही है उनको भी ट्रिप्स अपने दायरे मे ले लेता है। और साथ ही पहली बार बौद्धिक सम्पदा कानून के सरक्षण और क्रियानवयन हेतु ट्रिप्स ने पहली बार सतुलित एव व्यापक पद्धति बनायी है।

ट्रिप्स समझौता 7 प्रकार के बौद्धिक सम्पदा के लिये प्रतिमान और सिद्धात प्रतिपादित करता है। ये सात है– कापीराइट और सबधित राइट, ट्रेडमार्कस, भौगोलिक चिन्ह, इन्डस्ट्रियल डिजायइन, पैटेन्टस, अघोषित सूचना तथा ले आडर डिजाइन आफ इन्ट्रीग्रेटेड सर्किट्स विधिक क्रियान्वयन प्रत्येक विश्व व्यापार सगठन सदस्य पर छोड दिया गया है। भारत ने अपने कानून एव न्याय शास्त्र के माध्यम से ट्रिप्स मानको के अन्तर्गत कापीराइटस और सम्बधित अधिकार व्यापार चिन्ह भैगोलिक

राकेत औद्योगिक प्रतिरूप आदि के कुछ प्राविधानो को अपनाया है। ले आउट डिजाइन फार इन्ट्रीग्रेटेड सर्किट्स के लिये नये नियमो की आवश्यकता है।

व्यापार चिन्ह, भौगोलिक सकेतक एव गुप्त सूचनाओ पर के सरक्षण ट्रिप्स प्राविधानो की स्वीकृति के लिये वर्तमान नियमो मे कुछ सशोधनो की जरूरत है। जैसे भारतीय कानून पृथक या स्पष्ट चिन्ह या चिन्हो के समूह को व्यापार चिन्हो जिसमे सेवा चिन्ह भी है के अन्तर्गत सरक्षण प्रदान करता है। परन्तु उनके पजीयन के लिये व्यापार एव व्यापारिक अधिनियम 1958 मे सशोधन की आवश्यकता है। इसी प्रकार से व्यापार रहस्यो को सविदा अधिनियम और सामान्य नियम के अतर्गत सरक्षण प्राप्त है।

मुक्त व्यापार नीति के तहत भारत एव विकासशील देश जो अत्याधिक जनसख्या भार को अपने मे समाहित किये हुए है। वहा वेरोजगारी की समस्याये बढने की प्रबल सभावनाये पैदा होगी। वर्तमान मे यदि देखे तो इसका प्रभाव शुरू हो चुका है। वेरोजगारी की समस्याये निम्न कारणो से बढ सकती है।

1 आधुनिक तकनीक का प्रयोग

2 सामाजिक कल्याण की भावनाओ मे कमी।

3 परम्परागत उद्योग का विकास न होना।

4 अधिकतम लाभ कमाने की चेष्टाये।

विश्व व्यापार सगठन के तहत कल्पना की जाने वाली विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार की रही है। और इस दिशा मे कार्य भी किये जा रहे है इसका सर्वप्रथम प्रभाव विश्व की विकासशील अर्थव्यवस्थाओ पर या जो पडने जा रहा है वह आधुनिक तकनीक के विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे प्रवेश से बेरोजगारी की स्थिति भयावह होने की सभावना है।

यदि भारत के परिदृष्य मे इसका विश्लेषण करे तो हमारे यहा मानव द्वारा सम्पादित होने वाले व्यक्तिगत कार्य को सम्पादित करने वालो की प्रचुरता विद्यमान है परन्तु आधुनिक तकनीक के साथ ही साथ मनुष्यो की कार्य क्षमता के स्थान पर तकनीको के सहारे मशीनो का प्रयोग किया जाने लगा है। जो कई व्यक्तिओ का कार्य अकेले सम्पादित करने की क्षमता रखती है।

विश्व व्यापार सगठन के द्वारा परिकल्पित मुक्त विश्व अर्थव्यवस्था मे आधुनिक तकनीको के विकासशील अर्थव्यवस्था मे प्रवेश तीव्रता से होना शुरू है और बेरोजगारी की सख्या भी बढ रही है जो इन अर्थव्यवस्थाओ के लिये शुभ लक्षण नही है।

इसी मुक्त व्यापार की नीति के कारण सामाजिक कल्याण की भावना के तहत सरकारो द्वारा किये जा रहे व्ययो मे कटौती प्रारम्भ कर दी गयी है और अर्थव्यवस्था के सामाजिक कार्यो पर व्यय की जा रही मुद्रा को कम या समाप्त करने की योजनाये तय

की जा रही है इससे भी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने का सकट बरकरार दिखाई पड रहा है। अभी तक कुछ उद्योग बिना लाभ हानि पर चलाये जा रहे थे जो अव सभव नही होगा इस विश्व बाजार अर्थव्यवस्था के तहत पूरे विश्व को एक बाजार मे परिणित करने की जो विश्व व्यापार सगठन की नीति है वह अब अधिकतम बेरोजगारी को बढाने मे अपना योगदान प्रदान करेगा। अभी तक सरकारे इनके क्रिया कलापो पर नजर रखा करती थी और कम लाभ पर भी उद्योग को सचालित कराने मे मदत करती थी। परन्तु अब ऐसा सभव नही होगा।

सुझाव :

विश्व जगत मे होने वाले किसी भी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है और इस स्थिति को पैदा करने मे कुछ महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियो के द्वारा दिये गये वक्तव्यो एव राजनीतिक दलो के द्वारा दिये गये वक्तब्यो एव राजनीतिक दलो के द्वारा स्वार्थहित मे किये गये व्यक्तिगत लाभ के लिये क्रिया कलापो का महत्वपूर्ण योगदान होता है। परन्तु जब डकल परस्ताव एक ऐसा महत्वपूर्ण सविदा के रूप मे विश्व व्यापार सगठन के तहत स्थापित हो चुका है तो हम इसका अन्धा विरोध नही कर सकते है, क्योकि डकल प्रस्ताव के निर्माता श्री आर्थल डकल जी ने स्पष्टत विचार व्यक्त किये है कि कोई भी देश इस रामझौते से दूर रह सकता है परन्तु उसे विश्व व्यापार सगठन की सदस्यता गवानी पडेगी।

1 भारतीय अर्थ व्यवस्था 99 प्रतिशत स्वदेशी अर्थव्यवस्था रही है जबकि इस अर्थव्यवस्था को मात्र 1 प्रतिशत विदेशी अर्थव्यवस्था पर आश्रित रहना पडा है। यदि भारत चाहे तो अपनी अर्थव्यवस्था सुदृढ करके अपने यहा के मानव शक्ति का सद्उपयोग कर सकता है।

विकसित राष्ट्र वर्तमान समय मे परिपक्वता की स्थिति प्राप्त कर चुके है इस स्थिति के बाद इन राष्ट्रो के द्वारा अत्यधिक उपभोग किया जाता है परन्तु इस उपभोग वाली सस्कृति विकासशील राष्ट्रो के लिये हानिकारक सिद्ध होगी। इस तथ्य को हम एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझा सकते है यदि किसी व्यक्ति की प्रत्येक दिन आय 10,000 रूपये है और वह व्यक्ति अपने उपभोग पर 5,000 रूपये प्रतिदिन खर्च करता है तो उसपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नही पडेगा। परन्तु एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आय प्रतिदिन 4,000 रूपयेहै और वह प्रतिदिन 5,000 रूपया उपभोग पर नकल करके खर्च करता है तो स्थिति इस व्यक्ति की भविष्य मे भयावह होगी।

यह सुझाव मुझे इस लिये देना पड रहा है कि वर्तमान समय मे डकल का परिमार्जित स्वरूप जो विश्व व्यापार सगठन के रूप मे स्थापित हो चुका है इस के कारण पूरा विश्व एक बाजार व्यवस्था की स्थिति मे पहुचने वाला है। इससे पूरे विश्व मे सस्कृति का आदान प्रदान होगा। पूरा विश्व इससे प्रभावित होगा यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है।

भारतीय परिदृष्य मे इसका प्रभाव दिखाई पड रहा है। भारत के वासी नकल प्रक्रिया को अपना कर अपने को श्रेष्ठ सावित करने की जो चेष्टाये पाले हुए है वह उनके लिये घातक होगी। वर्तमान आर्थिक युग के तहत (रूपया) अर्थ प्राप्त करना किसी स्रोत से और अपने को श्रेष्ठ साबित करना दूसरो की अपेक्षा बहुत ही गलत परम्परा को अपनाने के तुल्य है। हमारे यहा लोगो के खर्च निरन्तर बढ रहे है इससे तमाम प्रकार की विकृति या उत्पन्न होना स्वाभाविक है जैसे चोरी, दलाली, लूट, घसोट, छीना–झपटी एव बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की मूल जड मे अर्थ समाहित है। इन प्रवृति को विदेशी उपभोग वाली सस्कृति के द्वारा भविष्य मे बढावा मिलने की पूरी सभावना विद्यमान है। विकासशील राष्ट्रो को चाहिए की अपनी स्थिति का आकलन करे और अपने देश के निवासियो को समझाये की अपनी आय से ज्यादा खर्च उनके लिये ठीक नही है। विदेशो की नकल परम्परा हमारे यहा उचित नही क्योकि उनकी क्षमता के तुल्य हम नही है इस वास्तविकता को स्वीकार कराने की चेष्टा और प्रयास से इस पर काबू पाया जा सकता है।

विकासशील देशो को यह भी प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करना चाहिये की डकल प्रस्ताव के वर्तमान रूप विश्व व्यापार सगठन के तहत विदेशो से आयातित तकनीक कही बेरोजगारी की समस्या तो उत्पन्न नही कर रही यदि ऐसा है

तो उसको कम करने एव अपने (मैन पावर) मानव शक्ति का सदउपयोग किस प्रकार कहा और कैसे करे इसकी विस्तृत योजना होनी चाहिये।

भारत जैसे विकाशील देश मे जनसख्या वैसे ही भयावह है और बेरोजगारी चरम सीमा पर यदि आधुनिक तकनीकि के माध्यम से इसी तरह कार्य की कुशलता बढाई जाती रही तो वेरोजगारी और ही भयावह स्थिति ले सकती है। क्योकि आधुनिक समय मे बढते हुए कम्प्यूटरो का प्रयोग सभव है बेरोजगारी वृद्धि करे।

विकासशील राष्ट्रो की तकनीक विकसित राष्ट्रो की अपेक्षा काफी पीछे है। वर्तमान समय मे विदेशी पूजी निवेश और मुक्त व्यापार नीति के तहत आयातित तकनीक के द्वारा अपने देश मे औद्योगीकरण प्रक्रिया मे किस प्रकार सतुलन स्थापित किया जाये इस पर भी विचार–विमर्श कर एक कार्य योजना तैयार कर उस पर कार्य करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी जाहिये।

भारत मे विदेशी पूजी निवेश को बढावा मिला है इससे नये–नये क्षेत्रो मे औद्योगिक विकास सभव है परन्तु इसके तीन नकारात्मक प्रभाव प्रधानत दिखाई पडते है। प्रथम–बेरोजगारी द्वित्तीय–स्वदेशी उद्योग का ह्रास एव तृतीय– पूजी का बहिर्गमन। इन बिन्दुओ पर देश के बुद्धिजीवियो विचारको, सामाजिक कार्यकर्ताओ एव राजनीतिज्ञो को गइराई से विचार करना होगा कि किस प्रकार से इसके प्रभावो से बचा जा सकता है।

विकासशील राष्ट्रो का यह भी दायित्व है कि वे यह भी सुनिश्चित करे कि उनकी की सेवाये अन्य देशो की अपेक्षा बेहतर सिद्ध हो तथा व्यापार मे वृद्धि हो, व्यापारिक सेवाओ को बेहतर बनाने के साथ–साथ अपने व्यापारिक वस्तुओ के उत्पादन मे वृद्धि एव गुणवत्ता मे सुधार करना होगा। जिससे ये वस्तु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे अपने को स्थापित कर सके। इस समय जो भी देश इसमे पीछे हुआ वह अपने को दिवालिया करने के कगार पर पहुच सकता है।

परिवहन किसी भी व्यापारिक जगत के लिये सजीवनी का कार्य करती है। इस लिये भारत जैसे विकासशील देशो को चाहिए कि अपने यहा की परिवहन सेवाओ का सुधार करे और उसको बेहतर बनाये

इसी के साथ स्वास्थ सेवाये भी विकसित राष्ट्रो की अपेक्षा काफी पीछें है इसलिये स्वास्थ सेवाओ का भी विकास कर अपने को सक्षम राष्ट्रो के समतुल्य करना होगा। किसी राष्ट्र का विकास उस राष्ट्र के स्वस्थ लोगो पर ही निर्भर करता है।

किसी भी देश के वाणिज्यिक विकास मे उस देश की बैकिग एव बीमा कम्पनियो का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है इसलिये सभी विकासशील देशो को चाहिये की वे अपने यहा बैकिग एव बीमा की सुविधा को और सक्रिय एव सुचारू रूप

से व्यवस्थित करे जिससे वे अपने यहा व्यापारिक क्रियाओ मे सहयोग प्रदान करे। जिससे विकसित राष्ट्रो की तुलना मे अपने को खडे कर सके।

सभी राष्ट्रो के विकास मे वहा की व्यापारिक क्षमता का योगदान होता है यदि आपके देश का निर्यात आयात की अपेक्षा जयादा होता है तो स्वाभाविक है कि आप के पास पूजी निवेश के लिये अधिशेष है और आप अधिक निवेश के माध्यम से अधिक उत्पादन और अधिक निर्यात कर अधिक अधिशेष प्राप्त कर सकते है।। इस लिये सभी विकासशील राष्ट्रो को चाहिए की वे अपने यहा की निर्यात परक वस्तुओ मे वृद्धि कर निर्यात बढाने की हर सम्भव कोशिश करे।

परिशिष्ट 1

डकल प्रस्ताव के परिशिष्ट 1 मे प्रयोग की गयी शब्दावली तथा उसकी परिभाषा[1]

150/1EC निर्देशिका 2 1991 के छठे सस्करण मे दी गयी शब्दावली इस समझौते मे जहा भी इस्तेमाल की जायेगी उसका अर्थ निर्देशिका मे दी गई परिभाषा के समरूप ही माना जायेगा कि सेवाये इस समझौते के बाहर रखी गयी है। इस समझौते के लिये निम्न परिभाषाये लागू होगी

1. तकनीकी नियंत्रण:

वह दस्तावेज है जो कि उत्पाद की विशेषताये या उससे सम्बन्धित बनाने एव उत्पादन की प्रक्रिया के बारे मे बताये और साथ मे प्रशासनिक प्राविधान जिनका पालन जरूरी है इसके अन्तर्गत शब्दावली, चिन्ह, बैकिग, मार्किग या लेबलिग जो उत्पाद तथा उत्पादन मे लाये जाये।

2. मानक :

मानक के लिये निम्न परिभाषा लागू होगी– वह दस्तावेज जिसे किसी समिति ने पारित किया हो और जिसमे यह सामान्य एव उपयोग के बारे मे बताया गया हो जैसे कि नियम, दिशा निर्देश या उत्पाद की विशेषताये और जिनका पालन जरूरी नही है।

टिप्पणी

आई ई सी निर्देशिका के भाग 2 मे परिभाषित शब्दावली के अन्तर्गत उत्पाद बनाने की विधि एव सेवाये आती है। यह समझौता केवल तकनीकी नियत्रण माप एव आकलन प्रक्रिया जो कि उत्पाद या बनाने की विधि एव उत्पादन विधि से सम्बन्धित है। 150/1EC Guide 2 मे परिभाषित स्टेन्डर्ड जरूरी या स्वेच्छिक दोनो ही हो सकती है। इस समझौते के लिये स्टैन्डर्ड की परिभाषा स्वच्छिक और तकनीकी नियत्रण आवश्यक दस्तावेज बताये गये है। अन्तर्राष्ट्रीय मानक समुदाय द्वारा तैयार मानक सर्वसम्मति से बनाये जाते है । यह समझौता उन दस्तावेजो पर भी लागू होगा जिनपर सर्वसम्मति न भी हो।

अनुसरण निर्धारण प्रक्रियायें:

कोई भी प्रक्रिया जिसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे उपयोग मे लाया जाये ताकि यह जाना जा सके कि तकनीक नियत्रण एव मानक के लिये उपयुक्त आवश्यकताये पूर्ण हो रही है अथवा नही।.

टिप्पणी

अनुसरण निर्धारण प्रक्रिया के अन्तर्गत सैमपलिग की प्रक्रिया जाच एव परख, मूल्य निर्धारण, सत्यापन तथा अनुसरण का अश्वासन, रजिस्ट्रेशन, एक्रिडेशन और पारण के साथ उनके काम्प्लीनेशन।

4. अन्तर्राष्ट्रीय संस्था या प्रणाली :

वह सस्था या प्रणाली जिसकी सदस्यता सभी सम्बधित सस्थाओ जो कि इरा रामझौते मे शामिल है उनके लिये खुली है।

5. क्षेत्रीय संस्था या प्रणाली

वह रास्था या प्रणाली जिसकी रादस्यता केवल कुछ सस्थाओ के लिये ही खुली है।

6. केन्द्रीय सरकार संस्था:

केन्द्रीय सरकार, उसके मत्रालय एव विकास या अन्य कोई रास्था जो केन्द्र रारकार के नियत्रण मे हो और उसके कार्य प्रश्न हो।

टिप्पणी :

जो प्राविधान केन्द्रीय सरकार पर लागू होते है वही EEC पर भी लागू होगे लेकिन EEC के अन्तर्गत क्षेत्रीय सस्थाये या Conformity Assessment Systems

बनाये जा सकते है और ऐसे केशो मे वे इस समझौते के प्राविधानो के अन्तर्गत होगे।

7. स्थानीय सरकार

केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त सरकार (जैसे राज्य, प्रात, लैण्डर, केन्टन, म्यूनिसिपेलटी आदि) उसके मत्रालय एव विभाग या अन्य कोई भी सस्था जो उसके अन्तर्गत हो।

8. गैर सरकारी संस्था -

कोई भी अन्य सस्था जो केन्द्रीय या लोकल सरकारी सस्था से भिन्न हो और जिसके पास तकनीकी प्राविधानो को लागू करने की कानूनी शक्ति हो ।

परिशिष्ट 2

वस्त्र तथा कपडा पर समझौता

वस्त्र एव कपडा से सम्बन्धित निम्न कार्य किये गये है[2]

पुन्टाडेल स्टेट (Punta Dal Estate)

1 वार्ता के दौरान अनुसमितीय स्तर पर यह सहमति हुई कि वस्त्र एव कपड क्षेत्र को गैट नियमो के अन्तर्गत सामिल किया जाये जिससे व्यापार के उदारीकरण प्रक्रिया को और सुदृढ बनाया जा सके।

2 इस बात को भी ध्यान मे रखा जाये कि अप्रैल 1989 मे व्यापार समझौता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार अनुकूलन प्रक्रिया उरूग्वे दौर के बाद चालू हो जावेगी और उसका स्वरूप प्रगतिशील होगा साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान मे रखा जाये कि यह अल्प विकसित राष्ट्रो के लिये खारा व्यवस्था की जाये।

अनुच्छेद– 1

1 पक्षकारो द्वारा बीच के समय के लिये यह समझौता किया गया कि वस्तु एव कपडा क्षेत्र का अनुकूलन गैट मे हो ।

2 पक्षकार इस बात पर सहमति है कि अनुच्छेद 2 18 तथा 6 6 के प्राविधान इस तरह लागू किये जाये जिससे छोटे आपूर्ति कर्ताओ को लाभ मिले और

नये आने वाले पक्षकारो को कपडा और वस्त्र क्षेत्र मे वाणिज्यिक विकास हेतु व्यापार के अवसर प्राप्त हो

3 पक्षकारो उन सभी पार्टियो का ध्यान रखेगी जो एग्रीमेन्ट रिगार्डिग इन्टरनेशनल ट्रेड एण्ड टेक्सटाइल्स (Agreement Regarding International Trade and Taxtiles) के प्रोटोकालो मे 1986 से भाग नही ले पाई है और हर सम्भव तरीके से उन्हे इस सम्झौते के प्राविधानो को लागू करने के विशेष प्रयास करेगे।

4 इसमे इस बात की व्यवस्था की गयी है कि पक्षकार इस बात पर सहमत हो कि कपास पैदा तथा निर्यात करने वाले राष्ट्रो की हितो की रक्षा की जाये और उसे समझौते मे समिलित किया जाये।

5 वस्तु एव कपडा क्षेत्र के गैट मे अनुकूलन हेतु पार्टियो को औद्योगिक बढावा तथा अपने बाजारो मे प्रतिस्पर्धा को बढाना होगा।

6 जब तक अलग से इस समझौते मे न दिया जाये इसके प्राविधान पक्षकारो के अधिकार एव कर्तव्यो पर असर नही डालेगे।

7 वस्त्र एव कपडा उत्पाद जिनपर यह समझौता लागू होता है वह इस समझौते के परिशिष्ट मे दिये गये है। (जो अन्त से परिशिष्ट कहा जायेगा)

परिशिष्ट 3

सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता

प्रस्तावना

Part-I		**दायरा एव परिभाषा**
अनुच्छेद – I	-	दायरा एव परिभाषा
Part- II	-	**सामान्य कर्तव्य तथा क्षेत्र**
अनु० II	-	परम मित्र राष्ट्र व्यवहार
अनु० III	-	पारदर्शिता
अनु० III bis	-	खास सूचना का प्रकाशन
अनु० IV	-	विकासशील देशो की भागीदारी मे वृद्धि
अनु० V	-	आर्थिक अनुकूलन
अनु० VI	-	घरेलू नियमन
अनु० VII	-	अभिस्वीकार/मान्यता
अनु० VII	-	एकाधिकारी एव सेवा प्रदान करने वाले
अनु० IX	-	व्यापारिक क्रियाये
अनु० X	-	आपात कालीन बचाव उपाय
अनु० XI	-	भुगतान तथा अन्तरण
अनु० XII	-	भुगतान सतुलन के लिये बचाव प्रतिबध
अनु० XIII	-	सरकारी खरीद/वसूली
अनु० XIV	-	सामान्य अपवाद

Part- III - **विशिष्ट उत्तरदायित्व**

अनु० XVI - बाजार मे प्रवेश

अनु० XVII - राष्ट्रीय उपाय

अनु० XVIII - अतिरिक्त उत्तर दायित्व

Part- IV - **विकासशील उदारीकरण**

अनु० XIX - वार्ता के उत्तरदायित्व

अनु० XX - उत्तर दायित्व की अनुसूची

अनु० XXI - अनुसूची के सुधार

Part- V - **सस्थागत प्राविधान**

अनु० XXII - परामर्श

अनु० XXIII - विवाद निस्तारण तथा प्रवर्तन

अनु० XXIV - सयुक्त क्रिया

अनु० XXX - काउसिल/परिषद

अनु० XXVI - तकनीकी सहायता

अनु० XXVII - अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो से सम्बन्ध

Part- VI - **अन्तिम प्राविधान**

अनु० XXVIII - स्वीकार करना एव प्रवेश साधन

अनु० XXIX - शक्ति प्रवेश

अनु० XXX - गैर आवेदन

अनु० XXXI - लाभ निषेध

अनु० XXXII - सशोधन

अनु० XXXIII - वापस लेना

अनु० XXXIV - व्याख्या

अनु० XXXV - परिशिष्ट

सेवा मे व्यापार पर सामान्य समझौते

अनु० I से XXXV

एनक्सर ऑन आर्टिकिल सेकेण्ड इक्जेप्शन

प्राकृतिक मनुष्यो द्वारा सेवा के प्रदान का परिशिष्ट

वाणिज्य सेवाओ पर परिशिष्ट

टेली कम्यूनिकेशन्स पर परिशिष्ट

उड्यन परिवहन सेवाओ पर परिशिष्ट

अन्य दस्तावेज

सस्थाओ के प्रबध पर अनुसचिवीय निर्णय कुछ विवाद निस्तारण प्रक्रिया पर अनुसचिवीय निर्णय, अनु० XIV (b) से सम्बन्धित निर्णय

वाणिज्य सेवाओ के उत्तर दायित्व पर आपसी सहमति एव उरूग्वे दौर मे मार्ग दर्शन।

परिशिष्ट 4

सम्बंधित उपायों की सूची[3]

टैरिफ (बन्धीकरण के दायरे, जी एस पी प्राविधान मुक्त व्यापार क्षेत्र के सदस्यो तथा कष्टम यूनियन के सदस्यो के लिये लागू दरे अन्य वरीयताये)

टैरिफ कोटा एव सरचार्ज

अन्य गेर टैरिफ उपाय जैसे कि लाइसेसिग तथा मिश्रित जरूरते

कष्टम आकलन

उद्‌गम के नियम

सरकारी खरीद

तकनीकी बाधाये

सुरक्षा क्रियाये

एन्टी डम्पिग क्रिया

विरोधी प्रक्रिया

निर्यात कर

- निर्यात पर सरकारी छूट, कर छूट तथा निर्यात ऋण के लिये छूट
- मुक्त व्यापार क्षेत्र
- निर्यात प्रतिबध
- अन्य सरकारी सहायता
- राज्य व्यापार उद्यमो का रोल
- आयात एव निर्यात से सम्बन्धित विदेशी पूजी पर नियत्रंण
- सरकारी प्रतिवादी व्यापार

कोई भी अन्य उपाय जो कि सामान्य समझौते के अन्तर्गत आता हो उसके एनेक्सर तथा प्रोटोकाल

पैनलों की स्थापना .

इस समझौते के अन्तर्गत दिये गये समय के भीतर ही विवाद निस्तारण रामिति को अपना कार्य पूरा करना होगा। यदि कोई वादी एक पैनल बनाने की इच्छा जाहिर करता है तो शीघ्र से शीघ्र विवाद निस्तारण की समिति की बैठक मे उरो लिया लिया जायेगा और पैनल की स्थापना की जायेगी और यदि रामिति एक मत रो यह पैनल न बनाने का निर्णय लेती है तो पैनल नही बनाया जायेगा।

पैनलो की सरचना ·

1 पैनलो मे पूर्ण योग्य सरकारी और/या गैर सरकारी व्यक्तियो को ही रखा जायेगा इसमे वे लोग भी शामिल है जिन्होने पैनल मे अपना केरा रखा है या वे पूर्व मे पैनल के सदस्य रह चुके है वे सभी व्यक्ति जो पूर्व मे गैट मे प्रतिनिधित्व कर चुके हो या समझौते के तहत किसी कमेटी या कौसिल मे रहे हो या सचिवालय मे रहे हो वे राभी लोग जिन्होने अर्न्राष्ट्रीय व्यपार विधि नीति को पढाया हो या उसपर प्रकाशन हो या किसी सदस्य के यहा व्यापार नीति के अधिकारी के रूप मे करता हो।

2 पैनल सदस्यो के चुनाव हेतु, सचिवालय उन सभी रारकारी एव गैर सरकारी व्यक्तियो की सूची रखेगी जो उपर्युक्त पैरा मे दिये गये अर्हताये पूर्ण करते हो। यह सूची गैट पक्षकारो द्वारा 30 दिसम्बर 1984 मे किये गये गैर सरकारी पैनल के रोस्तर का स्थान लेगी। यह अन्य रोस्तरा और सूचनातम सूची जो कि किसी भी समझौते के अन्तर्गत आती है उनका भी स्थान लेगी। सदस्य समय – समय पर सरकारी एव गैर रारकारी व्यक्तियो

के नामो का सुधार सूचनातम सूची मे शामिल किये जाने के लिये भेजते रहेगे, अर्न्राष्ट्रीय व्यापार और समझौतो के बारे मे सम्बन्धित सूचना प्रदान करना और ये सभी नाम विवाद निस्तारण समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही सूची मे शामिल किये जायेगे। पैनल के हर सदस्य के अनुभव तथा कार्य क्षेत्र के बारे मे सूची मे विस्तृत विवरण दिया जायेगा।

3 यदि पैनल सदस्यो के चुनाव मे पैनल के स्थापना के 20 दिनो के भीतर कोई रामझौता नही हो पाता है तो विवाद निस्तारण समिति का अध्यक्ष सम्बधित कमेटी या कौसिल के अध्यक्ष से सलाह करके पैनल की स्थापना कर सकता है। विवाद निस्तारण समिति का अध्यक्ष 10 दिनो के भीतर पैनल के सभी सदस्यो को पैनल स्थापना की सूचना देगा।

परिशिष्ट 5

ड्राफ्ट के कृषि सम्बन्धी अध्याय के अनु० मे कुछ परिसीमाये दी गयी है—यथा[4]

भाग 1

इस समझौते मे जब तक कि व्याख्या अन्य न हो

a राहायता का औसत आय माप (Agreegate Meassurement Support)

b मूल उत्पाद का अर्थ है उत्पाद जिसे प्रथम विक्री के समय ही स्वदेशी सहायता वादे के निकटतम माना जाये।

c कर जो छोड दिये गये है उनके अन्तर्गत बजटरी परिव्यय।

d समान वादे वे है जो स्वदेशी सहायता वाले की अनुसूची है और सम्बन्धित सहयक वस्तुओ मे वर्णित है।

e निर्यात सहायिकी का अर्थ है वे सहायिकी जो कि निर्यात पर निर्भर हो और जिनके अन्तर्गत इस समझौते के अनुसार अन्च्छेद IX मे दी गयी सहायिकी आती है।

f लागू करने का समय वह समय जो वर्ष 1993 मे आरम्भ हुआ और 1999 मे समाप्त होगा।

g मार्केट असेरा कन्सेशन के अन्तर्गत वे सभी बाजार प्रवेश वादे आते है जो इस समझौते के अन्तर्गत आते है।

h वर्ष वह है जो बिन्दु एफ मे बताया गया है और भाग लेने वाले के खास वादो से सम्बन्धित हो इसका अर्थ कैलेन्ण्डर वर्ष से है और जिसमे आर्थिक एव व्यापारकि वर्ष निहित है।

---

4 *Dunkel Draft, Page L-2*

संदर्भ ग्रन्थ सूची

लेखक	*पुस्तक*
त्रिपाठी, डॉ० बद्री विशाल	भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन एव विकास, किताब महल, 1997
दत्त, रजनी पाम	आज का भारत, दि मैकमिलन कम्पनी ऑफ इण्डिया लि०, 1977
दत्त, रमेश चन्द्र	भारत का आर्थिक इतिहास भाग I प्रकाशन विभाग 1987
दत्त, रूद्र, सुन्दरम, के पी एम	भारतीय अर्थव्यवस्था,1997
मिश्र, डॉ जगदीश नारायण	भारतीय अर्थव्यवस्था, किताब महल, 1996
मामोरिया, डॉ० चतुर्भुज एव जैन, डॉ० एस सी	भारत की आर्थिक समस्याये, साहित्य भवन पब्लीकेशन आगरा, 1996
मिश्र, एस के , पुरी वी के	इण्डियान इकोनॉमिक, हिमालया पब्लीकेशन हाउस, 1997
राय, एल एम	महान राष्ट्रो का अर्थिक विकास नव विकास प्रकाशन पटना, 1990
राय, एल एम	भारत का आर्थिक विकास, 1990
राय, एल एम.	आर्थक विकास के सिद्धात एव नियोजन

Aswathappa, K Essentials of Business Environment, Himalaya Publishing House, 1996

Dunkel Draft

Dubey Muchkund An Unequal Treaty 1996

Sharma, A D , Geetika Gatt-WTO and the new world Economic Order, Kitab Mahel, 1995

Sharma, Devendra Gatt to WTO, Seeds of despair, Konark Publishers Pvt Ltd , 1995

REPORT AND SURVEY

Economic Survey, 1997

Survey fo Indian Industry, The Hindu, 1997

Survey of Indian Agriculture, Hindu, 1997

Word Development Report, The world Bank, 1991

पत्र–पत्रिकाएं

1 कुरूक्षेत्र

2 योजना

3 जनसत्ता

4 Business India

5 Economic Times

7 Financial Express

8 Hindustan Times

9 Weekly